सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

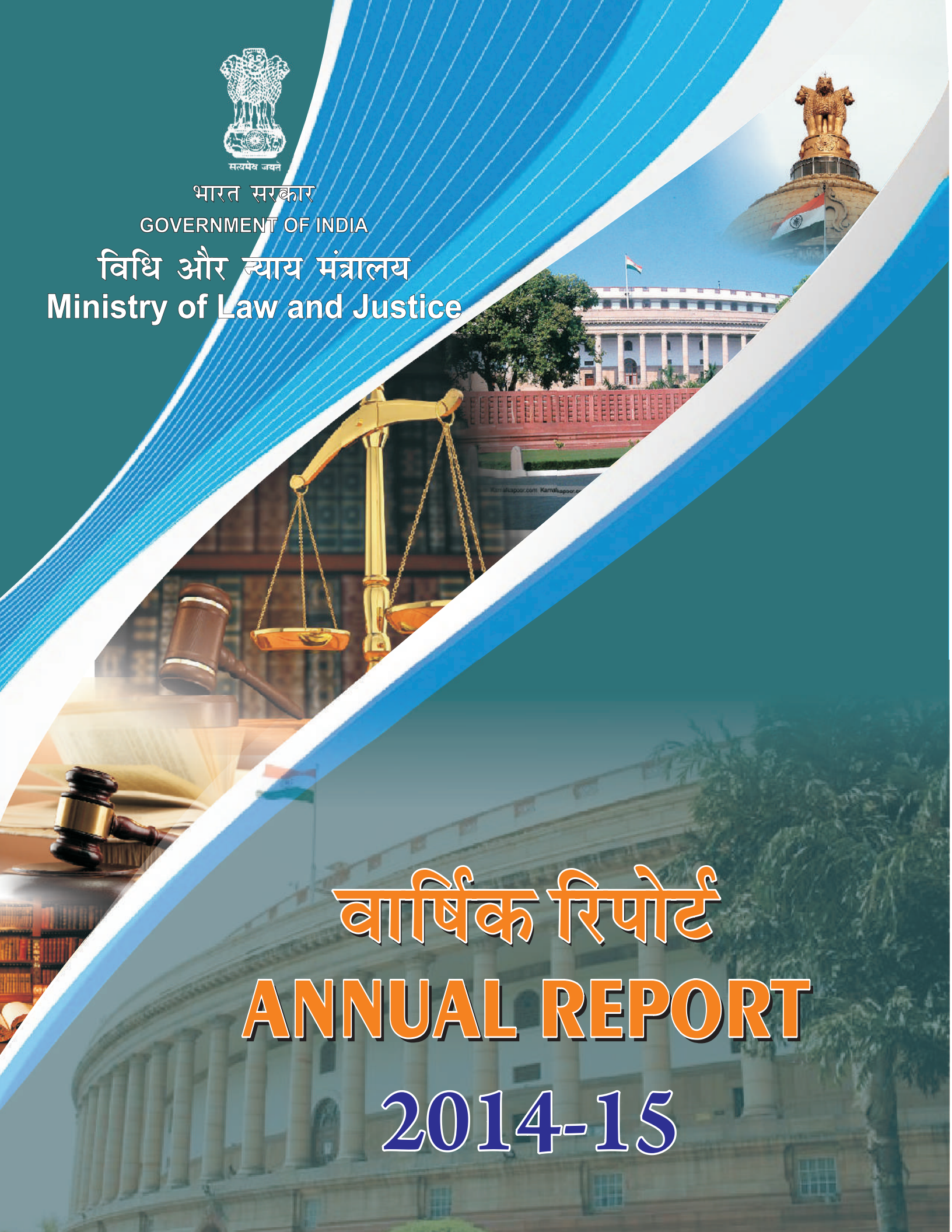

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2014-15

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2014-2015

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि और न्याय मंत्रालय	(i)-(ii)
2.	अध्याय–1	विधि कार्य विभाग	1
3.	अध्याय–2	विधायी विभाग	40
4.	अध्याय–3	न्याय विभाग	73
5.	अध्याय–4	सामान्य	91
6.	उपाबंध–I	विधि कार्य विभाग के संगठन चार्ट	98
7.	उपाबंध–II	शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा प्रदान की गई सलाह का तुलनात्मक विश्लेषण	99
8.	उपाबंध–III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	100
9.	उपाबंध–IV	विधायी विभाग के संगठन का चार्ट	101
10.	उपाबंध–V	फोटो मतदाता सूचियों और मतदाता फोटो पहचान–पत्रों की वर्तमान स्थिति	102–103
11.	उपाबंध–VI	विधायी विभाग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	104
12.	उपाबंध–VII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	105
13.	उपाबंध–VIII	न्याय विभाग के संगठन का चार्ट	106
14.	उपाबंध–IX	विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या	107
15.	उपाबंध–X	13 वें वित्त आयोग पंचाट के अधीन पूर्ण की गई भौतिक गतिविधियों का राज्यवार विवरण	108
16.	उपाबंध–XI	13वें वित्त आयोग पंचाट के अधीन 31 दिसम्बर, 2014 तक निर्मुक्त की गई और उपयोग में लाई गई निधि का राज्यवार और गतिविधिवार विवरण	109–110
17.	उपाबंध–XII	न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए सीएसएस स्कीम के अधीन निर्मुक्त किए गए अनुदान का विवरण	111–112
18	उपाबंध–XIII	3 अक्टूबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 की अवधि के लिए कार्य योजना	113–114
19.	उपाबंध–XIV और XV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	115–117
20.	उपाबंध–XVI	विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	118
21.	उपाबंध–XVII	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा	119–120

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग सम्मिलित हैं। विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना;

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यहवस्था में सुधार करना;

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं के मद्देनजर और मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह व विरोध के प्रबंधन के लिए और विधि का शासन लागू करने में और सरकार के विभिन्न स्कोधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम,

अध्याय – 1
विधि कार्य विभाग

1 कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य –मदों का आबंटन किया गया है :––

1. विधिक विषयों पर मंत्रालयों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।

2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।

4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ आपसी प्रबंध।

5. संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं के निष्पादन और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद – पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।

6. भारतीय विधि सेवा।

7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।

8. विधि आयोग।

9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधिक वृत्ति और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करनाय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

11. नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।

12. आय–कर अपीलीय अधिकरण।

13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण।

14. निर्धनों को विधिक सहायता।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है :––

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ii) नोटरी अधिनियम, 1952

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(iv) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001य

(v) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आय–कर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी जुड़ा है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–1** में दिया गया है।

मुख्य सचिवालय :

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में वितरित किया गया है। सामान्यतः, प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक अपर सचिव हैं।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थम् के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थ के तौर पर कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्टूबर,1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जानेवाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, सांसद को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को न्यायिक अधिकारी दिए हैं।

भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारतीय विधि सेवा के अधिकारी अपने कार्य में कभी पीछे नहीं हटे हैं। भारत सरकार के प्रधान विधिक अंग होने के नाते उन्होंने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है तथा संपदा सृजन के नए क्षेत्रों को बल प्रदान किया है। हमारा विधिक ढांचा सूचना की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी जांच करना आवश्यक हो गया है। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वे हमारे संवैधानिक आधारों को सुदृढ़ बनाने, उनमें विस्तार करने और उन्हें धूप–पानी से बचाने में काम आने वाले पत्थरों को तराशने की भूमिका निभाते हैं। निश्चय ही, वे सभी हमारे पवित्र और भव्य संवैधानिक भवन के कुशल शिल्पी हैं।

2. (1) सलाह 'क' अनुभाग

(क) दिनांक 1.1.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की पुनरीक्षा के लिए कुल 6131 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए थे, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया। विभाग के अधिकारियों ने अन्य मंत्रालयों में कुल 218 बैठकों में भाग लिया।

(ख) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने मंत्री जी और अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(ग) इस अनुभाग ने इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह के बारे में सूचना का अधिकार 2005 के अधीन प्राप्त सलाह 'क' और 'ख' अनुभाग से संबंधित 95 आवेदन–पत्रों पर भी कार्रवाई की।

(घ) हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 329 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें कई अंतरराष्ट्रीय करार भी शामिल थे।

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 95 नोट और 129 निर्देश विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए प्राप्त हुए।

2.2. सलाह 'ख' अनुभाग

(क) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान, इस अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की पुनरीक्षा के लिए कुल 3853 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर इस विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और दी गई राय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

(ग) विधिक सलाह देने के अलावा इस अनुभाग ने मंत्री जी और अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

(घ) सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित 156 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई।

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए 127 मंत्रिमंडल–नोट, 774 एस.एल.पी./एजी/एसजी/एएसजी प्राप्त हुए।

2.3. सलाह 'ग' अनुभाग

I. रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभिन्न विषयों पर 42 नए मामले भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की राय के लिए भेजे गए। सभी मामलों पर

उनकी राय प्राप्त हुई और प्राप्त राय को माननीय विधि और न्याय मंत्री और विधि सचिव के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया।

II. इस अनुभाग ने 600 विभिन्न विषयों पर पूर्व निर्णयों को ढूंढने और अन्य कार्यों में विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को साधारण तथा सचिवीय सहायता भी प्रदान की।

III. प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों और इस विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में, जून, 2014 से दिसम्बर, 2014 में वर्ष 1970 से 1990 की अवधि की 5368 फाइलों की छंटाई भी की गई।

2.4 केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् महालेखाकार के कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/सिविल अपीलें, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव देखते हैं, जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए 7 सरकारी अधिवक्ता, 10 राजपत्रित और 49 अराजपत्रित और समूह 'घ' के 21 कर्मचारी हैं। यहां 496 सरकारी पैनल काउंसेल हैं। केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है। इसके लिए वित्त वर्ष 2014–15 में कुल 21.50 करोड़ रु0 का बजट आबंटन किया गया है।

2. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के क्रियाकलाप निम्नलिखित से संबंधित हैं: –

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों/अनुमोदित पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
- रिकार्ड, प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग, फीस बिल यूनिट, वैयक्तिक जमा यूनिट, कंप्यूटर प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग का, जिसके अंतर्गत रोकड़ अनुभाग भी शामिल है, पर्यवेक्षण करना।

3. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख –अधिवक्ता हैं। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

4. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत अभिलेख के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और संघ राज्य क्षेत्रों से 5166 नए मामले प्राप्त हुए, जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याची हैं या प्रत्यर्थी हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा–कार्य

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/वभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारिवृंद की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

(क). दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं: –

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं :–

बी0आई0एफ0आर0, ए0ए0आई0एफ0आर0, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, टी0डी0एस0ए0टी0, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम।

2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, नौ स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल, ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी अभिवक्ताओं के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। प्रभारी अधिकारी और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

4. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए बजट अनुमान में इस एकक को 6 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 7000 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 तक 2000 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिसम्बर, 2014 के अंत तक, 4.02 करोड़ रुपये के लगभग 6500 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

5. दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च

न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 3772 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	1.4.2014 से 31.12.2014 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01.01.2015 से 31.3.2015 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	3336	450	3786
बी	436	130	566
कुल	**3772**	**580**	**4352**

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा कार्य

6. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली से संबंधित मामलों/मुकदमा–कार्य की देखभाल करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

7. दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 835 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

अनुभाग	1.4.2014 से 31.12.2014 तक प्राप्त मामले	01.01.2015 से 31.3.2015 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	835	200	1035

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

(i) रेल और आय–कर विभाग को छोड़कर दिल्ली/नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी उप विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

(ii) यहां अपर स्थायी सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसेलों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 472

मामलों में काउंसेल नियोजित किए हैं। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 31.12.2014 को जिला न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 7847 मामले लंबित थे।

(iii) काउंसेलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 365 फीस बिल प्राप्त हुए और काउंसेलों के वृत्तिक फीस बिलों के रुपये 2249470/– का संदाय किया गया।

(iv) न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

(v) इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी उप विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है। मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण करने वाले अधीक्षक (विधि) को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

2.6 न्यायिक अनुभाग

1. न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमा–कार्य के व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है। इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायवादी, महा–सालिसिटर और अपर महा–सालिसिटरों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य काउंसेलों को नियोजित करना है। इसके कृत्यों में, मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधनों तथा शर्तों को तैयार करना और उन्हें तय करना भी है। न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्यस्थों के नामांकन के लिए भी जिम्मेदार है।

2. यह अनुभाग, कानूनी आदेश जारी करने के लिए, जैसे कि सा0का0नि0 167 के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची 1 के आदेश 27 के नियम 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध रिट कार्यवाहियों में या सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों में वाद–पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड 1 के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत भी करता है।

3. यह अनुभाग सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालय की डिक्रियों का निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों का प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत निधन होने पर विदेशियों की संपदाओं का प्रशासन करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने का कार्य भी कर रहा है।

4. भारत ने वर्ष 2007 में सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में न्यायिक व न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के बारे में हेग कंवेंशन को तथा सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में साक्ष्य लेने के हेग कन्वेंशन को अपनी सहमति प्रदान की है। इन दोनों कंवेंशनों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कंवेंशनों के अधीन विदेशों से प्राप्त समनों/नोटिसों की न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को तामील से संबंधित कार्य करता है। न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से जारी किए जाने वाले समनों/नोटिसों को तामील के लिए विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रसारित करने का कार्य भी करता है।

5. रिपोर्ट की अवधि के दौरान, चौदह विधि अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी और महासालिसिटर शामिल हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 28 सहायक महासालिसिटर नियुक्त किए गए। उच्चतम न्यायालय और दिल्ली और पटना के उच्च न्यायालयों के लिए नए पैनल तैयार किए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय में 406 नए पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए। जबकि पटना उच्च न्यायालय में 59 पैनल काउंसेल और भारत के उच्चतम न्यायालय में 496 पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए। विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने यूक्रेन और अजरबेजान के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि की। इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग वर्ष 1965 के हेग कन्वेंशन के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 877 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई। उक्त अवधि के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची–1 के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किए गए वादों में वाद–पत्रों व लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए तथा संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं व करारों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए कुछ अधिसूचनाएं भी जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, सरकार और प्राइवेट पक्षकारों के बीच के विवादों में कुछ मध्यस्थ भी नामित/नियुक्त किए गए।

2.7 नोटेरी सेल

नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से इस आशय का आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उसके व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

2. दिनांक 31.12.2014 तक नोटरियों के लगभग 2500 प्रमाण–पत्रों का नवीकरण किया गया है। जनवरी 2014 से 31.12.2014 तक लगभग 358 अधिवक्ताओं/आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में 10950 नोटरी नियुक्त किए जा चुके हैं।

3. रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोटरियों के चयन हेतु साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार बोर्डों का

गठन किया गया। उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिणाम घोषित किए गए और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति–पत्र जारी कर दिए गए हैं।

कार्यान्वयन सेल

इस विभाग के कार्यान्वयन सेल का कार्य विधि आयोग की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उन पर कार्रवाई करना और जांच/कार्यान्वयन के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजना है। यह सेल अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005, विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय के प्रशासन से भी संबद्ध है।

विधि आयोग ने दिनांक 31.12.2014 तक 251 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। 248 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त हुई सभी रिपोर्टें जांच/कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं।

कार्यान्वयन कक्ष कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता आ रहा है। पिछला विवरण दसवां विवरण था, जो दिनांक 11.12.2014 को लोकसभा में और दिनांक 12.12.2014 को राज्य सभा में रखा गया।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने और राज्यों के स्तर पर राज्य बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार काउंसिल अर्थात् भारतीय बार काउंसिल का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन केवल एक वर्ग के व्यक्ति अर्थात अधिवक्ता ही भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

1. कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गरीब व विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाएं हमेशा से कानूनी बिरादरी के लिए विचारणीय विषय रहे हैं। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने अधिनियम बनाए हैं। संसद ने ''अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001'' अधिनियमित किया है जो उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में लागू होता है जिनके इस विषय में अपने अधिनियम नहीं हैं ताकि वे ''अधिवक्ता कल्याण निधि'' का सृजन कर सकें। इस अधिनियम में वकीलों के लिए न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया है। ''अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों'' की बिक्री के जरिए एकत्रित राशि अधिवक्ता कल्याण निधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

2. विधि व्यवसाय करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान देकर अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्टी समिति के पास रहेगी और उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। इस निधि का प्रयोग किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान, प्रैक्टिस की समाप्ति पर निश्चित राशि के संदाय और किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामले में उसके नामिती या कानूनी वारिस को निश्चित रकम का संदाय करने, सदस्यों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिए, वकीलों के लिए पुस्तकों की खरीद व उनकी सामान्य सुविधाओं आदि के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1. संसद द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 49) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय कर अधिकरण प्रत्यक्ष करों की लेवी, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन करेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि माल पर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें निश्चित करने और ऐसे शुल्कों के निर्धारण हेतु माल का मूल्यांकन करने तथा सेवाओं पर कर लगाने से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन भी राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा किया जाएगा। उक्त अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 323–ख के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। अधिनियम को दिनांक 28.12.2005 की भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 1826(अ.) द्वारा लागू किया गया था। तथापि, देश भर में उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके इसे चुनौती दी गई है।

2. अंतरित मामला (सी) सं0 150/2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम को बातिल कर दिया है और अधिनियम की धारा 5,6,7,8 और 13 को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया है कि उक्त अधिनियम में जिस न्यायालय/अधिकरण का सृजन किया जाना है, उसमें न्यायिक शक्ति, परम्परा और न्यायालय के मुख्य लक्षणों को समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है। यह निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन इस विभाग में अप्रैल,2014 से मध्य दिसम्बर 2014 के दौरान प्राप्त आवतियों और अपील अधिकारी तथा केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रथम एवं द्वितीय अपीलों की संख्या निम्नलिखित है:–

(क) कुल आवतियां.....1005

(ख) प्रथम अपीलें.....62

(ग) द्वितीय अपीलें.....76

आन–लाइन प्राप्त हुए कुल अनुरोध – 1334

2.9 पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

1) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय की कानूनी पुस्तकों/जर्नलों और अन्य शोध सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। यह अनुभाग अपने प्रयोक्ताओं को संदर्भ और विधिक अनुसंधान सेवा प्रदान करता है।

2) इस वर्ष पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 465 पुस्तकें खरीदीं और संदर्भ के लिए विधि के जर्नलों के 521 खंडों की जिल्दबंदी भी करवाई।

3) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि के 19 भारतीय जर्नल, 3 विदेशी जर्नल और 40 पत्रिकाएं मंगाता है।

4) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए निर्णयज विधि, निर्णयों, आलेखों आदि के सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित सीडी रोम/ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त की हैं: –

(क) ए0आई0आर0 (एससी) रिफरेंस सीडी रोम (1950–2013)

(ख) एससीसी ऑनलाइन केस फाइंडर

(ग) ग्रांड ज्यूरिक्स (एससी,एचसी,ट्रिब्यूनल)

(घ) ए0आई0आर0 हाई कोर्ट ऑन सीडी रोम (1950–2013)

(ड.) ए0आई0आर0 क्रिमिनल लॉ जर्नल ऑन सीडी रोम (1950–2013)

(च) एससीसी ऑनलाइन वेब (आई0पी0) सर्विसेज

(छ) मनुपात्र डॉट काम ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज

(ज) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

2.10 शाखा सचिवालय, मुम्बई

इस विभाग का मुम्बई स्थित शाखा सचिवालय विधिक सलाह देता है, मुम्बई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख करता है तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख करता है।

वर्तमान में इस शाखा सचिवालय का प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार है। उसकी सहायता के लिए दो अपर सरकारी अधिवक्ता, एक सहायक विधि सलाहकार, और दो अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं। इसके कार्यों, कर्तव्यों और संगठन आदि का विवरण निम्नलिखित हैः–

पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यमों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाती हैः–

(क) **विधिक सलाहः** भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार अपर विधि सलाहकार/सहायक विधि सलाहकार/अपर सरकारी अधिवक्ता को चिन्हित करता है। यदि जरूरी हुआ तो सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं। जहां तक चालू वर्ष का प्रश्न है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2800 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(ख) **मुकदमाः** इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य का प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी अधिकारी है। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता और अधीक्षक (विधि) हैं, जो मुंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/नियुक्त अधिवक्ताओं/ काउंसेलों के और विधि के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए

विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है। माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 880 मुकदमे निपटाए गए।

(ग) **प्रशासनः** शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन का प्रमुख एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी अधिकारी है। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उसकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी है, जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।

(घ) **राजभाषाः** इस शाखा सचिवालय का संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी अधिकारी 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करता है और शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य अधिकारियों को नामित करता है। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस शाखा सचिवालय में एक 'राजभाषा समिति' गठित की गई है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :–

(i) श्री एच.पी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (समिति के प्रमुख)

(ii) श्री पंकज कपूर, अपर सरकारी अधिवक्ता (अध्यक्ष)

(iii) श्री ए.ए. अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता (सदस्य)

(iv) श्री नीरज कुमार, सहायक विधि सलाहकार (सदस्य)

(v) श्री एन.ए. पांडे, अधीक्षक (विधि) (सदस्य)

(vi) श्री के. संतोष रामन्ना, अधिक्षक (विधि)(सदस्य)

(vii) श्री अतुल कुमार गुप्ता, सहायक (विधि) (सदस्य)

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

सूचना सुविधा केंद्रः शाखा सचिवालय ने अपने पेंशनरों/भूतपूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में एक अनौपचारिक कदम उठाते हुए उनके लिए एक सूचना–सुविधा केंद्र शुरू किया है। पेंशनर अपनी जिज्ञासा और प्रश्नों को लेकर इस केंद्र में आ सकते हैं और अपने खातों, पेंशन आदि की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें संबंधित अनुभाग से प्राप्त होते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विधिक कन्वेंशन/सेमिनार/सम्मेलन, प्रशिक्षण आदि में भागीदारी,

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, शाखा सचिवालय के संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार ने पनामा सिटी (रिपब्लिक आफ पनामा) में दिनांक 25 नवंबर, 2013 से 29 नवंबर, 2013 तक आयोजित पांचवें कंवेंशन आफ दि स्टेट पार्टीज एगेंस्ड करप्शन (यू.एन.सी.ए.सी.) में भाग लिया।

2.11 शाखा सचिवालय, कोलकाता

शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं जो समग्र प्रभारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है

जिसमें 8800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं से संबंधित सभी मुकदमों की देखरेख करता है। शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वितीय और तृतीय तल, मिडिल बिल्डिंग, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता–700001 से कार्य करता है।

2. यह शाखा सचिवालय, पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों में, पोर्ट ब्लेअर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ और अन्य उच्च न्यायालयों तथा निचले न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता न्यायपीठ के साथ–साथ कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्य न्यायपीठों और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्किट न्यायपीठों के समक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। यह शाखा सचिवालय आय–कर विभाग, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद–शुल्क (केवल सलाह–कार्य), राजस्व आसूचना, फेरा/फेमा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिज़ोरम और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं, संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है। संबंधित विभागों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, सीमा–शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण और आय–कर अपीलीय अधिकरण आदि विभिन्न अधिकरणों के समक्ष और माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों के समक्ष उपस्थित होने के लिए काउंसेलों को भी नियोजित किया जाता है।

3. वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) सलाह खंड में कुल 1126 मामले प्राप्त हुए थे। विभिन्न न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों का पुनरीक्षण भी इस शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है। अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 के दौरान प्राप्त हुए और निपटाए गए मामलों की माहवार संख्या **उपाबंध–II** में दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है।

4. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता (आरंभिक शाखा में) के तौर पर और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी कार्य करते हैं। उन्हें न्यायालय में आरंभिक शाखा के मामलों में उपसंजात होना होता है। अपीलीय शाखा के मामलों में उन्हें न्यायालय को समय–समय पर संबोधित करना और कनिष्ठ पैनल काउंसेल से सहायता लेना होता है। अनुरोध किए जाने पर सरकारी अधिवक्ता अति वरिष्ठ काउंसेल अथवा अपर महासालिसिटर की सहायता करते हैं। सामान्यतया, सरकारी अधिवक्ता मुकदमे के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्यम से सुनवाई/बहस करवाते हैं।

5. वर्ष 2014–15 के दौरान,एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ताओं और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं (शाखा सचिवालय के लिए कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता का एक पद नई दिल्ली में स्थित मुख्य सचिवालय में स्थानांतरित किया गया है) ने भारत संघ और केंद्रीय सरकार के अन्य याचिकाकर्ताओं/प्रत्यर्थियों की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी उपस्थित हुए। वर्ष 2014–15 के दौरान, दिसंबर, 2014 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त और संचालित उच्च न्यायालय मामलों की कुल संख्या 2275 थी। इसके अलावा शाखा सचिवालय, कोलकाता ने कई पुराने लंबित मामलों पर भी कार्रवाई की। उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों (कुछ मामले पिछले वर्षों के

भी थे) की संख्या 1611 थी। संपूर्ण वर्ष 2014–15 के दौरान निपटाए जाने के लिए मामलों की संख्या लगभग 4200 होगी। अभिलेखों के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिसम्बर, 2014 के अंत तक लंबित सरकारी मामलों की कुल संख्या 56311 थी। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता न्यायपीठ में वर्ष 2014–15 में (दिसंबर,2014 तक) सेवा मामलों में काउंसेलों की नियुक्ति के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता में प्राप्त मामलों की संख्या 469 थी और यह अनुमान है कि 2014–15 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या 600 तक हो जाएगी। कोलकाता क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों में मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 तक संचालित माध्यस्थम मामलों सहित कुल मामलों की संख्या 222 थी।

6. काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 1,60,00,000 रुपए के स्वीकृत बजट में से उन्हें दिसम्बर 2014 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 97,67,853 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बजट की शेष राशि का संदाय वर्ष 2014–2015 के अगले तीन महीनों के दौरान किया जाएगा। अधिवक्ताओं को दी गई फीस का विवरण **उपाबंध–III** में दिया गया है।

7. यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों में और मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन करने वाले सरकारी काउंसेलोंध्स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों को उचित जांच के पश्चात प्रमाणित भी करता है, जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा पुनरीक्षण के लिए भेजे गए होते हैं। तथापि, इन बिलों का वास्तविक भुगतान संबंधित विभागों द्वारा ही किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों का पुनरीक्षण भी इसी शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

8. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार/प्रयोग संबंधी कार्य के लिए हिंदी अनुभाग है, जिसका पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी द्वारा एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए इस सचिवालय में कई कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इस सचिवालय में 'हिंदी दिवस' भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदी शिक्षण योजना के अधीन, शाखा सचिवालय के लगभग 90 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आशा की जाती है कि वर्ष 2015 तक सभी अधिकारी/कर्मचारी ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे।

9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 'कोसा' नामक एक नये सॉफ्टवेयर से शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए आयकर की त्रैमासिक विवरणियों को इलैक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया जा रहा है और फ्लापियों/सीडी में उन्हें टीआईएन सुविधा केंद्र के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा एक नया फार्म–24– जी शुरू किया गया है, जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस विभाग द्वारा भरकर इलैक्ट्रानिक फार्मेट में जमा किया जाना होता है। कार्यालय द्वारा साफ्टवेयर सीडीडीओ 2 पी ए ओ का प्रयोग करते हुए फ्लापियों/सीडी में व्यय का साप्ताहिक विवरण भी तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी गवर्नमेंट एकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (जीएएमएस) का प्रयोग करते हुए सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, कोलकाता में 26 (छब्बीस) पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब यहां के लगभग सभी कम्पयूटरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

10. शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित है। इसमें 8000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह मुकदमा–कार्य और सरकारी विभागों को सलाह के काम में बहुत मददगार है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

11. शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक बायोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था शुरू की गई है। शाखा सचिवालय, कोलकाता के लिए एक साफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित करने के लिए हम एन0आई0सी0 के संपर्क में हैं जिससे कि सभी लंबित न्यायालय मामलों या नए दायर मामलों की निगरानी की जा सके। एक बार डाटा एंट्री के बाद मामलों को ऑनलाईन मॉनीटर किया जा सकता है और अधिवक्ताओं और विभागों को ऑनलाईन अनुदेश दिए जा सकते हैं। एक बार तैयार किया गया कार्यक्रम केंद्र सरकार के वादकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने में उपयोगी होगा जिससे लागत में कमी आएगी।

2.12 शाखा सचिवालय, चेन्नै

चैन्नै स्थित शाखा सचिवालय का प्रधान एक उप विधि सलाहकार है।

सलाह : यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1–4–2014 से 31–12–2014 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 942 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 475 निर्देश और प्राप्त होंगे।

मुकदमा कार्य : – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों इत्यादि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 4772 मामले प्राप्त हुए और उनमें से लगभग 4672 मामलों का निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सी ए टी/एल सी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन महीने की शेष अवधि में 1700 ऐसे और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी पुनरीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ काउंसेलों और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

प्रकीर्ण : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश प्राप्त हुए और उन्हें निपटाया गया। इस कार्यालय में 7 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं जिनमें 1 उप विधि सलाहकार, 1 अधीक्षक (विधि), 2 वैयक्तिक सहायक, 1 वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और 2 सहायक (सी.एस.एस.) हैं और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के अलावा, अ0 जा0–4, अ0 ज0 जा0–1, अ0 पि0 व0– 6, और शारीरिक रूप से विकलांग –1 है।

2.13 शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरू का प्रधान एक उप विधि सलाहकार है।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। चालू वर्ष अर्थात् 2014–2015 के दौरान सलाह के लिए लगभग 850 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

मुकदमा कार्य: यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में और बंगलूरू नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2014–15 के दौरान, मुकदमों से संबंधित लगभग 3700 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय के कृत्यों

में केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस के बिलः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक सालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से वह मुकदमे का संचालन करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेल की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस मामले में कोई शंका होने पर अनुरोध किए जाने पर यह शाखा सचिवालय को स्थिति स्पष्ट करता है।

2.14 कार्यालय को सामान्य पूल कार्यालय आवास में शिफ्ट करना

शाखा सचिवालय, बंगलूरू को केंद्रीय सदन, कोरमंडल, बंगलूरू के चतुर्थ तल, डी विंग के नए आवंटित स्थान पर शिफ्ट किया गया है और इसने दिनांक 15.10.2014 से नए कार्यालय परिसर में काम करना शुरू कर दिया है।

भारत का विधि आयोग

20वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर, 2012 से 31 अगस्त, 2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, (न्यायमूर्ति ए0पी0शाह, पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय), सदस्य सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य (न्यायमूर्ति एस0एन0 कपूर, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति उषा मेहरा, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रो0(डा0) मूलचंद शर्मा, पूर्व कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा और डा0 एस0एस0चाहर, सदस्य (सचिव), दो पदेन सदस्य (सचिव, विधि कार्य विभाग, श्री पी0के0मल्होत्रा, एवं सचिव, विधायी विभाग, डा0 संजय सिंह) और 05 अंशकालिक सदस्य हैं (एक अंशकालिक सदस्य ने जुलाई, 2014 में त्यागपत्र दे दिया है)

20वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या सुसंगत नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से, व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) मंत्रालयों/विभागों द्वारा, एक से अधिक मंत्रालय/विभाग के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत उनके द्वारा किए गए निर्देशों पर विचार करना

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधान के लिए पश्च–संपरीक्षा करना

(i) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिएं, पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधान का सुझाव भी देना जो निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सामान्य महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा इसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए हों, पर विचार करना।

ण. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

3. 20वें विधि आयोग ने उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसरण में विभिन्न विषयों पर कार्य किया।

4. विधि आयोग ने वर्ष 2014 – 2015 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत कीं :–

i. रिपोर्ट सं0 244 : निर्वाचन संबंधी अनर्हता (24.2.2014)

ii. रिपोर्ट सं0 245 : बकाया और बैकलॉगः अतिरिक्त न्यायिक मानवशक्ति का सृजन (07.07.2014)

iii. रिपोर्ट सं0 246 : माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम,1996 में संशोधन (05.08.2014)

iv. रिपोर्ट सं0 247 : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 41 से 48(02.09.2014)

v. रिपोर्ट सं0 248 : अप्रचलित विधियांः तत्काल निरसन की आवश्यकता (अंतरिम रिपोर्ट)(12.9.2014)

vi. रिपोर्ट सं0 249ः अप्रचलित विधियांः तत्काल निरसन की आवश्यकता (द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट)(13.10.2014)

vii. रिपोर्ट सं0 250ः अप्रचलित विधियांः तत्काल निरसन की आवश्यकता (तृतीय अंतरिम रिपोर्ट)(19.10.2014)

viii. रिपोर्ट सं0 251ः अप्रचलित विधियांः तत्काल निरसन की आवश्यकता (चौथी अंतरिम रिपोर्ट)(14.11.2014)

ix. रिपोर्ट सं0 252ः हिंदू पत्नी का भरण–पोषण का अधिकारः हिंदू दत्तक एंव भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की समीक्षा (6.1.2015)

5. 20वें विधि आयोग ने निम्नलिखित परामर्श–पत्र तैयार किए और जनसाधारण एवं संबंधित समूहों की राय जानने के लिए परिचालित किए हैं :–

i) मीडिया कानून पर परामर्श पत्र (मई, 2014)

ii) मृत्यु दंड पर परामर्श पत्र (मई, 2014)

iii) भारत में साझे पितृत्व की प्रथा पर परामर्श–पत्र (नवंबर, 2014)

2.15 आयकर अपीलीय अधिकरण (आई.टी.ए.टी.)

I. उद्गमः

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आय–कर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

II. गठनः

आयकर अधिनियम, 1961 में यह उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम–से–कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या

उच्चतर पद कम–से–कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम–से–कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चाटर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेट के रूप में लेखाकर्म का कम–से–कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम–से–कम तीन वर्ष तक (अपर) आय–कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो।

III. शक्तियां और कृत्य :

3.1 आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध और आयकर अधिनियम के अध्याय–XX–क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरूद्ध अपीलों का निपटान करता है।

3.2 आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

IV. प्रक्रिया और नियम :

4.1 अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे संस्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

4.2 तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन–कर, दान–कर और व्यय–कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण–प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपने पूरी सामर्थ्य से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर–दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

4.3 सामान्यतः अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

4.4 जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय

करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ–साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

V अपीलों का लंबन :

5.1 वर्ष 2014 की शुरूआत में 83744 अपीलें लंबित थीं और दिनांक 1 जनवरी, 2015 को आयकर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 100567 है। वर्ष 2013 और 2014 में सदस्यों की संख्या, दाखिल हुई अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की संख्या और लंबित अपीलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	सदस्यों की संख्या	दाखिल की गई अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें
2013	78	45760	32848	83732
2014	68	46652	29817	100567

5.2 निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं :–

वर्ष	दाखिल	निपटाई गई	वर्ष के अंत में लम्बित
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	41648	49353	47617
2010–2011	44250	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286
2013–2014	46031	31886	88643
1.1.2015 तक	34219	22295	100567

VI. लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः

6.1 सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। एकल सदस्य की सुनवाई वाले मामलों के निपटान के लिए कुछ समय पूर्व शुरू किए गए विशेष अभियान से लंबित मामलों की संख्या को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देने लगी है। एकल सदस्य वाले मामलों के लंबन को कम करने में इसके प्रभाव को निम्नानुसार देखा जा सकता हैः–

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2014	664
फरवरी, 2014	767
मार्च, 2014	782
अप्रैल, 2014	897
मई, 2014	1003
जून, 2014	1012
जुलाई, 2014	1024
अगस्त, 2014	1009
सितम्बर, 2014	1068
अक्टूबर, 2014	1072
नवम्बर, 2014	1071
दिसम्बर, 2014	1134

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2014	369
फरवरी, 2014	381
मार्च, 2014	414
अप्रैल, 2014	473
मई, 2014	497
जून, 2014	518
जुलाई, 2014	515
अगस्त , 2014	479
सितम्बर, 2014	484
अक्टूबर, 2014	491
नवम्बर, 2014	494
दिसम्बर, 2014	508

6.2 आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए स्वीकृत न्यायपीठों की कुल संख्या 63 है, जिनमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है तथा वर्तमान में 68 सदस्य हैं। कुछ न्यायपीठ नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे उनमें लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं। सरकार द्वारा अप्रैल, 2014 से जून, 2014 के दौरान विभिन्न स्थानों जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर आदि में आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के 48 खाली पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। नए सदस्यों के आ जाने पर आयकर अपीलीय अधिकरण लंबित मामलों की संख्या हो घटाने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाएगा।

6.3 सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण अधिकरण के कई पीठों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण वादकारियों को कठिनाई हो रही है तथा लंबित अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह अधिकरण के लिए घोर चिंता का विषय बन गया है। अतः आयकर अपीलीय अधिकरण में न्याय प्रदायन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई–न्यायालयों/ई–न्यायपीठों को शुरू करने की जरूरत है। इससे कार्य नहीं कर रहे पीठों में भी काम शुरू हो सकेगा और उनमें लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। तदनुसार, नागपुर पीठ को मुम्बई पीठ से जोड़ा गया है और वहां दिनांक 10.12.2012 से वीडियो–कानफ्रेंसिंग के जरिये अपीलों की सफलतापूर्वक ई–न्यायालय सुनवाई शुरू हो गई है।

6.4 नागपुर पीठ में ई–न्यायालय के सफल आयोजन से प्रेरित होकर, आयकर अपीलीय अधिकरण राजकोट को आयकर अपील अधिकरण, मुंबई / नई दिल्ली से जोड़ने के लिए ई–न्यायालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बार एसोसिएशनों और आयकर विभाग के साथ एक बैठक की गई है और राजकोट में ई–न्यायालय स्थापित करने के विचार का जोरदार स्वागत किया गया है। तद्नुसार, सभी

तकनीकी आधारभूत संरचना स्थापित की गई है। जल्दी ही आयकर अपीलीय अधिकरण, राजकोट को आयकर अपीलीय अधिकरण मुंबई / नई दिल्ली से जोड़ते हुए ई–न्यायालय की शुरूआत हो जाएगी।

6.5 वर्ष 2014 के दौरान, विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधिकरण में 46652 अपीलें दाखिल हुईं और अधिकरण ने 29817 अपीलों का निपटान किया, जिससे पता चलता है कि आयकर अपील अधिकरण अपना काम कुशलतापूर्वक कर रहा है क्योंकि निपटान का प्रतिशत 63.91% है।

VII. कम्प्यूटरीकरण :

7.1 आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'सुलभ न्यायः सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं लागू की गई हैं।

उपलब्धियां :

(क) **आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजनाः** यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन–हाउस लगाया गया है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर एक विशेष तेज गति 4 एबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन से जोड़ा गया है।

(ख) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी खूब सराहना हुई है।

(ग) **एन.आई.सी. ई–मेलः** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए तथा आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, प्रधान निजी सचिवों/निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक

दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(घ) आधारिक संरचना का उन्नयन : आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठों के लिए 30 कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदे गए हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

VIII. भविष्य की परियोजनाएं

(क) आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स का पुनर्विकास

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स को अधिक सूचना उपयोगी, अधिक मैत्रीपूर्ण और दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें रीवैंप कर रहा है। इसके अलावा आयकर अपीलीय अधिकरण ने संसदीय राजभाषा समिति को आश्वासन दिया है कि वे अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से द्विभाषी बनाएंगे। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आयकर अपीलीय अधिकरण के ऑनलाईन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनआईआरएस) परियोजना के साथ बांटने के आयकर विभाग के अनुरोध से सहमत हो गया है जिसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ बदलाव करने होंगे।

(ii) तद्नुसार, उपरिलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण ने द्विभाषी परियोजना के पुर्नविकास का कार्य शुरू किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमैंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई–फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं। उचित समय पर कागज–विहीन कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रावधान भी परियोजना में शामिल किया गया है।

(iii) इस परियोजना का काम चालू वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगा और इस परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां रखी गई हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने प्लैटिनम जुबली वर्ष (2015) में इस योजना को पूरा करने तथा अपनी नई वेबसाइट और वेब–अनुप्रयोग का उद्घाटन करने के लिए कटिबद्ध है।

IX. आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

9.1 आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना कार्यालय भवन हो, इसके लिए अधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू और जयपुर में कार्यालय–सह–आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है।

9.2 मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ पीठ के लिए लखनऊ में कार्यालय और आवासीय परिसर के निर्माण हेतु भूमि की खरीद के लिए रु0 17,80,61,400 के व्यय के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्रदान की है।

9.3 मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ द्वारा अकुर्डी, पुणे में ली गई भूमि पर कार्यालय और आवासीय परिसर के निर्माण और मिट्टी की जांच के लिए रु0 17,70,50,675 के व्यय के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्रदान की है।

9.4 मंत्रालय ने बंगलूरू में सर्व सं0 51, बीटीएम लेआउट, तावरेकेरे गांव, बंगलूरू में आयकर अपीलीय अधिकरण, बंगलूरू पीठ के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए रु0 15,07,65,092 के व्यय के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी की सहमति भी प्रदान की है।

9.5 मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, पणजी पीठ के दो सदस्यों के उपयोग के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा विजन पार्क–II, डी ब्लॉक, मीरामर, टोनका, गोवा में रु. 40,000/– प्रति माह प्रति फ्लैट की दर से दो फ्लैट किराए पर लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण, पणजी के सदस्यों द्वारा उक्त फ्लैट ले लिए गए हैं।

9.6 मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण, रांची पीठ, रांची के परिसर में नए कार्यालय के लिए आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन करने/बिजली के काम आदि के लिए रु. 57,04,433 के व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्रदान की है। उक्त कार्य चल रहा है और फरवरी, 2015 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

9.7 ओडीशा सरकार ने सीडीए, कटक स्थित 1.601 एकड़ भूमि का एक प्लॉट आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को कार्यालय का भवन और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के आवंटित किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक में कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का काम सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लीज डीड के निष्पादन होने के बाद शुरू होगा।

9.8 जैसा कि केंदीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर ने सूचित किया है, आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा लिए गए भूमि के प्लॉट जी –4, राजामल रेजीडेंसी एरिया, सी– स्कीम, जयपुर में निर्माण कार्य चल रहा है और उक्त कार्य करार के अनुसार सितंबर, 2015 के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा।

X. सदस्यों के लिए सुविधाएं :

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 व टीपी (सी) सं0 659 और 672–673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश के तहत सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

XI. हितकारी निधि

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इसके संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारीवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

XII. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

यह अधिनियम आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है।

XIII. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

13.1 आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

13.2 हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की आयकर अपीलीय अधिकरण के मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

13.3 न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

13.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

13.5 इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है, जो राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत तक है।

13.6 सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोतर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

2.16 विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.)

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 18 के अधीन की गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 19 के अधीन, विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के किसी आदेश या धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी न्याय निर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आदेश के प्राप्त किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर या जुर्माने की राशि जमा करने पर इस अपील अधिकरण में अपील की जा सकती है।

वर्ष 2013 में, अधिकरण ने केवल 27 मामलों का निर्णय किया, लेकिन जब से न्यायमूर्ति वी. के. माथुर ने अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है तब से लगभग 29 मामलों का निर्णय किया

गया है और पूर्व जमा की व्यवस्था, विलम्ब की माफी के आवेदन पत्रों तथा अन्य विविध आवेदनों जैसे अंतरिम प्रकृति के 61 आवेदनों का निपटान किया गया है। अंतिम और अंतरिम आदेशों / निर्णयों को टैक्समैन और मनुपत्र जैसी विधि पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया जा रहा है। कुछ प्रमुख निर्णय पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं और बचे हुए आदेश / निर्णय मुद्रणाधीन हैं। अधिकरण एफ एन आई सी की सहायता से अपने स्वयं की वेबसाइट के विकास का प्रस्ताव कर रहा है ताकि वादकारी इसका उपयोग कर सकें। पुस्तकालय, कर्मचारियों के विभिन्न पदों के पुनर्गठन तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान किए जाने आदि के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

अधिकरण का संगठन :

अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होंगे, जितने कि केंद्रीय सरकार उचित समझे। वर्तमान में, एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य कार्य कर रहे हैं।

		दूरभाष सं०
1.	न्यायमूर्ति विनय कुमार माथुर, अध्यक्ष	011–23316359
2.	डॉ० एच. के. मुदगिल, सदस्य	011–23738154
3.	(रिक्त) सदस्य	011–23711710
4.	श्री जगन्नाथ, सहायक विधि सलाहकारः पंजीकार तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्राधिकारी	011–23714281
5.	श्री राकेश कुमार, निजी सचिव तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	011–23738154

वर्ष 2014 के दौरान, नई दाखिल अपीलें तथा अपीलों के निपटान, तथा लंबित मामलों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है, जो रजिस्ट्री में उपलब्ध रिकार्ड / सूचना पर आधारित है:–

वर्ष 2013 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2014 के दौरान दायर की गई नई अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए मामलों की संख्या	अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2014 के दौरान अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	वर्ष 2014 के दौरान निपटाए गए अंतरिम आवेदनों / विविध मामलों की संख्या	वर्ष 2014 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या
870	96	11	977	49	61	977–49 =928

2.17 भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

प्रस्तावनाः

भारतीय विधि संस्थान देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 को हुई थी। संस्थान के उद्देश्य हैं – विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक–आर्थिक विकास और आम लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि और संबंधित क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना, महत्वपूर्ण विधिक सामग्री का दस्तावेजीकरण करना, विधि शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इस संस्थान को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 29.10.2004 की अधिसूचना सं. एफ. 9–9/2001– यू.3 के तहत वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। एलएल. एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित अकादमिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैंः

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2014–2015 में दाखिल छात्र
एलएल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	25
एलएल.एम.– 2 वर्ष (पूर्णकालिक)	37
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद	191
समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि	
और बौद्धिक संपत्ति अधिकार विधि)	
विधि में पीएच.डी.	05
छात्रों की कुल संख्या	258

- संस्थान में एक पीएच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 24 छात्र नामांकित हैं।
- संस्थान बौद्धिक संपत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है। उर्पयुक्त अवधि के दौरान ऑन–लाइन साइबर विधि के बैच सं. 17, 18 और 19 तथा ऑन–लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 28, 29 और 30 पूरे हुए।

कार्य–निष्पादन व उपलबधियों की रिपोर्ट (दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 तक)

क. जारी किए गए शोध–प्रकाशन

i. जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक)

भारतीय विधि संस्थान एक तिमाही पत्रिका 'जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट' (जे0आई0एल0आई0) प्रकाशित करता है। इसमें सामयिक महत्व के विषयों पर शोध आलेख होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल है।

ii. भारतीय विधि की आवधिक पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका

भारतीय विधि संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित विधि की आवधिक पत्रिकाओं की इस अनुक्रमणिका में भारतीय विधि संस्थान के पुस्तकालय में प्राप्त की जा रही विधि और उससे संबंधित क्षेत्रों की आवधिक पत्रिकाओं (ईयर–बुक और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) की अनुक्रमणिका प्रकाशित की जाती है।

iii. आई0एल0आई0 न्यूजलैटर (त्रैमासिक)

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक 'आई0एल0आई0 न्यूजलैटर' प्रकाशित करता है। इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण होता है। इसमें तिमाही के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रमुख मामलों पर आई0एल0आई0 शोध संकाय की टिप्पणियां भी होती हैं।

iv. दस्तावेजों का डिजिटीकरण :

भारतीय विधि संस्थान ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधिया (संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्याख्यान)

- कारपोरेट शोध परियोजना के लिए अपने कारपोरेट लॉ दौरे पर भारत आए इरेमस स्कूल ऑफ लॉ, इरेमस विश्वविद्यालय, रोटरडम, नीदरलैंड के छात्र दिनांक 03.04.2014 को संस्थान देखने आए।
- दिनांक 04.04.2014 को विमल चंद्र लॉ कालेज, मुर्शिदाबाद के छात्र आए।
- नेपाल के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री कल्याण श्रेष्ठ के नेतृत्व में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 29.05.2014 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया।
- दिनांक 14.06.2014 को दिल्ली में एलएल.एम कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अकादमिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।
- न्यायाधीन मामलों पर विचार व्यक्त करने से बचने की आवश्यकता पर दिनांक 21.06.2014को कटक में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

- भारतीय विधि परियोजना के नवीकरण के बारे में भूटान के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय ल्योन्पो सोनम तोब्दए से चर्चा करने के लिए प्रो0(डा0) एस. शिवकुमार ने दिनांक 26.06.2014 को भूटान के उच्चतम न्यायालय का दौरा किया।
- दिनांक 10.08.2014 को पीएच.डी. के लिए अकादमिक परिषद द्वारा यथानुमोदित प्रवेश–परीक्षा आयोजित की गई। पीएच.डी. कार्यक्रम, 2014 में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर पांच अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
- हुगली मोहसिन कालेज, प0 बंगाल के छात्रों ने दिनांक 27.08.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा/न्यूयार्क के शिक्षा के अधिकार के विशेष प्रतिवेदक श्री किशोर सिंह ने दिनांक 02.09.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान के छात्रों ने दिनांक 09.09. 2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- दुर्गापुर विधि महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों ने दिनांक 15.09.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- दिनांक 19–20 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- दिनांक 01.11.2014 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन शिकायत विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे ने किया।
- संस्थान ने दिनांक 10.12.2014 को **'मानवाधिकारः सामयिक मुद्दे और चुनौतियां'** विषय पर अपने प्रथम वार्षिक विधि सम्मेलन का आयोजन किया।
- संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से दिनांक 20–21 दिसम्बर, 2014 को एक सम्मेलन का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/छात्रों के साथ बारह विशेष व्याख्यानों/चर्चाओं का आयोजन किया गया।

परियोजनाएंः

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान को **'आतंकवाद से संबंधित मामलों** का सार–संग्रह और आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल 'तैयार करने की एक परियोजना सौंपी है, जिस पर कार्य चल रहा है।

- **'इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का अर्थ और वर्तमान स्थिति'** विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजना पर कार्य चल रहा है।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और कानून का प्रवर्तन करने

वाली अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए **'विधि के शासन की प्रमुखता'** विषय पर एक माड्यूल विकसित करने की परियोजना सौंपी है।

- भारतीय विधि का पुनर्कथनः भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और भारतीय विधि संस्थान के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करों, संवैधानिक विधि और दंड विधिकी बाबत **'भारतीय विधि के पुनर्कथन के लिए समितिया'** गठित की हैं।

आगामी गतिविधियां
(दिनांक 1.1.2015 से 31.3.2015 तक)

I. प्रकाशन

उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशन किए जाने का प्रस्ताव हैः

(i) जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (तिमाही प्रकाशन)

(ii) आई.एल.आई. न्यूजलैटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (तिमाही प्रकाशन)

(iii) भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण –2013 (मुद्रणाधीन)

(iv) "पर्यावरण कानून" पर नई पुस्तक तथा 'ए ट्रीटाइज ऑफ कंजूमर प्रोटेक्शन लॉज' और 'राइट टू बेल' पुस्तकों का संशोधित व अद्यतन संस्करण।

II. प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां/शोध परियोजनाएंः

(i) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय विधि संस्थान की वित्त समिति, अकादमिक समिति, पुस्तकालय समिति, वित्त उपयोग समिति और प्रशासनिक समिति की बैठकें होंगी, जिनमें विविध मामलों के निस्तारण की आशा है।

(ii) भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/छात्रों के साथ चार विशेष व्याख्यानों/परिचर्चाओं के आयोजन की योजना है।

III. परीक्षाएं/प्रवेश :

(i) उपर्युक्त अवधि के दौरान/जून 2015 में एलएल.एम– के 1/2/3 वर्ष की परीक्षाएं सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाएंगी।

(ii) उपर्युक्त अवधि के दौरान/अप्रैल 2015 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरा हो जाएगा तथा परीक्षाएं होंगी।

(iii) साइबर कानून तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकार के ऑन लाईन पाठ्यक्रम का क्रमशः 20वां तथा 31वां बैच मार्च, 2015 तक पूरा हो जाएगा।

2.18 अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर)

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिनांक 31 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था। यह भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद और बंगलूरू में

इसके क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसकी स्थापना वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को प्रोन्नत करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनका प्रचार–प्रसार करने के लिए की गई है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम हो सके।

2. अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आई सी ए डी आर) द्वारा बनाए गए एवं अपनाए गए नियम और उपनियम

(क) अंरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र माध्यस्थम नियम, 1996 (फास्ट ट्रैक माध्यस्थम के प्रावधान सहित)

(ख) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र सुलह नियम, 1996

(ग) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र मिनी ट्रायल नियम, 1996

(घ) नियम और विनियम

(ड) वित्तीय उपनियम

(च) सेवा उप–नियम

(छ) क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उप–नियम

3. माध्यस्थम मामले

(i) नई दिल्ली स्थित केन्द्र को अब तक माध्यस्थम के लिए 48 मामले और सुलह के लिए 4 मामले प्राप्त हुए हैं। माध्यस्थम अधिकरणों ने माध्यस्थम के 39 मामले निपटाए हैं और बाकी 9 मामलों की सुनवाई चल रही है।

(ii) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जिनमें भारत सरकार एक पक्षकार है। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र भारत सरकार को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थों के पैनल सुलभ कराता रहा है।

(iii) केंद्र के नई दिल्ली और हैदराबाद स्थित कार्यालयों के माध्यस्थम हालों का मामूली प्रभारों के भुगतान पर सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्राइवेट पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम के मामलों का संचालन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के नए मुख्यालय भवन में अक्टूबर, 2005 से 15 दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न मंत्रालयों और अन्य पक्षकारों के मध्यस्थों द्वारा 577 मामलों की सुनवाई की गई है और अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा 429 सुनवाइयां की गई हैं। इसी प्रकार, वर्ष 1999 से 15 दिसम्बर, 2014 तक हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में मध्यस्थों द्वारा 710 सुनवाइयां की गई हैं।

4. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम/व्याख्यान/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

उपरिलिखित अवधि के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने एक अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस, मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एडीआर (2014) तथा

एफडीआर (2014) में अपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र मुख्यालय ने नवंबर, 2014 में अपना एक मासिक न्यूजलेटर भी शुरू किया है।

5. करारः

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने निम्नलिखित विदेशी संगठनों के साथ सहयोग के करार किए हैंः–

(क) जेनेवा के विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन का आरबिट्रेशन और मीडियेशन केंद्र

(ख) थाई माध्यस्थम संस्थान, बैंकाक

(ग) कोरियन कामर्शियल आरबिट्रेशन बोर्ड, सियोल (कोरिया)

(घ) चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आरबिट्रेटर्स, लन्दन, और

(ड.) एसोसिएशन आफ आरबिट्रेशन कोर्ट्स ऑफ उजबेकिस्तान

उपर्युक्त करारों में तीन क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात सूचना का पारस्परिक आदान–प्रदान, कार्यवाहियों के संचालन में परस्पर सहायता करना तथा प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों के आयोजन में एक दूसरे की सहायता करना।

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने निम्नलिखित संगठनों के साथ सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैंः–

क. एडीआर आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद (आईसीसी) और निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के साथ सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र के सहयोग से संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए।

ख. भारत सीआईएस वाणिज्य और उद्योग चैम्बर नई दिल्ली के साथ मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान के साधन के रूप में माध्यस्थम और मध्यगता को लोकप्रिय बनाने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने निम्नलिखित संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैंः–

(1) वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, कोचचि, केरल के साथ केरल में एडीआर को प्रोत्साहन देने के लिए और संयुक्त रूप से माध्यस्थम और मध्यगता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम / संगोष्ठियां / सम्मेलन आयोजित करने तथा एडीआर पर अनुसंधान अध्ययन करने के लिए।

(2) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान, परिवार विवाद समाधान में नियमित और निकटस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने तथा माध्यस्थम और मध्यगता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।

(3) दामोदरम संजीवैय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डी एस एन एल यू, विशाखापट्टनम) के साथ। इस समझौता ज्ञापन के अधीन, डी एस एन एल यू अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के सहयोग से विशाखापट्टनम में एडीआर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (06 महीने का नियमित पाठ्यक्रम) आयोजित करेगा।

(4) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने एडीआर के तरीकों में शिक्षण और प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त रूप से नए पाठ्यक्रम का निर्माण करने और एडीआर के क्षेत्र में विभिन्न कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा, भारत के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महिला कर्मचारियों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग कर्मचारियों की संख्या

	मुख्यालय	हैदराबाद	बंगलूरू
कुल कर्मचारी	25	10	3
महिला कर्मचारी	6	1	1
अनु. जाति	4	–	–
अनु. जन.जाति	1	–	–
अ. पि. वर्ग.	3	5	1
विकलांग	–	–	–

महिला कर्मचारी सरकार के नियमानुसार सभी सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं।

1.1.2015 से 31.3.2015 के दौरान की संभावित गतिविधियों का पूर्वानुमानः

1 अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र मुख्यालय की राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के साथ मिलकर वैकल्पिक विवाद समाधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने और माध्यस्थम व मध्यगता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

2 अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के मुख्यालय का माध्यस्थम और मध्यगता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

3 अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की एडीआर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम करने तथा एडीआर और एफडीआर में अपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को जारी रखने की योजना है और इसके लिए शीघ्र ही 2015 में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को विज्ञापित किया जाएगा।

4 अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विववाद समाधान केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू ने इस अवधि के दौरान एडीआर में 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 01 कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है।

2.19 भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ–साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि

राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति का नामांकन किया गया होय राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई तथा निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरूद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

सामान्यतः भारतीय बार काउंसिल की बैठक तीन महीने में एक बार होती है। दिनांक 01/04/2014 से 31.12.2014 तक भारतीय बार काउंसिल ने अपनी सामान्य परिषद की 10 बैठकों का आयोजन किया। उपर्युक्त बैठकों के दौरान भारतीय बार काउंसिल ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26(2) के अधीन 19 निर्देशों पर विचार किया जिनमें से 07 स्वीकृत, 04 अस्वीकृत, 01 वापिस किए गए तथा 07 अभी तक लंबित हैं।

विधि शिक्षा समिति में 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य भारतीय बार काउंसिल के सदस्य होते हैं और 5 सदस्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10 (2ख) के अधीन बाहर से सहयोजित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि शिक्षा समिति की 6 बैठकें हुईं।

भारतीय बार काउंसिल अपने सदस्यों में से विभिन्न निरीक्षण दल गठित करके निरीक्षण के लिए भेजती है और इन दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को विधि शिक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है और विधि शिक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय बार काउंसिल ने निरीक्षण रिपोर्ट और विधि शिक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 92 नए कालेजों की सम्बद्धता का अनुमोदन किया। उपर्युक्त अवधि के दौरान विद्यमान 223 कालेजों की संबद्धता को बढ़ाने का अनुमोदन किया। विधि शिक्षा समिति ने 02 कालेजों को संबद्धता देने से इंकार किया और 14 कालेजों में आवश्यक साधन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसी खामियां होने की वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है कि क्यों न उनकी संबद्धता वापस ले ली जाए।

भारतीय बार काउंसिल की कार्यकारी समिति 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है और इसमें 9 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान, कार्यकारी समिति की 03 बैठकें हुईं।

भारतीय बार काउंसिल के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(ग) के साथ पठित धारा 7(1), (ख), (ग) के अधीन अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण या शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना और अधिवक्ताओं में उनको लागू करना है। काउंसिल की अनुशासनिक समिति की दिनांक 31.12.2014 तक 72 बैठकें हुईं, जिनमें 53 मामलों को निपटाया/ खारिज किया गया।

भारतीय बार काउंसिल ने दिनांक 7 सितंबर, 2014 को तथा नवंबर, 2014 में अखिल भारतीय बार परीक्षा का आयोजन किया।

दिनांक 1.1.2015 से 31.3.2015 के दौरान काउंसिल की 2 बैठकें, विधि शिक्षा समिति की एक बैठक तथा कार्यकारी समिति की 2 बैठकें आयोजित किए जाने की आशा है।

2.20 संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान की स्थापना भारतीय संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1965 को की गई थी।

दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि की संस्थान की कार्य–निष्पादन रिपोर्ट :

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, संस्थान में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

डिप्लोमा पाठ्यक्रमः

यह संस्थान संसदीय फैलोशिप कार्यक्रम और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक संवैधानिक विधि में तथा दूसरा संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में चलाता है। संस्थान द्वारा संचालित 3 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और तीनों एक वर्ष के हैं। तीनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शाम को संस्थान परिसर में लगती हैं। चूंकि संस्थान का अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए तीनों पाठ्यक्रमों के लिए व्याख्यान देने के लिए बाहर से अतिथि व्याख्याता बुलाए जाते हैं।

चालू अकादमिक वर्ष 2014–15 के लिए इन तीन पाठ्यक्रमों के दाखिले जून–जुलाई, 2014 में किए गए, जिनमें कुल 47 छात्रों को नामांकित किया गया। जुलाई, 2014 के अतिम सप्ताह के दौरान छात्रों के हित के लिए आयोजित एक प्रवेश कार्यक्रम के बाद, 02 अगस्त, 2014 से पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं आयोजत की जा रही हैं।

पत्रिकाएंः

संस्थान ने दो त्रैमासिक शोध पत्रिकाएं अर्थात 'जर्नल ऑफ कांस्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज (अंग्रेजी में) और 'लोकतंत्र समीक्षा' (हिंदी में) प्रकाशित की। ये दोनों पत्रिकाएं संस्थान के प्रतिष्ठित और बहु–संदर्भित प्रकाशन हैं, जिनका अंग्रेजी में आईएसएसएनः 0022–0043 और हिंदी में आईएसएसएनः0024–595 एक्स है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दोनों पत्रिकाओं के जनवरी–जून 2014 के अंकों को संपादित किया गया है और उन्हें शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही, दोनों पत्रिकाओं के जुलाई– दिसंबर के अंकों के संपादन का कार्य भी चल रहा है।

दिनांक 1.1.2015 से 31.3.2015 तक की अवधि की गतिविधियों का पूर्वानुमानः

अनुसंधान और अकादमिक गतिविधियांः

संस्थान की कार्यकारी परिषद ने दिनांक 15 दिसंबर, 2014 को हुई बैठक में श्री एस. एस. अहलुवालिया, संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में और संस्थान के नवनामित वरिष्ठ उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों सहित संस्थान से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया। संस्थान की कार्यकारी परिषद की दिनांक 22 दिसम्बर 2014 को हुई अगली बैठक में संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली अनुसंधान व शैक्षणिक गतिविधियों का एक चार्ट तैयार करने और अन्य विषयों पर चर्चा हुई।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

चालू अकादमिक सत्र 2014–15 के तीन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद फरवरी–मार्च, 2015 में आयोजित की जाएगी। फैलोशिप कार्यक्रम के छात्रों को शिक्षकों के साथ परामर्श के बाद उनके द्वारा लिए गए एक विषय पर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद मौखिक परीक्षा ली जाएगी। दो डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों को लिखित परीक्षा के अलावा निबंध पेपर भी प्रस्तुत करना होगा।

पत्रिकाएं :

चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान, दोनों पत्रिकाओं के जनवरी–जून 2014 के अंक प्रकाशित किए जाएंगे।

इसके अलावा, दोनों पत्रिकाओं के जुलाई–दिसम्बर, 2014 के अंकों को, जिनका इस समय संपादन कार्य चल रहा है, वर्ष 2014–2015 की समाप्ति के पहले प्रकाशित किया जाएगा।

3. परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)

केंद्र सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में निष्पादन मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़ (आरएफडी) एक केन्द्रीय प्रणाली है जिसे पीएमईएस के कार्यान्वयन हेतु डिजाईन किया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय का कार्यनिष्पादन प्रबंधन डिविजन (पीएमडी), आरएफडी की तैयारी तथा कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग करता है। विधि कार्य के लिए आरएफडी तैयार करके इसे अंतिम रूप देकर इसे इस विभाग की वेबसाईट पर डाल दिया गया है। आरएफडी 2014–15 के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस विभाग द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

अध्याय – II
विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैः–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधन का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिन्दी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान–मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन'

1.2 विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं हैं इसके अधीन दो अन्य खण्ड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी है।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसर में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियाँ भी लगाता है।

1.3 संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संठनात्मक चार्ट **उपाबंध–IV** पर है।

1.4 विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

1.5 विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

1.6 विधायी विभाग प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) सांविधानिक संशोधन;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;

(घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और

(ड) प्रकीर्ण विधियां।

1.7 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों वाले 135 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 54 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के संदनों को अग्रषित किए गए। इस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नलिखित अनुसार है:–

क्रम संख्या	संक्षित नाम
1.	मानव रोक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
2.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक के लिए मुम्बई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन विधेयक, 2014
3.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

4.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014
5.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2014
6.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2014
7.	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014
8.	दिल्ली होटल (वास–सुविधा नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2014
9.	अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य कानूनी प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014
10.	वक्फ सम्पत्ति (अप्राधिकृत अधिकारियों की बेदखली) विधेयक, 2014
11.	वित्त विधेयक, 2014
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014
13.	विनियोग विधेयक, 2014
14.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014
15.	दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014
16.	दिल्ली विनियोग विधेयक, 2014
17.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 (प्रथम सत्र में अग्रेषित)
18.	भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014
19.	विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2014
20	विनियोग (रेल) सं. 3 विधेयक, 2014
21.	वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014
22.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014
23.	वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014
24.	वित्त (सं. 3) विधेयक, 2014
25.	दिल्ली विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2014
26.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
27.	रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2014
28.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014
29.	शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014
30.	कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
31.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2014
32.	संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोध) विधेयक, 2014
33.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014
34.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014
35.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014

36.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014
37.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक 2014
38.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014
39.	योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014
40.	निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014
41.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014
42.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014
43.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014
44.	कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014
45.	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2014
46.	यान–हरण निवारण विधेयक, 2014
47.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014
48.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014
49.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014
50.	लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
51.	विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
52.	संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014
53.	भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2014
54.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014

1.8 01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से एक संविधान संशोधन अधिनियम संहित 41 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार हैं :–

अधिनियम संख्या	संक्षित नाम	अनुमति की तारीख
1.	लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम सं. 1)	01.01.2014
2.	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम सं. 2)	01.01.2014
3.	विनियोग (रेल) सं. 4 विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम सं. 3)	01.'01.2014
4.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 4)	24.02.2014
5.	विनियोग (रेलवे) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 5)	24.02.2014
6.	आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 6)	01.03.2014

7.	पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 7)	04.03.2014
8.	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 8)	04.03.2014
9.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 9)	04.03.2014
10.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 10)	04.03.2014
11.	वित्त विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 11)	04.03.2014
12.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 12)	04.03.2014
13.	विनियोग विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 13)	04.03.2014
14.	दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14)	04.03.2014
15.	दिल्ली विनियोग विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 15)	04.03.2014
16.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 16)	07.03.2014
17.	सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 17)	09.05.2014
18.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 18)	17.07.2014
19.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 19)	17.07.2014
20.	भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 20)	17.07.2014
21.	विनियोग (रेलवे) सं. 2 विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 21)	28.07.2014
22.	विनियोग (रेलवे) सं. 3 विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 22)	28.07.2014
23.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 23)	28.07.2014
24.	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 24)	28.07.2014
25.	वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 25)	06.08.2014
26.	दिल्ली विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 26)	07.08.2014
27.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 27)	22.08.2014
28.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 28)	29.11.2014
29.	शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 29)	05.12.2014
30.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 30)	08.12.2014
31.	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 31)	09.12.2014

32.	वाणिज्य पोत परिवहन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 32)	09.12.2014
33.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2014 तथा विविध प्रावधान विधेयक 2014 (2014 का अधिनियम सं. 33)	10.12.2014
34.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 34)	17.12.2014
35.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 35)	
36.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 36)	17.12.2014
37.	योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 37)	18.12.2014
38.	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 38)	25.12.2014
39.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 39)	26.12.2014
40.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 40)	31.12.2014

2. संविधान संशोधन अधिनियम

1.	संविधान (निन्यानवें संशोधन) अधिनियम, 2014 (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग)	31.12.2014

3. अध्यादेश

विधायी विभाग ने नौ अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान प्रख्यापित किए गए थे, अर्थात् :–

सं.	संक्षित शीर्षक
1.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 1)
2.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 2)
3.	भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 3)
4.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 4)
5.	कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 5)

6.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 6)
7.	कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 7)
8.	बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 8)
9.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन), अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 9)

4. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2801 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशो, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

5. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

5.1 निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारम्भ में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

5.2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भाँति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

5.3 राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों के आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

5.4 संसद तथा राजय विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

5.5 इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा और लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वार 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारम्भिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुर्नभुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

6. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

6.1 विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

6.2 हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने पैंसठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर प्रयास का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से संवारा है। निःसन्देह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निर्वाचन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राजतंत्र, गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, जिससे विधायी निकायों की प्रत्येक सीट अत्यधिक मूल्यवान हो गई है।

6.3 निरंतर बदलते परिवेश में, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्त्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

6.4 वर्तमान में, निर्वाचन सुधारों संबंधी पूर्ण मामला जांच एवं रिपोर्ट हेतु विधि आयोग को सौंप दिया गया है। विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात मामले की जांच हितधारकों के साथ परामर्श करके की जाएगी।

7. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

7.1 वर्ष 1982 में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग दो दशक से भी ज्यादा समय में सार्वदेशिक हो पाया और वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को, भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से संयुक्त रूप से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् इसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद) और बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर) के साथ मिलकर 1989 में विकसित किया गया था।

7.2 वर्ष 1998 से उनका बार–बार प्रयोग एक अभूतपूर्व सफलता सिद्ध हुआ है। प्रथम चरण का आकलन वर्ष 2000 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में अतंःस्थापित अभिकल्प धारणा एवं सॉफ्टवेयर इन दो कंपनियों द्वारा विकसित किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. पी.वी. इन्द्रेसन की अध्यक्षता में गठिन उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समर्थन और मूल्यांकन के बाद इसके लिए पेटेंट दाखिल करवा दिया गया है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता को कई चुनावों में जांचा गया है। न्यायिक निर्णयों द्वारा भी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता का समर्थन किया गया है।

7.3 स्वामित्व एकक होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन कहीं भी आसानी से उपलब्ध होने वाला उत्पाद नहीं है। इसलिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रापण न केवल खुले टेंडर द्वारा अव्यावहारिक है बल्कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें ईसीआईएल तथा बीईएल द्वारा विकसित और निर्मित की गई थीं।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के अब तक के प्रापण का विवरण निम्नलिखित अनुसार है।

क्रम सं.	खरीद का वर्ष	कुल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	1989–90	150000	750000000
2.	2000–2001	142631	1499880443
3.	2001–2002	135481	1422900000
4.	2002–2003	190592	2006100000
5.	2003–2004	336045	3530000000
6.	2004–2005	125681	1315400000
7.	2006–2007	250000	2893742332
8.	2008–2009	180000	1900000000
9.	2009–2010	100000 जमा 27000 बैलेट यूनिट	1139294685
10.	2013–14	382876 जमा 251651 बैलेट यूनिट	3116900000
	योग	**1610430** **जमा 409876** **जमा 251651 बैलेट यूनिट**	**19574217460**

वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2014–15 के दौरान ई वी एम का कोई प्रापण नहीं किया गया।

8. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

8.1 निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का अधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में राजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करनके के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने की कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचको ंको फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक हैं, नियमित रूप से उसकी प्रगति का प्रबोधन करता है।

8.2 निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अतंर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई यित समय सीमा निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसर हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाताओं को अपने फोटो की प्रतियां देने की अनुमति है जोकि मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए स्कैन की जाती है।

(iii) सभी मतदाताओं को फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।

(iv) मतदाताओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करने तथा ईपीआईसी बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(v) मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचको को सूचित करने हेतु विशेष प्रचार अभियान चलाये गए हैं।

(vi) यह निर्देश जारी किए गए हैं कि एक बार जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान–पत्र नंबर मतदाता का पता बदल जाने की दशा में भी उसके जीवनपर्यंत वैध रहेगा।

8.3 इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध अद्यतन डाटा के अनुसार **उपबंध–V** में दिया गया है।

9. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2014 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 202 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 33 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को सम्प्रेषत किए गए थे। फाईल किए गए 33 नए मामलों में से 9 और पहले से लम्बित 6 मामलों को इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिनन उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 220 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटरिंग की जा रही है।

10. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2014 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है:

क्रम सं.	कारबार का मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	249
2.	राज्य सभा प्रश्न	158
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	20
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	9
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	6
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	3
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	11
10.	लोक सभा में नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामले	6
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	13

11. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को 15 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वर्ष 2014

के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की एक बैठक 15.12.2014 को हुई।

12. समवर्ती क्षेत्र में विधान

12.1 भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की (समवर्ती सूची) सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं:–

(क) विवाह और विवाह–विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; बिल; निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर), विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण;

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़करर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ड) शोधन अक्षमता और दिवाला;

(च) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(छ) साक्ष्य और सपथ;

(ज) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(झ) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

12.2 भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की कुछ रिपोर्टों को मानीटर एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

12.3 लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

14वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेदों 102 (1) (क) और 191 (क) के प्रयोजन से 'लाभ का पद' अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में व्यापक परिभाषा सुझाने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा यथेष्ट विचार–विमर्श करने और हितधारकों एवं राज्य सरकारों से साक्ष्य जुटाने के बाद 'लाभ का पद' अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए संविधान में संशोधन की संस्तुति की गई है। तद्नुसार 'लाभ का पद की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई', विषय पर मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट नोट तथा साथ ही लाभ का पद अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक इस विभाग में तैयार किया गया है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके मत/टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से टिप्पणी अभी प्रतीक्षित है।

12.4 स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर, 2014 के दौरान आठ नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

12.5 विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

असुधार्य विवाह भंग को तलाक का आधार बनाने के लिए हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को 4 अगस्त, 2010 को राज्यसभा में पेश किया गया था तथा 26 अगस्त, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया। नोटिस भेजे जाने के बावजूद, लोक सभा में यह विधेयक विचार हेतु तथा पारित किए जाने के लिए पेश नहीं किया जा सका, पन्द्रहवीं लोक सभा भंग हो गई थी जिस कारण से विधेयक व्यपगत हो गया था।

2. उक्त विधेयक के विरूद्ध दिए गए अनेक अभिवेदनों को देखते हुए, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

12.6 जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012, विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य करने के लिए बनाया गया था, जिस पर 7 मई, 2012 को राज्यसभा में विचार किया गया और 13 अगस्त, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया। नोटिस भेजे जाने के बावजूद, संसद के शीतकालीन सत्र में, जोकि 21 फरवरी, 2014 को समाप्त हो गया था, लोक सभा में यह विधेयक विचार हेतु तथा पारित किए जाने के लिए पेश नहीं किया जा सका, पंद्रहवीं लोक सभा भंग हो गई थी जिस कारण से विधेयक व्यपगत हो गया था।

इस समय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस विभाग में इस मामले की जांच की जा रही है।

12.7 राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई। 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित चौंतीस संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

13 विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और

अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। डॉ. संजय सिंह, सचिव, विधायी विभाग, आई. एल.डी.आर. के पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। आई. एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयाजित किए जाते हैं:

(i) केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि का बुनियादी पाठ्यक्रम;

(ii) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा दो मूल्यांकन पाठ्यक्रम अर्थात विधायी प्रारूपण में छब्बीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम तथा विधायी प्रारूपण में सत्रहवें एवं अठ्ठारहवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन किया है।

13.2 विधायी प्रारूपण में छब्बीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैनात अधिकारियों के लाभ हेतु 25 जुलाई, 2014 से 24 अक्तूबर, 2014 के दौरान विधायी प्रारूपण में छब्बीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चौदह प्रशिक्षु अधिकारियों (केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा चंडीगढ़ प्रशासन से दो–दो अधिकारी) ने भाग लिया तथा पाठ्यक्रम पूर्ण किया।

13.3 सत्रहवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम

16 जून, 2014 से 30 जून, 2014 के दौरान सत्रहवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा अन्य संगठनों के नौ प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

13.4 अठ्ठारहवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम

19 जनवरी से 2 फरवरी, 2015 के दौरान अठ्ठारहवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों आदि के उनतालीस अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13.5 हिंदी में विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, जहां विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में किया जाता है, के अधिकारियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर, 2014 से 10 दिसंबर, 2014 तक एक विशेष विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल सात अधिकारियों ने इसमें भाग लिया तथा इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम का आयोजन ऐसे समय पर किया गया जब आई एल डी आर ने देश में अपनी स्थापना तथा विधायी परामर्शी समुदाय के उल्लेखनीय सेवा प्रदाता के रूप में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

इस विभाग के अधिकारियों के लाभ के लिये 27.10.2014 को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया। यह

पाठ्यक्रम सभी भा.वि.से. के अधिकारियों, अधीक्षकों (विधि) तथा सहायकों (विधि) के लाभ के लिए शुरू किया गया जिसे विधायन के सटीक प्रारूपण के लिए विधायी प्रारूपण में उनकी निपुणता बढ़ाने के लिए रूपांकित किया गया।

13.6 परिणाम रूपरेखा दस्तावेज

केंद्र सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में निष्पादन मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़ (आरएफडी) एक केन्द्रीय प्रणीली है जिसे पीएमईएस के कार्यान्वयन हेतु डिजाईनल किया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय का कार्यनिष्पादन प्रबंधन डिविजन (पीएमडी), आरएफडी की तैयारी तथा कार्यप्रणली की मॉनिटरिंग करता है। विधायी विभाग के लिए आरएफडी तैयार करके इसे अंतिम रूप देकर इसे इस विभाग के वेबसाईट पर डाल दिया गया है। आरएफडी 2014–15 के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस विभाग द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

13.7 आई.एल.डी.आर. – एक आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

आर.एफ.डी. 2014–15 में विभाग द्वारा की गई प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, आई.एल.डी.आर. आई.एस.ओ. प्रमाण लेने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। परिणामतः, एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) विकसित की गई तथा आइ.एल.डी.आर. में रखी गई। तत्पश्चात्, आंतरिक तथा बाह्य ऑडिट किया गया और अंततः, आइ.एल.डी.आर. को उसमें क्यू.एम.एस. के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर आई. एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणन प्रदान किया गया। प्रमाणन के संबंध में प्रथम निरीक्षण लेखापरीक्षा 26 नवंबर, 2014 को प्रमाणन निकाय द्वारा की गई। लेखापरीक्षा का उद्देश्य प्रमाणन के लिए तय मानदंडों के साथ आइ.एल.डी.आर. की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुपालन को सुनिश्चित करना थ।

13.8 आई.एल.डी.आर. की रजत जयंती

आई.एल.डी.आर. के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन 19 फरवरी, 2015 को विधि एवं न्याय मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने आई.एल.डी.आर. को नई ऊचाइयों पर ले जाने की आवश्यक्ता पर बल दिया क्योंकि विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण देने वाला यह देश भर में एकमात्र संस्थान है। उन्होंने यह भी आश्वायन दिया कि इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने हेतु विभाग द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे।

13.9 विधायन इत्यादि के क्षेत्र में कम्प्यूटर तकनीक तथा इंटरनेट और निकनेट पर भारत संहिता

विभाग के पास मंत्रालय की वेबसाइट पर इंडिया कोड में निहित केन्द्रीय अधिनियमों की पुनः प्राप्ति का इंडिया कोड सूचना सिस्टम (आईएनसीओडीआईएस) कार्यक्रम हैं यह एक वेब समर्थित डाटाबेस है। जिसमें अखिल भारतीय अनुप्रयोग के अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों को रखा गया है। यह पूर्ण रूप से टेक्स्ट सर्च की सुविधा प्रदान करता हैं तथा इसमें वर्ष 1834 से अब तक के सारे केन्द्रीय अधिनियम उपलब्ध हैं। यह विभाग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित किए गए इस पुनःप्राप्ति कार्यक्रम का संसद के अधिनियमों की पुनःप्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा मुख्य तथा अधीनस्थ विधायन के प्रारूपण एवं विधीक्षा में विधायी परामर्शियों को भी मदद मिल रही है। संसद के अधिनियमों को अद्यतन करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह विभाग

इंडिया कोड संबंधी संपूर्ण डाटा के परिशुद्ध पाठ के लिए सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर रहा है। कथित पुनः प्राप्ति प्रणाली के साथ–साथ मुख्य पृष्ठ (होम पेज) जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, इंटरनेट पर www.indiacode.inc.in उपलब्ध है। संसद में पेश नवीनतम अधिनियमों तथा प्रख्यापित अध्यादेशाके को भी इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इनकोडिस के अलावा विविध सपोर्ट सुविधाएं जैसे, इंडिया कोड इंफॅर्मेशन सिस्टम का नियमित अपडेशन तथा रख–रखाव, व्यापक डीडीओ पे–रोल सिस्टम, ई–मेल आदि प्रदान करता है। सभी अप्रबंधनीय नेटवर्क डेवाईस को प्रबंधनीय स्विचों में बदल कर विभाग के लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की पुनः संरचना की गई है जिससे नेटवर्क की सुरक्षा और गति में वृद्धि हुई है। सारे नेटवर्क के आधार को पहले ही फाईवर ऑप्टिक केबल में बदला जा चुका हैं मुख्य सचिवालय के सभी अनुभागों, अवर सचिव स्तर तथा इससे उच्चतर अधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों के वैयिक्तिक सहायकों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें एलएएन से जोड़ा गया है। प्रबंधनीय नेटवर्क डिवाईसिस द्वारा राजभाषा खंड मेंएलएएन स्थापित किया गया है। विधि साहित्य प्रकाशन में एल.ए.एन. स्थापित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

वेबपेज को अधिक आकर्षक रूप में पुर्नरचित तथा प्रसारित किया गया है ताकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कार्य, संरचना, किए गए कार्य, संचालित किए गए पाठ्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम और घोषताएं, महत्वपूर्ण लिंक आदि प्रतिबिंबित हों तथा साथ ही दी गई सेवाओं को भी अभिव्यक्ति हो।

14. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेवसाई पर 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्रधाधिकारी और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केन्द्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल सम्पर्क पता aa.rtilegis@nic.in है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio.rti.legis@nic.in है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीध्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समस–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 2014–15; 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सात सौ सात से 31 दिसंबर, 2014 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सात सौ सात (707) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के

दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी छप्पन प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2014 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 5655/–रु. अर्जित किए हैं।

15. शुद्धि अनुभाग

15.1 केन्द्र तथा राज्यों की संहिताओ का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निदेशिका, केन्द्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र 2014 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, जम्मू–कश्मीर तथा दिल्ली से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गया हैं इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों, (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केन्द्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2014 तक के संशोधन अधिनियमों सहित केन्द्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा केन्द्रीय अधिनियमों की सूची (वर्णक्रमानुसर तथा कालक्रमानुसार) को भी निकनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडिया कोड की वेबसाई का पता है http://indiacode.nic.in

15.2 वर्ष 2014 के दौरान शुद्धि अनुभाग में संसद के इकतालीस अधिनियमों की गजट प्रतियां प्राप्त हुई जिनमें एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम, वित्तीय अधिनियम तथा निम्नलिखित दस नए प्रमुख अधिनियम है, जिनके नाम हैः–

1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1)
2. आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6)
3. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7)
4. राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2014 (2014 का 9)
5. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014, (2014 का 10)
6. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (2014 का 17)
7. राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18)
8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 30)
9. योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का 37)
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अधिनियम, 2014 (2014 का 40)

15.3 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस विभाग के कुल 14 संशोधन अधिनियमों की गजट प्रतियां प्राप्त हुई जिसके नाम हैं:–

1. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का 8)
2. स्वापक ओषद्यि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 16)
3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 19)
4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 20)
5. प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 27)
6. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 28)
7. शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 29)
8. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 31)
9. वाणिज्य पोत परिवहन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 32)
10. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 38)
11. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 34)
12. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 35)
13. कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 (2014 का 36)
14. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध अधिनियम, 2014 (2014 का 39)

16. राजपत्र अधिसूचनाएं

अक्टूबर 2014 तक शुद्धि अनुभाग में प्राप्त सभी, भारत की राजपत्र अधिसूचनाओं को संबंधित फोल्डरों से क्रमबद्ध कर लिया गया है और इनकी प्रविष्टियां संबंधित रजिस्टरों में दर्ज कर दी गई हैं।

17 राज्य अधिनियम

वर्ष 2014 के दौरान कुल 219 राज्य अधिनियम और 70 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

18. मुद्रण अनुभाग

18.1 विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण–I और मुद्रण–II) विधायन की प्रक्रिया के विभिनन प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और उपाबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। विधेयकों को प्रूफ आदि की बहुत प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् वे विधायी–1 अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 'लोक सभा/राज्य सभा पुरःस्थापित किए जाने के

लिए' प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर मुद्रित किया जाता है।

18.2 विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थाति 'पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, 'अनुमति प्रति' प्रक्रम 'हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप से पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती ह। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

18.3 विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान और निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिनन अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है।

18.4 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–I तथा मुद्रण–II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गयेः–

(क) कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों, जैसे लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1), आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 16), सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 का 17), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2.14 का 30), योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) का प्रक्रमण और अधिनियमन।

(ख) 104 विधेयकों, 9 अध्यादेश तथा 1 संवैधानिक आदेश की पांडुलिपियों, प्रफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई;

(ग) भारत के राजपत्र में प्रकाशन के अनुरूप वर्ष 2013 के दौरान संसद के 40 अधिनियमों तथा संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 का संपादन तथा जांच की गई।

(घ) 41 केन्द्रीय अधिनियमों की पाण्डुलिपियों को जन साधारण में विक्रय के लिए ए–4 आकार में प्रकाशन हेतु इसकी जांच की गई तथा संपादन किया गया और 41 में से 38 केन्द्रीय अधिनियमों को मुद्रण के लिए मुद्रणालय में भेजा गया। 3 केन्द्रीय अधिनियम प्रक्रियाधीन हैं।

(ड) वर्ष 2014 के लिए 7 केन्द्रीय अधिनियमों के प्रफों और मुद्रित प्रतियों की जांच की गई और जांची गई प्रतियों को जन साधारण में विक्रय के लिए जारी करने हेतु मुद्रणालय में भेजा गया।

(च) केन्द्रीय अधिनियमों के 19 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों की जांच की गई।

(छ) 3 डिग्लॉट संशोधित संस्करणें की मुद्रित प्रतियों की जांच प्रक्रियाधीन है।

(ज) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की जांच की गई।

(झ) निर्वाचन विधियों की नियमावली के खण्ड I तथा खण्ड II की कम्प्यूटर प्रिंटआउट तथा मुद्रित प्रतियों की जांच की गई।

(न) भारत का संविधान की कम्प्यूटर प्रिंटआउट तथा मुद्रित प्रतियों की जांच की गई।

(त) इंडिया कोड खण्ड XXXI की जांच की गई।

(थ) वर्ष 2010 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच की गई।

(द) वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच प्रक्रियाधीन है।

19. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संतुतियों के अनुपालन में अधिनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने की एक योजना बनाई गई थी। किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाअें की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें। केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई–गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी वेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संतुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तरापृष्ठीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवयेर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा।

विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) ने वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के द्वारा जारी किए गए अधीनस्थ विधायन संबंधी भाग–II खण्ड–3, उपखण्ड (i) तथ (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधरण अधिसूचनाओं के बारे में विभिनन अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां जनवरी, 2013 तक छांट ली हैं तथा जिल्द के लिए तैयार कर ली है।

अधीनस्थ विधायनों के अन्तर्गत विभिन्न गजट अधिसूचनाओं की प्रविष्टियाँ, भाग–II खण्ड–3, उप खंड (ii) असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्टरों में कर दी गई है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भाग–II खण्ड 4, उप खण्ड (i) और (ii) (साधारण और असाधारण) और भाग–II खण्ड 4 (साधारण और असाधारण) की वर्ष अगस्त, 2011 से दिसंबर, 2012 के लिए प्राप्त अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां छांटी ली गई हैं और साधारण और असाधारण से संबंधित भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) से सम्बन्धित प्रविष्टियां रजिस्टरों में यथा समय कर दी जाएंगी। सा.का.नि.आ. अनुभाग भारत के राजपत्रा के अधीन विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जारी साधारण कानूनी नियमों और आदेशों के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्टरों के रख–रखाव का कार्य करता है और शासकीय प्रयोजन के लिए उन्हें पुस्तक रूप में संकलित भी करता है। इन वर्णनुक्रम रजिस्टरों में जनवरी, 2012 तक की प्रविष्टियां पूरी कर ली गई हैं।

20 एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

20.1 एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशसी निकायों–आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंति रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श, `लखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उतरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित हे, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

20.2 अपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है। यह अनुभाग निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत निधियों को निर्गत करता है।

20.3 निर्वाचन कार्यालय : यह निर्वाचन स्टाफ के वेतन सहित दिन प्रतिदिन के स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित है। इस व्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमण्डल वाले) के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

20.4 निर्वाचक नामावली को तैयार करना और उसका मुद्रण : यह भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (विधानमण्डल वाले) द्वारा किए गए निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण पर उपगत व्यय को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण से संबंधित है।

20.5 लोकसभा के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार : चुनाव जब स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है किन्तु जब यह राज्य विधान मण्डल चुनावों के साथ आयोजित किए जाते हैं तो खर्च को दोनों के द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाता है।

20.6 संसद (राज्य सभा) के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार : सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

20.7 मतदाताओं को फोटा पहचान–पत्र जारी करना – यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है और यह एक आवर्ती व्यय है।

20.8 इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) पर व्यय और राष्ट्रपतीय तथा उप–राष्ट्रपतीय निर्वाचन पर व्यय : सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

21. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

भारत का संविधान (पॉकेट साइज़, डिग्लॉट संस्करण, 2014) का मुद्रण किया जा चुका है। निर्वाचन विधि निर्देशिका (डिग्लॉट संस्करण, 2014 खण्ड। और खण्ड।।) का मुद्रण किया जा चुका है।

वर्ष 2010 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड को पुस्तिका के रूप में मुद्रण के लिए भेजा जा चुका है। वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड को पुस्तिका के रूप में मुद्रण के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है। वर्ष 2012 तथा 2013 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का पुस्तिका के रूप में संकलन प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 1971 से 1985 तक के सभी केन्द्रीय अधिनियमों को, डिग्लॉट रूप से भारत संहिता के पुनरीक्षित संस्करण में प्रकाशित किए जाने के लिए संकलित कर दिया गया है। 5 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करणों की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित हैं, को तैयार और उनकी जांच की गई है, तथा डिग्लॉट संस्करण के लिए राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है।

22. राजभाषा अनुभाग

22.1 विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिन्दी तथा व्युत्क्रमतः अनुवादी कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

22.2 राजभाषा नीति के संबंध में सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

विधायी विभाग ने 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:–

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में 'क', 'ख', तथा 'ग' क्षेत्र को क्रमशः 90, 83 तथा 60 प्रतिशत से अधिक पत्र हिन्दी में भेज जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिन्दी में ही भेजे जाते हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज, संविदाएं, नोटिस आदि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को अधिसूचित किया गया है। हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिन्दी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इसी प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप–नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिन्दी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

22.3 राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जा रही हैं इन रिपोर्टों के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिन्दी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में पत्राचार टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

22.4 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में बार आयोजित की जाती है। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें **क्रमशः 26 मार्च, 2014 (पहली), 16 जून, 2014 (दूसरी), 04 सितंबर, 2014 (तीसरी) और 16 दिसंबर 2014 (चौथी)** को आयोजित की गई थी। यह समिति हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका सामाधान ढूंढ़ने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त केने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

22.5 हिन्दी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशिती माननीय संसद संदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के नामनिदेशिती, प्रमुख अखिल भारतीय हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से समिति के गठन की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है। सभी संबंधित विभागों/संगठनों/संस्थानों से गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते ही समिति का शीघ्र पुनर्गठन कर लिया जाएगा तथा निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर बैठकें की जाएंगी।

22.6 हिन्दी प्रशिक्षण

यह विभाग हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करता है। हिन्दी भाषा के यह

पाठ्यक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। हिन्दी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

22.7 हिंदी पखवाडे का आयोजन

इस विभाग में 9 सितम्बर से 23 सितम्बर, 2014 तक एक 'हिन्दी पखवाडे' का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 2000/–रुपये, 1500/– रुपये, 1000/– रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। दिनांक 24 सितंबर, 2014 को आयोजित किए गए पुरस्कार वितरण समारोह में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 55,500/– रुपये के 71 नकद पुरस्कार वितरित किए गए।

22.8 हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए तीन प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना हिन्दी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए है जिसके अधीन वर्ष के दौरान दस कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते। दूसरी योजना अंग्रेजी के उन आशुलिपिकों/टंककों के लिए हैं जो हिन्दी आशुलेखन/टंकण का भी कार्य करते हैं। तीसरी योजना उन अधिकारियों के लिए हैं जो अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी श्रुतलेख देते हैं। पहली तथा दूसरी प्रोत्साहन योजना के लिए क्रमशः 10,600/– रुपए तथा 1,920/– रुपए के नकद पुरस्कार कर्मचारियों को दिए गए थे। इन योजनाओं के अलावा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण के हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

22.9 संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध हैं, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पत्राचार, कर्मचारियों आदि से सम्बन्धित ब्यौरे **उपबंध–VI** हैं।

23. राजभाषा खंड

23.1 कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं:–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत की तैयारी;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी–अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद;

(vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित है;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;

(x) विधिक शैली ओर हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूपता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों के अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिलॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन

23.2 विधि शब्दावली

वर्ष 1961 के राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरूआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई

है। विधि शब्दावली का सातवां संस्करण प्रकाशित हो गया है तथा जारी किए जाने हेतु तैयार है। संस्करण निकालने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसे निकट भविष्य में प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

23.3 भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के आतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी से संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं।

23.4 भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई है। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड संशोधित संस्करण) का कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ठ किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड 1 से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई है।

23.5 केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (क) के अधीन 25 अधिनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2347 हो गई है।

23.6 केन्द्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केन्द्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी तथा अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 है।

23.7 विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनकी हिन्दी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 92 विधेयकों के हिन्दी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के इस संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 6 अध्यादेशों, 7 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 15 अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

23.8 साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार के द्विभाषी कार्य के लिए आधार अधिकथित करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या

बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएं रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 14132 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/ अधिसूचनाएं, आदि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गईं थीं।

23.9 नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयारा करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिन्दी अनुवाद, हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिनन प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3239 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है, सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अधीन किया गया है।

23.10 केन्द्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इण्डिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और संहिता के रूप में रखी गई केन्द्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों का राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर उन्हें मुद्रित कर दिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 14 डिग्लॉट संस्करणों तथा 4 गजट प्रतियां प्रकाशित की गई हैं जिन्हें राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों को भेजा गया है।

वर्ष के दौरान, इस अनुभाग ने 2 डिग्लॉट संस्करणों की पांडुलिपियां तैयार की

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग में:

(क) 17 अद्यतन केन्द्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट संस्करण) की तथा 2 गजट प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजीः तथा

(ख) हिन्दी भाषी राज्यों को कन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजी।

(ग) इस वर्ष, केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।

23.11 विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प–सूचना पर

पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केन्द्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 25 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 11 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त, 6 डिग्लॉट और 1 आदेश परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2014 का भी प्रकाशन किया गया।

साथ ही, भारत का संविधान (25 मार्च, 2014 के अनुसार) के डिग्लॉट फॉर्म के पॉकेट संस्करण, जिसमें संसद द्वारा अभी तक किए गए सभी संशोधन और संविधान (अठ्ठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012 सम्मलित हैं, का उन्नयन किया गया है तथा इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

23.12 मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) (iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जांए। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिन्दी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2281 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिन्दी पाठ भी तैयार किया गया।

23.13 विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड भारत का संविधान को आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केन्द्रीय अंधिनियामों के हिन्दी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापारिकल्पित प्रोदशिक भाषाओं में केद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 10 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 14 केंद्रीय अधिनियमों (गुजराती–5, तेलुगू–5 और उर्दू–4) को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इस प्रादेशिक भाषाओं में तथा 25 केंद्रीय अधिनियमों को हिन्दी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रामाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी।

23.14 केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत

के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केन्द्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिन्दी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

23.15 हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की ग्यारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति, जिसका कार्यकाल जुलाई, 2013 में समाप्त हो गया था, का पुनर्गठन अगस्त, 2013 माह में संकलप संख्या ई. 4 (1)/2009–रा.भा. (वि.वि.), दिनांक 7 अगस्त, 2013 के द्वारा 15वीं लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए किया गया है। जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है:'

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषंगिक और सम्बन्धित विषय;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

23.16 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिन्दी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल है। न्यायमूर्ति श्री एच आर मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 2013–14 के लिए 9 स्वैच्छिक संगठनों को रु 2,99,500/– की राशि की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

23.17 राजभाषा के प्रमागी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड का यू आर एल http://lawmin.nic.in/olwing है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। भर्ती नियमों/अधिसूचनाओं आदि की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने हेतु राजभाषा खण्ड

ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस बेवसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची में रखकर और समृद्ध बनाया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्ताकयल को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। राजभाषा खंड के समूह 'क' अधिकारियों के नामों, पतों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

24. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में 'विधि साहित्य प्रकाशन' नाम दिया गया था।

24.1 आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिहिन्त किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्टि करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवारी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, 'उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' में विभाजित कर दिया गया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधयी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

24.2 विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है:–

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठय पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ड) भारत के विभिनन स्थानों में, विशिष्टयता हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

24.3 इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

24.4 विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्राकशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

24.5 ''विधि साहित्य समाचार'' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसे दिसंबर, 2014 तक अद्यतन किया गया है। एक ''प्रकाशन सूची'' भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

24.6 **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन** : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नवंबर 2014 तक अद्यतन कर दी गई है और ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' जुलाई, 2014 तक अद्यतन कर दी गई है तथा ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' सितंबर, 2014 तक अद्यतन कर दी गई है।

(ख) वर्ष 2014 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	161
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	149
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	149

24.7 **पुरस्कार प्रदान करना** : हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठ्य पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/– रु. (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/– रु. (तीस हजार रुपए), तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/– रु. (बीस हजार रुपए) दिए जाते हैं, जो विभाग की मूल्यांकन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित होते हैं। मूल्यांकन समिति की 31 जनवरी, 2014 को हुई बैठक में हिंदी में विधि

की 16 पुस्तकों पर 4,40,000/– रु. (चार लाख चालीस हजार रुपए मात्र) के पुरस्कार प्रदान किए गए।

24.8 **पुस्तकों का प्रकाशन** : विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा अब तक हिन्दी में 34 मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

24.9 **संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय** : वर्ष 2014 में (जनवरी से दिसंबर तक) जयपुर, जोधपुर के जिला न्यायालयों, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा न्यायपीठ, जयपुर; विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली; जिला न्यायालय, गाज़ियाबाद; बुलंदशहर, तीसहज़ारी, पटियाला हाउस, द्वारका, रोहिणी, कड़कड़डूमा तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रदर्शनी सह विक्रय काउंटर लगाए गए। इन प्रदर्शनियों में काफी संख्या में पुस्तकों तथा केंद्रीय अधिनियमों का विक्रय हुआ।

1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 62,99,221/– रुपये (बासठ लाख निन्यानवें हजार दो सो इक्कीस रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

25. अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

1. विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी, श्रीमति वीना कोठावले, तथा श्रीमति अकाली वी.कोंगे ने 26 मई, 2014 से 31 मई 2014 तक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि (आई एच एल) पर 24वें दक्षिणी एशियाई शिक्षण सत्र (एस ए टी एस) में भाग लेने के लिए वहां का दौरा किया ।

2. विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी, श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास ने 6 से 7 जनवरी, 2015 तक वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित भारत–यू.एस. कॉंट्रैक्ट ग्रुप की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए वहां का दौरा किया ।

26. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःश्क्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है ।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या (10.01.2015 के अनुसार) दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। **(उपाबंध–VII)**

अध्याय 3
न्याय विभाग

1. संगठन एवं कार्य

न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक भाग है। सचिव (न्याय) इसके अध्यक्ष है। संगठन की अवसंरचना में तीन संयुक्त सचिव, पांच निदेशक/उप–सचिव और सात अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक शक्ति 71 है जिसमें से 20 पद रिक्त पड़े हैं। पदासीन वर्तमान 51 अधिकारियों में से 5 महिला अधिकारी/कर्मचारी (02 महिला परामर्शदाता सहित) इस विभाग में कार्यरत हैं। कार्यरत कर्मचारियों की इस कमी को सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में, न्याय विभाग में 11 परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक –VIII** पर है।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन नियमावली–1961 समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा देखे/संभाले जा रहे विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में अधिकार (छुट्टी भत्ता सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते।

ii. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में अधिकार (छुट्टी भत्ता सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते

iii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों एवं न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

iv. उच्चतम न्यायालय का गठन एवं संगठन (क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को छोड़कर) (परन्तु ऐसे न्यायालयों की अवमानना सहित) और उनमें लिया जाने वाला शुल्क।

v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का गठन एवं संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानों के।

vi. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन एवं संगठन तथा इन न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

vii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क।

viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संगठन।

ix. जिला न्यायाधीशों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें।

x. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार अथवा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

xi. गरीबों को विधिक सहायता।

xii. न्याय का प्रशासन।

xiii. न्याय प्रदायगी तक पहुंच एवं विधिक सुधार।

2. न्यायाधीशों की नियुक्तिः

क. भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की 7 नियुक्तियां की गई थीं। दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार, यहां 28 न्यायाधीश पदासीन हैं और न्यायाधीशों की 3 रिक्तियां भरे जाने के लिए शेष हैं।

श्री न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिनांक 27.04.2014 को नियुक्त किया गया था और वे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 27.09.2014 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने दिनांक 28.09.2014 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद का कार्यभार संभाल लिया।

ख. उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की कुल 984 स्वीकृत संख्या में से दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार, 639 न्यायाधीश पदासीन हैं और न्यायाधीशों की 345 रिक्तियां भरे जाने के लिए शेष हैं।

दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति की वजह से उच्च न्यायालयों में 59 रिक्तियां हो गई थीं। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या भी 906 से बढ़कर 984 हो गई है।

दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की 48 नई नियुक्तियां की गई थीं। इसके अतिरिक्त, 59 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां स्थाई न्यायाधीश के रूप में की गई थीं और 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया था।

ग. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना

दिनांक 07.04.2013 को आयोजित मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के अनुसरण में, न्यायाधीशों की संख्या 25ः तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का सैद्धांतिक अनुमोदन लिया गया था और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वर्तमान 906 की संख्या को बढ़ाकर 1112 करने का प्रयास प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकारों/संबंधित उच्च न्यायालयों की सहमति प्राप्त होने के साथ–साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 01.07.2014 से बढ़ा दी गई है और कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या दिनांक 14.10.2014 से बढ़ा दी गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़कर 984 हो गई है। शेष उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को उन उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों से सहमति मिलने के पश्चात और बढ़ाया जाएगा। तथापि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करने में आ रही बाधाओं तथा अवसंरचनाओं के बारे में बताया था। वर्तमान रिक्तियों और अवसरंचनात्मक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव, सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित न्यायाधीशों के अतिरिक्त पदों को समायोजित करने के लिए हर दृष्टि से अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध हो जाने तक स्थगित रखा जाए।

घ. विधानः

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए 'संविधान (एकसौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014' और 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014' नामक दो विधेयक लोक सभा द्वारा दिनांक 13.08.2014 को और राज्य सभा द्वारा दिनांक 14.08.2014 को पारित किए गए थे।

इन विधेयकों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना करने हेतु संविधान में संशोधन लाने का प्रावधान है। अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं की द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात, इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित 'संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014' और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 31 दिसम्बर, 2014 को राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। सरकार अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने जा रही है।

3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एन जे ए)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, (एनजेए) भोपाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है जो न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन और न्याय प्रशासन का अध्ययन करने, न्यायलय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। अकादमी के मामलों का प्रबंधन एक शासी परिषद द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यह अकादमी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।

इस वर्ष के दौरान अकादमी को वर्ष 2014–15 के 1074 लाख रु. के बजटीय प्रावधान में से 325 लाख रु. (पहली किश्त) और 350 लाख रु. (दूसरी किश्त) का अनुदान जारी किया गया है। अकादमी से अब तक 325 लाख रु. के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्र (यूसी) प्राप्त हो गए हैं।

वर्ष 2012–13 के लिए अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों की जांच की गई थी और उन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। वर्ष 2013–14 के लिए अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की प्रक्रिया चल रही है।

4. कुटुम्ब न्यायालय

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का अधिनियमन विवाह, पारिवारिक मामलों और इनसे संबंधित मामलों से जुड़े विवादों में सुलहनामा को बढ़ावा देने तथा इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए किया गया है।

केन्द्र सरकार योजनागत स्कीम के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय के भवनों के निर्माण के लिए एकबारगी अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को 10 लाख रु. प्रति न्यायालय तथा योजनेत्तर के तहत आवर्ती लागत के रूप में 5 लाख रु. वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करने के बारे में समय–समय पर पत्र लिखा है।

वर्ष 2014–15 के लिए इस योजना हेतु योजनेत्तर के अंतर्गत 5.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। इसमें से, उत्तर प्रदेश सरकार को 3.75 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया गया है तथा छत्तीसगढ़ सरकार को 1.00 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में इस समय 410 कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक–IX** के रूप में संलग्न है:–

5. तेरहवां वित्त आयोग (टी एफ सी) अवार्ड

तेरहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने न्याय प्रदायगी में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए अपने अवार्ड में 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। इस अनुदान का लक्ष्य न्यायिक परिणामों में सुधार लाने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है और यह निम्नलिखित पहलों के लिए आबंटित किया गया है–

योजनाएं	**(करोड़ रु. में)**
प्रातःकालीन/सांयकालीन/पाली न्यायालय का संचालन	2500
एडीआर केन्द्र	600
माध्यस्थों/सुलहकारों का प्रशिक्षण	150
लोक अदालतें	100
विधिक सहायता	200
न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण	250
राज्य न्यायिक अकादमियां	300
लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण	150
न्यायालय प्रबंधक	300
विरासतीय न्यायालय भवनों का रख–रखाव	450
कुल	5000

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत 'न्याय प्रदायगी में सुधार लाने' के क्षेत्र के लिए उपर्युक्त घटकों हेतु 30.11.2014 तक राज्यों को 1947.05 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया गया है। राज्यों को जारी अनुदान तथा राज्यों द्वारा अनुदान के उपयोग को **अनुलग्नक–X** पर देखा जा सकता है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर वास्तविक प्रगति की स्थिति **अनुलग्नक–XI** पर है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायपालिका के लिए तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड में प्रातः/सांयकालीन/पाली अदालतों के लिए आबंटित धनराशि (500 करोड़ रु. प्रति वर्ष) में से ब ज मोहन लाल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, राज्य न्यायिक सेवाओं में सृजित किए जाने वाले 10 प्रतिशत अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों के वेतनों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 31.03.2015 तक समरूप आधार पर 80 करोड़ प्रति वर्ष तक की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य सरकारों से अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जा रहे इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदो का उपयोग फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने हेतु किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

6. ई– न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना कम्प्यूटरीकरण

क. ई–न्यायालय चरण–I :

ई–न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना देश के उच्च न्यायालयों और जिलाध्अधीनस्था न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–शासन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना की संकल्पना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा ''भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी के कार्यान्व्यन हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना–2005'' के आधार पर की गई थी। ई–समिति का गठन वर्ष 2004 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य संरक्षक–सह–तदर्थ अध्यक्ष के अधीन न्यायपालिका को आई सी टी सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिये किया गया था।

सरकार ने 935 करोड़ रुपए के कुल बजट से मार्च 2014 तक परियोजना के तहत 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का अनुमोदन प्रदान किया। ई–न्यायालय परियोजना का उद्देश्य देश में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का समान रूप से कम्प्यूटरीकरण करके और न्याय प्रणाली को आई सी टी से सुसज्जित करने को बढ़ावा देकर वादकारियों, वकीलों और न्यायपालिका को अभिनिर्धारित सेवाएं मुहैया कराना है।

परियोजना को नीतिगत निर्देश और मार्ग दर्शन देने के लिए न्याय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन आई सी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। न्याय विभाग, ई समिति के प्रतिनिधियों और एन आई सी को शामिल करके बनी एक परियोजना निगरानी समिति परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए मासिक आधार पर बैठकें करती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में गठित एक संचालन समिति अपने संबंधित उच्च न्यायालय में परियोजना के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण करती है।

कम्प्यूटरीकरण किए जाने वाले 14,249 न्यायालयों में से दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, 93 प्रतिशत से अधिक कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है। परियोजना के मुख्य घटकों के संबंध में 30

नवंबर 2014 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	मॉड्यूल	30 नवंबर 2014 की स्थिति	पूर्णता %
1	वित्तपोषित स्थल	14249	100.00
2	तैयार स्थल	14249	100.00
3	लगाए गए हार्डवेयर	13436	94.29
4	लगाए गए लैन (एल ए एन)	13606	95.49
5	डाले गए सॉफ्टवेयर	13323	93.50

उपर्युक्त के अलावा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आई सी टी अवसंरचना का उन्नयन भी किया गया है। नवंबर 2014 तक परियोजना की अन्य गतिविधियों की प्रगति नीचे दी गई है:–

I. **न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप** : 14,309 अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए।

II. **सॉफ्टवेयर** : एक यूनीफाइड नेशनल कोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर–केस इंफोर्मेशन सिस्टम (सी आई एस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय में लगाने के लिए उपलब्ध कराया गया है। पिछले मामलों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि शुरू की गई है और 3 करोड़ से अधिक मामलों के आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

III. **न्यायिक सेवा केन्द्र** : न्यायिक सेवा केन्द्र(जे एस सी) की स्थापना सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में की गई है जो वादकारियोंध्वकीलों द्वारा याचिकाएं और आवेदन दायर करने तथा चल रहे मामलों की जानकारी तथा आदेशों एवं निर्णयों इत्यादि की प्रतियां प्राप्त करने के संबंध में एक सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।

IV. **संपर्कता (कनेक्टिविटी)** : 2581 न्यायालय परिसरों में वी पी एन ओ बी बी कनेक्टिविटी और 598 जिला न्यायालय परिसरों में अतिरिक्त लीज लाईन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

V. **प्रबन्धन में परिवर्तन एवं प्रशिक्षण** : प्रबंधन में परिवर्तन लाने के एक भाग के रूप में 14,000 न्यायिक अधिकारियों को यूबुन्टु–लाईनक्स ओ एस में प्रशिक्षण दिया गया है और 4,000 से अधिक न्यायालयी स्टाफ को सी आई एस सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण दिया गया है।

VI. **री–इंजीनियरिंग प्रकिया** : ई–समिति ने री–इंजीनियरिंग (पी आर) कार्यों की प्रक्रिया आरंभ की है। विद्यमान नियमों, प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और फार्मों के संबंध में अध्ययन करने और उनके सरलीकरण का सुझाव देने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में पी आर समितियां गठित की गई हैं। 22 उच्च न्यायालयों से री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और भारत के विधि आयोग द्वारा उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

VII. **न्यायालयों और जेलें में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी सी) सुविधा**: देश में 5 जिलों तथा समरूप जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा पर एक प्रायोगिक कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर पूरे देश में 995 अतिरिक्त स्थानों पर वी सी सुविधा को चालू किया जा रहा है।

VIII. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडः ई–न्यायालय परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के साथ जोड़ा गया है, जो पूरे देश में मामलों से संबंधित रिकॉर्डों का एक सामान्य संग्रह केन्द्र है। एन जे डी जी में निर्णित मामलों के आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य शुरू किया जा रहा है और लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। 31 अक्तूबर 2014 की स्थिति के अनुसार, 24 उच्च न्यायालयों में से 21 के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3.92 करोड़ से अधिक मामलों तथा 60 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों के आंकड़ों को एन जे डी जी में अपलोड किया गया है।

IX. सेवा प्रदायगी : राष्ट्रीय ई–न्यायालय पोर्टल (http://www-ecourts-gov-in) क्रियाशील हो चुका है। यह पोर्टल वादकारियों को मामलों के पंजीकरण, वादसूची, मामला स्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, वादकार लोग 11,000 से अधिक न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों के संबंध में मामला स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई–न्यायालय चरण–। परियोजना के उपर्युक्त घटक के लिए 935 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में से एन आई सी द्वारा दिनांक 31.12.2014 तक 603.89 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। शेष कार्यकलापों को पूरा करने के लिए, सी सी ई ए ने परियोजना की विस्तार अवधि को 31 मार्च 2015 तक एक वर्ष के लिए 935 करोड़ रुपए की मूल अनुमोदित लागत के भीतर जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है।

ख. ई–न्यायालय चरण–IIः

उच्चतम न्यायालय की ई–समिति ने जनवरी, 2014 में ई–न्यायालय परियोजना के चरण–II के लिए नीति एवं कार्ययोजना दस्तावेज (इसके पश्चात ''नीति दस्तावेज'') अनुमोदित किया है। उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा देश के सभी उच्च न्यायालयों के परामर्श से तैयार तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नीति दस्तावेज में (i) नये न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और ताल्लुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) कार्यालयों, विद्यमान न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर, एसजेए में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशाला (ii) सम्पर्कता सुधार, क्लाउड संगणन, अंतर–संचालनीय दाण्डिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तैयारी (iii) न्यायालय परिसरों में केन्द्रीयकृत फाइलिंग सेंटर और टच स्क्रीन एवं प्रिंटर युक्त क्योस्क (iv) डिजीटाइजेशन दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग मेनेजमेंट टूल्स संबंर्धित परिवर्तन प्रबंधन एवं न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, और (v) ई–फाइलिंग ई–पेमेंट गेटवे और मोबाइल अनुप्रयोग, लिटिगेंट्स चार्टर इत्यादि के व्यापक उद्देश्यों के साथ न्यायालयों की आईसीटी सुविधा को और बढ़ाने की संकल्पना की गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजना के चरण–II के लिए भी प्रावधान हैं। तदनुसार, न्याय विभाग, ई–समिति द्वारा जनवरी, 2014 में अनुमोदित नीति दस्तावेज के आधार पर ई–न्यायालय चरण–II परियोजना तैयार कर रही है।

परियोजना के चरण–II में शुरू किये जाने के लिए प्रस्तावित सभी पहलों और उपायों के समेकन और आयोजनागत घटकों के स्थापित होने से सेवा चार्टर के अंतर्गत वादकारियों के लिए बहुमंचीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, मामला पंजीकरण, मामला सूची, दैनिक मामला

स्थिति और अंतिम आदेशधनिर्णयों का अपलोड करना शामिल है जिनका प्रावधान चरण–I में किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई–मेल तथा हैंड हेल्ड डिवाइसिस वाले सर्वरों के जरिए मामलों की ई फाईलिंग, न्यायालय शुल्क का ई भुगतान, प्रक्रिया सेवा, निर्णयों की डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रतियां प्राप्त करना जैसी कुछ एक सेवाएं चरण–II में जोड़ी जानी है। सेवाएं का चार्टर परियोजना के चरण–II को वादकार सेवा केन्द्र के तौर पर यथासंभव गाइडिंग बेस लाइन के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। वकीलगण एस एम एस, ई मेल के माध्यम से और वेबसाईट पर दैनिक वादसूची देख सकेंगे। न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के प्राथमिक लाभों में से एक लाभ ''कार्य निपटान प्रबंधन का स्वचलन'' (ऑटोमेशन ऑफ वर्कफ्लो मैनेजमेंट) होगा। इससे न्यायालय कार्यसूची (डॉकेट) में मौजूद मामलों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रख पाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित सेवाएं न्यायपालिका, वादकार और वकीलों सहित सभी स्टेकहोल्डरों की सेवाओं को पूरा कर पाएंगी। आई सी टी सुसज्जता से न्यायालयों का कार्य संचालन श्रेष्ठतम और पारदर्शी होगा जिसका न्याय प्रदायगी प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि ज्यों–ज्यों परियोजना में प्रगति होगी और प्रौद्योगिकी का विकास होगा त्यों–त्यों सेवा चार्टर में आवश्यक परिवर्धन किए जाएंगे।

ई–न्यायालय परियोजना के चरण–II के अंतर्गत 2764.90 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ तीन वर्ष की परियोजना अवधि के भीतर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

i. लगभग 5751 नए न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण।

ii. मौजूदा 14,249 कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों का अतिरिक्त हार्डवेयर युक्त आई सी टी सज्जा से संवर्धन।

iii. वेन (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से देश के सभी न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से जोड़ना और प्रस्तावित अंतर–संचालनीय (इंटरऑपरेवल) दांडिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु अतिरिक्त सम्पर्कता।

iv. प्रत्येक न्यायालय परिसर में केन्द्रीकृत फाइलिंग केन्द्र और टच स्क्रीन आधारित क्योसक जैसी नागरिक सुवधिाएं स्थापित करना।

v. चरण–I के अंतर्गत शामिल न किए गए न्यायिक अधिकारियों को लेपटॉपों, प्रिटंरों, यू पी एस और कनेक्टिविटी देने और चरण–I के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए पुराने हार्डवेयर को बदलने का प्रावधान।

vi. शेष 2500 न्यायालय परिसरों और 800 शेष जिलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू करना।

vii. एसजेए, डीएलएसए और टीएलएससी का कम्प्यूटरीकरण।

viii डिजिटाइजेशन, दस्तावेज प्रबंधन, न्यायिक ज्ञान प्रबंधन और लर्निंग मैनेजमेंट के माध्यम से एक सशक्त न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का सृजन करना।

ix. न्यायालय परिसरों में (सामूहिक) नेटवर्क और सौर्य उर्जा संसाधन लगाना।

x. परिवर्तन प्रबंधन के माध्यम से न्यायालयों में बेहतर निष्पादन कार्य को सुविधाजनक बनाना और हैंडहैल्ड डिवाइसिस के माध्यम से रि–इंजीनियरिंग प्रक्रिया और प्रक्रियागत सेवा प्रदायगी में सुधार।

xi. ई–फाइलिंग, ई–पेमेंट और मोबाइल अप्लीकेशनों के प्रयोग के माध्यम से आईसीटी सुविधा का संवर्धन

xii. नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायगी।

7. न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशनः

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में इस प्रणाली में विलंब और बकाया मामलों को कम करके तथा अवसंरचनात्मक बदलाव के जरिए जवाबदेही को बढ़ाने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं की स्थापना करके न्याय तक पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों एवं लंबितता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाता रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्मिक शक्ति को बढ़ाना, ज्यादा मुकदमों वाले क्षेत्रों में नीतिगत एवं विधायी सुधार, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर बल देना शामिल हैं। राष्ट्रीय मिशन की समय–सीमा 5 वर्ष की है।

(i) **राष्ट्रीय मिशन की कार्ययोजनाः** राष्ट्रीय मिशन की कार्ययोजना के अंतर्गत चलाई जा रही पहलों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :

(क) नीति और विधायी परिवर्तन – सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए राज्य मुकदमा नीतियां तैयार करना एवं उनका कार्यान्वयन, न्यायिक प्रभाव आकलन, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और पंचाट एवं समझौता अधिनियम, विधिक शिक्षा सुधार।

(ख) न्यायालय प्रक्रियाओं की री–इंजीनियरिंग, विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों का संवर्धन, बाधाओं की पहचान तथा आई सी टी उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से न्यायालय कार्यवाहियों का स्वचलन।

(ग) न्यायपालिका के लिए कार्मिक शक्ति एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाना।

(घ) मानव संसाधन विकास पर बल – राज्य न्यायिक अकादमियों और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को सुदृढ़ बनाना, न्यायालय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति।

(ड.) न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन।

इस मिशन ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रत्येक नीतिगत क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। सभी राज्यों ने सरकारी मुकदमों को कम करने की दृष्टि से अपनी मुकदमा नीतियां तैयार की हैं। राज्य एजेंसियों द्वारा मुकदमों की भरमार को नियंत्रित करने के संबंध में राज्य सरकारों से राज्य मुकदमा नीतियों के प्रभावों का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम में आवश्यक संशोधनों और चौक बाउंस होने के मामलों से संबंधित बढ़ते हुए मुकदमों को नियंत्रित करने के लिए अन्य नीतिगत एवं प्रशासनिक उपायों का सुझाव देने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आई एम जी) का गठन किया गया था। आई एम जी में चौक बाउंस मामलों की संख्या को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक एवं विधायी परिवर्तनों सहित अनेक उपायों का सुझाव दिया है।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान मामलों से उत्पन्न होने वाले मुकदमों और मोटर दुर्घटना दावों के मामलों को सीमित करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय से इस कानून में

आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के नियमों के लिए जुर्माना के भुगतान की प्रणाली और मोटर वाहन दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाले दावों के सुलहनामा को सरल बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी एक नया विधान तैयार होने की स्थिति में है।

न्याय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 25.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन संबंधी एक कार्य योजना कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है। इस योजना के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ–साथ, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन द्वारा अपनाए जा रहे न्याय के संवितरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाना शामिल है।

न्यायिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू मामलों के यथाशीघ्र निपटान के लिए न्यायालयी कार्यवाहियों और न्यायालय प्रक्रियाओं की री–इंजीनियरिंग से संबंधित है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्याय प्रबंधन प्रणाली (एन सी एम एस) संबंधी एक व्यापक योजना तैयार और अधिसूचित की गई है। एन सी एम एस के तहत न्यायालय उत्कृष्टता का एक राष्ट्रीय ढांचा (एन एफ सी ई) तैयार किया जा रहा है जो गुणवत्ता, उत्तरदायित्व और समय–सीमा के अंदर न्याय उपलब्ध कराने संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु न्यायालयों के लिए निष्पादन के मापक मानदंड निर्धारित करेगा।

दाण्डिक मामलों में समय पर न्याय प्रदायगी संबंधी प्रक्रियात्मक सुधार करना, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विधि आयोग से दाण्डिक न्याय प्रणाली के सुधार पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसके पश्चात गृह मंत्रालय दाण्डिक मामलों के त्वरित निपटान संबंधी प्रक्रियात्मक कानूनों में संशोधन करने के लिए विधायी उपाय शुरू कर सकता है।

विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए जिला और ताल्लुका स्तरों पर न्यायालय परिसरों में माध्यस्थम केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। सरकारी एजेंसियों को सरकारी संविदाओं में पंचाट एवं माध्स्थम खंड शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। माध्यस्थम कानून में पायी गई अनेक अनियमितताओं को देखते हुए, विधि आयोग को माध्यस्थम एवं सुलहनामा अधिनियम 1996 के प्रावधानों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें मौजूदा कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने के संबंध में संशोधनों के प्रस्ताव निहित हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की कमी होना, न्यायालयों में मामलों के एकत्र होने और लंबितता के प्रमुख कारणों में से एक है। राष्ट्रीय मिशन में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ इस मामले को नियमित रूप से उठाया है। स्टेकहोल्डरों के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2012 के अंत में मौजूद 17,715 से बढ़कर वर्ष 2013 में 19,518 हो गई है। यह मिशन मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ इस मामले को उठा रहा है।

II. न्यायिक अवसंरचना

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार न्यायिक अवसंरचना का विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अंतर्गत वितीय सहायता जारी करके राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करती है। यह योजना 1993–94 से अस्तित्व में है और इसे 1911 में संशोधित किया गया था। इसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और रिहायशी आवासों का निर्माण करना शामिल है। वर्ष 2011 तक, केन्द्र और राज्य

सरकारें इस स्कीम के तहत बराबर का अंशदान देती थीं परन्तु वर्ष 2011–12 से वित्तीय साझेदारी का तरीका संशोधित कर दिया गया है और केन्द्र सरकार अब निधियों का 75 प्रतिशत अंशदान दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केन्द्र सरकार वित्तपोषण का 90 प्रतिशत मुहैया कराती है। तथापि, केन्द्रीय वित्त पोषण इस योजना के लिए किये जाने वाले बजटीय आबंटन के अध्यधीन है।

दिसम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011–14 से संशोधित वित्त पोषण के तरीके के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 3024 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। यह 1245 करोड़ रुपए की उस धनराशि पर की गई एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है जो केन्द्र सरकार द्वारा 1993–2011 से योजना के आरंभिक चरणों में मुहैया कराई गई थी। चालू वित्त वर्ष (2014–15) के दौरान राज्यों को 31.12.2014 तक 825 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। योजना के अंतर्गत जारी निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरे को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक–XII** पर है।

जैसाकि वर्तमान योजना को चालू योजना अवधि (मार्च, 2017) के अंत तक जारी रखने की अपेक्षा है, अतः, यह आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर न्यायिक अवसंरचना में काफी परिवर्धन होगा। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून 2014 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 15,400 न्यायालय हाल/न्यायालय कक्ष उपलब्ध थे। इनके अतिरिक्त, 1000 न्यायालय कक्ष किराए के परिसरों में उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, रिक्तियों को भरने की वजह से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या में होने वाली तत्काल बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2250 अतिरिक्त न्यायालय पक्षों का निर्माण चल रहा है।

उच्च न्यायालयों के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा सीधे तौर पर एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ई) उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2010–11 के दौरान जोधपुर में उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए 41.50 करोड़ रुपए की तथा वर्ष 2012–13 के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के भवन के निर्माण के लिए 231.31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) अनुमोदित की है। सरकार ने जुलाई 2013 में तीन वर्षों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु 884.30 करोड़ रुपए के प्रावधान का अनुमोदन भी प्रदान किया है।

III. ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए दिसम्बर 2009 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। अभी तक 10 राज्यों में 194 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किये हैं जिनमें से 159 कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक योजना के तहत राज्य सरकारों को 3449.00 लाख रूपए जारी किये गए हैं।

ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दिनांक 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को अपनी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहां पर संभव होगा, वहां पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लेना चाहिए। इसमें ग्राम न्यायालय के तहत उन ताल्लुकों को शामिल करने पर बल दिया गया है, जहां नियमित न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है।

8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क, समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 22(1) भी, राज्यों के लिए यह अधिदेश है कि वे कानून एवं विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें और जिसमें सभी के लिए समान अवसरों के आधार पर न्याय प्रदान किया जाता हो। वर्ष 1987 में, संसद द्वारा समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाओं का प्रावधान करने के हेतु एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया जो 09 नवम्बर, 1995 से लागू हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने एवं उनका मूल्यांकन करने तथा अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नीतियों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है। नाल्सा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी रूप देने और लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराने तथा राज्य में लोक अदालतें आयोजित करने के लिए जिलों और अधिकांश ताल्लुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुक विधिक सेवा समितियां गठित की गई हैं। जहां तक भारत के उच्चतम न्यायालय का संबंध है, विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का कार्यकरण

नाल्सा पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धान्तों, दिशा निर्देशों का अभिनिर्धारण करता है और उनके लिए प्रभावकारी एवं आर्थिक योजनाएं तैयार करता है।

प्राथमिक तौर पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुक विधिक सेवा समितियों इत्यादि को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए कहा गया हैः–

(I) पात्र लोगों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं मुहैया कराना,

(II) विवादों का राजीनामा से निपटान के लिए लोक अदालतें गठित करना,

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कैम्प लगाना,

I. निरूशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः–

क) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में न्यायालय शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और अन्य सभी देय प्रभारों अथवा व्ययों का भुगतान;

ख) विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवाएं मुहैया कराना;

ग) विधिक कार्यवाहियों में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां प्राप्त करना एवं उपलब्ध कराना;

घ) विधिक कार्यवाहियों में अभिलेखों की मुद्रित और अनुवाद सहित अपील/पेपर बुक तैयार करना।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

i) महिलाएं एवं बच्चे

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य

iii) औद्योगिक कामगार

iv) बड़े पैमान पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक आपदा के पीड़ित व्यक्ति।

v) अक्षम व्यक्ति

vi) अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति

vii) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 1,00,000 रूपए से अधिक नहीं है (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में यह सीमा 1,25,000 रुपए है)।

viii) मानव दुर्वयापार के पीड़ित व्यक्ति अथवा भिखारी।

दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2014 की अवधि के दौरान देश में विधिक सहायता सेवा के माध्यम से 19.72 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 17,160 से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के, लगभग 13,910 अनुसूचित जनजाति के, लगभग 33,510 महिलाएं और लगभग 6140 बच्चे हैं।

II. लोक अदालतें

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां कानूनी न्यायालयों अथवा पूर्व–मुकदमा स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को निपटाया जाता है राजीनामा से समझौता कराया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिये गए निर्णय (अवार्ड) को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षकारों के लिए अंतिम निर्णय है और बाध्यकारी है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील नहीं होती है।

01.04.2014 से 30.11.2014 की अवधि के दौरान 94,137 लोक अदालतें आयोजित की गईं और उनमें 40.88 लाख से अधिक मामले निपटाए गए। लगभग 53,750 मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों में, 1044.87 करोड़ रुपए के मुआवजे के आदेश दिये गए।

III. विधिक जागरूकता कार्यक्रम

निवारक एवं नीतिगत विधिक सहायता के एक भाग के रूप में, नाल्सा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कुछेक राज्यों में ग्रामीण विधिक साक्षरता शिविरों के साथ–साथ, विद्यालयों और कालेजों में तथा नियमित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

नाल्सा, मनरेगा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और महिलाओं के कल्याण कार्यक्रम पर विशेष विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। लोक अदालतों के माध्यम से मनरेगा से संबंधित शिकायतों का निपटान करने के लिए नाल्सा द्वारा एक विशेष योजना भी कार्यान्वित की गई थी।

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत

पांच राज्य विधिक प्राधिकरणों ने अलग–अलग तारीखों में अर्थात गुजरात में 14.04.2014, हरियाणा में 01.04.2014 से 12.04.2014 तक, झारखण्ड में 25.03.2014 से 29.03.2014 तक, कर्नाटक में 06.01.2014 से 12.04.2014 और राजस्थान में 07.04.2014 से 12.04.2014 तक मेगा लोक अदालतों का आयोजन किया। सभी 23 राज्यों में आयोजित मेगा लोक अदालतों में 27.80 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं अथवा उनका राजीनामा से निपटान किया गया है जिसमें से 3.81 लाख मामले पूर्व–मुकदमा स्तर पर निपटाए गए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक के सभी न्यायालयों में मामलों के निपटान हेतु पूरे देश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नाल्सा के तत्वाधान के तहत दिनांक 06.12.2014 को किया गया। उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक, लोक अदालत की खण्डपीठों की बैठकें सफल रहीं हैं और उनमें अनेक लंबित मामलों का निपटान किया गया है जिससे पूरे देश में मामलों की लंबितता में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई है।

गणतंत्र दिवस परेड–2015 के लिए झांकी

- भारत सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय) की सलाह पर नाल्सा ने गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में भाग लेने के लिए नाल्सा द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर एक झांकी शामिल करने का एक प्रस्ताव भेजा था। विशेषज्ञ समिति द्वारा नाल्सा की झांकी का चयन गणतंत्र दिवस परेड–2015 में शामिल करने के लिए किया गया है।

9. कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के सहयोग से, न्याय विभाग (डी ओ जे), विधि एवं न्याय मंत्रालय एक दशक से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच पर एक कार्यक्रम (2008–2017) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह परियोजना यू एन डी ए एफ के आठ राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में लागू है। इस परियोजना में ऐसी नीतियां तैयार करके कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है जो विधिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं का निराकरण करेंगी।

वर्तमान में, यह परियोजना कार्यान्वयन के दूसरे चरण में है। वर्ष 2008 से 2012 तक चले पहले चरण में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित हुए। पहले चरण की कुछेक उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कमजोर समुदायों के दो मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारे में विधिक साक्षरता पहल।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना (साक्षर भारत) के अंतर्गत प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में विधिक साक्षरता को शामिल करना।
- विभिन्न पृष्ठभूमियों से 7000 से अधिक अर्ध–विधिकों का प्रशिक्षण।
- विधि विद्यालय द्वारा संचालित भारत में पहली बार विधिक सहायता केन्द्रों पर अध्ययन किया गया और अनेक राज्य विधिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया ताकि वे न्याय तक पहुंचने में कमजोर वर्ग के समुदायों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को बेहतर रूप से समझ सकें।

परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2013 से 2017 तक पांच वर्षों के लिए है। इस चरण में परियोजना का लक्ष्य पिछले चरण में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर आगे बढ़ाना एवं न्याय की मांग का सृजन करना और उसकी प्रदायगी सुनिश्चित करने के कार्य को जारी रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत न्याय विभाग में एक तकनीकी सहायता टीम भी तैनात की गई है जो न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन को सहायता देने के विशेष उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है।

चल रही परियोजना पहलें

1. प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन

एसएलएसए की क्षमताओं का संवर्धन करने के उद्देश्य के साथ इस परियोजना के तहत पैनल वकीलों और अर्ध–विधिक स्वयंसेवकों दोनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन एल एम ए) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई आर डी), उत्तर प्रदेश के फैकल्टी सदस्यों और संसाधन सदस्यों के लिए विधिक साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्योंकि इन प्रायोगिक परियोजनाओं को बाद में अन्य राज्यों में भी आगे चलाया जाना है।

2. विधिक जागरूकता एवं विधिक सशक्तीकरण

इस परियोजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी एल एस ए) के परिसरों में छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्यों में ध्वनि आधारित विधिक सूचना क्योस्क स्थापित किये गए हैं। डी एल एस ए अर्ध–विधिक स्वयंसेवकों को क्योस्क सुविधा प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

यह परियोजना सिविल सोसाइटी संगठनों के विभिन्न अभिनव पहलुओं को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ निम्नलिखित रूप में विधिक सहायता केन्द्रों को सहायता मुहैया करा रही है।

भारत विकास के लिए विकल्प (ए आई डी), झारखण्डः ए आई डी का लक्ष्य विकेन्द्रीकृत एवं पूर्ण–न्याय तथा कल्याण पात्रता प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि गरीबों को कानून का लाभ मिल सके और इस प्रकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच की दिशा में योगदान हो सके।

अन्तोदय, ओडिशाः जैव विविधता अधिनियम द्वारा अनिवार्य बनाए गए ''लोगों के जैव विविधता रजिस्टर'' में परंपरागत ज्ञान, उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का अभिलेखीकरण करके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा उन पर उनकी पहुंच के संबंध में समुदायों के अधिकारों की जागरूकता।

जनजागृति केन्द्र, छत्तीसगढ़रू आई सी टी एप्लीकेशन आधारित एक ऐसी व्यापक सेवा का विकास एवं उसकी प्रदायगी (प्रयोक्ता अनुकूल किफायती मोबाइल फोनों पर आधारित) जो सीधे तौर पर अंतिम ग्राहक तक पहुंचती है और उन्हें अपनी विधिक जरूरतों तक पहुंचने में सहायता करती है तथा और जो उन्हें छत्तीसगढ़ में प्रोमोट किये गए चेनलों के माध्यम से पहुंच उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशाः कटक, पुरी और कुन्द्रा के तीनों जिलों में से प्रत्येक में एक–एक करके विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख स्टेकहोल्डरों की क्षमता का संवर्धन भी किया जा रहा है।

टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसः कैम्पस में सामुदायिक पहुंच के साथ विश्वविद्यालय आधारित विधिक सेवा केन्द्र स्थापित किये गए हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी और फैकल्टी, विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल वकीलों की सहायता से असुरक्षित समूहों को विधिक सेवाएं मुहैया कराएंगें। सामुदायिक स्तर पर भी अन्य विधिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

3. अनुसंधान एवं अध्ययन

दिल्ली आधारित एजेंसी पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट (पी एल डी) इस बात का आकलन करने के लिए दिल्ली के विशेष न्यायालयों में अध्ययन का कार्य कर रहा है कि उनकी प्रक्रियाएं किस हद तक महिला अनुकुल हैं। इस प्रायोगिक अध्ययन में बलात्कार के मामलों में कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाओं की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की जांच इस उद्देश्य से की जा रही है ताकि उन प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सके जो संवेदनशील होने के साथ–साथ यौन हिंसा के पीड़ितों के प्रतिकूल है।

यह परियोजना, प्रेक्षा गृहों में किशोरों के लिए हैल्प डेस्क के सृजन के लिए टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टी आई एस एस) की सहायता कर रही है।

4. सिफारिशें और भावी योजना

विद्यमान अच्छी प्रणालियों का आकलन करना और उन्हें महत्व प्रदान करके समुदायों के साथ कार्य करने में सक्षम एजेंसियों की तत्काल सूची तैयार करना ताकि वे महत्वपूर्ण विधिक मूल्यों और संवर्धित कौशल के बारे में लोक शिक्षा के माध्यम से बेहतर न्याय प्रदायगी और शासन की मांग कर सकें।

विधिक पात्रता अधिकारों एवं दायित्वों के मूल्यों के बारे में बड़े पैमाने में जागरूकता पैदा करना क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा यह अधिदेश है कि वे जनसाधारण के बीच एजेंसी का सृजन करने के लिए उनकी ओर से एक साधन के रूप में कार्य करें।

10. पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर में न्याय तक पहुंच

(भारत सरकार परियोजना)

ए2जे (एन ई एंड जे के) परियोजना के तहत शुरू की गई पहलों पर वार्षिक रिपोर्ट (दिसम्बर, 2014 तक)

1. **नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े जिलों त्वैनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना** : नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े और दूर–दराज जिलों त्वैनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना का कार्य करता रहा है।

2. **लोगों की विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन** : यह अध्ययन शिलांग, मेघालय स्थित इम्प्ल्स एन जी ओ नेटवर्क द्वारा कराया गया था। यह लोगों विशेष रूप से उन लोगों जो गरीब, कमजोर और असुरक्षित हैं, और इसलिए उनके पास अपने अधिकारों की गारन्टी सुनिश्चित करने के संसाधन नहीं हैं, के विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए क्षेत्र आधारित अध्ययन है। अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

3. **आठ पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण विधानों के बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अर्ध–विधिक स्वयंसेवियों (पी एल वी) का प्रशिक्षण**: यह कार्यकलाप ओडिशा में विद्यमान एक सिविल सोसाइटी संगठन कमेटी फॉर दि लीगल एंड टु पुअर (सी एल ए पी) द्वारा किया जा रहा है। सी एल ए पी असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैण्ड से 400 पी एल बी (प्रत्येक राज्य से 50) को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

4. **जम्मू एवं कश्मीर में आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन**: यह अध्ययन राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अन्तरालों की पहचान करने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा कराया

जा रहा है। परियोजना टीम ने कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2014 में कश्मीर विश्वविद्यालय का दौरा किया।

5. **जम्मू एवं कश्मीर में विधिक सहायता समाधान केन्द्रों को सहयोगः** इस परियोजना में कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता समाधान केन्द्रों को भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

6. **जम्मू एवं कश्मीर में अनाथालयों का एक मूल्यांकन अध्ययन और अनाथालयों को शासित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करनाः** इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर आधारित केएफओआरडी नामक एक संगठन का चयन किया गया है। समझौता ज्ञापन और कार्ययोजना को तैयार किया जा रहा है।

7. **पूर्वोत्तर में 400 पैनल वकीलों का प्रशिक्षण** : इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से लीगल सैल फॉर ह्यूमन राईटस (एलसीएचआर) का चयन किया गया है। समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

8. **जम्मू कश्मीर में अर्धविधिक स्वयंसेवियों को प्रशिक्षणः** इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से रमन डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक गुजरात स्थित संगठन का चयन किया गया है। समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

9. **नौ राज्यों में परियोजना टीम की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन उपलब्ध कराना** : राज्य स्तर पर ए2जेड (एनईएंडजेके) के कार्यकलापों का समन्वय करने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए सभी नौ परियोजना राज्यों में दो पेशेवरों की एक टीम (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) की नियुक्ति की जा रही है। असम, नागालैंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए इनकी भर्तियों का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष राज्यों में इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

11. स्वच्छ भारत

माननीय भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, न्याय विभाग ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इस संबंध में 25 सितम्बर, 2014 से 01 अक्तूबर, 2014 तक कैम्पस, उसके आस–पास, गलियारों की साफ–सफाई और सौन्दर्यीकरण तथा पुराने रिकार्डों की छटनी जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरू किये गए हैं। 02 अक्तूबर, 2014 को सचिव (न्याय) द्वारा सभी कर्मचारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई गई थी। सचिव (न्याय) के नेतृत्व में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 02 अक्तूबर, 2014 को स्वैच्छिक श्रमदान किया। 03 अक्तूबर, 2014 से 31 अक्तूबर, 2014, 01 नवम्बर, 2014 से 31 अक्तूबर, 2015 और 01 नवबंर 2015 से 31 अक्तूबर, 2019 तक के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई और उसे **अनुलग्नक–VI** के रूप में संलग्न किया गया है।

12. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों/समस्याओं का समाधानः

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेश पर न्याय विभाग में एक समिति का गठन किया गया है।

न्याय विभाग की पीडित महिला कर्मचारियों द्वारा दी गई शिकायतों के समाधान के लिए अध्यक्ष और तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जिसमें एक सदस्य गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से है।

13. केंद्र सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में निष्पादन मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़ (आरएफडी) एक केन्द्रीय प्रणाली है जिसे पीएमईएस के कार्यान्वयन हेतु डिजाईन किया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय का कार्यनिष्पादन प्रबंधन डिविजन (पीएमडी), आरएफडी की तैयारी तथा कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग करता है। न्याय विभाग के लिए आरएफडी तैयार करके इसे अंतिम रूप देकर इसे इस विभाग की वेबसाईट पर डाल दिया गया है। आरएफडी 2014–15 के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस विभाग द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

अध्याय – IV
सामान्य

विधि कार्य विभाग के अधिकारियों/प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे– 2014–15

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	देश	अवधि	प्रयोजन
1	श्री पी.के. मल्होत्रा	सचिव	न्यूयार्क संयुक्त राज्य अमेरिका	02 से 06 फरवरी, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 62वें सत्र में भाग लेना।
			ताशकंद, उजबेकिस्तान	8 से 10 अक्टूबर, 2014	शंघाई को–आपरेशन आर्गेनाइजेशन (एससीओ) के प्रोसिक्यूटर्स जनरल की बैठक में भाग लेना।
2	श्री मुकुल रोहतगी	महान्यायवादी	कैनबरा, आस्ट्रेलिया	1 से 4 मार्च, 2015	चतुर्थ भारत–आस्ट्रेलिया विधि फोरम सम्मेलन में भाग लेना।
3	श्री दिनेश भारद्वाज	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	कैनबरा, आस्ट्रेलिया	14 से 17 अप्रैल, 2014	भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण के करार पर वार्ता के लिए।
4	डा0 आर.जे.आर. काशीभाटला	उप विधि सलाहकार	वियना, आस्ट्रिया	6–7 जनवरी, 2015	भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका संपर्क समूह की दूसरी बैठक में भाग लेना।
			लंदन, ब्रिटेन	21 जनवरी, 2015	भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका संपर्क समूह की तीसरी बैठक में भाग लेना।

2. सतर्कता संबंधी गतिविधियां :–

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख संयुक्त सचिव के स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। इन दोनों

विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

- उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना जहां कदाचार/प्रलोभन की संभावना हो तथा शासकीय कृत्यों के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना।
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना।
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के लिए उचित उपाय करना।
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा।
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण सलाह प्राप्त करना।
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रहा। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया। दिनांक 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

3. लिंग आधारित मुद्दे

विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए गठित शिकायत समिति को, जिसका दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 129 के तहत पुनर्गठन किया गया था, वर्ष 2013–14 में भी जारी रखा गया है। इस समय, उक्त समिति की अध्यक्ष विधि कार्य विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती सुषमा सूरी हैं। उक्त समिति का कार्य प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हों, का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना है। इस समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों और और उन पर की गई कार्रवाई की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी होती है, जिसे विधि कार्य विभाग के कर्मचारियों के संबंध में विधि सचिव को और विधायी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधायी विभाग को प्रस्तुत किया जाना होता है। उक्त समिति को एक तीसरे पक्ष, या तो किसी गैर–सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय, जिसे इस विषय की जानकारी अथवा अनुभव हो, को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अधिकार प्राप्त है।

4. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ से संबंधित मुद्दे:

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.7.1997 के का0 ज्ञा0 सं0 36025/3/97–स्था0 (रिजर्व) के साथ पठित उनके दिनांक 18.2.1997 के आदेश सं0 26035/16/91–स्था0 (एससीटी) के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उप विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार, केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता, अधीक्षक (विधि), सहायक (विधि) और कनिष्ठ केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता के पदों को चिह्नित किया गया है, जिन पर निम्नलिखित अशक्तताओं वाले व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा :–

(i) आंशिक रूप से बधिर

(ii) एक टांग प्रभावित

(iii) दानों टांगे प्रभावित; लेकिन बांहें प्रभावित नहीं

(iv) एक बांह प्रभावित (बायीं या दायीं)

(क) विकृत पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गतिविभ्रमता

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए 100 बिंदुओं वाला एक रोस्टर रखा गया है।

दिनांक 1.1.2014 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध–XIV** तथा **XV** में दिया गया है।

5. विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व **उपाबंध – XVI** पर दर्शाया गया है।

विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

(1) विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना :

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजनः

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2014 को 'हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। 'हिंदी दिवस'' की पूर्व संध्या पर प्राप्त माननीय गृह मंत्री के संदेश को विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2014 से 30.9.2014 तक 'हिन्दी माह'' का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात् 'हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' 'हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', 'हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," 'अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और न्यायालय लिपिकों के लिए), "हिन्दी माह के दौरान हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। विभाग के 111 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें से 103 सफल प्रतियोगियों को 79,600/–रु0 के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपील अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का सृजन :

(1) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(2) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(3) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी–हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(4) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(5) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(6) विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जाती है।

(7) 16वीं लोकसभा के गठन के उपरांत मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा माननीय विधि और न्याय मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(8) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 16 जनवरी, 2014 को आयकर अपील अधिकरण के कटक स्थित पीठ में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण बैठकों में श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, श्री विजय सिंह मीणा, उप निदेशक (राजभाषा) एवं श्री अशोक कुमार चावला, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कटक में आयोजित बैठक में विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(9) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपील अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण के इंदौर, आगरा और पुणे स्थित पीठों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया है।

(10) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के भाग–I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(11) श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव, और सभी अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। वर्ष के दौरान समिति

की चार बैठकें आयोजित की गईं और इस संबंध में सदस्यों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में भी चर्चा की गई तथा सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन करें। समिति की पिछली बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को हुई थी।

दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, **उपाबंध–I** और **उपाबंध–II** में दिया गया है।

विभाग लेखाकरण संगठन

विभागीकृत लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का एक लेखाकरण संगठन होता है। जिसका प्रमुख लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) अथवा लेखा नियंत्रक होता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लेखा संगठन, जिसके प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक हैं, को वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय के आकस्मिक व्यय जैसे व्यक्तिगत दावों तथा किराया, दरों तथा करों आदि का समयबद्ध भुगतान करने तथा एन.एस.डील.एल. को एन.पी.एस सबस्क्रिपशन कंट्रीब्यूशन अपलोड करने, केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों को मॉनीटर करने, निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक विनियोजन लेखों, वित्त लेखों तथा केंद्रीय लेन–देन के विवरण को तैयार करके उसे लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) वित्त मंत्रालय को भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2013–14 के संबंध में इन रिपोर्टों को निर्धारित समयावधि में तैयार करके संबंधित मुख्य लेखाकरण प्राधिकारियों अर्थात विधि सचिव, विधायी विभाग तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के विधिवत अनुमोदन से लेखा महानियंत्रक तथा महानिदेशक (लेखा परीक्षा) को भेज दिया गया था।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सरकारी सेवकों को ऋण एवं अग्रिम राशि देने, पेंशन प्राधिकृत करने और अन्य हकदारियों आदि के उनके व्यक्तिगत दावों का तत्परता से निपटान किया गया। केंद्र तथा राजयों के विभिन्न निकायों/संस्थानों को सहायता अनुदान का भुगतान भी बिना किसी विलंब के किया गया। चुनाव संबंधी व्यय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के मामले को तत्परता से निपटाया गया तथा संबंधित राजयों को उधार का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय एजेंसी सेक्शन, नागपुर के माध्यम से किया गया। दावों तथा अन्य भुगतानों के संबंध में कार्रवाई करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि इस विषय में लागू नियमों, आदेशों तथा प्रावधानों के अनुसार ही भुगतान किया जाए तथा कोई भी धोखाधड़ी/ओवरपेमेंट न हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन लेखों से भुगतान बजट आवंटन से अधिक न किया जाए। विभिन्न इकाइयों के आय और व्यय की राशि के आंकड़ों के बारे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई ताकि वे रिपोर्ट की अवधि के दौरान उस कार्यालय के आंकड़ों के साथ संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंकड़ों का मिलान कर सकें।

विनियोजन लेखा 2014–15
विधि एवं न्याय मंत्रालय

(रु– करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष (+) (बचत) (–)
अनुदान 64	94.71	88.98	76.02	–12.96
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
2014–न्याय प्रशासन	337.78	207.84	165.90	–41.94
2015–निर्वाचन	400.50	681.72	646.02	–35.70
2020–आय तथा व्यय के संबंध में कर संग्रहण	50.40	54.80	53.49	–1.31
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11.06	17ण35	16ण98	–0.37
2552–पूर्वोत्तर क्षेत्र	110.00	–	–	–
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	761.00	900ण01	900	–0.01
3602–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सहायता अनुदान	40.00	0ण01	–	–0.01
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत व्यय	10.02	2.02	1.06	–0.96
अनुदान सं.–65 भारत का उच्चतम न्यायालय				
2014– न्याय प्रशासन (प्रभारित)	129.41	133.89	133.89	.

उपाबंध–I

(अध्याय–1, पृ.सं. 2 देखें)

विधि कार्य विभाग के संगठन का चार्ट

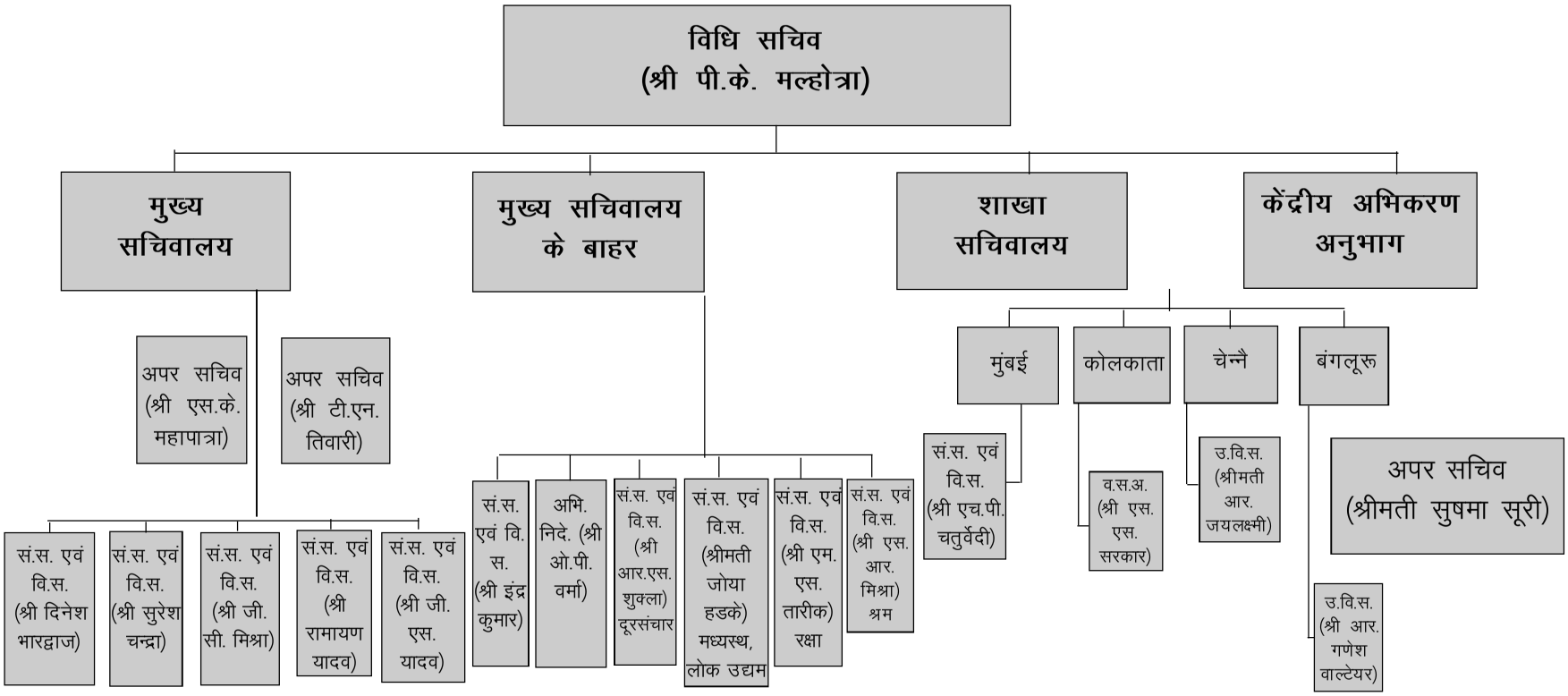

संकेत सूची

सं. स. एवं नि. स.	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
अभि. निद.	अभियोज्य निदेशक
व.स.अ.	वरिष्ठ अधिवक्ता
उ.वि.स.	उप विधि सलाहकार

उपाबंध–II

(अध्याय–1, पृ.सं. 14 देखें)

शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदान की गई सलाह का तुलनात्मक विश्लेषण

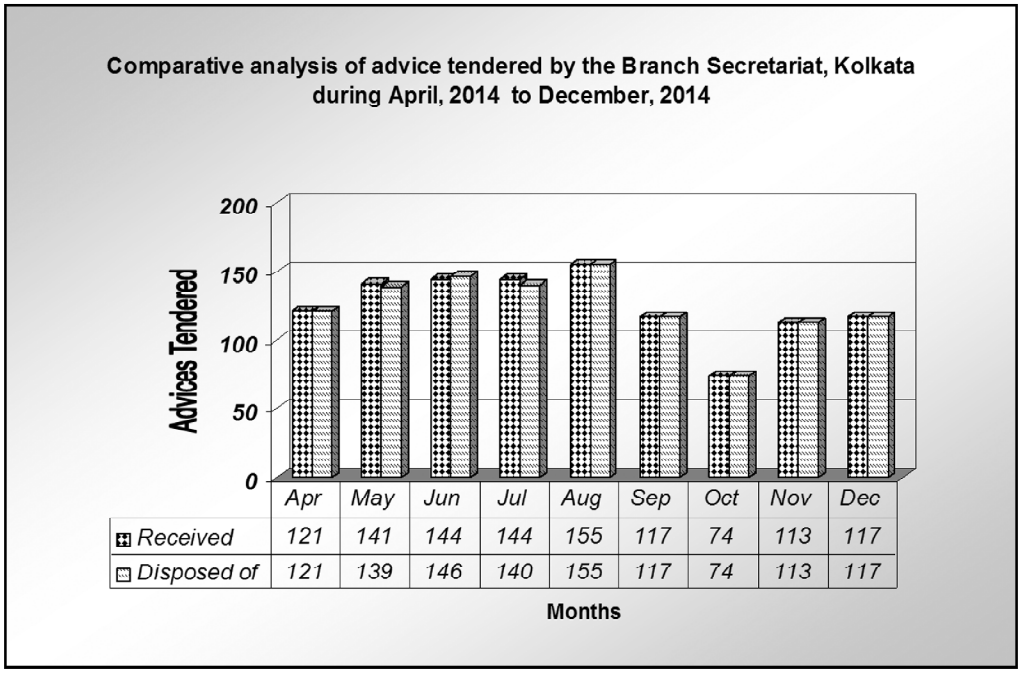

	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Received	121	141	144	144	155	117	74	113	117
Disposed of	121	139	146	140	155	117	74	113	117

उपाबंध–III

(अध्याय–1, पृ.सं. 15 देखें)

शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण

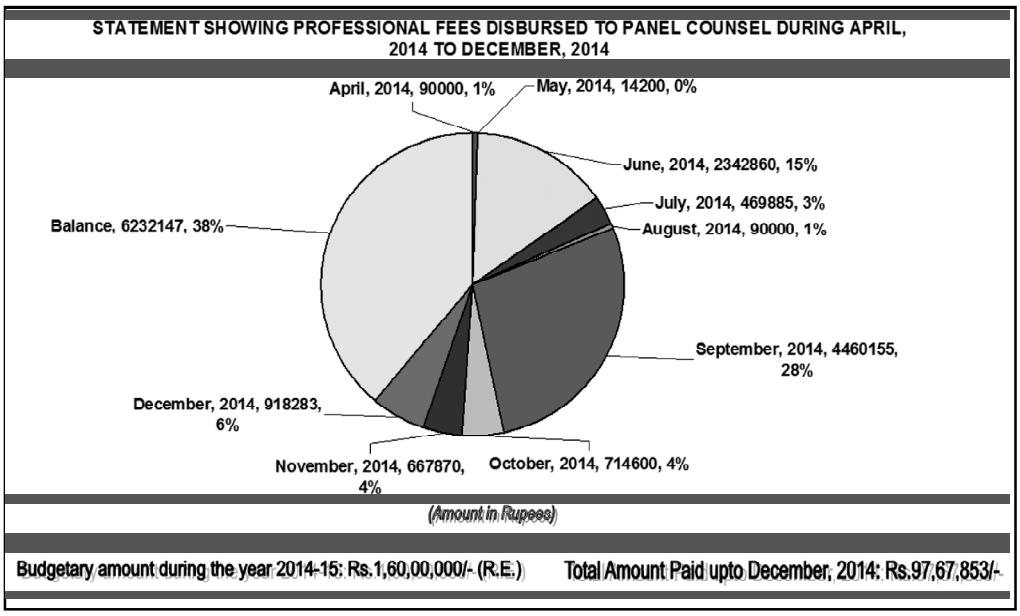

उपाबंध–IV

(अध्याय–2, पृ.सं. 42 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(05.02.2015 की स्थिति के अनुसार)

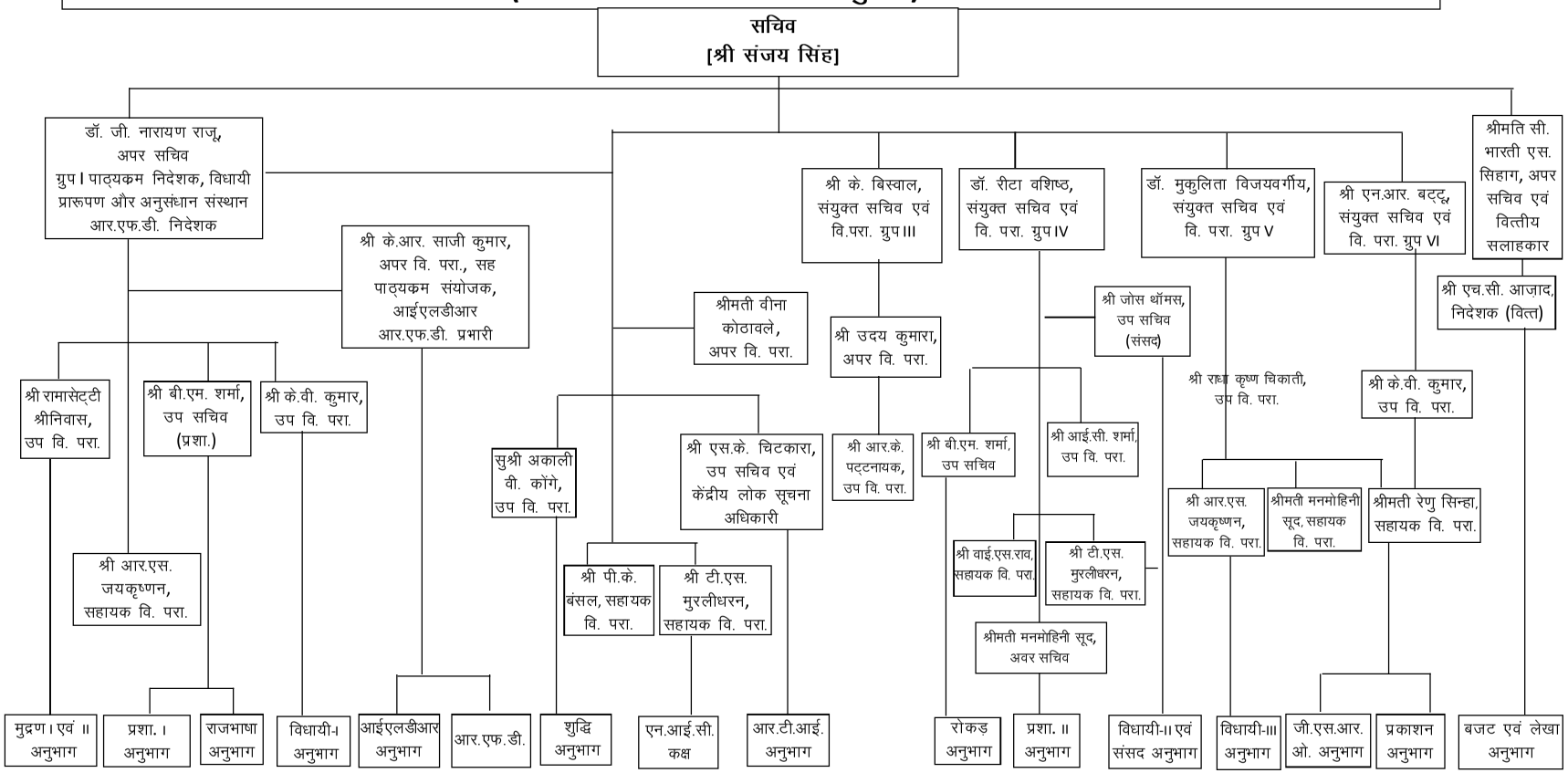

उपाबंध – V

(अध्याय–2, पृ.सं. 51 देखें)

फोटो रोल तथा ई पी आई सी की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, 2014

(अंतिम प्रकाशन के समय)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य निर्वाचकों की कुल संख्या, 2014	फोटो रोल में चित्रों की कुल संख्या	ईपीआईसी में फोटो का प्रतिशत	जारी किए गए ईपीआईसी की कुल संख्या	ईपीआईसी कवरेज का %
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	62385953	62385954	100.00	62385953	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	753170	748255	99.35	735196	97.61
3	असम	18722435	17779796	94.97	17779796	94.97
4	बिहार	62108447	62076681	99.95	56269336	90.60
5	छत्तीसगढ़	17521456	17415135	99.39	17128624	97.76
6	गोवा	1043277	1043277	100.00	1029257	98.66
7	गुजरात	39871564	39851979	99.95	39856873	99.96
8	हरियाणा	15594415	15594415	100.00	15594415	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	4674185	4674187	100.00	4674185	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	6933118	6371327	91.90	6207914	89.54
11	झारखंड	19948683	19862722	99.57	19850756	99.51
12	कर्नाटक	44643877	44182127	98.97	44309641	99.25
13	केरल	23780822	23792270	100.05	23780822	100.00
14	मध्य प्रदेश	47427185	47427191	100.00	47427191	100.00
15	महाराष्ट्र	78966642	71326222	90.32	72330169	91.60
16	मणिपुर	1739005	1739005	100.00	1732323	99.62
17	मेघालय	1553028	1553028	100.00	1553028	100.00
18	मिजोरम	696556	696556	100.00	696556	100.00
19	नागालैंड	1174663	1161404	98.87	1163269	99.03
20	उड़ीसा	28880850	27892935	96.58	28109504	97.33
21	पंजाब	19207092	19207092	100.00	19207092	100.00
22	राजस्थान	42553557	42401573	99.64	42411273	99.67

23	सिक्किम	362326	362326	100.00	362326	100.00
24	तमिलनाडु	53752570	53752570	100.00	53752570	100.00
25	त्रिपुरा	2379541	2379541	100.00	2379541	100.00
26	उत्तराखंड	6786394	6786394	100.00	6786394	100.00
27	उत्तर प्रदेश	134351302	134350725	100.00	134264549	99.94
28	पश्चिम बंगाल	62468988	62468988	100.00	62468988	100.00
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	257856	254093	98.54	233382	90.51
30	चंडीगढ़	580694	580486	99.96	580412	99.95
31	दमन और दीव	102251	102251	100.00	100198	97.99
32	दादर एवं नागर हवेली	188763	188763	100.00	188763	100.00
33	राष्ट्रीय राजधानी. क्षेत्र, दिल्ली	12060497	12060497	100.00	12060497	100.00
34	लक्षद्वीप	47972	47972	100.00	47972	100.00
35	पुद्दुचेरी	885402	885402	100.00	885402	100.00
	कुल	**814404536**	**803403139**	**98.65**	**798344167**	**98.03**

उपाबंध – VI
(अध्याय–2, पृ.सं. 64 देखें)

हिंदी शिक्षण योजना सहित, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का विवरण दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान

	1	2	3	4	5	6	7
	हिंदी में प्राप्त पत्र	उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया	जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या
विधायी विभाग	**4980**	**–**	**9185**	**5685**	**10243**	**9209**	**1034**

	8	9		10		11		12	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या		हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी वर्ग		रबर की मोहरें		नामपट्ट	
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषी	अंग्रेजी में	द्विभाषी	अंग्रेजी में
विधायी विभाग	**@ 205**	**85**	**208**	**64**	**208**	**147**	**शून्य**	**81**	**शून्य**

हिन्दी शिक्षण योजना

	1	2.	3	4	5.	6	7	8	9
	अधिकारियों तथा प्रचालन स्टाफ की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले/हिंदी में प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या	हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.श्रे.लि./टंककों की कुल संख्या	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी टंकण में अप्रशिक्षित कर्मचारी	आशुलिपिकों की कुल संख्या	हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी आशुलिपि में अप्रशिक्षित कर्मचारी
विधायी विभाग	**293**	**292**	**01**	**29**	**26**	**03**	**47**	**35**	**12**

@ सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप से कार्य किया जा सकता है ।

उपाबंध – VII

(अध्याय–2, पृ.सं. 72 देखें)

10 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	62	9	14.5	3	4.8	10	16.1	–	–	1	1.6
बी	100	18	18.0	2	2.0	7	7.0	–	–	2	2.0
सी	131	41	31.2	10	7.6	17	12.9	–	–	–	–
कुल	**293**	**68**	**23.2**	**15**	**5.1**	**34**	**11.6**	–	–	**3**	**1.0**

अनुलग्नक – VIII

(अध्याय–3, पृ.सं. 73 देखें)

न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट

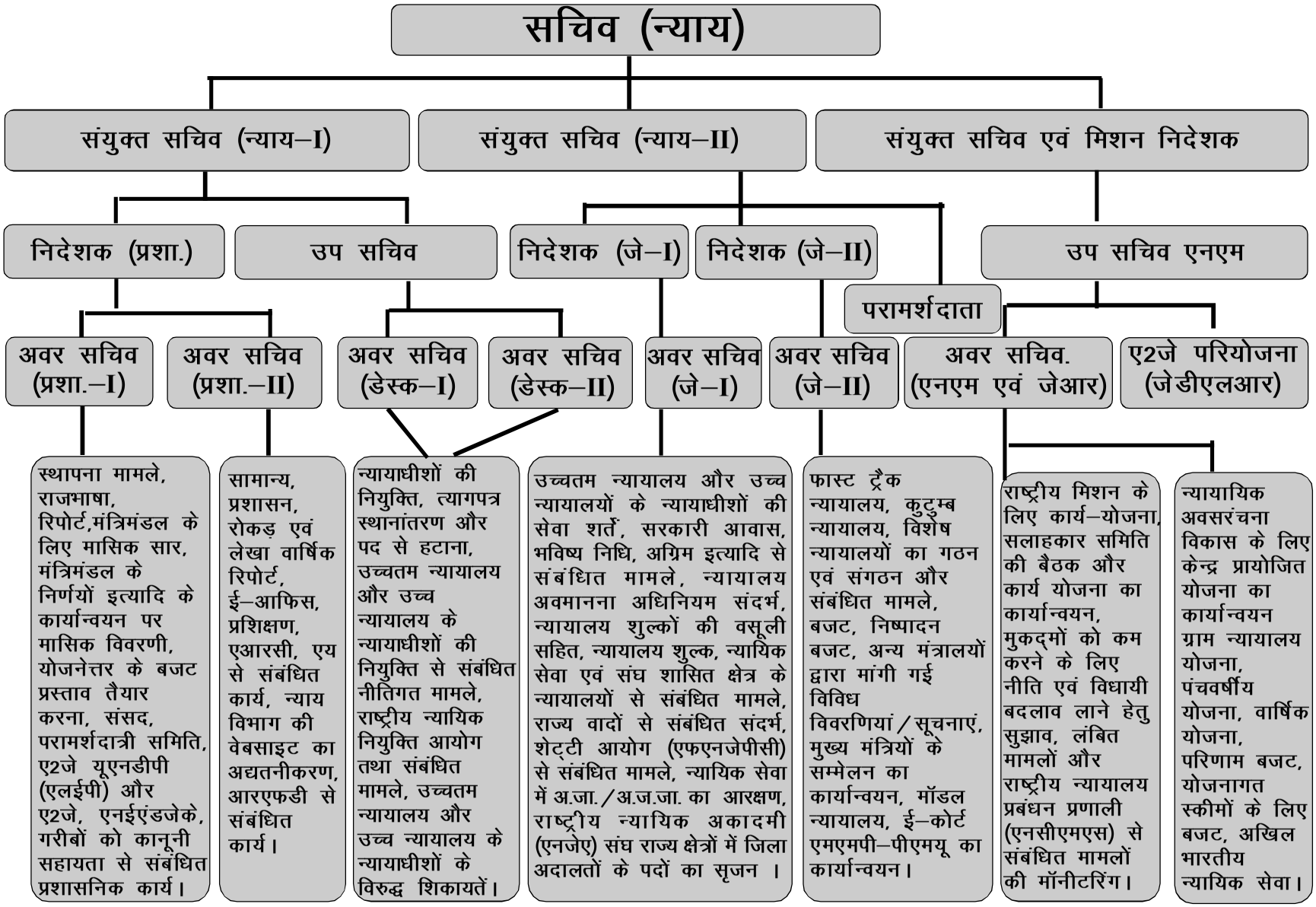

अनुलग्नक – IX
(अध्याय–3, पृ.सं. 76 देखें)

30/11/2014 की स्थिति के अनुसार

कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश तेलंगाना	27
2	अरुणाचल प्रदेश	–
3	असम	03
4	बिहार	33
5	छत्तीसगढ़	20
6	दिल्ली	15
7	गोवा	–
8	गुजरात	17
9	हरियाणा	06
10	हिमाचल प्रदेश	–
11	जम्मू एवं कश्मीर	–
12	झारखंड	21
13	कर्नाटक	24
14	केरल	28
15	मध्य प्रदेश	31
16	महाराष्ट्र	25
17	मणिपुर	04
18	मेघालय	–
19	मिजोरम	04
20	नागालैंड	02
21	ओडिशा	17
22	पंजाब	–
23	पुडुचेरी	01
24	राजस्थान	28
25	सिक्किम	02
26	तमिलनाडु	14
27	त्रिपुरा	03
28	उत्तर प्रदेश	75
29	उत्तराखंड	08
30	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	410

अनुलग्नक – X
(अध्याय–3, पृ.सं. 77 देखें)

13वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत राज्यवार, गतिविध–वार, जारी राशि और उपयोग (दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति)

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य	प्रातःकालीन/सायंकालीन अवकाश न्यायालयी		लोक अदालत/कानूनी सहायता		न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण		लोक अभियोजकों प्रशिक्षण		विरासत न्यायालय भवन		राज्य न्यायिक अकादमी		एडीआर केन्द्र/मध्यस्थों का प्रशिक्षण		न्यायालय प्रबंधक		कुल जारी	कुल उपयोग	उपयोग का %
		कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग	कुल जारी	कुल उपयोग			
1	आंध्र प्रदेश	43.55	46.24	6.97	5.11	4.36	2.00	2.61	4.13	10.46	8.88	4.50	0.08	9.38	7.26	3.75	3.19	85.58	76.89	89.85
2	अरुणाचल प्रदेश	10.63	0.00	1.28	0.00	1.06	0.00	0.64	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00
3	असम	9.06	1.10	1.09	0.00	2.73	4.79	0.54	0.11	1.63	0.00	3.00	0.74	5.71	0.00	2.28	1.40	26.04	8.14	31.25
4	बिहार	64.30	0.00	7.72	0.00	6.43	0.00	3.86	0.00	11.57	0.00	4.50	0.00	12.23	0.00	4.89	0.00	115.49	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	10.91	0.00	1.31	0.07	2.18	0.94	1.31	0.63	1.96	0.00	3.00	0.00	4.35	0.00	1.74	0.00	26.77	1.64	6.11
6	गोवा	1.54	0.00	0.18	0.18	0.15	0.03	0.09	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	0.54	0.52	0.22	0.00	3.00	0.77	25.50
7	गुजरात	161.17	123.80	5.80	3.08	9.67	5.15	3.87	2.10	8.70	0.00	4.50	0.00	14.13	6.97	4.24	0.42	212.08	141.52	66.73
8	हरियाणा	18.48	3.16	4.44	4.25	4.92	8.16	3.70	3.90	3.33	0.00	0.00	0.00	19.56	14.39	3.91	2.35	58.34	36.21	62.07
9	हिमाचल प्रदेश	7.90	1.19	2.36	1.92	1.60	1.40	1.20	0.96	1.42	0.40	15.00	12.42	11.97	9.90	2.40	1.65	43.85	29.84	68.04
10	जम्मू एवं कश्मीर	9.78	0.85	2.34	1.56	1.96	1.30	1.56	1.20	1.76	0.00	9.00	6.00	17.94	11.96	3.59	0.00	47.93	22.87	47.71
11	झारखंड	16.52	0.07	1.98	0.91	3.31	2.36	0.99	0.17	8.92	5.95	9.00	7.47	11.96	3.61	4.78	2.01	57.47	22.55	39.24
12	कर्नाटक	41.01	2.19	16.41	14.55	8.20	4.55	8.20	7.34	19.69	16.75	6.00	3.00	31.52	24.32	4.73	0.52	135.76	73.22	53.93
13	केरल	20.23	0.41	2.43	0.78	2.70	1.93	1.62	1.03	3.64	1.32	4.50	1.61	5.71	1.35	2.28	0.01	43.10	8.44	19.58
14	मध्य प्रदेश	61.47	0.00	7.38	0.96	12.29	8.72	6.15	3.49	11.06	0.00	6.00	2.80	26.63	19.01	7.99	0.26	138.98	35.25	25.36
15	महाराष्ट्र	89.27	18.95	10.71	5.87	23.83	15.49	5.36	0.91	21.42	14.12	6.00	4.89	39.96	24.34	7.99	0.90	204.54	85.47	41.79
16	मणिपुर	1.07	0.06	0.64	0.60	1.12	0.70	0.66	0.41	0.58	0.38	0.00	0.00	1.68	1.11	0.22	0.00	5.96	3.26	54.71
17	मेघालय	0.31	0.01	0.04	0.11	0.03	0.16	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.11	0.00	0.84	0.29	34.17
18	मिजोरम	1.88	0.00	0.30	0.22	0.50	0.38	0.30	0.20	0.34	0.00	0.00	0.00	1.63	1.29	0.33	0.04	5.28	2.13	40.44
19	नागालैंड	1.27	0.00	0.15	0.09	0.12	0.08	0.08	0.05	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	1.84	1.24	67.39
20	ओडिशा	33.31	17.23	3.00	1.63	6.65	5.63	2.00	1.53	5.99	3.00	15.00	21.00	16.30	11.40	6.52	3.94	88.77	65.36	73.63
21	पंजाब	16.28	3.43	3.90	2.49	5.41	5.89	1.95	1.35	9.75	8.32	4.50	1.51	11.41	9.79	3.04	1.46	56.24	34.24	60.89
22	राजस्थान	38.80	0.00	6.20	3.86	5.18	2.73	2.33	0.31	18.63	12.78	12.00	9.00	27.72	19.38	11.09	6.10	121.95	54.16	44.41
23	सिक्किम	0.41	0.00	0.10	0.06	0.04	0.00	0.07	0.05	0.07	0.00	6.00	2.70	1.62	2.60	0.22	0.00	8.53	5.41	63.42
24	तमिलनाडु	24.71	10.69	8.90	8.03	4.94	6.34	2.96	6.03	4.45	0.00	12.00	16.72	24.45	25.76	3.26	2.12	85.67	75.69	88.35
25	त्रिपुरा	3.76	0.22	0.60	0.45	0.51	0.42	0.46	0.31	1.35	0.68	0.00	0.00	2.46	2.23	0.49	0.00	9.63	4.31	44.76
26	उत्तर प्रदेश	102.25	2.56	12.27	2.41	20.45	14.33	12.27	8.21	30.68	18.92	9.00	9.00	38.04	21.36	11.41	4.30	236.37	81.10	34.31
27	उत्तराखंड	12.84	0.35	1.54	1.05	4.28	3.71	0.77	0.05	4.62	3.08	15.00	12.00	7.06	3.75	2.12	0.00	48.24	23.99	49.73
28	पश्चिम बंगाल	32.83	0.00	3.94	1.64	3.28	1.44	1.97	0.80	5.91	2.91	4.50	0.93	7.75	6.84	3.10	0.00	63.28	14.56	23.02
	कुल	835.55	232.51	113.97	61.89	137.91	98.62	67.54	45.31	190.41	97.49	153.00	111.87	351.98	230.18	96.69	30.68	1947.05	908.55	46.66
उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिशतता			27.83		54.30		71.51		67.08		51.20		73.12		65.40		31.73		46.66	

टी आर = कुल जारी राशि टीयू = कुल उपयोग

अनुलग्नक–XI

(अध्याय–3, पृ.सं. 77 देखें)

31.12.2014 तक की स्थिति

13वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत पूर्ण की गई वास्तविक कार्यकलाप

		राज्य / गतिधियां	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं	झारखंड	कर्नाटक
1	(i)	प्रातःकाल / सांयकाल / अवकाश न्यायालयों की संख्या	592	0	270	38	0	0	252	154	2	31	0	0
	(ii)	निपटान किए गए मामलों की संख्या	31436	0	181016	845	0	0	375330	487536	0	0	0	0
2	(i)	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	5394	0	0	5537	0	50	355	47162	1046	846	67	84620
	(ii)	लोक अदालतों में निपटान किए गए मामलों की संख्या	411972	0	0	217461	0	1448	515570	460295	56308	66726	51063	622326
3		प्रदान की गई कानूनी सहायता (लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या)	16145	0	0	33112	0	1046	17652	48641	3867	1454	16	9691
4	(i)	आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर (शिविरों की संख्या)	12826	0	0	37	0	256	10415	8283	682	388	0	25376
	(ii)	लाभार्थियों की संख्या	665616	0	0	0	0	14582	546459	1605594	59897	786	0	4898413
5		न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण (प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या)	7424	0	297	0	512	0	0	2397	1069	243	454	4049
6		लोक अभियोजकों प्रशिक्षण (संख्या)	1305	0	441	0	555	0	916	848	94	200	183	1200
7	(i)	एडीआर केन्द्र (संख्या)	24	0	0	0	0	8	8	13	0	24	7	28
	(ii)	एडीआर केन्द्रों में निपटाए गए मामले	3632	0	0	0	178	525	1998	508251	0	0	0	177745
	(iii)	मध्यस्थों का प्रशिक्षण (संख्या)	120	0	0	0	0	54	585	283	0	217	226	1837
8		नियुक्त अदालत प्रबंधकों की संख्या	27	0	23	32	12	0	14	88	0	0	24	21
9		विरासत अदालत भवन	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10		राज्य न्यायिक अकादमी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

13वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत पूर्ण की गई वास्तविक कार्यकलाप

केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागा–लैंड	ओडिशा	पंजाब	राज–स्थान	सिक्किम	तमिल–नाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरा–खंड	पश्चिम बंगाल	कुल
5	0	394	0	0	0	0	249	148	0	0	59	177	340	25	0	2736
40033	0	1255607	0	0	0	0	894	816695		0	23319	143116	30868	3748	0	3390443
5093	1	7761	6	0	116	129	558	1631	7910	139	17155	395	4177	200	1679	192027
36306	1416469	1597642	610	0	580	594	211009	283696	104344	735	1365203	51035	791035	153538	31746	8447711
13404	9692	30354	9	0	2933	2126	2963	24498	8252	485	1813719	2962	1158	1638	6567	2052384
1372	4399	5868	14	0	316	68	1241	2878	4630	55	14169	1750	1626	295	410	97354
183741	757750	788102	1220	0	32549	6346	0	553624	333108	4289	75983	238060	0	161999	0	10928118
1037	1662	4421	33	0	104	33	3451	1862	1554	0	4458	98	1807	1123	129	38217
465	0	1673	45	0	101	16	991	0	654	20	507	380	480	183	205	11462
0	13	0	0	0	1	6	0	0	35	4	30	0	71	1	0	273
5302	0	64303	5	0	166	310	0	1341	458530	762	2136	20493	7915	0	0	1253592
608	546	1521	0	0	0	52	0	160	1431	13	3589	0	185	107	0	11534
0	12	23	0	0	0	0	32	46	38	0	70	0	69	0	0	531
0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	2	49	4	0	90
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Yes	3	0	4

अनुलग्नक–XII

(अध्याय–3, पृ.सं. 83 देखें)

सीएसएस स्कीम के तहत न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु जारी किए गए अनुदान का विवरण

(दिनांक 31.12.2014 की स्थिति)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	1993–94 2010–11 तक के लिए जारी	2011–12 में जारी	2012–13 में जारी	2013–14	2014–15 में जारी	(1993–94 से 2014-15) तक कुल जारी 31.12.15 तक
1	आंध्र प्रदेश	7683.45	1888.00	6393.00	0.00		15964.45
2	बिहार	4036.37	0.00	1524.00	0.00	4909.35	10469.72
3	छत्तीसगढ़	2907.47	2097.00	0.00	0.00	2176.60	7181.07
4	गोवा	627.93	172.00	0.00	0.00		799.93
5	गुजरात	5371.42	0.00	9893.00	10000.00	10000.00	35264.42
6	हरियाणा	3516.42	2138.00	0.00	3632.00		9286.42
7	हिमाचल प्रदेश	1507	0.00	0.00	806.00		2313.00
8	जम्मू एवं कश्मीर	1687.6	1035.00	2572.00	3428.00		8722.60
9	झारखंड*	1906.52	0.00	1500.00	1693.00	3044.00	8143.52
10	कर्नाटक	6536.85	2961.00	7610.00	10384.00	16370.00	43861.85
11	केरल	3419.3	1169.00	1499.00	0.00		6087.30
12	मध्य प्रदेश	6382.04	4403.00	2046.00	6141.00	6141.00	25113.04
13	महाराष्ट्र	11131.62	12915.00	5920.24	10000.00	9975.00	49941.86
14	ओडिशा	5074.27	2416.00	1534.00	0.00		9024.27
15	पंजाब	2677.92	0.00	7902.00	12000.00	9805.00	32384.92
16	राजस्थान	4188.51	1172.00	1042.00	0.00		6402.51
17	तमिलनाडु	5835.46	0.00	1953.00	7343.00		15131.46
18	उत्तराखंड	1635.35	0.00	829.76	2043.00		4508.11
19	उत्तर प्रदेश	17542.57	15659.00	9398.00	12530.00	12531.00	67660.57
20	पश्चिम बंगाल	6435.46	2518.00	0.00	0.00	2000.00	10953.46
	कुल (क)	**100103.53**	**50543.00**	**61616.00**	**80000.00**	**76951.95**	369214.48

	पूर्वोत्तर राज्य						
1	अरुणाचल प्रदेश	441.44	972.00	750.00	0.00	1000.00	3163.44
2	असम	5926.4	2890.00	2954.90	0.00		11771.30
3	मणिपुर	641.71	0.00	0.00	1500.00	2000.00	4141.71
4	मेघालय	297	0.00	0.00	1474.00		1771.00
5	मिजोरम	1099.95	0.00	704.78	812.56	1085.00	3702.29
6	नागालैंड	3860.64	169.00	750.00	0.00		4779.64
7	सिक्किम	1278.05	0.00	549.50	2802.84		4630.39
8	त्रिपुरा	1097.25	0.00	1495.60	2910.60	1550.00	7053.45
	कुल (ख)	**14642.44**	**4031.00**	**7204.78**	**9500.00**	**5635.00**	41013.22
	संघ राज्य क्षेत्र						
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	395.55	500.00	0.00	0.00		895.55
2	चंडीगढ़	3400.95	500.00	0.00	0.00		3900.95
3	दादरा एवं नगर हवेली	206.25	500.00	0.00	0.00		706.25
4	दमन एवं दीव	190	0.00	0.00	0.00		190.00
5	दिल्ली	3647.08	2250.00	2000.00	0.00		7897.08
6	लक्षदीप	51.25	0.00	0.00	0.00		51.25
7	पुडुचेरी	1898.88	1250.00	0.00	0.00		3148.88
	कुल (ग)	**9789.96**	**5000.00**	**2000.00**	**0.00**		16789.96
	कुल योग (क+ख+ग)	**124535.93**	**59574.00**	**70820.78**	**89500.00**	**82586.95**	**427017.66**

अनुलग्नक – XIII
(अध्याय–3, पृ.सं. 89 देखें)

03 अक्तूबर, 2014 से 31 अक्तूबर, 2014 की अवधि के लिए कार्य–योजना

i) सभी अनुभाग अधिकारियों से यह कहा गया है कि वे ये सुनिश्चित कर लें की अनुभाग/कमरे अच्छी तरह से साफ किए जाते हैं–अर्थात सफाई, पोछा, धूल झाड़ने, जाले हटाने का कार्य प्रतिदिन किया जाता है।

ii) सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन तीन बार शौचालय/प्रसाधन साफ करने का निर्देश दिया गया है।

iii) अनुभाग/कमरे के प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चालू फाइलों की धूल साफ की जाए तथा उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा जाए। इसके अतिरिक्त, उन्हें लगातार पुरानी फाइलों और रिकॉर्डों की छटनी करने का निर्देश दिया गया है।

iv) जैसलमेर हाउस के चारों ओर की घास और झाड़ियों की कटाई/छंटाई शुरू की गई है और इसे जारी रखा जाएगा।

v) गलियारों/आम जगहों पर अतिरिक्त फूलदान रखे गए हैं।

vi) गलियारों/सीढ़ियों पर जहां मरम्मत का कार्य चल रहा है उस पर 31 अक्तूबर से पहले डिस्टैम्पर हो जाएगा।

vii) खिड़की के शीशों को साफ करने का कार्य चलता रहेगा और गन्दे/टूटे शीशे बदले जाएंगे।

viii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (इलेक्ट्रिकल्स) और गृह मंत्रालय से कबाड़/बेकार सामान को हटाने का अनुरोध किया जा रहा है।

ix) कैंटीन परिसर को नियमित रूप से साफ किया जाएगा।

01 नवम्बर, 21014 से 31 अक्तूबर, 2015 के लिए वार्षिक योजना

जैसलमेर हाउस एक पुराना भवन है जिसका निर्माण वर्ष 1937–38 में किया गया था। इसके पुराने गौरव की बहाली के लिए रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा बड़े बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। सचिव (शहरी विकास) एवं मुख्य अभियंता (सीपीडब्ल्यूडी) से भवन को इसकी मौलिक भव्यता में लाने के लिए वास्तुगत और रख–रखाव सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार हैः–

क. सभी शौचालयों की मरम्मत और नवीकरण।

ख. जल–रिसाव/सीलन की समस्या को दूर करने के लिए सभी जीआई और सीआई पाइपों की मरम्मत करना एवं उन्हें बदलना।

ग. सभी दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत।

घ. चैनलिंग तथा मरममत।

ङ. रोशनी में सुधार, पारंपरिक लाईट्स के स्थान पर एलईडी लाईट्स लगाना। .

च. अनियोजित/अतिरिक्त निर्माण को हटाना जिससे भवन की भव्यता खराब हो रही है।

छ. समुचित पार्किंग जगह का निर्माण।

ज. कर्मचारी प्रतिवर्ष 100 घंटे अपनी साफ–सफाई के लिए समर्पित करेंगे अर्थात कार्यालय परिसर में इसके बाहर हर हफ्ते स्वैच्छिक तौर पर शारीरिक श्रम दान करेंगे।

01 नवम्बर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2019 की अवधि के लिए योजना

i) स्वच्छ भारत अभियान के तहत 25 सितम्बर, 2014 से शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों को जारी रखते हुए 2019 तक जारी रखा जाएगा।

ii) सभी कर्मचारियों को सफाई के लिए हफ्ते में दो घंटे अर्थात प्रतिवर्ष 100 घंटे स्वैच्छिक श्रमदान के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई।

iii) सभी अनुभाग अधिकारी वर्ष 2019 तक गहन रूप से सफाई अर्थात दैनिक तौर पर सफाई करना, पोछा लगाना, धूल झाड़ने तथा जाले हटाने के कार्य को सुनिश्चित करते रहेंगे।

iv) सफाई स्टॉफ शौचालयों/प्रसाधनों को नियमित रूप से दिन में तीन बार साफ करने का कार्य करता रहेगा।

v) अनुभाग/कमरों के सभी प्रभारी अधिकारी वार्षिक तौर पर रिकॉर्डों की छटनी का कार्य सुनिश्चित करेंगे और समुचित रूप से धूल साफ करने के पश्चात केवल चालू फाइलें ही रखेंगे तथा कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध करेंगे।

vi) जैसलमेर हाउस के चारों ओर लगी घास तथा झाड़ियों की कटाई/छंटाई का कार्य चलता रहेगा तथा बागवानी विभाग की सहायता से अतिरिक्त फूलों की क्यारियां, लॉनों और अतिरिक्त पौधें की रोपाई करने का प्रयास किया जाएगा।

vii) शहरी विकास मंत्रालय की वास्तुगत सहायता से आवश्यक सिविल इलेक्ट्रिकल एवं बागवानी संबंधी कार्यों को प्रारम्भ करके जैसलमेर हाउस की भव्यता एवं गरिमा को वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे।

उपाबंध–XIV

(अध्याय–4, पृ.सं. 93 देखें)

वर्ष 2014 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग (प्रशा.–IV (वि.का.) अनुभाग)
अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदो की कुल संख्या	रिक्त पदो की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्याथियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यापगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष के अंत तक व्यपगत हुए आरक्षणें की संख्या	व्यपगत हुए आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
	अधि सूचति	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न–समूह ''क'' तथा समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	17@	–	8 (अ.जा.–3) (अ.पि.व.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह ख'	06	01	01*	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	21	–	03*	–		–	–	–	–	–	–
समूह 'घ; (सफाई कर्मचारी को छोड कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

@दिनांक 13–19 सितंबर, 2014 के रोज़गार समाचार (एम्प्लायमेंट न्यूज) में प्रकाशित

कर्मचारी चयन आयोग को रिपोर्ट किए गए

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए गए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्याथियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुचूतिचत जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाध ीन वर्ष के पूर्व वर्ष के अंत तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत हुए आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 19+20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न–समूह ''क'' तथा समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	01	–	01	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	02	–	.	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

डी आर–केवल सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 'घ', कनिष्ठ अनुवादक।

रिक्तियों का आकलन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

उपाबंध–XV

(अध्याय–4, पृ.सं. 93 देखें)

भाग–II–प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह ''क'' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न (i) समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	–	05	–	–	01	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	14	–	–	02	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	22	22	03	03	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी) को छोड़ करा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'ग'	02	–	–	–	–	–	–	–	–
'घ'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

भाग–III–प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह ''क'' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न (i) समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी) को छोड़ करा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	–	–	02	–	–	–	–	–	–
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'ग'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'घ'	–	–	–	–	–	–	–	–	–
'घ' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की रिक्तियों का आकलन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है।

सीएससीएस–शून्य रिक्तियां रिपोर्ट की गई।

उपाबंध – XVI
(अध्याय–4, पृ.सं. 93 देखें)

1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिषत
श्रेणी 'ए'	62	14	22.5
श्रेणी 'बी'	100	43	43.0
श्रेणी 'सी'	131	22	16.7
कुल	**293**	**79**	**26.9**

विधि कार्य विभाग

समूह	विधि कार्य विभाग		आयकर अपीलीय अधिकरण	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह 'क'	96	16	97	06
समूह 'ख'	248	99	171	25
सगूह 'ग'	133	15	207	79
समूह 'घ'	209	13	209	11
कुल	**686**	**143**	**684**	**121**

न्याय विभाग

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या
कुल	47	3

उपाबंध – XVII

(अध्याय–4, पृ.सं. 96 देखें)

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2014 के अनुसार प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है ।
विधि कार्य विभाग	513	501	12
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	टंकक में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है ।
	81	53	28
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है ।
	104	68	36

दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

	1	2	3	4	5	6
	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	8589	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया ।	6256	32886	22519	10367

	7	8	9	10	11	12
	तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या
विधि कार्य विभाग	--	--	--	8068	-	-

	13	14	15	16		17		18		19	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/द्वि भाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम - पट्टिकाएं	
				राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषिक	अंग्रेजी में	द्विभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	300	300*	---	148	365	140	361	सभी	--	सभी	--

*सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है ।

Contents

S.No.	Chapter No.	Subject	Page No.
1.		Introduction and composition of the Ministry of Law and Justice	(ii-)(iii)
2.	Chapter-I	Department of Legal Affairs	1
3.	Chapter-II	Legislative Department	36
4.	Chapter-III	Department of Justice	68
5.	Chapter-IV	General	84
6.	Annexure-I	Organisation Chart of Department of Legal Affairs	90
7.	Annexure-II	Comparative analysis of advice tendered by the Branch Secretariat, Kolkata	91
8.	Annexure-III	Amount disbursed towards Professional Fee to Advocate by the Branch Secretariat Kolkata	92
9.	Annexure-IV	Organisation Chart of Legislative Department	93
10.	Annexure-V	Status of Photo Roll & EPIC 2014	94
11.	Annexure-VI	Progressive Use of Hindi in Legislative Department	95
12.	Annexure-VII	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/ Physically Handicapped in Legislative Department	96
13.	Annexure-VIII	Organisation Chart of Department of Justice	97
14.	Annexure-IX	Number of Family Courts functional in various States	98-99
15.	Annexure-X	State-wise physical activity completed under 13th finance commission award	100
16.	Annexure-XI	State-wise, activity-wise release and utilization under 13th Finance Commission Award till 31 December 2014	101-102
17.	Annexure-XII	Statement of Grants Released under CSS Scheme for Infrastructural Facilities for Judiciary (As on 31.12.2014)	103-104
18.	Annexure-XIII	Action plan for the period 3rd October 2014 to 31st October 2014	105-106
19.	Annexure-XIV and XV	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Department of Legal Affairs	107-109
20.	Annexure-XVI	Representation of Female Employees in Ministry of Law and Justice	110
21.	Annexure-XVII	Details of the progressive use of Hindi in the Department of Legal Affairs	111-112

INTRODUCTION

Ministry of Law and Justice is the oldest limb of the Government of India dating back to 1833 when the Charter Act 1833 enacted by the British Parliament. The said Act vested for the first time legislative power in a single authority, namely the Governor General of Council. By virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act 1861 the Governor General in Council enacted laws for the country from 1834 to 1920. After the commencement of the Government of India Act 1919 the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted there under. The Government of India Act 1919 was followed by the Government of India Act 1935. With the passing of the Indian Independence Act 1947 India became a Dominion and the Dominion Legislature made laws from 1947 to 1949 under the provisions of section 100 of the Government of India Act 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order 1947. Under the Constitution of India which came into force on the 26th January 1950 the legislative power is vested in Parliament.

COMPOSITION OF THE MINISTRY

Ministry of Law and Justice comprises of the Legislative Department and the Department of Legal Affairs. The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various Ministries of the Central Government while the Legislative Department is concerned with drafting of principal legislation for the Central Government.

MISSION

To transform Government into an efficient and responsible litigant;

To bring reforms in the Indian Legal System to achieve expansion, inclusion and excellence in Legal Education, the Legal Profession and legal services, including the Indian Legal Service;

To develop a system towards creating legal professionals so that they can meet future challenges not only for India but also of the world both in litigation and non-litigation field and to focus on their social responsibility and strong professional ethics. Having realised the aspirations of the Twelfth Five Year Plan, constraints such as enormous litigation (3.3 cr.), consequent burden on the public exchequer or on resources including man power and need to confer wide discretionary powers on government authorities, our mission is aimed to have proper legal framework to channelize administrative power, conflict management, help in enforcing rule of law & achieving the objectives set by various wings of government.

OBJECTIVES

- To facilitate the functioning of Ministries and Departments for good governance by providing legal advice/ opinion relating to matters referred to by them as well as examination of legislative proposals.
- To reform the Indian Legal service to make it efficient, responsive and globally competitive.
- To develop a comprehensive e-governance solution for Central Agency Section and IT enabled transformation of the Department of Legal Affairs.
- To reduce litigation and encourage settlement of disputes by Alternative Dispute Resolution (ADR) Methods
- To promote excellence in the Legal Profession and to develop a frame work to usher a new era in the field of legal education
- To bring Legal reforms
- To effectively administer the acts under the purview of this Department viz., the Advocates Act, 1961, the Notaries Act, 1952, the Legal Services Authorities Act, 1987 and the Advocates Welfare Fund Act, 2001

CHAPTER-I
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. FUNCTIONS AND ORGANISATION

1.1 The Department has been allocated the following items as per the Government of India {Allocation of Business} Rules, 1961:-

1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India.

5. Authorization of officers to execute contracts and assurances of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

6. Indian Legal Service.

7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

8. Law Commission.

9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.

10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)

12. Income-tax Appellate Tribunal.

13. Appellate Tribunal for Foreign Exchange

14. Legal aid to the Poor.

The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

(i) The Advocates Act, 1961

(ii) The Notaries Act, 1952

(iii) The Legal Services Authorities Act, 1987;

(iv) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

(v) The National Tax Tribunal Act, 2005

1.2 The Department is also administratively in-charge of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, the Income Tax Appellate Tribunal, National Tax Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and with a view to promoting Alternative Disputes Resolution Mechanism, improvement in legal profession, this Department sanctions grant in aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute, International Centre for Alternative Dispute Resolution, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies and Bar Council of India.

2. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two arears- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at **Annexure-I**.

MAIN SECRETARIAT –

(i) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.

(ii) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an Additional Secretary.

(iii) The litigation work in the High Court of Delhi on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by an Deputy Legal Adviser.

(iv) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.

(v) The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961. It also deals with the legal profession. This Cell is also concerned with the National Tax Tribunal Act, 2005 and it has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.

(vi) There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Further, there is one sanctioned post of Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Public Enterprises and the incumbent functions as an Arbitrator under the scheme of Permanent Machinery of Arbitration in that Department. One Deputy Legal Adviser functions as an Arbitrator in the Arbitration cases in the DGS&D. Further, one Deputy Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of different levels such as Additional Legal Adviser, Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development and DGS&D.

CREATION OF ILS

With the development of the society the legal profession underwent a metamorphosis and several attempts have been made for proper dispensation of justice and to cater the legal needs of the society. One such attempt made in 1956 to cater the needs of the Government qualitatively is creation of Central Legal Service (the forerunner of the present Indian Legal Service). The Government of India in the Ministry of Law and Justice established Indian Legal Service under the Indian Legal Service Rules, 1957, which came into force on the 1st October 1957. Since inception the officers of the Indian Legal Service have been rendering dedicated service to the nation by giving legal advice in important matters to various Ministries/Departments of the Government of India and drafting bills and ordinances which are introduced in Parliament. This service has given Governors to states, Secretary General to Parliament, Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Judges to High Courts and Judicial Officers to various Tribunals like CAT, ITAT, DRT etc.

ROLE OF ILS

The officers of the Indian Legal Service (ILS) never found lacking and being the principal legal organ of the Government of India rose to the challenges and acquitted well. The digital revolution has ushered in information economy has powered up new areas of wealth creation. This necessitates them to examine the legal structure, which will serve the information economy. They being the Principal legal advisers to the Government have responded effectively and speedily to the demands made upon them by the various organs of the Government and playing a pivotal role in both advisory as well as in drafting work. They play a role in shaping the very stones that will maintain the constitutional foundations, extend structures, and stand against weather adversity. They all are bricklayers of the Constitutional Cathedral.

2.1 ADVICE 'A' SECTION

a) During the period from 1.1.2014 to 31.12.2014, a total number of **6131** references were received from various Ministries/Departments of the Government of India for vetting of documents and **legal opinion/advice** on various issues (including references for advice received

from the office of the Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended and the opinion tendered by the Officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/Departments, for needful action. In addition, the officers of this Department also participated in various International Meetings and Conferences. Total meetings attended by the officers of the department in other Ministries are 218.

b) Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Ministers and the Officers.

c) The Section has handled **95** Applications received under the **RTI Act, 2005** pertaining to the advice A & B Sections in relation to the advices tendered by the officers of this Department.

d) **329** references relating to **conveyancing** including a number of **International Agreements** were also dealt with.

e) During the aforesaid period **95 Cabinet Notes** and **129 references** relating to **State Bills** and **Ordinances** were received for examination from legal and constitutional angles.

2.2 ADVICE 'B' SECTION

a) During the period from January 2014 to December 2014, a total number of **3853** references from various Ministries/Departments of the Government of India were received for vetting of documents and legal opinion/advice on various issues (including references for advice received from the office of the Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries), which were duly attended and the opinion tendered by the Officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/Departments, for needful action.

b) In addition, the officers of this Department also participated in various International Meetings and Conferences.

c) Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Minister and the Officers.

d) 156 references relating to Parliament Questions and Assurances pertaining to the advice A & B Sections were also dealt with.

e) During the aforesaid period, 127 Cabinet Notes, 774 SLP/AG/SG/ASG were received for examination from legal and constitutional aspects.

2.3 ADVICE 'C' SECTION

a) During the period under report, 19 new cases on different subjects were sent for the opinion of the Learned Attorney General for India, Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. Opinions on all matters were received and have been forwarded to the respective Ministries/Departments of the Govt. of India after the approval of the Law Secretary and Hon'ble MLJ.

b) The Section has rendered general and secretarial assistance to the Officers in the Department of Legal Affairs and Legislative Department of the Ministry of Law and Justice including location of precedents on 600 different subjects.

c) The record of 5368 files pertaining to period 1970 to 1990 has been weeded out from June, 2014 to December, 2014, in compliance of the directives of the Prime Minister's Office and the orders issued by this department.

2.4 CENTRAL AGENCY SECTION

Central Agency Section (CAS) was setup in the year 1950. This office is responsible for conducting litigation before Hon'ble Supreme Court of India on behalf of all Ministries/ Departments of the Central Government and also on behalf of NCT of Delhi, Union Territories, the office of the Comptroller & Auditor General of India and all field offices under CAG i.e. Accountant General offices. All Special Leave Petitions on behalf of Union of India are filed after obtaining opinion of Law Officers on the feasibility of filing Special Leave Petitions/ Civil Appeals in the Supreme Court through Central Agency Section. This office is presently looked after by an Additional Secretary; who has been declared as in-charge of this office and has been delegated the power of Head of Department. She is assisted by 7 Government Advocates, 10 Gazetted, 49 Non Gazetted and 21 Group D staff. There are 496 Govt. Panel Counsels. The Central Agency Section functions from the Supreme Court Compound, New Delhi. The total budget allocation for the financial year 2013-2014 is Rs.21.50 Crores .

2. The activities of the Central Agency Section pertain to :

- References of the Ministries/ Departments of Government of India received through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to obtain the opinion of Ld. Attorney General, Ld. Solicitor General and Ld. Additional Solicitor Generals.
- Engagement of Law Officers/ approved Panel Counsels for various cases.
- Conduct and supervision of litigation on behalf of Union of India/ NCT of Delhi. C&AG and Union Territories in the Supreme Court of India.
- Supervision of records, R&I section, Fee Bill Unit, Personal Deposit Unit, Computer Cell and Administration Division which includes Cash section also.

3. Government Advocates in the Central Agency Section are Advocates–on-Record of the Supreme Court. They appear before the Supreme Court in matters pertaining to the Union of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories as per the Supreme Court Rules.

4. As per computerized record of Central Agency Section during the year 2014, the Central Agency Section has received 5166 new cases from various Departments of Government of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories in which the Union of India or Union Territories are either petitioner or respondent.

2.5 LITIGATION IN DELHI (HIGH COURT)

The Litigation (HC) Section handles the Litigation work in Delhi High Court on behalf of all the Ministries/Departments of Govt. of India except for Railways and Income Tax Departments. Officer-in-Charge is assisted by Superintendent (L) and other staff. The Section looks after the litigation work as follows: -

(a) The cases dealt with and contested in Delhi High Court are generally related to: -

Civil and Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India, Civil Misc. Applications, Division Bench Appeals, Company Applications, Execution Applications and Criminal Misc.

(b) And the cases dealt with and contested in Courts other than Delhi High Court relating to:

BIFR, AAIFR, National Consumer Dispute Redressal Commission, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Company Law Board, Un-lawful activities (Prevention) Tribunal, Debt Recovery Tribunal, Debt Recovery Appellate Tribunal, Immigration Appellate Committee, Appellate Tribunal for Electricity, TDSAT, Central Information Commission, District Consumer Form.

2. The Litigation work is dealt with by two Sections- Litigation (HC) Section 'A' and 'B' being supervised by Superintendent (L). Section 'A' deals with the advance notices pertaining to the Writ Petitions, Letters Patent Appeals (LPA), and Miscellaneous Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India including matters of general nature. Section 'B' deals with the Original Revisions etc. and the Writ Petitions filed on behalf of the Union of India before the Hon'ble Delhi High Court. This Section also deals with the matters relating to other Courts/Tribunals as mentioned in para 1(b) above.

3. To conduct Central Government litigation, there is one Additional Solicitor General of India (ASG), nine Central Govt. Standing Counsels (CGSC), panels of Senior Counsel and Govt. Pleaders (GP). In matters of public importance and also involving complicated questions of Law, one of the Law Officers namely- Attorney General of India / Solicitor General of India / Additional Solicitor General of India is engaged. Close liaison is being maintained with the concerned Ministries/Departments and Counsels to safeguard the Government interests in Delhi High Court. The Officer-in-charge and other officers keep a close watch over the progress of the cases at each stage.

4. This Unit was allocated budget of Rs.6 crore in the B.E. for F.Y. 2014-15. During the period under the report, approximately 7000 professional fee bills pertaining to the Law Officers and Govt. Counsel have been received for payment. Further, 2000 fee bills are likely to be received till 31st March 2015. As on close of December, 2014 approximately 6500 fee bills to the tune of Rs.4.02 crore have been duly processed and paid to the concerned Law Officers and Counsel.

5. During the period from 1.4.2014 to 31.12.2014, Litigation (HC) Section has engaged Law Officers and Government Counsel in 3772 cases to conduct the litigation in Delhi High Court. Section wise details of receipt of cases and engagement of Govt. Counsel are as follows:

LITIGATION HIGH COURT SECTIONS

SECTION	Cases received from 1/4/2014- 31/12/2014	Cases expected from 01/01/2015 to 31/3/2015	Total
A	3336	450	3786
B	436	130	566
Total	**3772**	**580**	**4352**

LITIGATION IN CAT (PRINCIPAL BRANCH), DELHI

6. The Litigation CAT (PB) Cell looks after the Cases/Litigation work relating to the Central Administrative Tribunal (CAT), Delhi and nominates the Counsels from the approved panel to defend the interest of Ministries/Departments of UOI in CAT, Delhi.

7. During the period from 1.4.2014 to 31.12.2014, Litigation CAT (PB) Cell has engaged Govt. Counsels in 835 cases to conduct the litigation in CAT (PB). Details of receipt of cases are as follows: -

LITIGATION IN CAT (PB) DELHI

SECTION	Cases received from 1/4/2014- 31/12/2014	Cases expected from 01/01/2015 to 31/3/2015	Total
CAT (PB) Cell	835	200	1035

LITIGATION (LOWER COURT) SECTION, TIS HAZARI

(i) The Litigation work in District Courts/Consumer Forums/Tribunals in Delhi / New Delhi on behalf of all Ministries / Departments of Government of India except Railways and Income-tax Department is handled by Litigation (Lower Court) Section. The litigation work, in the above said Courts / Tribunals are looked after by an Deputy Legal Adviser & In-charge assisted by a Superintendent (Legal) / Assistant (Legal).

(ii) There is a panel of Additional Standing Government Counsels from where the counsels are nominated for contesting the cases. On receipt of request from the Ministry / Department, action is taken to engage a suitable counsel to appear on their behalf in the Courts. During the period under report this Section engaged Counsels in 472 cases. Close liaison is maintained with various Departments / Counsels at all times to safeguard the interest of the Government in the District Courts / Consumer Forums / Tribunals. Total number of cases pending in the District Court/Tribunal/Consumer Forum is 7847 as 31.12.2014.

(iii) Fee bills received from the counsel are scrutinized with regard to the terms and conditions of their appointment before certifying and making payments at the prescribed rates. During the period under report 365 fee bills were received and an amount of Rs.2249470/- was paid towards Professional Fee bills of Counsels.

(iv) In order to keep pace with the development of Information Technology in the Judiciary especially at the level of District Courts / Sub-ordinate Courts and also to **ensure effective functioning of Lower Court (Litigation) Section, a proposal for computerization of this Section was submitted to the Competent Authority along with the System-study Report conducted by the National Informatics Center (NIC).**

(v) The Deputy Legal Adviser, who is also the Branch Officer of this Section, has been designated as Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005. The Superintendent (Legal) who supervises the Litigation (LC) Section.

2.6 JUDICIAL SECTION

The Judicial Section is responsible for the organization of litigation of the Government of India and Union Territories before the Supreme Court, various High Courts, the Central Administrative Tribunal and District and Subordinate Courts. Its functions include processing the appointments of the Attorney General of India, the Solicitor General and the Additional Solicitor General of India, Central Government Counsel in the Supreme Court, High Courts, the Central Administrative Tribunal, District and Subordinate Courts and Consumer Forums in some of the states for conducting litigation work on behalf of the Central Government, engagement of Law Officers and other Counsel on behalf of Ministries/Departments for the conduct of cases before the Supreme Court, High Courts, Tribunals, Commission of Inquiry, District and Subordinate Courts, Quasi-Judicial Authorities etc. Its functions also include formulation and settlement of their terms and conditions for conducting cases. The Judicial Section is also responsible for nomination of Arbitrators in disputes between the various Departments of the Government of India and private parties.

2. The Section is responsible for issuing statutory orders e.g. orders under GSR 167, authorizing various officers to sign and verify plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction or in writ proceedings by or against Central Government under Rule 1 of Order XXVII of Schedule I to the Code of Civil Procedure, 1908. This Section also authorizes officers to sign contracts and agreements on behalf of President of India under Clause 1 of Article 299.

3. The Section is also dealing with the work of Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits, the execution of decrees of Civil Courts, the enforcement of maintenance orders, and the administration of the estates of foreigners dying in India inte-state.

4. India has acceded to The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra Judicial Documents in Civil or Commercial Matters and also Hague Convention on Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters in the year 2007. Ministry of Law and Justice is the Central Authority for both the Conventions. Judicial Section is dealing with the work of service of summons/notices to Indian nationals through Judicial Authorities, received from the foreign countries under the said Conventions. Judicial Section also deals with forwarding of service of summons/notices originated from Judicial Authorities of the country to the Central Authorities of foreign countries.

5. During the period, Fourteen Law Officers were appointed, including Attorney General and Solicitor General were appointed in Supreme Court, Delhi High Court, Allahabad High Court, Bombay High Court, Madras High Court and Rajasthan High Court, Twenty eight Assistant Solicitors General were appointed in various High Courts. The fresh panel was prepared for Supreme Court and High Courts of Delhi and Patna, 406 fresh panel counsels were appointed in Delhi High Court, 59 panel Counsels in Patna High Court and 496 panel counsels in Supreme Court of India. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, being the nodal Ministry for reciprocal arrangement with foreign countries, has entered into Mutual Legal Assistance Treaty in Civil and Commercial matters with Ukraine and Azerbaijan. Besides, Department of Legal Affairs is the Central Authority under Hague Convention of 1965 for service abroad of judicial and extra judicial documents in civil and commercial matters. Under this obligation, around 877 requests were processed. During the period, few notifications were also issued for authorizing various officers to sign and verify plaints and written statements in suits filed by or against Central Government under Order XXVII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908 and also authorizing officers to sign

contracts and agreements on behalf of President of India under Article 299 of the Constitution. Apart from these, few Arbitrators were also nominated/appointed in disputes between Government and Private Parties.

2.7 NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Notaries Rules, 1956 are within the purview of the Notary Cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the Memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional or other misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government. For sufficient reasons, it also grants extension of area of practice to the notary public, on receipt of an application for the purpose.

2. About **2500** Notary Certificates have been renewed till 31.12.2014. About 358 Advocates/ applicants have been appointed as Notaries during the period from January, 2014 till 31.12.2014. So far, **10950** Notaries have been appointed by the Central Government in various parts of the country.

3. During the period under Report, interview boards were constituted to conduct interview for the selection of Notary Public in the States/UTs of Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamilnadu,& Puducherry. The results have been declared for the aforesaid states/UTs and the appointment letters to the selected candidates have also been issued.

2.8 IMPLEMENTATION CELL

The Implementation Cell in this Department is allocated with responsibility of processing reports of the Law Commission, laying them before the Parliament and also forwarding reports to the Ministries/ Departments concerned for their examination/implementation. This Cell is also concerned with the administration of the Advocates Act, 1961, the Advocates' Welfare Fund Act, 2001, National Tax Tribunal (NTT) Act, 2005, legal education and legal profession.

The Law Commission has submitted 251 reports till 31.12.2014. 248 Report have been laid before both the Houses of the Parliament. All the Reports received upto December, 2014 have also been forwarded to the concerned Ministries/Departments for examination/ implementation.

The Implementation Cell, in pursuance of the recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personal, Public Grievances, Law & Justice, has been laying an Annual statement showing the status of pending Law Commission Reports before both the Houses of the Parliament since 2005. The last Statement (10th) was laid on the Table of both the Houses of Parliament (in Lok Sabha on 11.12.2014 and Rajya Sabha on 12.12.2014).

THE ADVOCATES ACT, 1961

The Advocates Act, 1961 ("Act") was enacted to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils at State level and an All India Bar Council i.e. Bar Council of India. The Act recognizes only one class of persons who are entitled to practice the profession of law in India, namely, advocates, vide its section 29.

THE ADVOCATES' WELFARE FUND ACT, 2001

1. Social security in the form of financial assistance to junior lawyers and welfare schemes for indigent or disabled advocates has always been a matter of concern for the legal fraternity. Certain States enacted their own legislation on the subject. The Parliament enacted **"Advocates' Welfare Fund Act, 2001"** applicable to the Union Territories and the States which do not have their own enactments on the subject, for creation of "Advocates' Welfare Fund" by the appropriate Government. This Act makes it compulsory for every advocate to affix stamps of the requisite value on every Vakalatnama filed in any court, tribunal or other authority. Sums collected by the way of sale of "Advocates' Welfare Funds Stamps" constitute an important source of the Advocates' Welfare Fund.

2. Any practicing Advocate may become member of the Advocates' Welfare Fund on payment of an application fee and annual subscription. The Fund shall vest in and be held and applied by the Trustee Committee established by the appropriate Government. The Fund shall, inter alia, be used for making ex-gratia grant to a member of the fund in case of a serious health problem, payment of a fixed amount on cessation of practice and in case of death of a member, to his nominee or legal heir, medical and educational facilities for the members and their dependents, purchase of books and for common facilities for advocates.

THE NATIONAL TAX TRIBUNAL ACT, 2005

1. The National Tax Tribunal Act, 2005 (49 of 2005) enacted by the Parliament provides for adjudication by the National Tax Tribunal of Disputes with respect to levy, assessment, collection and enforcement of Direct Taxes. It also provides for adjudication by the Tribunal of disputes with respect to determination of the rates of duties of customs and Central Excise on goods and the valuation of goods for the purpose of assessment of such duties as well as in matters relating to levy of tax on services. The said Act was enacted in pursuance of Article 323-B of the Constitution. The Act was brought into force by the notification of the Government of India S.O. 1826(E) on 28.12.2005. The Act was, however, challenged by various Writ Petitions filed in High Courts throughout the country.

2. The Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 25.9.2014 in Transferred Case (C) No. 150 of 2006 has struck down the National Tax tribunal Act, 2005 and Sections 5,6,7,8 and 13 of NTT Act are held to be unconstitutional, on the ground the enacting legislation, NTT Act, pertaining to transfer of Judicial power, conventions and salient characteristics of the court sought to be replaced, are not incorporated in the court/tribunal sought to be created. The said judgment is under consideration of the Government.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Under Right to Information Act, 2005, the number of receipts and 1st & 2nd appeals before the Appellate Officer & Central Information Commission from April, 2014 to mid December, 2014 dealt in this Department are as under :-

(A)	Total Receipts	1005
(B)	First Appeals	62
(C)	Second Appeals	76
	Total request received online:	**1334**

2.9 LIBRARY & RESEARCH SECTION

1) The Library and Research Section looks after the requirements of legal books/ journals and other research materials of the Ministry of Law and Justice. This section provides reference and legal research service to its users.

2) During this year, Library and Research Section acquired 465 numbers of books and 521volumes of law journals got bounded for reference.

3) The Library and Research Section subscribes to 19 Indian law journals, 3 foreign law journals and 40 magazines.

4) The Library and Research Section has acquired/subscribed to the following CD ROM/online services for retrieval of case laws, judgments and articles etc. for the use of officers of this Ministry.

- AIR (SC) Reference CD ROM (1950-2013)
- SCC online case finder
- Grand Jurix (SC, HC, TRIBUNAL)
- AIR High Court on CD ROM(1950-2013)
- AIR Criminal Law Journal on CD ROM (1950-2013)
- SCC Online Web (IP) Services.
- Manupatra.Com Online (IP) Services
- Westlaw India Online (IP) Services.

2.10 BRANCH SECRETARIAT, MUMBAI

Branch Secretariat of this Department at Mumbai tenders legal advice, handles litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to pertaining to other subordinate courts which falls under the entire western region.

The Secretariat is presently headed by a Joint Secretary and Legal Adviser/ In-charge. He is assisted by two Additional Govt. Advocates, One Assistant Legal Adviser and Two Supt. (Legal), one Section Officer/DDO and other officials. The particulars regarding functioning, duties, organization etc. are as under :-

The procedure followed in the decision making process including the channels of supervision and accountability is as under:-

A. **LEGAL ADVICE** : The references received from various Ministries/Departments of Central Government seeking legal advice are examined at the first instance by the Superintendent (Legal) and thereafter put up to the In-charge who in turn mark the cases to the Additional Legal Adviser/ Assistant Legal Adviser/ Additional Govt. Advocate as per the distribution/ allotment of work. If required the advice matters are also referred to the Ld. Additional Solicitor General of India for his expert option. As far as the current year is

concerned, this Branch Secretariat has received about 2800 cases being reference seeking advice and Branch Secretariat has almost disposed of all the cases and nothing is pending on date.

B. **LITIGATION** : The Litigation of this Branch Secretariat is headed by the Joint Secretary & Legal Adviser/ In-charge who in turn assisted by the Additional Govt. Advocate and Superintendent (Legal) in discharging the duties in handling the litigation matters filed in Bombay High Court either filed by the Government of India or against it. So also, the litigation pertaining to Subordinate Courts is handled by the Branch Secretariat. Wherever necessary the litigation is handled through the Advocates/ Counsel appointed/ empanelled on the Panel of Government of India for Bombay High Court on its ordinary original civil jurisdiction, Appellate Jurisdiction & criminal jurisdiction and through other counsel empanelled on different panels appearing before the different courts of law. About 880 litigation cases have been disposed of before the Hon'ble Bombay High Court.

C. **ADMINISTRATION**: The Joint Secretary & Legal Adviser/ In-charge is the head of the administration of the Branch Secretariat, Mumbai. He is assisted by the Section Officer, who also functions as DDO in handling the day-to-day administrative matters of the Branch Secretariat.

D. **OFFICIAL LANGUAGE** : The Joint Secretary & Legal Adviser/ In-charge of this Branch Secretariat also works in the capacity of "**Vibhagiya Rajbhasha Adhikari**" and other officers nominated by him work for promotion and maximum usage of Official Language in the Branch Secretariat. A "Rajbhasha Samiti" is constituted in this Branch Secretariat for effective implementation of Official Language Policy with following Members:-

i) Shri H.P. Chaturvedi, JS&LA (Head of the Committee)

ii) Shri Pankaj Kapoor, Addl. Govt. Advocate (Chairman)

iii) Shri A.A. Ansari, Addl. Govt. Advocate (Member)

iv) Shri Neeraj Kumar, Asstt. Legal Adviser (Member

v) Shri N.A. Pande, Suptd. (Legal) (Member)

vi) Shri K. Santosh Ramanna, Supdt. (Legal)(Member)

vii) Shri Atul Kumar Gupta, Asstt. (Legal) (Member)

The above Committee submits the periodical Reports to the In-charge.

FACILITATION CENTRE: The Branch Secretariat has taken an informal step in the interest of Pensioners/ ex-employees/ officers of this Branch Secretariat by introducing a Facilitation Centre for the Pensioners. The Pensioners with their requisition and quarries can approach the centre, may enquire about the status of their own accounts, pensions etc. Thereafter the pensioners can get the required information which is provided to them as soon as possible or at the earliest on its being made available by the concerned section.

PARTICIPATION IN NATIONAL/INTERNATIONAL LEGAL CONVENTION/ SEMINAR/ CONFERENCE TRAINING ETC.

During the year under report, 2013-2014, the Joint Secretary and Legal Adviser of the Branch Secretariat participated in 5th convention of the State Parties Against Corruption (UNCAC) which was held from 25th November, 2013 to 29th November, 2013 at Panama city (Republic of Panama).

2.11 BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA

The Branch Secretariat, Kolkata is headed by Joint Secretary & Legal Adviser / Senior Government Advocate, who also functions as overall In-charge. This Branch Secretariat has **eight** wings viz. **Advice, Administration, Cash & Accounts, Hindi, Counsel Fee Bill, Litigation, CAT/Lower Court and R&I Section.** In addition, this Branch Secretariat has a **Library** containing more than 8800 books under the supervision of Section Officer. The Litigation Wing of the Branch Secretariat, Kolkata looks after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original as well as Appellate Side. The Branch Secretariat Kolkata is functioning from 2nd and 3rd floor, Middle Building, 11, Strand Road, Kolkata-700001.

2. The Branch Secretariat is looking after litigation of the Union of India in the High Courts & Circuit Bench of Calcutta High Court in Port Blair and other High Courts and Ld. Courts below, covering 12 States of the Eastern Region. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches of CAT at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Sikkim and Andaman & Nicobar Islands. The Branch Secretariat renders legal advice and also conducts litigation pertaining to all the Central Government Ministries/Departments including the Income Tax Department, Customs and Central Excise (only advice work), Revenue Intelligence, FERA/FEMA, Ministry of Defence, Ministry of Home, Ministry of External Affairs and all other Central Government Offices having their offices at West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Bihar, Jharkhand, Orissa, Tripura, Mizoram and Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands on receipt of references from concerned Departments/Ministries. Counsel are also engaged to appear before the various Tribunals like CESTAT and ITAT etc. and in Arbitration matters before the Ld. Arbitrators on receipt of specific requests from Departments concerned.

3. Total 1126 number of references were received by the Advice Wing during 2014-15 up to December, 2014. Pleadings filed in various Courts as well as before Central Administrative Tribunals are also vetted by this Branch Secretariat. The number of cases received and disposed of on monthly basis during April, 2014 to December, 2014 is depicted by a chart in **Annexure-II.**

4. In Litigation Wing, Government advocates who are regular employees act as Advocate-on-Records (in Original Side) and also act as Government Pleader within the meaning of Order XXVII Rule 8B(a) of the Code of Civil Procedure 1908. They are to make their appearance in the Court in Original side matters. In Appellate side matters they are to address the Court from time to time and get assistance from Junior Panel Counsel. If requested, the Government Advocates assist very Senior Counsel or Additional Solicitor General. In general, the Government Advocates get the matter heard/argued through a panel Counsel engaged for this purpose.

5. During 2014-15, the Senior Government Advocate, one Deputy Government Advocate and three Junior Central Government Advocate (one post of Junior Central government Advocate for Kolkata Branch has been transferred to Main Secretariat at New Delhi) act as Advocate-on-Records and on behalf of the Union of India and other Central Government petitioners/respondents in the Calcutta High Court and also appear before the court as government pleader. The total number of High Court cases received and conducted by the Litigation Division of the Branch Secretariat, Kolkata during 2014-15 up to December,

2014 was 2275. Apart from that many old pending cases have also been conducted by the Branch Secretariat, Kolkata on their listing. The number of cases disposed of during the said period was 1611 (some cases pertained to previous years). The number of cases expected to be handled during the whole of 2014-15 will be around 4200. As per records, the total number of Government cases pending in the Calcutta High Court till the end of December, 2014 was about 56311. Similarly, the number of cases received in the Branch Secretariat, Kolkata for engagement on service matters in CAT, Calcutta Bench during 2014-15 (up to December, 2014) was 469 and it is expected that total number of such cases will be around 600 during 2014-15. The number of cases in Courts below located in Kolkata area only including arbitration cases handled during March 2014 to January, 15 was 222.

6. Out of the sanctioned budget of Rs.1,60,00,000/- for payment towards Professional Fees to the Counsel, an amount of Rs.97,67,853/- has already been paid to them till December, 2014 for the cases relating to High Court at Calcutta. The remaining amount of the budget will be paid in the next three months of 2014-15. A statement regarding disbursement of fees to Advocates has been depicted in **Annexure-III.**

7. The Branch Secretariat also certifies for payment, after due scrutiny, of the professional fee bills of the Government Counsel/Standing Counsel conducting matters in different Courts and also in the arbitration proceedings before the Arbitrators which are sent for vetting by the different Departments and Ministries of the Central Government. However, those bills are actually paid by the Departments. Professional Fee Bills for Standing Counsel in other High Courts of the Eastern Region are also vetted by this Branch Secretariat.

8. The Hindi Section is looked after by the Section Officer with the assistance of one Junior Hindi Translator for propagation/use of Hindi as official language in this Branch Secretariat. For this, several workshops / seminars have been organised in this Branch Secretariat. 'Hindi Diwas' was also celebrated in this Branch Secretariat with great enthusiasm. Till date, around 90% of the Officers/staff members have obtained the working knowledge in Hindi under the said Scheme. It is expected that by the year 2015, all the members of the staff will complete such courses/training.

9. A software named 'COSA' developed by NIC, Kolkata is in operation for preparation of pay bills of the employees of the Branch Secretariat, Kolkata. Necessary work has already been done in this regard. Further, the quarterly returns of Income Tax deducted at source are being prepared in the Electronic Media and submitted to Income Tax Department through TIN Facilitation Centre in floppies/CDs. A new form, Form-24G has been introduced by the Income Tax Authority which is required to be filled up and submitted in electronic format by 10th of the following month in which TDS has been deducted by this Office. Also the weekly statement of expenditure is prepared using software 'CDDO2PAO' developed by Office in floppies/CDs. In addition information regarding licence fee payment for Government quarters is also required to be sent online to the Directorate of Estates using Government Accounting Management System (GAMS). 26 (twenty six) numbers of Personal Computers are in use at present in the Branch Secretariat, Kolkata. Provision of Local Area Network has been provided to each Section/ Officer's room of the Branch Secretariat, Kolkata. Almost all the Computers in the Branch Secretariat, Kolkata now have internet connection.

10. The Library in the Branch Secretariat, Kolkata, containing more than 8000 books, is under the supervision of Section Officer. It is very helpful for use in Litigation and also advice matters. Online legal library 'Manupatra' has also been subscribed by this Branch Secretariat.

11. One biometric attendance system, for employees in the Branch Secretariat, Kolkata is in operation w.e.f. 12th April, 2011. We have been in contact with NIC to develop a software programme for the Branch Secretariat, Kolkata through which all Court cases pending or newly filed cases may be monitored. Once the data entry is made the cases can be monitored online and instructions etc. to the advocates & the Departments may be given online. The programme once developed will be useful in rendering better service to the litigant of Central Government resulting in bringing down the cost.

2.12 BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all Central Government Offices located in the States of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Pudhucherry. During the period from 01-04-2014 to 31-12-2014 about 942 references were received for advice and disposed off. About 475 references for advice are expected during the remaining period of current financial year 2014-2015.

LITIGATION: The Branch Secretariat, Chennai looks after the entire litigation work of Central Government (except cases relating to Railways, Telecom, Income-Tax, Central Excise and Customs, etc.) in the High Court of Madras, Madurai Bench of Madras High Court and High Court of Kerala. It also looks after the Central Government litigation work in the City Civil Courts, Presidency Courts of Small Causes, Subordinate Courts, Tribunals, Consumer Fora, etc. in Tamil Nadu and Kerala. Besides, the Branch Secretariat, Chennai has also been entrusted with the work of Central Government litigation before the Madras Bench of Central Administrative Tribunal at Chennai and Ernakulam Bench of Central Administrative Tribunal in Kerala.

During the period from 01-04-2014 to 31-12-2014 about 4772 litigation matters were received and about 4672 were disposed of which included receipts, fee bills and files opened regarding High Court/CAT/LC etc. and projection for the remaining period of three months pertaining to the litigation matters during the current financial year is expected to be about 1,700.

The Branch Secretariat keeps the Ministries and Departments of the Central Government informed about the important developments of their cases as well as the results of the litigation with suitable advice for further action, if required. Pleadings, affidavits etc., to be filed in the Courts/Tribunals/Consumer Fora/ Arbitration matters in Tamil Nadu and Kerala are scrutinized and vetted at the draft stage. Functions of Branch Secretariat, Chennai also include engagement / nominations of the Counsel and collection of materials from the Central Government Departments involved in the cases for being passed on to the Counsel after necessary scrutiny of the documents from the legal angle.

COUNSEL'S FEE BILLS: The Branch Secretariat itself pays the fees directly from its centralized funds to the Additional Solicitor Generals of India, Assistant Solicitor General, Senior Panel Counsel and the Central Government Standing Counsels in respect of cases before the Madras High Court and Madurai Bench of Madras High Court. Fee Bills preferred by the Central Government Counsel for appearance before the Central Administrative Tribunal and Subordinate Courts are scrutinized / certified and sent to the Departments concerned for payment.

MISCELLANEOUS: During the period under report, various R.T.I. applications, appeals, statements and other references / litigation correspondence were received and dealt with.

There are 7 female employees working in this office , viz., 1 Deputy Legal Adviser, 1 Superintendent(Legal) , 2 Personal Assistants, 1 Sernior Court Clerk and 2 Assistants(CSS) and other than general category employees, there are SC-4, ST-1, OBC-6, Ex-serviceman-1 and PH-1.

2.13 BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU

The Branch Secretariat has jurisdiction over the States of Karnataka and Andhra Pradesh handling the litigation and advice of various Central Government Department/Ministries. Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat, Bengaluru.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all the Central Government Departments and offices located in the States of Karnataka and Andhra Pradesh. During the current year 2014-2015 about 850 references were received for advice and all advice cases were disposed during the period. The advice work includes scrutiny and vetting of pleadings i.e. statement of objections, counter affidavits to be filed before the High Courts i.e. High court of Karnataka, Bangalore, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga and High court of Andhra Pradesh respectively, reply statement to be filed before Central Administrative Tribunal, written statement, counter affidavits, counter statements, versions filed before District Courts, Subordinate Courts and various other Tribunals.

Examining the feasibility of filing SLP, Appeals, review etc. interpretation of laws guiding Departments on legal sustainability of their action and holding discussions with the administrative Departments, whenever necessary.

LITIGATION: The Branch Secretariat supervises the entire litigation of the Central Government Departments and offices in the High court of Karnataka, Bangalore, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad & Gulbarga and High Court of Andhra Pradesh, Subordinate Courts located at Bangalore City and twin cities of Hyderabad and Secunderabad and CAT in both the States. This Branch Secretariat also looks after the work of Government litigation in the District Consumer Dispute Redressal Fora, the State Consumer Redressal Commissions of both the States Central Govt. Industrial Tribunal and Debt Recovery Tribunal. During the current year 2014-15 about 3700 litigation matters, which includes nomination of counsel, counsel fee bills and general correspondence relating to litigation were received. The function of the Branch Secretariat in this regard includes engagement / nomination of the Counsel and distribution of cases among the Central Government Counsel.

COUNSEL'S FEE BILLS: This Branch Secretariat itself processes counsel fee bills and pays the fees directly from its centralized funds to the Assistant Solicitor of India and Central Government Counsel in the High Court of Karnataka, Bangalore. So far as Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga are concerned, the counsel fee bill is borne by the concerned Department on whose behalf the Counsel conducts the cases and not by the Branch Secretariat, Bangalore. The concerned Departments pay the fee for Central Government panel Counsel in CAT, District and subordinate Courts. Hence this Branch Secretariat is not certifying counsel fee bills. However, this Ministry clarify as and when requested any doubt in this regard.

Shifting of office to general Pool Office Accommodation: The Branch Secretariat, Bengaluru has been shifted to newly allotted office space of (GPOA) in the 4thy Floor of D-Wingh, in the Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru and started functioning in the new office premises from 15.10.2014

2.14 LAW COMMISSION OF INDIA

The 20th Law Commission has been constituted with effect from September 1, 2012 to 31.8.2015. The Commission is consisted of a full-time Chairman (Mr. Justice A.P. Shah, former Chief Justice, Delhi High Court), four full-time Members including Member-Secretary (Mr Justice S.N. Kapoor, former Judge, Delhi High Court, Ms. Justice Usha Mehra, former Judge, Delhi High Court, Prof. (Dr.) Mool Chand Sharma, former Vice-Chancellor, Central University of Haryana and Dr. S.S. Chahar, who is Member-Secretary, two ex officio Members (Secretary, Department of Legal Affairs – Shri P.K. Malhotra and Secretary, Legislative Department – Dr. Sanjay Singh and five part-time Members (One part-time Member resigned in July, 2014.

The terms of reference of the Twentieth Law Commission are as under:

A. REVIEW/REPEAL OF OBSOLETE LAWS:

(i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.

(ii) Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.

(iii) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.

(iv) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Department with a view to coordinating and harmonizing them.

(v) Consider reference made to it by Ministries/Departments in respect of legislation having bearing on the working of more than one Ministry/Department.

(vi) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens' grievances, in the field of Law.

B. LAW AND POVERTY:

(i) Examine the Law which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.

(ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:

(i) Elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.

(ii) Simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.

(iii) Improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the directive Principles and to attain objectives set out in the Preamble to the Constitution.

E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.

F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.

G. Recommend to the Government measures for bringing the statute book up to date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.

H. Consider and convey to the government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.

3. The 20th Law Commission had taken up various subjects in pursuance of its terms of reference.

4. The 20th Law Commission submitted the following reports during the year 2014-15:-

i) Report No. 244 Électoral Disqualifications (24.02.2014)

ii) Report No. 245 Arrears and Backlog: Creating Additional Judicial (wo) manpower (07.07.2014)

iii) Report No. 246 Amendments to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (05.08.2014)

iv) Report No. 247 Sections 41 to 48 of the Indian Succession Act, 1925 (02.09.2014)

v) Report No 248 Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal (Interim Report) (12.09.2014)

vi) Report No 249 Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal (Second Interim Report) (13.10.2014)

vii) Report No 250 Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal (Third Interim Report) (29.10.2014)

viii) Report No 251 Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal (Fourth Interim Report) (14.11.2014)

ix) Report No. 252 Right of the Hindu Wife to Maintenance: A relook at Section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (06.01.2015)

5. The 20th Law Commission prepared following Consultation papeers and circulated to elicit views/ opinion from the public and concerned groups:

i) Consultation Paper on Media Law (May, 2014)

ii) Consultation Paper on Capital Punishment (May, 2014)

iii) Consultation Paper on Adopting a Shared Parentage system in India (November, 2014)

2.15 INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)

I. ORIGIN:

Section 252 of the Income-tax Act, 1961 provides that the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal consisting of as many Judicial Members and Accountant Members as it thought fit, to exercise the powers and discharge the functions conferred on the Appellate Tribunal by the said Act. The Income-tax Appellate Tribunal was established on 25th January, 1941, in pursuance of a similar provision contained in the Indian Income-tax Act, 1922.

II. CONSTITUTION:

The Income Tax Act, 1961 provides that, a Judicial Member of the Tribunal shall be a person, who has for at least 10 years held a Judicial Office in the territory of India or has been a Member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-II of that service or any equivalent or higher post for at least three years or who has been an advocate for at least ten years. An Accountant Member shall be a person, who has for at least 10 years been in practice of accountancy (a) as Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or as a Registered Accountant under any law formerly in force or partly as a Registered Accountant under any law formerly in force or partly as such registered Chartered Accountant, and partly as such Chartered Accountant or who has been a Member of the Indian Income Tax Service, Group A and has held the post of (Additional) Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.

III. POWERS AND FUNCTIONS:

3.1 The Income-tax Appellate Tribunal, constituted under the Income-tax Act, deals with second appeals in all matters of direct taxes and appeals against the revision orders of administrative Commissioners as well as orders of acquisition of properties under Chapter-XX A of the Income-tax Act.

3.2 The powers and functions of the Appellate tribunal are exercised and discharged by the Benches constituted by the President of the Tribunal from amongst the Members thereof. A Bench consists of one Judicial Member and one Accountant Member. The President or any other Member of Tribunal authorized in this behalf by the Central Government may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the Bench of which he is a Member and which pertains to an assessee whose total income as computed by the Assessing Officer in the case does not exceed five lakhs rupees and the President may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more Members, one of whom shall

necessarily be a Judicial Member and one Accountant Member, subject to the provisions of the Income-tax Act, 1961.

IV. PROCEDURE AND RULES:

4.1 The Appellate Tribunal has the power to regulate its own procedure and the procedure of its Benches in all matters arising out of the exercise of its powers or in the discharge of its functions, including the places at which the Benches shall hold their sittings.

4.2 The Appellate Tribunal has, accordingly, framed its own rules called the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963. The said Rules are best suited for the expeditious disposal of all matters pending before the Income-tax Appellate Tribunal. The Tribunal functions not only as the final fact finding authority in matters concerning Income-tax but also in all matters of taxation such as Wealth-tax, Gift-tax and Expenditure tax etc. The Appellate Tribunal is manned by efficient personnel discharging their functions to the best of their ability and holding the scales of justice evenly between the tax payer and the Revenue without fear or favour.

4.3 Generally, appeals are heard by a Bench consisting of one Accountant Member and one Judicial Member. However, in appropriate cases, at the discretion of the President, a Bench may consist of more than two Members.

4.4 The matters which the Appellate Tribunal disposes of are of vital importance involving revenue to the tune of millions of rupees. The Tribunal is entrusted with the responsible task of deciding intricate questions of law and fact. The presence of both the Judicial and Accountant Members guarantee that questions of fact which arise for their consideration are properly enquired into and that the accountancy point, as also the legal angle, have been weighed properly. The Tribunal allows the representatives of both the parties to appeal before it and invariably hears them before passing any order. The Members hear the parties, peruse the evidence on record, make their own notes, refer to the authorities cited at the Bar and then pass final orders. The procedure is, by itself, a guarantee that questions of facts are properly and judicially decided and inference drawn by the Tribunals are beyond reproach.

V. PENDENCY OF APPEALS:

5.1 At the beginning of the year 2014, the Pendency of the appeals was 83744 and as on 1st January, 2015, the number of appeals pending in the Income-tax Appellate Tribunal stands at 100567. The detailed statement showing comparison of number of Members, Institution, Disposal and Pendency for the year 2013 and 2014 is as under:-

Year	No. of Members	Institution	Disposal	Pendency
2013	78	45760	32848	83732
2014	68	46652	29817	100567

5.2 It will be seen from the following table that the commitment to reduce pendency is showing encouraging results after all the newly created Benches were made functional:

Year	Institution	Disposal	Pendency at the end of year
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46031	31886	88643
Upto 1.1.2015	34219	22295	100567

VI. EFFORTS FOR REDUCTION OF PENDENCY:

6.1 Necessary instructions have already been issued to all the Benches to scrutinize and identify cases, which are covered by decisions of I.T.A.T., High Courts, and the Supreme Court and post them on priority basis. This includes group and small matters. The Bar is also requested to bring to the notice of I.T.A.T., all such covered cases for out of turn posting. Besides, Search & Seizure and Appeals u/s 263 are also being given priority in their disposal. A special drive started some time ago to dispose of Single Member Cases is already showing remarkable progress in reducing SMC Pendency. Its impact in reducing the SMC pendency is as under:-

Month	Total Pendency
January, 2014	664
February, 2014	767
March, 2014	782
April, 2014	897
May, 2014	1003
June, 2014	1012
July, 2014	1024
August, 2014	1009
September, 2014	1068
October, 2014	1072
November, 2014	1071
December, 2014	1134

The pendency figure of Wealth Tax Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January, 2014	369
February, 2014	381
March, 2014	414
April, 2014	473
May, 2014	497
June, 2014	518
July, 2014	515
August, 2014	479
September, 2014	484
October, 2014	491
November, 2014	494
December, 2014	508

6.2 There are 63 sanctioned Benches of the I.T.A.T. wherein the required strength of the Members is 126 and presently have 68 Members and some of the Benches are not regularly functioning resulting in increase of pendency thereof. The Government conductyed interviews during the month of April, 2014 to June, 2014 at various stations i.e. Delhi, Mumbai, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Bhubaneshwar etc. to fill up the vacant post of 48 Members of the ITAT and presently other formalities are under process. On joining of new Members, the ITAT would be in a better position to reduce the pendency further.

6.3 Due to inadequate number of Members, several Benches of the Tribunal have become non-functional causing difficulties to litigants and increase in pendency of appeals, and this has become a matter of great concern to the Tribunal. Therefore, there is a need to utilize information for dispensation of justice in the I.T.A.T. by introducing E-Courts/E-Benches and it will make non functioning Benches operational to reduce pendency of these Benches. Accordingly, Nagpur Bench has been connected to Mumbai Benches and started E-Court hearing of appeals by video conferencing since 10.12.2012 successfully.

6.4 Inspired by the successful functioning of e-Court at Nagpur Bench, ITAT is planning to setup E-Court at ITAT, Rajkot connecting to ITAT, Mumbai/New Delhi. A meeting with the Bar Associations and the Income Tax Department has been convened and the idea of setting up E-Court at Rajkot has been overwhelmingly welcomed. Accordingly, all technical infrastructures have been put in place. Very soon, the E-Court at ITAT, Rajkot connecting to ITAT, Mumbai/New Delhi will be made functional.

6.5 During the year 2014, 46652 appeals under various acts have been instituted before the Tribunal and the Tribunal disposted of 29817 appeals which show that ITAT is discharging its functions very efficiently as the percentage of disposal stand at 63.91%.

VII. COMPUTERISATION:

7.1 The process of computerization started in the Income Tax Appellate Tribunal in early 2000s and in recent years, this process has gained great momentum with several innovative projects being implemented in day-to-day activities of the Tribunal. Over the years, various projects have been undertaken and implemented by the Tribunal to live upto its motto **"Sulabh Nyay- Satvar Nyay".**

ACHIEVEMENTS:

(a) ITAT Online Project: This pilot project is the first initiative to automate the process of judicial administration in the Tribunal starting from receipt and registration of appeals and applications till disposal and uploading of Tribunal orders. This project was commissioned and implemented in all Benches of the Tribunal in phased manner. ITAT Online is a web-based application which can be accessed from anywhere and anytime. As of now, all Benches of ITAT have been connected to the ITAT Online database and activities like registration, data updation, Tribunal order uploading, etc. are being carried out through the web application. Web-cum-Database Server of this Project has been setup in-house and connected by an exclusive high speed 4 Abps (1:1) Internet Leased Line on Fiber Optic Cable technology.

(b) ITAT Official Website: As an extension to the ITAT Online Project, Official Website of Income Tax Appellate Tribunal has been created and commissioned to deliver judicial and general information to the general public. Dynamic information like Cause Lists, Constitution, Case Status, Order Search, Pronouncement Search, etc. have been provided to cater the judicial information needs of the litigants before the Tribunal. This apart, static information like Holiday Lists, Tenders & Auctions, Notice Board, Right to Information, etc. has been made accessible to the litigants in particular and public in general. This website has been widely used and appreciated.

(c) NICE Mail: In furthering the utilization of Information and Communication Technology in general administration and effective communication between various Benches, Members and officers, ITAT has subscribed for E-Mail services offered by National Informatics Centre. NICE Mail accounts have been created for all Benches, Zones, Members, Registry Officers, Sr. PS/PS and all sections of Head Office. In recent years, due to its ease, fastness, simplicity and economic-any-ecological advantage over conventional methods of communication, usage of E-Mail has started to gain acceptance of the users.

(d) Infrastructure Upgradation: ITAT has always been conscious that better computerization needs better infrastructure. Accroidngly ITAT has been replacing the old and obsolete computers, printers and other equipments with the latest ones in hased manner. 30 computers and printer have been purchased for the use of Members and staff of ITAT, Mumbai Benches. All Members of ITAT have already been provided with laptops for their official use.

VIII. FUTURE PROJECTS:

(a) Redevelopment of Official Website and Web Application

(i) ITAT has been contemplating to revamp its Official Website and Web Application to make

them more informative, user friendly and compliant to the guidelines and standards. Also, ITAT has given assurance to the Parliamentary Committee on Official Language to make the website and application fully and functionally bilingual. ITAT has also agreed to the request of Income Tax Department for sharing the ITAT Online data with the National Judicial Reference System (NIRS) project, for which also we have to make certain changes in the Web Application.

(ii) Accordingly, to fulfill the above requirements, ITAT has taken up redevelopment of the Bi-linguial Project. ITAT has also included in the project a new Citizen-to-Government(C2G) Module namely, é-Filing' to enable to litigants before the Tribunal to file appeals and applications online from their door-steps. Provision is also made in the Project to facilitate ad ensure paperless environment in due course.

(iii) The development of this project is likely to start in the current financial yfear and suffieicnet funds have been earemarked for this project. ITAT is ambitious and committed to complete the development and inaugurate the new website and web application in this Platinum Jubilee year (2015) itself.

IX. OWN BUILDINGS OF I.T.A.T.:

9.1 To have its own office building I.T.A.T has made a beginning for acquiring office accommodation. And in that direction land is purchased for Income Tax Appellate Tribunal, Pune, Bangalore and Jaipur for office-cum residential quarters.

9.2 Ministry has conveyed the concurrence of their Competent Authority for Rs. 17,80,61,400towards purchase of land for construction of office-cum-residential complex for ITAT, Lucknow Benches, Lucknow.

9.3 Ministry has also conveyed the concurrence of their Competent Authority for Rs. 17,70,50,675/- towards construction of office-cum-residential complex and soil investigation on the land acquired by ITAT, Pune Benches, pune at Akurdi, Pune.

9.4 Ministry has further conveyed the concurrence of their Competent Authority for Rs.15,07, 65,092/ - towards construction of office building for ITAT, Bangalore Benches, Bengaluru at Surve No. 51, BTM Layout, Tavarekere Village, Bengaluru.

9.5 Ministry has approved the proposal to hire two flats at Vision Park-II, D-Block, Miramar, Tonca, Goa by the Income Tax Appellate Tribunal for use of two Members of the Income Tax Appellate Tribunal, Panaji Bench, at a rent of Rs. 40,000/- each per month and accordingly acquired the said flats by Members of ITAT, Panaji.

9.6 Ministry has convey the concurrence of the Competent Authority to the tune of Rs. 57,04,433/- towards carrying out addition/partition/alteration/electrical work for new office premises of ITAT, Ranchi Bench, Ranchi. The said work is in progress and will be completed in the end of February, 2015.

9.7 Government of Odisha has been allotted a plot of land measuring 1.601 Acre situated at CDA,

Cuttack to the Income Tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench for construction of office building and staff quarters. The construction work for official building and staff quarters at ITAT, Cuttack would be started on execution of lease deed beore competent authority.

9.8 As informed by the CPWD, Jaipur, construction work on the plot of land i.e. G-4, Rajamal Residency Area, C-Scheme, Jaipur, acquired by ITAT which is under process and accordingly, the said work would be completed in the first week of September, 2015 as per agreement.

X. FACILITIES FOR MEMBERS:

The Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 19.9.2003 in SLP (L) Mos.6905/1998 & TP(C) Nos. 659 and 672-673 of 1998 in the case of Union of India and others Vs. All Gujrath Federation of Tax Consultants had directed the Government to provide the various facilities to the Members of Income Tax Appellate Tribunal and every effort has been made by the ITAT to provide the said facilities to the Members.

XI. BENEVOLENT FUND:

A Benevolent Fund, the corpus of which has been built out of voluntary contributions by the officers and staff, also exists in the Income-tax Appellate Tribunal. The President, Income-tax Appellate Tribunal, is the patron. Officers and staff contributes voluntarily to this fund and disbursements are made to officials in need of medical or other emergent situations on the recommendation of Committee formed under the Rules.

XII. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

It is being implemented by the Income Tax Appellate Tribunal.

XIII. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

13.1 Official Language Implementation Committees have been constituted at all the Benches of Income-tax Appellate Tribunal, with a view to keeping a watch and providing guidance for proper implementation of the official language policy prescribed by Department of official language, Government of India.

13.2 Progress in achieving the targets set for Hindi correspondence and its implementation is monitored by the concerned Benches and their quarterly reports regarding progressive use of Hindi is regularly scrutinized by Head Quarters at Mumbai Income Tax Appellate Tribunal. Training in Hindi/Hindi Typing/Hindi Stenography is offered by nominating sufficient No. of officials under Hindi Teaching Scheme., Department of official language, Government of India.

13.3 Hindi workshops are also held in the Benches for proper implementation of the Official Language Policy and to encourage the use of Hindi and to remove the hesitation of officers / employees to work in Hindi.

13.4 Every endeavor is being made for the progressive use of Hindi by putting the Hindi Work as much as required in accordance with the provisions of the Official Language Act, 1963.

13.5 This year sufficient funds were provided to purchase Hindi Books at all these Benches. As per the implementation of official language policy in all offices of Income Tax Appellate Tribunal to make an expenditure of the purchase of Hindi Books which is 50% of total library grant was allotted this year, in accordance with the target fixed by the Department of official language, Government of India.

13.6 With a view to create awareness about the use of Hindi in official work as well as to accelerate the pace of its progressive use, Hindi Day & Hindi Fortnight have been organized at all benches.

2.16 APPELLATE TRIBUNAL FOR FOREIGN EXCHANGE (ATFE)

The Appellate Tribunal for Foreign Exchange (ATFE) was established under section 18 of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. Under section 19 of FEMA, the Central Government or any person aggrieved by an order passed by Special Director, Enforcement Directorate, or made by an Adjudicating Authority other than referred to in sub-Section (1) of Section 17, may prefer an appeal to the Appellate Tribunal that may be filed within 45 days from the date of receiving the order by the aggrieved person or after depositing the penalty amount.

In the year 2013, the Tribunal has decided only 27 matters but since Justice V.K. Mathur, the Hon'ble Chairperson has joined this Tribunal, about 29 matters have been decided while about 61 interim applications like dispensation of pre-deposit, application for condonation of delay and other miscellaneous applications have been passed & disposed. Final and interim orders/judgments are also being published in the law journal like Taxman and Manupatra. Some of the leading judgments have already been published and rests of the orders/decisions are under publication. The Tribunal is pursuing proposal for the development of its own website with the help of FNIC so that the litigants may have access it. Proposal for library, restructuring of staffing, grant of financial powers etc. are being pursued.

Composition of the Tribunal

Section 20(1) The Appellate Tribunal shall consist of a Chairperson and such number of Members as the Central Government may deem fit. At present One Chairperson and two full time Members are functioning.

		Phone No.
1.	Justice Vinay Kumar Mathur, Hon'ble Chairperson	011-23316359
2.	Dr. H.K. Mudgil, Hon'ble Member	011-23738154
3.	(Vacant) Member	011-23711710
4.	Shri Jagannath, A.L.A./Registrar, also First Appellate Authority under RTI Act	011-23714281
5.	Shri Rakesh Kumar, PS, also C.P.I.O. under RTI Act	011-23738154

The statement showing the total number of pendency, disposal of appeals and filing of fresh appeals during the year of 2014 is as under. The statement is based on as per the record/information available with the registry:-

Total number of pending matters at the end of year 2013	Total number of fresh appeals filed during the year of 2014.	Total number of matters remanded back by the different High Courts during the year of 2014	Total number of Appeals A+B+C	Total number of Appeals finally disposed of during the year of 2014	Number of Interim Applications/ Misc/ matters disposed off during the year of 2014	Total number of pending Appeals at the end of year 2014
870	96	11	977	49	61	977-49 = 928

2.17 THE INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

Introduction:- The Indian Law Institute is a Premier Legal Research Institute in the country, established on December 27, 1956. The objectives of the Institute are to cultivate the science of law, to promote advanced studies in legal research with a view to relating law with socio-economic development and needs of the people, to ensure systematization of law, to encourage and conduct investigation in legal and related fields, to undertake documentation of important legal materials, to improve legal education system, and to publish studies in the form of books and periodicals. Hon'ble Chief Justice of India is the Ex-officio President of the Institute. The Institute has been granted Deemed university Status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004.

Academic Progarmmes

After the declaration of Deemed Univrsity in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission in LL.M. progreamme is trictly on merit in Common Admission Test(CAT). Presently, the following programmes are conducted by the institute:-

Programme(s)	Students Enrolled in academic session 2014-15
LL.M.- 1Year (Full Time)	25
LL.M.-2 Year (Full Time)	37
P.G. Diploma Courses (Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	191
Ph.D in Law	05
Total No. of Students	258

- There are 24 scholars enrolled for Ph.D. Programme as on date.
- The Institute also conducts on line e-learning certificate courses on IPS and Cyvber Law of three months duration. The online Cyber Law Course batch No. 17,18 & 19 was completed and Batch of 28,29 & 30 of Online IPR course was completed.

Performance-cum-achievement Report (from 1.4.2014 to 31.12.2014)

A. Research Publications Released

i. Journal of Indian Law Institute (JILI)

The Indian Law Institute has been publishing the quarterly journal, the Journal of the Indian Law Institute (JILI). It contains research articles on topics of current importance. It is a referred journal of international repute.

ii. Index to Indian Legal Periodicals

The Index to Indian Legal Periodicals, published yearly by the Indian Law Institute, indexes periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received by the ILI Library.

iii. ILI Newsletter (Quarterly)

The Indian Law Institute has been publishing quarterly 'ILI Newsletter'. The newsletter contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities. It also carries the *case comments by the ILI Research faculty* on the leading cases decided by the Supreme Court during the quarter.

iv. Digitization of Library Documents

The ILI digitized more than 2.5 lakh pages of the ILI publication and rare documents and available in DVD form.

Activities in ILI(Seminar/conference/training/workshop/visits/special lectures)

- Students of Erasmus School of Law, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands visited Institute on 3.4.2014 during their Corporate Law Tour in India for a Corporate Research Project.
- Visit of studnets of Bimal Chandra college of law, Murshidabad on 4.4.2014.
- Hon'ble Mr. Justice Kalyan Shrestha, Judge, Supreme Court of Nepal led a delegation from Nepal visited the Indian Law Instite on 29.5.2014.
- As approved by the Academic Council, CAT for admission to the LL.M. Programmes was conduced on 14.6.2014 at Delhi.
- Seminar on Need for Restraint in Expressing Views in Subjudice Matters at cuttack was organized on 21.6.2014.
- Prof.(Dr.) s. Sivakumar visited the Supreme court of Bhutan on 26.6.2014 to discuss about the Restatement of Indian Law Project with the Hon'ble Chief Justice of Bhutan Mr. Lyonpo sonam Tobdye.
- As approved by the Acadmic Council, admission test for Ph.D. was conduced on 10.8.2014. Five candidates have been selected on merit for admission to Ph.D. programme 2014.

- Students of Hoogly Mohsin College, West Bengal visited the institute on 27.8.2014.
- Shri Kishore Singh, UN Special Rapporteur, Right to education United Nations, Geneva/ New York visited the institute on 2.9.2014.
- Students of Mody University ofScience and Technology, , Lakshmangarh, Rajasthan visited the institute on 9.9.2014.
- Students of Durgapur Law College, West Bengal visited the institute on 15.9.2014.
- Training programme for the officers of National Human rights Commission (NHRC) was organized from September 19-20, 2014 and 17.10.2014
- Workshop on prosecution complaint under PMLa was organized by Enforcement Directorate on 01.11.2014 inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Anil r. Dave, Judge, SCI.
- The Institute is organizing its First Annual Law Conference on the theme "Human rights: Contemprorary Issues and Challenges"on 10.12.2014
- The Insitute organised a conference in association with NHRC on December 20-21, 2014.
- Twelve Special Lectures/Interaction with ILI faculty members/students were conducted.

Projects

- The National investigation Agency (NIA) Ministry of Home Affairs, Govt. of India has entrusted a project to prepare a compendium of Terrorism Related cases and to draft a model investigation and procedural manual". The work is under progress.
- The project on "Meaning and status of pendency in Allahabad High Court and Calcutta High Court" entrusted by Department of Justice, Ministry of Law and Justice is under Process.
- The CBI Academy Ghaziabad has entrusted a projected for the Development of a modul on on Primacy of Rule of Law to be introduced in the training moduels for the officrs of the CBI and other law enforcement agency.
- Restatement of Indian Law: Hon'ble Chief Justice of India, President of ILI has constituted the "Sestatement of Indian Law Committees"on Direct-Indirect Taxes, Constitutional law and Criminal law.

FORECAST OF ACTIVITIES
(FROM 1.1.2015 TO 31.03.2015)

I. Publications

The following research publications are proposed to be published during the above period:

i. Journal of the Indian Law Institute (Quarterly publication)

ii. ILI Newsletter with Case Comments and Legal Jottings (Quarterly publication)

iii. Annual Survey of Indian Law – 2013 (already under print)

iv. New Book on "Environmental Law" and revision/updation of books on A Treatise on Consume4r Protection Laws"and "Right to Bail".

II. TRAINING PROGRAMMES/ SEMINARS/ RESEARCH PROJECTS

i. The Finance Committee, Academic Council, Library Committee, Fund Utiliztion Committee and Administrative Commi9ttee meeting of ILI are expected during the above period to finalize various issues.

ii. Four Special Lectures/Interaction with ILI faculty members/students have been planned.

III. EXAMINATION/ADMISSION:

(i) End Trimester/Semester Examination of LL.M. 1/2/3 Years will be commenced during the above peridos /June 2014.

(ii) P.G. Diploma Courses will be completed and exam will be held during the above period/ April, 2014.

(iii) E-learning Courses batch No. 20 of Online Cyber Law & 31 of Online IPR Course will be completed by March, 2014

2.18 The International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR)

The International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) was registered under the Societies Registration Act, 1860 on 31st May, 1995. It is an autonomous organisation working under the aegis of the Ministry of Law and Justice, Government of India, with its Headquarters at New Delhi and Regional Centres at Hyderabad and Bengaluru. It has been established to promote, popularise and propagate alternative dispute resolution methods to facilitate early resolution of disputes and to indirectly reduce the burden of arrears in Courts.

2. Rules and Bye-laws framed and adopted by ICADR

a. The ICADR Arbitration rules, 1996 (including provisions for Fast Track Arbitration)

b. The ICADR Conciliation Rules, 1996

c. The ICADR Mini Trial Rules, 1996

d. Rules and Regulations

e. Financial Bye-Laws

f. Service Bye-laws

g. BNye-laws for Regional Offices

3. Arbitration Cases

(i) The Centre at New Delhi has so far received 48 cases for arbitration and 3 cases for conciliation 4 cases for conciliation. The Arbitral Tribunals have disposed of 39 arbitration cases and hearings in remaining 9 cases are in progress.

(ii) ICADR continues to receive several requests from Departments of the Government of India/ PSU's for appointment of arbitrators in cases where Government of India is a party. The ICADR has been furnishing panels of arbitrators to the Government of India for appointment of arbitrators.

(iii) Arbitration Halls at the offices of the Centre at New Delhi and Hyderabad are being utilised frequently by the Government Departments, PSUs and Private parties for conduct of Arbitration Cases on payment of nominal charges by the parties. Since October 2005 till 15th December, 2014, 577 hearings by different Ministries and other parties and 429 hearings by Arbitrators appointed by ICADR in various cases have taken place in ICADR's new Headquarters building. Similarly 710 hearings by Arbitrators have taken place in Regional Office Hyderabad from 1999 till 15th December, 2014.

4. Seminars/ Workshops/Training Programmes/Lectures/Diploma Courses

The ICADR organised one International Conference, four Training Programmes in Mediation and ADR continues with its PG Diploma Courses in ADR (2014) and FDR (2014) during the above mentioned period. ICADR, HQ has started its monthly News Letter in November, 2014.

5. Agreements

The ICADR has Cooperation Agreements with the following Foreign Organisations:

(A) The Arbitration and Mediation Centre of the World Intellectual Property Organisation of Geneva.

(B) The Thai Arbitration Institute Bangkok

(C) The Korean Commercial Arbitration Board, Seoul, (Korea)

(D) The Chartered Institute of Arbitrators, London and

(E) The Association of Arbitration Courts of Uzbekistan.

The said Agreements cover three areas, namely, mutual exchange of information, mutual assistance in the conduct of proceedings and mutual assistance in organising training and other activities.

ICADR has also entered into a Memorandum of cooperation(MOC) with the following organisations:

(1) International Council of Consultants(ICC) and construction Industry Development Council (CIDC) to jointly work in collaboration with Singapore International Arbitration Centre towards strengthening the ADR movement.

(2) India CIS chamber of Commerce and Industry, New Delhi mainly to popularize arbitration and mediation as means of settling disputes arising out of international and domestic commercial transactions.

ICADR has also entered into a Memorandum of Understanding(MOU) with the following organisations:

(1) Alternative Dispute resolution Centre, Kochi, Kerala for promoting ADR in Kerala and jointly organizing training Programmes/Seminar/sConferences on Mediation and Arbitration and also undertaking Resrach Studies in the field of ADR.

(2) National Law University, Delhi to jointly conduct P.G. Diploma Courses in Alternative Dispute Resolution, Family Dispute Resolution both on regular basis and through proximate education and for conducting Training Programmes in Arbitration and Mediation.

(3) Damodaram Sanjivayya Natinal Law University (DSNLU, Visakhapatnam. Under this MOU, DSNLU will be conducting PG Diploma in ADR (Regular Cou8rse for 6 months) at Vishakhapatnam in collaboration with ICADR.

(4) ICADR has also entered into a Memorandum of Understanding with Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, India to jointly promote the learning and teaching of ADR methods and research therein by developing new Courses and organizing various Workshops, Seminars, Conferences, Training Programmes etc. in the field of ADR.

Strength of Women emploiyees/SC/ST/OBC/Handicapped:

	Headquarters	**Hyderabad**	**Bengaluru**
Total employees	25	10	3
Female Employees	6	1	1
SC	4	-	-
ST	1	-	-
OBC	3	5	1
Handicapped	-	-	-

The female employees are getting all facilities as per Government Rules.

Forecast of likely activities during 1.1.2015 to 31.3.2015:

1 ICADR, Headquarters in association with National Law University, Delhi plans to start P.G. Diploma Courses in ADR and Training Programmes in Arbitration and Mediation.

2 ICADR, Headquarters proposes to organize Training Programme in Mediation and Arbitration.

3 ICADR, Regional office, Hyderabad plans to organize various Training Programmes on ADR and also continue with its P.G. Diploma Courses in ADR and FDR and will soon advertise for the said Courses for 2015.

4 ICADR, Regional office, Bengaluru plans to organize 3 Training Programmes and 1 workshop on ADR during this period.

2.19 BAR COUNCIL OF INDIA

The Bar Council of India was constituted under the Advocates Act, 1961 and it has been empowered among other things to lay down standards of professional conduct and etiquette for lawyers and to lay down, maintain and improve the standards of legal education in the country. While the State Bar Councils are the authorities for enrolment as Advocates, the State Bar Councils and the Bar Council of India enforce discipline among Lawyers. The Bar Council of India acts as appellate authority in respect of disciplinary matters.

The Bar Council of India meets at regular intervals to transact business in accordance with the agenda circulated to the Members. At the meetings, the Council also conduct removal proceedings under Section 26(1) where persons are enrolled either by misrepresentation or by suppressing essential facts, deals with references received from State Bar Councils under Section 26(1) where the State Bar Council propose to reject the enrolment application on one reason or other and hear and decide revision petitions under Section 48A of the Advocates Act, 1961 where complaints against advocates for professional or other misconduct filed by individuals are dismissed by State Bar Councils summarily.

The Bar Council of India generally meets once in three months. From 01.4.2014 to 31.12.2014 Bar Council of India held its General Council 10 meetings. The Council during the above meetings considered 19 references under Section 26(2) of the Advocates Act 1961, out of which 7 accepted, 4 rejected 1 reminded back and 7 are still pending.

The Legal Education Committee consists of 10 Members, out of which 5 members are members of the Bar Council of India and 5 Members are co-opted from outside under Section 10(2b) of the Advocates Act, 1961. During this period Legal Education Committee held 6 meetings.

The Bar Council of India has sent various inspection teams consisting of its members and the reports submitted by the team are placed before the Legal Education Committee and the decision are taken in accordance with the recommendation of the Legal Education Committee. The Bar Council of India on the basis of inspection report and recommendation of the Legal Education Committee granted approval of affiliation to 92 new colleges. The Council granted extension of affiliation to 223 existing colleges during above period. The Legal Education Committee also declined affiliation to 2 college and have given show cause notice to 14colleges as to why their affiliation should not be withdrawn pointing out the deficiencies such as lack of facilities and infrastructure.

The Executive Committee consists of 9 Members of the Bar Council of India and is elected for 2 years. During the above period Executive Committee held 3 meetings.

One of the important function of the Bar Council of India is to lay down the standard of professional conduct or etiquette for Advocates under Section 7(1)(b),(c) read with Section 49(1)(c) of the Advocates Act, 1961 and enforce the same among the Advocates. The Disciplinary Committee held 72 meetings upto 31.12.2014 during which it disposed/dismissed 53 cases.

The Bar Council conducted All India Bar Examinations on 7th September, 2014 and November, 2014.

It is expected that two Council meetings, one Legal Education Committee meeting and two executive committee meetings will be held during the period of 1.1.2015 to 31.3.2015.

2.20 Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS)

The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies was set up on 10th December, 1965 with an aim to promote and provide for Constitutional and Parliamentary Studies with special reference to the evolution and working of the Indian Constitution in all its aspects.

Performance Report of the Institute for the Period 1.4.2014 to 31.12.2014

During the period under report, following activities have been taken at the Institute:

Diploma Courses

Institute offers Parliamentary Fellowship Programme and two diploma courses, one in Constitutional Law and another in Parliamentary Institutions and Procedures. The three courses offered by the Institute are post-graduate part-time courses and are an annual feature. Classes for the three courses are held in the evening at the Institute's premises. Since Institute does not have its own faculty, therefore, guest faculty is hired from outside to deliver lectures for the three courses.

Admissions to the three courses for the current academic year 2014-15 were held in the June-July 2014 a total of 47 students have been enrolled for the three courses. Subsequent to an Induction Programme organised during last week of July 2014 for the benefit of the students, classes for the courses are being held since Aug 02, 2014.

Journals

Institute published two quarterly research journals viz. Journal of Constitutional and Parliamentary Studies (in English) and Loktantra Samiksha (in Hindi). The two are prestigious and well referred publications of the Institute having ISSN: 0022 – 0043 and ISSN: 0024 – 595X, for the English and Hindi journal, respectively.

During the period under report, Jan-June 2014 issues of both the journals have been edited and would be published soon. Also the work of editing of scripts for the July-Dec issues of both the journals is in progress.

Forecast of Activities for the Period 1.1.2015 to 31.3.2015

Research and Academic Activities

The Executive Council of the Institute, which met on Dec 15, 2014 under the chairmanship of Shri S.S. Ahluwalia, MP (Lok Sabha) and the newly designated Senior Vice-President of the Institute deliberated at length on issues related to the Institute including its research and academic activities. The Executive Council is meeting again on Dec 22, 2014 *inter alia* to draw a chart of research and academic activities to be undertaken by the Institute.

Diploma Courses

Examination for the students of three courses for the current academic session 2014-15 would be conducted in Feb-March 2015 subsequent to the completion of course curriculum. The students of Fellowship Programme have to be submit a Project Report on a theme decided by them in consultation with the faculty which is followed by viva-voce examination. The students of the two diploma courses have to write their written examination besides submitting an essay paper.

Journals

During the remaining period for the current financial year, Jan-June 2014 issues of both the journals would be published.

Also, the July-Dec 2014 issue of both the journals, which are being edited presently, would be published before the end of the year 2014-15.

3. RESULTS FRAMEWORK DOCUMENT (RFD)

The Central Government has taken a decision to put in place the Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in respect of every Ministry/Department. Results Framework Document (RFD) is the central instrument which has been designed for implementing the PMES. The Performance Management Division in the Cabinet Secretariat monitors the preparation and working of RFD. The RFDs for Department of Legal Affairs have been prepared, finalised and uploaded on the website of this Department. The tasks as per the RFD 2014-2015 are being undertaken to achieve the goal of best performance by the Department.

CHAPTER-II
LEGISLATIVE DEPARTMENT
(VIDHAYEE VIBHAG)

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. It ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

1. FUNCTIONS

1.1 The Legislative Department, being a service-oriented Department of the Government of India, is concerned with the following matters, namely :-

(i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting angle;

(ii) Drafting and scrutiny of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills, translation of all the Bills into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat for introduction in Parliament; drafting of official amendments to the Bills; scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Ministries/Departments to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;

(iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint/Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of, and assistance in, preparation of reports and revised Bills for the Committees;

(iv) Drafting of Ordinances to be promulgated by the President;

(v) Drafting of legislation to be enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;

(vi) Drafting of Regulations to be made by the President;

(vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;

(viii) Scrutiny and vetting of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their translation into Hindi;

(ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;

(x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;

(xi) Elections to Parliament, the Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;

(xii) Apportionment of expenditure on elections between the Union and the States/Union territories having Legislatures;

(xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

(xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xv) Matters relating to Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.

(xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union/State Governments, etc.

(xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.

(xx) Publication of Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws in the form of law Journals (Patrikas).

1.2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it, namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of law.

(a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi, all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc., as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged in the publication of legal literature and propagation of Hindi and other Languages in the field of law.

(b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgements of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in various States for giving wide publicity to legal literatures available in Hindi and to promote their sales.

1.3 ORGANISATIONAL SET UP

The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant

Legislative Counsel and other supporting staff. The work relating to legislative drafting in the case of principal legislation and to scrutinising and vetting of subordinate legislation have been distributed among various Legislative Groups. Each Legislative Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary of the Legislative Department acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department is at **Annexure-IV.**

1.4 LEGISLATION

Legislation is one of the major instruments of articulating the policy of the Government. In this context, the Legislative Department plays an important role to secure the policy objectives, which the Government may wish to achieve through legislation.

1.5 Legislative Department not only performs functions as a servicing Department for drafting the legislation initiated by the administrative Ministries and Departments but also initiates legislative proposals in respect of the matters with which it is administratively concerned.

1.6 Legislative Department drafts the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government every year. This exercise is undertaken in the Legislative Department on the budget proposals being brought before it by the Ministry of Finance. For the purposes of convenience, the various subjects on which Bills are drafted in the Legislative Department at the behest of administrative Ministries/ Departments may be broadly categorised as under:-

(a) Constitutional amendments;

(b) Economic and corporate laws;

(c) Civil Procedure and other social welfare legislation;

(d) Repeals of obsolete laws; and

(e) Miscellaneous laws.

1.7 During the period from 1st January 2014 to 31st December, 2014, this Department has examined 135 Notes for the Cabinet involving new legislative proposals in consultation with different Ministries/Departments for drafting the Bills for introduction in the Houses of the Parliament. A total number of **54** legislative Bills were forwarded to Parliament for introduction during this period. The list of Bills forwarded to Parliament during this period is as follows:

S.No.	Short Title
1.	The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014
2.	The Acquisition of Certain Area in Mumbai for Dr. Bhimrao Ambedkar Memorial Bill, 2014
3.	The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014
4.	The Andhra Pradesh Reorganisation Bill, 2014
5.	The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2014
6.	The Appropriation (Railways) Bill, 2014

7.	The Delhi High Court (Amendment) Bill, 2014
8.	The Delhi Hotels (Control of Accommodation) Repeal Bill, 2014
9.	The Tribunals, Appellate Tribunals and Other Statutory Authorities (Conditions of Service) Bill, 2014
10.	The Wakf Properties (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 2014
11.	The Finance Bill, 2014
12.	The Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014
13.	The Appropriation Bill, 2014
14.	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014
15.	The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014
16.	The Delhi Appropriation Bill, 2014
17.	The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2014 (forwarded in the 1st Session)
18.	The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014
19.	The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2014
20.	The Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2014
21.	The Finance (No.2) Bill, 2014
22.	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014
23.	The Appropriation (No.2) Bill, 2014
24.	The Appropriation (No.3) Bill, 2014
25.	The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2014
26.	The Securities Laws (Amendment) Bill, 2014
27.	The Railways (Amendment) Bill, 2014
28.	The Constitution (Scheduled Castes) Order Amendment Bill, 2014
29.	The Apprentices (Amendment) Bill, 2014
30.	The Factories (Amendment) Bill, 2014
31.	The Repealing and Amending Bill, 2014
32.	The Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014
33.	The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014
34.	The Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014
35.	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2014
36.	The Central Universities (Amendment) Bill, 2014
37.	The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014
38.	The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014
39.	The School of Planning and Architecture Bill, 2014

40.	The Repealing and Amending (Second) Bill, 2014
41.	The Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014
42.	The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014
43.	The Companies (Amendment) Bill, 2014
44.	The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014
45.	The Appropriation (No.4) Bill,2014
46.	The Anti-Hijacking Bill, 2014
47.	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2014
48.	The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014
49.	The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014
50.	The Lokpal and Lokayuktas and Other related law (Amendment) Bill, 2014
51.	The Electricity (Amendment) Bill, 2014
52.	The Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014
53.	The Indian Trusts (Amendment) Bill, 2014
54.	The Citizenship (Amendment) Bill, 2014.

1.8 Out of the Bills which were pending before Parliament and those introduced during the period from 01-01-2014 to 31-12-2014, **41** Bills have been enacted into Acts including one Constitutional amendment Act as follows:-

Act No.	Short Title	Date of Assent
1.	The Lokpal and Lokayuktas Bill, 2013 **(Act No. 1 of 2014)**	01/01/2014
2.	The Appropriation (No.5) Bill, 2013 **(Act No. 2 of 2014)**	01/01/2014
3.	The Appropriation (Railways) No.4 Bill, 2013 **(Act No. 3 of 2014)**	01/01/2014
4.	The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2014 **(Act No. 4 of 2014)**	24/02/2014
5.	The Appropriation (Railways) Bill, 2014 **(Act No. 5 of 2014)**	24/02/2014
6.	The Andhra Pradesh State Reorganisation Bill, 2014 **(Act No. 6 of 2014)**	01/03/2014
7.	The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2014 **(Act No. 7 of 2014)**	04/03/2014
8.	The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2014 **(Act No. 8 of 2014)**	04/03/2014
9.	The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2014 **(Act No. 9 of 2014)**	04/03/2014

10.	The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Bill, 2014 **(Act No. 10 of 2014)**	04/03/2014
11.	The Finance Bill, 2014 **(Act No. 11 of 2014)**	04/03/2014
12.	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014 **(Act No. 12 of 2014)**	04/03/2014
13.	The Appropriation Bill, 2014 **(Act No. 13 of 2014)**	04/03/2014
14.	The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014 **(Act No. 14 of 2014)**	04/03/2014
15.	The Delhi Appropriation Bill, 2014 **(Act No. 15 of 2014)**	04/03/2014
16.	The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2014, **(Act No. 16 of 2014)**	07/03/2014
17.	The Whistle Blowers Protection Bill, 2011 **(Act No. 17 of 2014)**	09/05/2014
18.	The National Institute of Design Bill, 2014 **(Act No.18 of 2014)**	17/07/2014
19.	The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.19 of 2014)**	17/07/2014
20.	The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.20 of 2014)**	17/07/2014
21.	The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2014 **(Act No.21 of 2014)**	28/07/2014
22.	The Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2014 **(Act No.22 of 2014)**	28/07/2014
23.	The Appropriation (No.2) Bill, 2014 **(Act No.23 of 2014)**	28/07/2014
24.	The Appropriation (No.3) Bill, 2014 **(Act No.24 of 2014)**	28/07/2014
25.	The Finance (No.2) Bill, 2014 **(Act No.25 of 2014)**	06/08/2014
26.	The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2014 **(Act No.26 of 2014)**	07/08/2014
27.	The Securities Laws (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.27 of 2014)**	22/08/2014
28.	The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014- **(Act No.28 of 2014)**	29/11/2014
29.	The Apprentices (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.29 of 2014)**	05/12/2014
30.	The Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014 **(Act No.30 of 2014)**	08/12/2014
31.	The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.31 of 2014)**	09/12/2014
32.	The Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 2014 **(Act No.32 of 2014)**	09/12/2014
33.	The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2014 **(Act No.33 of 2014)**	10/12/2014
34.	The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 **(Act No.34 of 2014)**	17/12/2014

35.	The Central Universities (Amendment) Bill, 2014**(Act No.35 of 2014)**	17/12/2014
36.	The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 **(Act No.36 of 2014)**	17/12/2014
37.	The School of Planning and Architecture Bill, 2014**(Act No.37 of 2014)**	18/12/2014
38.	The Appropriation (No.4) Bill, 2014**(Act No.38 of 2014)**	25/12/2014
39.	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2014**(Act No.39 of 2014)**	26/12/2014
40.	The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014 **(Act No.40 of 2014)**	31/12/2014

2. CONSTITUTION AMENDMENT ACT

1	The Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014(relating to the National Judicial Appointments Commission)	31/12/2014

3. ORDINANCES

The Legislative Department drafted nine Ordinances, which were promulgated during the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014, namely:-

Ord. No.	Short Title
1.	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 1 of 2014)***
2.	The Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 2 of 2014)***
3.	The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 3 of 2014)***
4.	The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 4 of 2014)***
5.	The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 5 of 2014)***
6.	The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 6 of 2014)***
7.	The Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 7 of 2014)***
8.	The Insurance Laws (Amendment) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 8 of 2014)***
9.	The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 ***(Ordinance No. 9 of 2014)***

4. SUBORDINATE LEGISLATION

During the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014, the number of statutory rules, regulations, orders and notifications scrutinised and vetted by this Department was **2801**.

5. FUNCTIONS OF THE ELECTION COMMISSION

Since the time of independence, free and fair elections are being held as per the principles enshrined in the Constitution and the laws governing elections in India. The Constitution has vested in the Election Commission the superintendence, direction and control of the entire process of conducting elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and Vice President of India.

5.1 Election Commission is a permanent constitutional body. Initially, the Election Commission had only a Chief Election Commissioner. At present, it consists of Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. For the first time, two additional Election Commissioners were appointed on 16th October,1989 but they had a short tenure till 1st January,1990. Later, on 1st October,1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member Election Commission has been in operation.

5.2 The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President of India. As per the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991), they have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and received salary and perks as are available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

5.3 Political parties are registered with the Election Commission in terms of section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission ensures inner party democracy in their functioning by insisting upon them to hold organisational elections at periodic intervals. Political parties registered with the Commission are granted recognition at the State and National levels on the basis of their poll performance at general elections according to criteria specified by it.

5.4 The Election Commission has its independent Secretariat for the work relating to the smooth conduct of elections to Parliament and State Legislatures. Legislative Department is entrusted with the functions as the nodal Department for providing Governmental sanctions.

5.5 In the year 1950, in the matters of election expences, it was decided by the Central Government in consultation with the State Governments that the expenditure incurred in relation to the preparation of electoral roll to the Assembly constituencies would be shared on 50:50 basis between the Central Government and State Governments. Further, the expenditure on account of conduct of elections to the House of the People and the State Legislative Assembly would be borne by the Central Government and the concerned State Government and if the election to the House of the People and the State Legislative Assembly are held simultaneously, then, the expenditure would be shared on 50:50 basis between Central and concerned State Government. The initial expenditure will be borne by the respective State Governments and on submission of the audited report, the Central Government's share will be reimbursed.

6. ELECTION LAWS AND ELECTORAL REFORMS

6.1 Legislative Department is administratively concerned with the following Acts in connection with the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and the Vice-President :

(i) The Representation of the People Act, 1950,

(ii) The Representation of the People Act, 1951,

(iii) The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952,

(iv) The Delimitation Act, 2002,

(v) The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005,

(vi) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010.

6.2 The electoral system of our country, which is also called the first-past-the-post system of elections, has completed sixty five years. We have covered this journey after India became Republic with glory and exemplary successes in all the fields. This has been the result of the relentless toil and continuous struggle of the millions who have shaped the present and future of this great country with their sweat and blood. Undoubtedly, this journey has not been an easy sail and we have witnessed much turbulence and turmoil. During this period, the political scenario and the electoral process of the country have undergone continuous epoch-making changes. With each election, the complexities of the electoral process and the election management have been increasing. Of late, the Indian polity is witnessing the era of coalition politics, which has put premium on every single seat in the legislative bodies.

6.3 The continuously changing electoral scenario has necessitated reforms of electoral laws on several occasions. In the light of the experience gained during elections, recommendations of the Election Commission, the proposals from different sources including political parties, eminent men in public life and the deliberations in the Legislatures and various public bodies, the successive Governments have taken a number of measures, from time to time, to bring about electoral reforms; though need to effect a comprehensive package of electoral reforms cannot be gainsaid.

6.4 At present the issue of electoral reforms in its entirety has been referred to the Law Commission of India for its examination and Report. On receipt of the Report of the Law Commission, the matter will be examined in consultation with the stakeholders.

7. ELECTRONIC VOTING MACHINES

7.1 Starting from the experimental use of Electronic Voting Machines (EVMs) in 1982, it took more than two decades for the universal use of EVMs and during the General Elections to the Lok Sabha in 2004, EVMs were used in all polling stations across the country. Thereafter EVMs are being used in the all electors of the House of the People and State Assemblies. The EVMs were developed at the behest of the Election Commission jointly with two Public Sector Undertakings, Bharat Electronics Limited, Bangalore (BEL) and Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad (ECIL) in 1989.

7.2 Since 1998, the repeated use of EVMs proved to be a big success. The first round scaling-up was done in the year 2000. The design concepts and the software embedded in EVMs have been developed by

these two companies and they have already filed a patent for the same, having been evaluated and technically endorsed by a high level expert committee, under the Chairmanship of Prof. P.V. Indiresan, Ex-Director of IIT of Delhi. In the intervening period, the efficiency of EVMs has been tested in various elections. The judicial pronouncements have also endorsed the efficiency of EVMs in the elections.

7.3 Being a proprietary item, the EVMs are not a standard off-the-shelf product. Therefore, the open tenders are not only inapplicable but unthinkable in procurement of new EVMs. The EVMs were developed and manufactured by ECIL and BEL.

7.4 The details of EVMs, procured till date are as under-

S.No.	Year of Purchase	Total EVMs	Amount Sanctioned (in Rs.)
1	1989-90	150000	750000000
2	2000-01	142631	1499880443
3	2001-02	135481	1422900000
4	2002-03	190592	2006100000
5	2003-04	336045	3530000000
6	2004-05	125681	1315400000
7	2006-07	250000	2893742332
8	2008-09	180000	1900000000
9	2009-10	100000 plus 27000 BUs	1139294685
10	2013-14	382876 BUs and 251651 CUs	3116900000
	TOTAL	**1610430 plus 409876 plus 251651 CUs**	**19574217460**

During the year 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2014-15, no EVM was procured.

8. STATUS OF THE PROGRESS OF ELECTOR'S PHOTO IDENTITY CARD (EPIC)

8.1 The use of electors' photo identity cards by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1st January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attain the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process

(excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of 18. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors has been monitoring its progress on regular basis.

8.2 It has been the endeavor of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll, as early as possible. Some of them are:----

(i) Special photography campaigns are organised to make EPIC of all voters.

(ii) Voters are allowed to give copies of their photographs which are scanned for making EPIC

(iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;

(iv) 25th January has been declared as the National Voters' Day to focus on enrollment of voters and making EPIC;

(v) Special publicity campaign is undertaken to inform electors of the procedure of preparation of EPIC;

(vi) Instruction has been issued that the EPIC number once issued will be valid throughout the elector's life even if address changes.

8.3 In this regard, a Statement showing progress of issuance of EPIC to electors in various States/ Union territories of the country as per latest data available is at **Annexure-V.**

9. COURT CASES INVOLVING ELECTION LAWS

Legislative Department, being administratively in-charge of election laws has also to handle various court cases involving validity of election and election laws. In the beginning of the year 2014, there were 202 cases pending in the Supreme Court and different High Courts on election related matters. During the said year, 33 fresh cases were received, in which para-wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, respectively, have been conveyed to the concerned Government Counsel. Out of the 33 fresh cases filed, 9 cases have been disposed of and, apart from this, 6 old pending cases have also been disposed of during this period. Now, there are about 220 cases pending before the Supreme Court and various High Courts. All cases are being effectively monitored.

10. CONDUCT OF PARLIAMENTRAY WORK

During the year 2014-15, the Legislative Department, which has been allocated the job of coordination/ conduct of Parliamentary business of the Ministry of Law and Justice, handled the following work:-

S. No.	Item of Business	Figures for the Ministry of Law and Justice.
1.	Lok Sabha Questions	249
2.	Rajya Sabha Questions	158
3.	Private Members' Bill in Lok Sabha	20
4.	Private Members' Bills in Rajya Sabha	9
5.	Private Members' Resolutions	6
6.	Calling Attention Notices in Lok Sabha.	2
7.	Calling Attention Notices in Rajya Sabha	2
8.	Short Duration Discussion in Lok Sabha	3
9.	Matter raised during Zero Hour	11
10.	Matter raised under Rule 377 in Lok Sabha	6
11.	Special Mention in Rajya Sabha	13

11. CONSULTATIVE COMMITTEE:

The Consultative Committee of Members of Parliament attached to the Ministry of Law and Justice was constituted on the 16th September, 2009 with 15 Members under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Law and Justice. During the year 2014, one meeting of the Consultative Committee attached to this Ministry was held on 15th December, 2014.

12. LEGISLATION UNDER CONCURRENT LIST

12.1 As per the Government of India (Allocation of Business) Rules,1961, the following subjects which fall within List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution as regards legislation only have been allocated to this Department:-

(a) marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, intestate and succession, joint family and partition;

(b) transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions, registration of deeds and documents);

(c) contracts, but not including those relating to agricultural land;

(d) actionable wrongs;

(e) bankruptcy and insolvency;

(f) trusts and trustees, administrators-General and Official Trustees;

(g) evidence and oaths;

(h) civil procedure including limitation and arbitration.

(i) charitable and religious endowments and religious institutions.

12.2 REPORTS OF THE LAW COMMISSION OF INDIA

At present, the Legislative Department is monitoring and pursuing Reports of the Law Commission of India on personal laws and on subjects mentioned in List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, with which this Department is administratively concerned. The recommendations of the Commission are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments of the Central Government, State Governments/Union territory Administrations.

12.3 JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT

A Joint Committee of the Houses of Parliament was constituted to examine the constitutional and legal provisions relating to office of profit during the 14th Lok Sabha and *inter-alia,* to suggest a comprehensive definition relating to the expression "office of profit" for the purposes of articles 102 (1) (a) and 191 (1) (a) of the Constitution. The Committee, after deliberations and taking evidence from the stakeholders and the State Governments, recommended for amendment of the Constitution for laying down a comprehensive definition of the expression "office of profit". Accordingly, a draft Note for the Cabinet on the subject "Action on the Report of the Joint Committee of Parliament constituted to examine the constitutional and legal provisions relating to Office of Profit" along with a draft Bill to amend the Constitution has been prepared in this Department and circulated to all the Ministries/Departments as well as the State Governments/ Union territory Administrations for their views/comments. Comments of certain State Governments/ Union territory Administrations and Ministries/Departments of the Central Government are still awaited.

12.4 PETITIONS AND OTHER COURT CASES RELATING TO PERSONAL LAWS AND OTHER SUBJECTS

The Legislative Department, being administratively in-charge of personal laws and matters relating to List III- Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Indian Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc; including office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and different High Courts. During the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014, eight fresh cases have been received. Para wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been prepared and conveyed to the Government Counsel.

12.5 MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILLS, 2010

The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010 which proposes to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 for making irretrievable breakdown of marriage as a ground of divorce was introduced in Rajya Sabha on 4th August, 2010 and the same was considered and passed by the Rajya Sabha on 26th August, 2013. Even though notice was given, the Bill could not reach for consideration and passing in the Lok Sabha, the fifteenth Lok Sabha was dissolved and hence the Bill got lapsed.

2. In view of the several representations made against the said Bill, the proposal to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 is under examination.

12.6 THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2012

The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2012 to provide for compulsory registration of Marriages as introduced in the Rajya Sabha on 7th May, 2012 was considered and passed by the Rajya Sabha on 13th August, 2013. Even though notice was given, the Bill could not reach for consideration and passing in the Lok Sabha, the fifteenth Lok Sabha was dissolved and hence the Bill lapsed.

Presently, the matter is being examined in this Department in consultation with concerned Ministries/ Departments.

12.7 STATE LEGISLATIVE PROPOSALS

Legislative proposals relating to the subjects allocated to this Department sponsored by the State Governments, which, by virtue of the provisions of clause (2) of article 254 of the Constitution, require assent of the President are scrutinised in the Department. During the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014, thirty four references relating to State Bills/Ordinances have been scrutinised.

13. INSTITUTE OF LEGISLATIIVE DRAFTING AND RESEARCH (ILDR)

13.1 Legislative Drafting is a specialised job which involves drafting skill and expertise. Continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills in drafting of laws. The existing resource persons need training and orientation to develop the aptitude and the skill in legislative drafting. In January, 1989, with a view to increasing the availability of trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice. Since its inception, ILDR has been imparting theoretical as well as practical training in Legislative Drafting. Dr. Sanjay Singh, Secretary, Legislative Department is the overall in-charge and Course Director of ILDR, who also functions as the controlling officer of the Institute. The following courses are conducted by ILDR:-

(i) Basic course in Legislative Drafting of three months' duration for the middle level law officers of the Central/State Governments/Union territory Administrations;

(ii) Appreciation Course of two weeks' duration for the middle level officers of the Central Government Ministries/Departments/Attached/Subordinate Offices and Central Public Sector Undertakings.

During the period under report, ILDR has conducted one Basic Course and two Appreciation Courses namely, the Twenty-Sixth Basic Course in Legislative Drafting and the Seventeenth and Eighteenth Appreciation Courses in Legislative Drafting.

13.2 TWENTY-SIXTH BASIC COURSE IN LEGISLATIVE DRAFTING

The Twenty-Sixth Basic Course in Legislative Drafting was organised from 25th July, 2014 to 24th October, 2014 for the benefit of the officers deputed by the State Governments/Union territory Administrations, in which fourteen trainee officers (two officers each from Kerala, Goa, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Chandigarh Administration) and one officer each from Sikkim and Tamil Nadu participated and completed the course.

13.3 SEVENTEENTH APPRECIATION COURSE

The Seventeenth Appreciation Course conducted from 16th June, 2014 to 30th June, 2014 was attended by nine trainee officers from various Ministries/Departments of the Central Government, Subordinate Offices, Attached Offices and other organisations of the Central Government.

13.4 EIGHTEENTH APPRECIATION COURSE

The Eighteenth Appreciation Course was conducted from 19th January to 2nd Febrruary, 2015 in which thirty nine officers from various administrative Ministries of the Central Government/Central Public Sector Undertakings, etc; have been trained.

13.5 LEGISLATIVE DRAFTING COURSE IN HINDI

A special Legislative Drafting Course in Hindi was conducted from 10-11-2014 to 10-12-2014 for the benefit of officers from various State Governments and Union territory Administrations, where Legislative drafting is undertaken in Hindi. A total number of seven officers participated and successfully completed this course. It may be mentioned that this special programme was organised at the time when ILDR completed 25 years of its existence and remarkable service rendered to the fraternity of Legislative Counsel in the Country.

In-house training for the benefit of the officers of this Department was conducted on 27-10-2014. This course has been introduced for the benefit of all ILS officers, Superintendents (Legal) and Assistants (Legal) which is designed to enhance their legislative drafting skills in drafting precise legislation.

13.6 RESULTS FRAMEWORK DOCUMENT (RFD)

The Central Government has taken a decision to put in place the Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in respect of every Ministry/Department. Results Framework Document (RFD) is the central instrument which has been designed for implementing the PMES. The Performance Management Division in the Cabinet Secretariat monitors the preparation and working of RFD. The RFDs for Legislative Department have been prepared, finalised and uploaded on the website of this Department. The tasks as per the RFD 2014-2015 are being undertaken to achieve the goal of best performance by the Department.

13.7 ILDR – AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTE

As part of the commitment made by the Department in RFD 2014-2015, an Action Plan to get ILDR ISO Certification was drawn up. Consequently, a Quality Management System (QMS) has been developed and put in place in ILDR. Thereafter, internal and external audits were undertaken and finally, ILDR has been awarded ISO 9001:2008 Certification on the basis of evaluation of the working of QMS in ILDR. The First Surveillance Audit in connection with the certification was carried out on 26th November, 2014 by the Certifying Body. The objective of the Audit was to determine the conformity of ILDR's QMS with the criteria set in for certification.

13.8 SILVER JUBILEE OF ILDR

The Silver Jubilee Celebration of ILDR was inaugurated by the Minister of Law and Justice Shri D.V. Sadananda Gowda on 19th February, 2015 at ILDR. He stressed the need to take ILDR to greater heights

as its service in imparting training in legislative drafting is unique in the country. He also assured that all efforts will be made by the Department to make ILDR an institution of national importance.

13.9 COMPUTER TECHNOLOGY IN THE FIELD OF LEGISLATION, ETC., INDIA CODE ON INTERNET AND NICNET

The Department has INCODIS Programme of retrieval of Central Acts as contained in India Code on the Ministry's website. This is a web enabled database which consists of unrepealed Central Acts of all India application. This provides full text search facility and contains all Central Acts available as on date from the year 1834. The Department is using the retrieval programme developed by the National Programme of the National Informatics Centre (NIC) for retrieval of Acts of Parliament. This programme also helps the Legislative Counsel in drafting and vetting of principal and subordinate legislation. Updating of the Acts of Parliament is being undertaken by the Department and is an ongoing exercise. This Department co-ordinates with the concerned administrative Ministries/Departments to update their entire text of data relating to India Code. The said retrieval system along with the Home Page, which is updated from time to time and is accessible on internet at www.indiacode.nic.in. The latest Bills introduced in Parliament and Ordinances promulgated may also be seen on the website.

Besides INCODIS, NIC has been providing support services such as, regular updating and maintenance of India Code Information System, Comprehensive DDO Payroll System, E-mail, etc. The Local Area Network (LAN) of the Department has now been restructured by replacing all the non-manageable network devices with manageable switches, thereby increasing the security and speed of the network. The backbone of all the networks had already been shifted to Fibre Optic Cable. All Sections, Officers of the level of Under Secretary and above and Personal Assistants to some senior officers in the main Secretariat have been provided with computers and are connected through LAN. A LAN has been set up in the Official Languages Wing through manageable network devices. The proposal to set up a LAN for Vidhi Sahitya Prakashan is underway.

The official webpage of the Legislative Department has been re-designed so as to give it a new and upgraded look with the help of NIC Cell.

It has been re-designed and disseminated in a more vibrant manner so as to reflect its historical background, functions, composition, work performed, courses conducted, important events and announcements, useful links, etc., and also to be an expression of the services rendered.

14. RTI APPLICATIONS

This Department has launched a separate webpage under the caption *"Right to Information"* on the Department's website and maximum information pertaining to this Department has been disseminated therein in consonance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 so as to ensure the object of proactive disclosure of information envisaged under the Act. Further, contact E-mail addresses have been created in coordination with the NIC Cell for Appellate Authority and Central Public Information Officer of this Department, so as to make this Department's website more user friendly for the public to utilise the provisions of the said Act. The contact e-mail address of the Appellate Authority is aa-rti-legis@nic.in and that of the Central Public Information Officer is cpio-rti-legis@nic.in.

Keeping in view, the various provisions of RTI Act, 2005, the applications received from the applicants are thoroughly examined and the available information collected from the concerned administrative units of the Legislative Department is provided to the applicants. Also, the applications which contain the subject matter pertaining to other Ministries/Departments of the Central Government are promptly transferred to the concerned Ministries/Departments in consonance with the relevant provisions of the said Act. Further, in case of first appeals, the same are independently examined by the Appellate Authority and disposed of within the prescribed time limit. During 2014-15 (1st April, 2014 to 31st December, 2014) Seven hundred and seven (707) applications seeking information under the said Act were received, which were promptly attended to by giving due reply to the applicants as per the provisions of the RTI Act and the rules made thereunder. All the Fifty six first appeals preferred before the Appellate Authority have been duly disposed of on merits during the period of 1st April, 2014 to 31st December, 2014. On account of handling of RTI applications, this Department has earned Rs.5655 /- towards application fee and photo copying charges till December, 2014.

15. CORRECTION SECTION

15.1 Maintenance of Central and State Codes

The Correction Section is responsible for maintenance and up-dating of the Central legislations, the Constitution of India and Orders issued thereunder, Manual of Election Laws, Central Ordinances, Regulations, President's Acts, General Statutory Rules and Orders and compilation of State Acts for the use of officers in the Ministry of Law and Justice. The amendments made by the amending Acts, passed by Parliament during the Budget Session, Monsoon Session and Winter Session 2014, which were brought into force, have been carried out in the master copies of India Code Volumes. This is an ongoing exercise. The Department has received State Acts from thirteen States for the year 2014, namely, Andhra Pradesh, Assam, Goa, Haryana, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Telangana, Jammu and Kashmir and Delhi. The Correction Section of this Department maintains master copies of the India Codes, which contains unrepealed Central Acts for reference by the Ministers-in-charge, officers in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) and the Law Officers of the Government of India. These are valuable reference books and are also used for publishing the revised editions of Acts by the Central Government. The Central Acts have been updated in the master copies of the India Codes including the amendment Acts of the year 2014. Index to Central Act (both Alphabetical and Chronological) is also been made available on NICNET and INTERNET. The website address of India Code is http://indiacode.nic.in

15.2 During the year 2014, Correction Section has received Gazette copies of forty one Acts of Parliament including one Constitutional Amendment Act, Appropriation Acts, Finance Acts and the following ten new principal legislations, namely:-

1. The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014)
2. The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014)
3. The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014)

4. The National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2014 (9 of 2014)

5. The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 (10 of 2014)

6. The Whistle Blowers Protection Act, 2011 (17 of 2014)

7. The National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014)

8. The Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 (30 of 2014)

9. The School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014)

10. The National Judicial Appointments Commission Act, 2014

15.3 During the said year, the Department has received the Gazette copies of fourteen Amendment Acts, namely:-

1. The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Act, 2014 (8 of 2014)

2. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014 (16 of 2014)

3. The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2014 (19 of 2014)

4. The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2014 (20 of 2014)

5. The Securities Laws (Amendment) Act, 2014 (27 of 2014)

6. The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2014 (28 of 2014)

7. The Apprentices (Amendment) Act, 2014 (29 of 2014)

8. The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2014 (31 of 2014)

9. The Merchant Shipping (Second Amendment) Act, 2014 (32 of 2014)

10. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Act, 2014 (33 of 2014)

11. The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2014 (34 of 2014)

12. The Central Universities (Amendment) Act, 2014 (35 of 2014)

13. The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014 (36 of 2014)

14. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2014 (39 of 2014)

16. GAZETTE NOTIFICATIONS

All the Gazette of India Notifications received in the Correction Section upto October, 2014 have been arranged in the respective folders and entered in the relevant Register.

17. STATE ACTS

During the year 2014, total 219 State Acts and 70 Ordinances were received from different States. All the Acts and Ordinances have been entered in the relevant Registers and Folders.

18. PRINTING SECTIONS

18.1 The Printing Sections of the Legislative Department, namely, the Printing I and Printing II, undertake the processing of legislation for printing at various stages. These two Sections handle the work relating to the editing of manuscripts of the Bills (including preparation of contents and annexures, wherever required), Ordinances, Regulations, Adaptation Orders, Orders issued under the Constitution of India, Delimitations Orders and other statutory instruments before sending them to Press. Proofs of the Bills, etc., are checked at multiple stages and after approval, the same are sent to Legislative I Section, which forwards them to Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariats for printing of the 'To be introduced in Lok Sabha/Rajya Sabha' stage copies. The Bills, which are required to be introduced at a short notice are also got printed by the Printing Sections on behalf of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

18.2 The printed copies of the Bill are examined at various stages, namely, 'To be/As introduced' stage, 'As passed by Lok Sabha/Rajya Sabha' stage, 'As passed by Both the Houses' stage, 'Assent Copy' stage, 'Signature Copy' stage and at last, after assent of the President, the Act is prepared and processed for publication in the Official Gazette. Immediately thereafter, the Act is prepared and edited again for publishing the same as A-4 stage copy for public sale. Proofs of the A-4 size copies of the Acts are again scrutinised and get approved before returning to the Government Press for final printing and the printed copies of the Acts are checked for errata and released for sale.

18.3. The editing and proof-checking of various other publications like the Constitution of India, Manual of Election Laws, India Code, Acts of Parliament, updated diglot editions of the Central Acts, etc., are also undertaken by the Printing Sections, as per the departmental requirements.

18.4 During the period from the 1st January, 2014 to the 31st December, 2014, the following tasks were undertaken by the Printing I and Printing II Sections, namely:-

(*a*) processing and enactment of some important Acts, like the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014 (16 of 2014), the Whistle Blowers Protection Act, 2011 (17 of 2014), the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 (30 of 2014) and the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014);

(*b*) edited and checked the manuscripts, proofs, scrutiny copies of 104 Bills, 9 Ordinances and 1 Delimitation Order;

(*c*) edited and checked 40 Acts of Parliament and the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014 for the year 2014 as published in the Official Gazette;

(*d*) checked and edited manuscripts of 41 Central Acts, for publishing in A-4 size for public sale. Out of 41, 38 Central Acts were sent to the Press for printing. 3 Central Acts are under process;

(*e*) checked the proofs and printed copies of 27 Central Acts for the year 2014 and the checked copies were sent to the Press for release for public sale;

(*f*) checked the proofs and printed copies of 19 Diglot modified editions of Central Acts;

(*g*) scrutiny of the printed copies of 3 Diglot modified editions is under process;

(*h*) checked the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959);

(*i*) checked the computer printout and printed copy of Volume I and Volume II of Manual of Election Laws;

(*j*) checked the computer printout and printed copy of the Constitution of India;

(*k*) checked the proof and printed copy of India Code Volume XXXI;

(*l*) checked computer printout of Acts of Parliament for the year, 2010;

(*m*) scrutiny of the computer printout of Acts of Parliament for the year, 2011 is under process.

19. GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.O). SECTION

Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, a scheme for maintaining subordinate legislation up-to date and making the same available expeditiously to the public was formulated. The subordinate legislation under an enactment is prepared and issued by the Ministry or Department which is administratively concerned with the Act, after getting it vetted from Legislative Department. The administrative Ministries are required under the said scheme, to maintain folders, containing up-to-date copies of rules, orders and notifications issued by them. The revised edition of the Central Acts is published by the Legislative Department and the subordinate legislation under the Acts are published by the administrative Ministry or the Department concerned.

The Rajya Sabha Committee on Subordinate Legislation, in its 135th Report has categorically recommended that Ministries, as part of their e-governance initiative may, put all legislation on their websites, preferably bilingually. The Committee has further recommended that the Ministry of Information Technology would develop standard application software with an internet interface for use in all Ministries, which would provide a searchable database of Subordinate Legislation linked to the principal Acts, administered by the respective Ministry.

General Statutory Rules and Orders Section (GSRO) has during the year 2014, sorted out the Gazette copies of various notifications relating to Subordinate Legislation issued by different Ministries/Department under Part-II, Sections 3, Sub-sections (i) and (ii), both pertaining to Ordinary and Extraordinary notifications up to the month of December, 2013 and kept ready for binding.

Entries of various notifications under Subordinate Legislation have been made in the Alphabetical Register relating to Part-II, Section3, Sub-Section (ii) of Extraordinary notifications.

The Gazette copies of the notifications received for the year August 2011 to December 2012, for Part-II Section 4 , Sub-Section (i) and (ii) of Extraordinary notifications and also Part-II, Section 4, of various Ministries /Departments, (Ordinary and Extraordinary) have been sorted out and entries relating to Part-II,

Section3, Sub-Section (i) and (ii) (Ordinary and extra Ordinary) notification shall be made in the Registers. GSRO Section also maintains alphabetical register regarding General Statutory Rules and Orders (GSRO) issued by the various Ministries in the Gazette of India and also compiles them in book form for official use. Entries in these alphabetical registers have been completed up to the month of January, 2012.

20. INTEGRATED FINANCE AND BUDGET AND ACCOUNTS SECTION (IFD)

20.1 The Integrated Finance and Budget and Accounts Section is responsible for the work relating to preparation of Budget Estimates and Revised Estimates for all the three Departments of the Ministry of Law and Justice, namely, Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice and also for various autonomous bodies such as ICADR, ICPS, BCI, ITAT, NALSA, Supreme Court Legal Association etc. Further, the work relating to finalisation of Budget, Pre-Budget Discussion, Vote on Account and seeking supplementary/ additional funds are also looked after by this Section. The preparation of the Detailed Demands for Grants of the whole Ministry including Election Commission of India and Supreme Court of India is also done by Budget and Accounts Section. The Section is also accountable for preparing and printing of the Annual Report and Outcome Budget of the Ministry of Law and Justice. Apart from this, the Section is also dealing with the proposals which involve financial implications and wherever specific opinion is required to be taken from the Ministry of Finance. The work relating to Parliamentary Standing Committee on Demands for Grants for the Ministry of Law and Justice is also co-ordinated by this Section.

20.2 IF&B&A Section is also responsible for the work relating to provisional release of funds to the States/Union territories (having Legislatures) on account of Election related expenditure under the Major Head 2015. The Section releases the funds under the following categories:

20.3 Electoral Offices: This relates to day to day establishment related expenditure including salaries of election staff. The expenditure is shared on a 50:50 basis between the Government of India and State Governments /Union territories (having Legislatures).

20.4 Preparation and Printing of Electoral Rolls: This relates to printing of electoral rolls and excludes expenditure incurred on computerisation of electoral rolls undertaken by the State Governments /Union territories (having Legislatures) on the direction of the Election Commission of India to them.

20.5 Charges for conduct of elections to the Lok Sabha - This expenditure is borne fully by the Union Government when such elections are held independently but shared in equal proportion when held simultaneously with State Legislative Assembly elections.

20.6 Charges for conduct of elections to Parliament (Rajya Sabha)- This expenditure is borne fully by the Union Government.

20.7 Issue of Photo Identity Cards to Voters - This expenditure is shared on a 50:50 basis between the Government of India and States/Union territories (having Legislatures) and is a recurring expenditure.

20.8 Expenditure on Electronic Voting Machines (EVMs) and Expenditure on Presidential and Vice-Presidential elections- This expenditure is borne fully by the Union Government.

21. PUBLICATION SECTION

Publication section brings out, from time to time, modified editions of the Central Acts and other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Law, Orders issued under the Constitution of India, Index to Statutory Definitions, etc.

The Constitution of India (Pocket Size, Diglot edition, 2014) has been printed. The Manual of Election Law (Diglot edition, 2014 volume I and volume II), has been printed.

Annual Volume of the Acts of Parliament in book form for the Year 2010 has been sent to printing press. Annual Volume of the Acts of Parliament for the Year 2011 is under final stages for forwarding to printing press. The Acts of Parliament for the Year 2012 and 2013 are under process for compiling into book format.

Central Acts from year 1971 till the year 1985 have been compiled for bringing out the revised/modified edition of India Code in diglot form. Manuscript of modified English version of 5 Central Acts duly incorporating the latest amendments has been prepared and scrutinised, and forwarded to the Official Languages Wing for diglot edition.

22. THE OFFICIAL LANGUAGE SECTION

22.1 The **Official Language Section** of the Legislative Department is administratively responsible for the effective implementation of the Official Language Policy of the Union of India, the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. This Section is also responsible for the increase of the progressive use of Hindi for official purposes of the Union, in addition to translation of various materials from English to Hindi and vice-versa.

22.2 Implementation of Constitutional and other provisions regarding the Official Language Policy

During the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014, the Legislative Department has taken the following steps to implement the Official Language Policy :-

As per the provisions of the Official Language Rules 1976 , at present, more than 90% , 83% and 60% letters to regions 'A' , 'B' and 'C' are being sent in Hindi respectively. Constant efforts are being made in this regard to achieve the targets stipulated in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The replies to the letters, applications, representations etc., received in Hindi are being sent invariably in Hindi. All the Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative Reports, other Reports and Documents laid before Parliament, Contracts, Notices etc., are issued bilingually as per sub-section (3) of section 3 of the Official Language Act, 1963 .

Legislative Department was notified on 29th April, 1979 under sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language Rules, 1976. The officers and employees who are proficient in Hindi have been directed to submit the drafts etc., only in Hindi. For this purpose, 17 Sections out of 31 have been specified to transact the official work in Hindi under sub-rule (4) of rule 8 of the Official Language Rules, 1976.

22.3 The Quarterly Progressive Reports for the Progressive Use of Official Language Hindi

The Quarterly Progressive Reports of Hindi are regularly being sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Through these Reports, position of employees regarding Hindi training and their overall work in Hindi are reflected and it is ensured that the percentage of correspondence as well as noting and drafting in Hindi increase as per the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

22.4 Meetings of the Official Language Implementation Committee

An Official Language Implementation Committee has been constituted in this Department under the Chairmanship of the Joint Secretary and Legislative Counsel (OL Wing). The meeting of this Committee is held once in every three months regularly to assess the progressive use of Hindi for official purposes. The agenda and minutes of these meetings are sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The minutes are also circulated to all the officers and Sections of the Department for compliance. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held during the year on **26th March, 2014 (1st), 16th June, 2014 (2nd), 4th September, 2014 (3rd) and 16th December, 2014 (4th)** respectively. This Committee provides effective means to identify problems and find out the solutions for the progressive use of Hindi. In the meetings of this Committee, the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union in Hindi is also discussed and every effort is made to achieve the prescribed targets therein. The orders, circulars, directives, notifications, resolutions, recommendations etc., regarding the implementation of Official Language Policy of the Union of India are also discussed in these meetings.

22.5 Hindi Advisory Committee

As per the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Law and Justice was constituted on 4th August, 1967 under the Chairmanship of the Minister of Law and Justice. This Committee has jointly been constituted for Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Committee comprises the Members of Parliament, nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs and the Committee of Parliament on Official Language, the nominees of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, nominees of prominent All India Hindi Voluntary Organisations, nominees of the Ministry of Law and Justice and those of Department of Official Language as non-official members. The Secretaries, Additional Secretaries and the concerned Joint Secretaries of the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Official Language are the official members of this Committee.

After formation of the 16th Lok Sabha, the process of reconstitution of the committee has already been started with the approval of Hon'ble Minister of Law and Justice. Once the nomination proposals for the non-official members from all the department/organizations/institutions concerned, the committee will be reconstituted at the earliest and the timely meetings of the same will be held as per the prescribed rules/ guidelines.

22.6. Hindi Training

This Department nominates its officers/employees for various training courses of Hindi conducted by Hindi

Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These Hindi Language Courses are *Prabodh, Praveen* and *Pragya.* There are training courses for Hindi typing and Hindi shorthand also. The nomination to these Hindi courses is a continuous process as the officers/employees get recruited, promoted and transferred on regular basis.

22.7 Hindi Fortnight

A 'Hindi Fortnight' from **9th September to 23th September, 2014** was organised in this Department. Various Hindi competitions were held during this period and a large number of officers and employees participated in these competitions. Out of these, two competitions were organised exclusively for non-Hindi speaking personnel. The first, second, third and consolation prizes of Rs.2000/-, Rs.1500/- Rs.1000/- and Rs.500/- respectively have been awarded to the winners of the competition. Total seventy one cash prizes worth Rs.55,500/- were given to the officers and staff of the Department on the prize distribution ceremony held on **24th September, 2014**.

22.8 Incentive Schemes for working in Hindi

There are three incentive schemes in operation in the Department for the progressive use of Hindi. First scheme is for the original noting and drafting in Hindi under which, ten employees won the prizes during the year. The second scheme is for English Stenographers/typists who attend to Hindi stenography/typing work. The third scheme is for the officers who give dictation in Hindi besides English. Total cash prizes of Rs. 10,600/- and Rs.1,920 were given to the officials for the first and second incentive schemes respectively. Apart from these schemes, officers and employees are granted cash prizes and advance increments on passing the Hindi Training Courses of Hindi Language, Hindi shorthand and Hindi typing conducted by the Hindi Teaching Scheme.

22.9 Committee of Parliament on Official Language

The Committee of Parliament on Official Language was set up in 1976 to monitor and give suggestions for the progressive use of the Official Language in Central Government Ministries/Departments and their offices. As far as Legislative Department is concerned, orders issued by the Department of Official Language, based on the recommendations of this Committee are being implemented.

Details regarding correspondence, employees, etc. is at **Annexure-VI**.

23. OFFICIAL LANGUAGES WING

23.1 FUNCTIONS

The Official Languages Wing is a successor Organisation of the Official Languages (Legislative) Commission under the Legislative Department. It has been entrusted with the following functions :-

(i) Preparation and publication of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Official Languages;

(ii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;

(iii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Rules, Regulations and Orders made by the Central Government under any Central Act or any Ordinance or Regulation promulgated by the President;

(iv) Preparation of authoritative texts of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and to arrange for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and

(v) Translation into Hindi of deeds, legal documents like contracts, agreements, leases, bonds, mortgages etc. of different Departments;

(vi) Translation into Hindi of all statutory Notifications under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 ;

(vii) Translation into Hindi of statutory Rules issued by Governments of States under Presidential Rule;

(viii) Translation into Hindi of all the Parliament Questions/Answers, Assurances etc, relating to the Ministry of Law and Justice;

(ix) Training in Legislative Drafting in Hindi to Officers from Hindi speaking States;

(x) Work relating to Coordination Committee of Hindi speaking States for ensuring effective coordination in the evolution of uniform legal phraseology and model of standard clauses in Hindi and publication thereof;

(xi) Work relating to Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice;

(xii) Work relating to providing Grants-in-Aid to voluntary organisations for promotion of Official Languages in the field of law;

(xiii) Publication of diglot editions of Central Acts (with legislative history) and popularisation thereof;

(xiv) Preparation and maintenance of India Code in Hindi (Bharat Sanhita) and also in diglot form; and

(xv) Publication of regional language versions of the Constitution of India and their release.

23.2 LEGAL GLOSSARY

Since the inception of Official Languages (Legislative) Commission in 1961, six editions of Legal Glossary have been brought out and every successive edition is larger in size. While the first edition (1970) contained 20,000 entries, the latest sixth edition (2001) of Legal Glossary contained approximately 63,000 entries spread over in eight parts. The Legal Glossary brought out by the Official Languages Wing, which is one of the most important and prestigious publications, has received wide acclaim by discerning men of law and letters. 7th Edition of Legal Glossary has been published and is ready for being released.

23.3 CONSTITUTION OF INDIA

Besides, the authoritative text of the Constitution of India in Hindi (the Official Language of the Union), the authoritative texts of the Constitution have been brought out in 15 other regional languages, namely, Assamese,

Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani.

23.4 BHARAT SANHITA

All the Central Acts have been compiled and brought out in the form of India Code in handy volumes. The last edition of India Code consisting of eight volumes was published in 1959. Action has already been initiated for bringing out Bharat Sanhita (Revised Edition of India Code) in diglot form in chronological order.

One of the salient features of the Code is that the statement of objects and reasons appended to the principal Bills have also been added at the end of each Act and included in the revised edition of India Code. Volume I to XXXI of the revised edition of India Code have already been published and manuscripts of the India Code Volume XXXII and XXXIII have been sent to Press.

23.5 PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF CENTRAL ACTS

During the period under report, authoritative texts of about 25 Acts in Hindi have been published in the Official Gazette under section 5 (1)(a) of the Official Languages Acts, 1963. Now the total number of such Acts since 1963 have gone up to 2347.

23.6 PUBLICATION OF DIGLOT EDITIONS OF CENTRAL ACTS

Central Acts, for which there is likelihood of public demand, are published by the Official Languages Wing in diglot form. When there is a public demand for a particular Act, the same is published in diglot form (Hindi & English) for sale to general public. Total number of such Acts is 401 as on date.

23.7 AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF BILLS ORDINANCES, ETC.

Sub-section (2) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that all Bills to be introduced or amendments thereto moved in either House of the Parliament shall be accompanied by Hindi translation of the same. During the period under report, the Hindi translation of 92 Bills, simultaneously with their English texts, was supplied to the Houses of Parliament. Besides, Hindi translation of 6 Ordinances, 7 Notes for the Cabinet and 15 Acts were also prepared.

22.8 GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.Os)

Sub-section (3) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 lays down the foundation for bilingual working of the Central Government. Under clause (1) of that sub-section, all resolutions, general orders, rules, notifications etc., issued or made by the Central Government must be both in Hindi and English languages. During the period under report, 14132 pages of such statutory rules/notifications etc., were prepared for different Departments of the Central Government.

23.9 PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF RULES, REGULATIONS, ORDERS ETC.

Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette of any Order, Rule, Regulation or

Bye-law issued under the constitution or under any Central Act shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Some Rules, Regulations, Orders etc., are at different stages of translation. During the period under report, 3239 pages of Recruitment Rules were translated. Authoritative texts of seven Regulations were published under sub-section 3(1)(b) of the said Act.

23.10 MAINTENANCE OF CENTRAL ACTS, ETC.

The Correction Section of the Official Languages Wing is maintaining and updating the Central legislations kept as master copies in the form of India Code, India Code (Diglot) as well as Bharat Sanhita. It also keeps Constitution of India and important manuals including Manual of Election Law up-to- date for reference by the officers in this Wing. This Section is responsible for carrying out the amendments made by the amending Acts passed by the Parliament in the aforesaid master copies of Central Acts.

Besides, manuscripts of Hindi Central Acts for publication in diglot form have also been prepared and printed copies of 14 diglot edition and 4 Gazette copies published by O.L. Wing. These have been supplied to the State Governments and High Courts.

During the year, manuscript of two diglot Acts were prepared by this Section.

In addition to the above, this Section -

(a) supplied 17 up-to-date Central Acts (diglot edition) and 2 Gazette copies to various State Governments for translation into various regional languages; and

(b) supplied Gazette copies of Hindi version of Central Acts to Hindi speaking States for re-publication in their State Gazettes.

(c) This year Index to Central Acts in Alphabetical and chronological order (Diglot) and Constitution of India (Diglot) were prepared and published.

23.11 EDITING OF MANUSCRIPTS OF BILLS, ACTS, ORDINANCES, DIGLOT EDITIONS, ETC. AND PUBLICATION THEREOF

The Printing Section of the Official Languages Wing is primarily concerned with the editing of manuscripts and checking of proofs of Bills, Ordinances, Regulations, President's Acts etc; issued under the Constitution of India, Delimitation of Council Constituencies orders, etc; Bills, which are required to be introduced in a short time, are also printed on behalf of the Houses of People or the Council of States. Editing and Proof-Checking of the publication in diglot form of the Constitution of India, Manual of Election Law, revised Edition of India Code, modified diglot edition of Central Acts, statutory Rules and Orders, Annual Reports etc. are also done in this Section. This Section is also responsible for the printing and publication of Central Acts, Ordinances, Regulations, President's Act, etc; and their subsequent reprints in diglot form as publication for sale. This Section discharged all its responsibilities during the year under review.

The Printing Section of the Official Languages Wing is also performing the duties of the publication Section. During the period under report, 25 Acts were authenticated and 11 Ordinances were got published by this Section. Moreover, 6 diglot and one order [Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 2014] were published.

Besides, the pocket edition of Constitution of India (as on 25th March, 2014) in diglot form has been brought up to date by incorporating therein all the amendments made by Parliament up to and including Constitution (Ninety-Eight Amendment) Act, 2012 and the same has also been put on the website of this Ministry.

23.12 PREPARATION AND PUBLICATION OF STANDARD LEGAL DOCUMENTS

Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government. or any Ministry, Department or office thereof. In order to comply with the requirement of the said Act, the Official Languages Wing has prepared Hindi version of the documents in eight volumes for various Ministries and Departments of the Central Government with a view to achieve uniformity in their translation. During the period under report, the Hindi version of 2281 pages of Parliament Questions Answers/ Assurances of this Ministry was also prepared.

23.13 ESTABLISHING THE INDIAN LANGUAGES IN THE SPHERE OF LAW

The Official Languages Wing, Regional Languages Unit is constantly doing the work of translation of Central Acts into Hindi as enshrined in the Eighth Schedule to the Constitution of India. So far as the regional languages are concerned, this work is being done with the co-operation of respective State Governments.

The Official Languages Wing has also published the authoritative texts of Central Acts in regional languages as envisaged under section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973). During the period under report, translation of 10 Central Acts have been approved by the Working Group (Regional Languages) and 14 Central Acts (Gujarati – 5, Telugu – 5 and Urdu – 4) in these Regional Languages and 25 Central Acts in Hindi have been authenticated as authoritative texts by the President of India. Besides the Authoritative texts of the Constitution of India in addition to Hindi has been brought out in 15 other regional languages that is, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telgu, Urdu, Sindi, Nepali and Konkani.

23.14 WIDE DISTRIBUTION OF CENTRAL ACTS, LEGAL GLOSSARY ETC.

The Gazette copies of Hindi version of Central Acts after they have been authenticated and published in the Gazette of India have been sent to Hindi speaking Sates. They were also sent to Gujarat and Maharashtra and the High Courts in these States. Further, these copies were sent to the concerned Ministries and Departments of Government of India, Andaman and Nicobar Islands, the Nagri Pracharini Sabha, Parliament Library and other Libraries. Copies of the Central Acts in diglot form are regularly sent to all States (Hindi as well as non-Hindi speaking States), Supreme Court of India, Parliament Library and all High Courts.

23.15 WORK RELATING TO THE HINDI SALAHKAR SAMITI

The Eleventh Hindi Salahkar Samiti of this Ministry, the tenure of which expired in July, 2013, has been reconstituted in the month of August, 2013 *vide* resolution No.E.4(1)/2009-O.L.(LD) dated 7th August, 2013 for remaining tenure of 15th Lok Sabha which consists of Lok Sabha and Rajya Sabha Members and about eleven official members and invitees. The functions of the Samiti are to advise the Central Government on matter relating to :-

(i) preparation of Hindi version of Central Acts and statutory rules ;

(ii) the evolution of common legal terminology ;

(iii) the production of standard law books in Hindi for imparting legal education in Hindi in law colleges and Universities ;

(iv) publication of law journals and reports in Hindi ;

(v) matters ancillary and incidental to any of the above items ; and

(vi) suggest ways and means for the propagation and development of Hindi in the field of law for official use.

23.16 GRANTS IN AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS

There is a scheme for the promotion of Official Languages of the Union and States for propagation and development of Hindi and other Indian languages in the field of law. Under the scheme ,Voluntary Organisations and institutions are provided with financial aid. Since 1985, the Official Languages Wing has been implementing this scheme to give financial assistance to those voluntary organisations which are engaged in the activities for development and propagation of literature in the field of law and other regional languages which could be in the form of proposed commentaries, treatises, books on legal subjects, law journals, law compendium and other publications as are conducive to enrichment, propagation and development of Hindi and other regional languages of the State. A Committee constituted under the Chairmanship of Mr. Justice H. R. Malhotra (Retd.) sanctioned the financial assistance amounting to Rs. 2,99,500/- to nine voluntary organisations for the year 2013-14.

23.17 SPECIAL STEPS ADOPTED FOR THE PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGES

The URL of the Official Languages Wing is **http://lawmin.nic.in/olwing.** The important Acts of Parliament translated into various regional languages have been hosted under the respective languages on the home page of the O.L. Wing. In order to provide softcopies of the Recruitment Rules/Notifications etc; the O.L. Wing has started using Unicode font also.

The Constitution of India, I.P.C., Cr. P.C. and the Manual of Election Law have already been hosted on the net. This website has been further enriched by putting a list of Acts and a list of Rules and Regulations.

During the period under report, Bill Section, Translation-I Section, Translation-II Section, Legislative-I Section, Legislative-II Section, Printing Section, Correction Section, Administration Section, Cash Section and Library of O.L. Wing have been fully computerised. The camera ready copies of some important Bills were prepared during the period under report. A list of names, addresses and contact numbers of all the Group 'A' officers of the O.L. Wing in English and Hindi have also been hosted on the Net.

The Scheme for Assistance to Voluntary Organisations for promotion of Official Languages in the field of law has also been hosted both in English and Hindi on the Net.

24. VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

In the year 1958, the Committee of Parliament on Official Languages recommended to make arrangements to bring out authorised translation of important judgments of the Supreme Court of India and the High Courts and to entrust this task to a Central Office under the supervision of Law Department. Thereafter, on the recommendations of the Hindi Advisory Committee, a Journal Wing was set up in the Legislative Department in the year 1968 with the object of promoting the use of Hindi in the field of law. This Wing was subsequently redesignated as "**VIDHI SAHITYA PRAKASHAN".**

24.1 Initially, a monthly publication of all the reportable judgments of the Supreme Court of India, as marked 'REPORTABLE' was started in April, 1968 and it was designated as "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". Another monthly publication containing judgments of the High Courts was started in January, 1969 and it was designated as "Uchcha Nayayalaya Nirnaya Patrika". In the year 1987 "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika" was bifurcated into two Nirnaya Patrikas i.e. "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika". Later on, due to ever-increasing volume of Supreme Court's reportable judgments as well as dearth of requisite editorial staff in the Legislative Department, the "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika" only included selected reportable judgments of the Supreme Court. The "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika" also contains only important and selected judgments in civil and criminal matters.

24.2 Vidhi Sahitya Prakashan is also responsible of the following functions, namely :–

(a) Publication of text books in Hindi in the field of law for use in the academic and others as reference books;

(b) translation and publication of legal classics in Hindi ;

(c) awarding of various prizes for the best publications in Hindi in the field of law;

(d) sale of Hindi publications of the Vidhi Sahitya Prakashan and diglot editions etc. of the Official Language Wing of the Legislative Department ; and

(e) holding of conferences, seminars and book exhibitions at different parts of the country, particularly in Hindi speaking States for popularisation and improvement of legal literature in Hindi;

24.3 In addition to above, standard law books in Hindi written by eminent authors are also being published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the use of law students, law teachers, lawyers and judicial officers. In order to give incentive to authors writing law books originally in Hindi and to publishers in the private sector, the prizes and certificates are awarded annually for best publication in Hindi in the field of law.

24.4 Seminars in the premises of law colleges, High Courts, District Courts etc., in the Hindi as well as non-Hindi speaking States are held form time to time for propagation and development of Hindi in the field of law. Vidhi Sahitya Prakashan also holds exhibitions of its own publications, including diglot (Hindi-English) editions of the Central Acts of the Official Languages Wing in High Courts and District Courts etc. of different Hindi and non-Hindi speaking States and looks after the sale of these publications.

24.5 A quarterly journal entitled 'Vidhi Sahitya Samachar' is also being published which contains detailed information regarding various activities in the field of law and publications of the Vidhi Sahitya Prakashan. It has been updated upto December, 2014. A 'Publication List' containing priced publication available with Vidhi Sahitya Prakashan is also made available to the people and customers.

24.6 Publication of Nirnaya Patrika : During the period under report, at the editing/translation stage, the 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' has been updated upto November, 2014, 'Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika' has been updated upto July, 2014 and 'Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika' has been updated upto September, 2014.

During the year 2014 the number of the subscribers of the Patrikas is as under :-

Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika	161
Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika	149
Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika	149

24.7 Award of Prizes : Under the Scheme for writing, translating and publication of law books in Hindi and awarding prizes to such books written or published in Hindi for use as text books or reference books, the award to the tune of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five lakh only), [the 1st prize for Rs. 50,000/-(Rupees fifty thousand only), 2nd prize for Rs. 30,000/-(Rupees thirty thousand only) and 3rd prize for Rs. 20,000/-(Rupees twenty thousand only)] are awarded annually for the best publication in Hindi in the five principal branches of law which are based on recommendations of Evaluation Committee. On the recommendation of the Evolution Committee meeting, held on 31st January, 2014, the Sixteen Law Books in Hindi were awarded of Rs.4,40,000/- (Rupees Four Lakh and Forty Thousands only).

24.8 Publication of Books : So far 34 standard law books in Hindi have been published by Vidhi Sahitya Prakashan.

24.9 Seminars, Exhibitions and Sale of Books, etc. : In the year 2014 (from January to December) exhibition-cum-sale Counters were held at District Courts of Jaipur, Jodhpur, Rajasthan High Court at Jodhpur and Bench at Jaipur, World Book Fair, New Delhi, District Courts of Ghaziabad, Bulandshahar, Tishazari, Patiala House, Dwarka, Rohini, Saket, Karkardooma and Delhi High Court. . A number of Books and Central Acts were also sold in these exhibitions.

During the period from 1st January to 31st December, 2014, the gross sale figure of Vidhi Sahitya Prakashan is Rs. 62,99,221/- (Rupees Sixty Two Lakhs Ninety Nine Thousand and Two hundred Twenty One only).

25. DEPUTATION/DELEGATION ABROAD : LEGISLATIVE DEPARTMENT

1. Smt. Veena Kothavale, Deputy Legislative Counsel and Smt. Akali V. Konghay, Deputy Legislative Counsel in the Legislative Department visited Colombo, Sri Lanka from 26th May, 2014 to 31st May, 2014 to attend the 24th South Asia Teaching Session (SATS) on International Humanitarian Law (IHL).

2. Shri Ramisetty Sreenivas, Deputy Legislative Counsel in the Legislative Department visited Vienna, Austria from 6th to 7th January, 2015 to attend second meeting of the India-US Contact Group.

26. RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN SERVICE POSTS

An Officer of the level of Director is functioning as Liaison Officer for the three Administrative Wings of the Legislative Department, viz., Legislative Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan to oversee the implementation of Orders/Instructions of the Government on reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and Physically Handicapped persons in service/posts in respective units.

A Statement showing the total number of employees in the Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan and number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped persons and the female employees amongst them as on 10.01.2015 is enclosed at **Annexure-VII.**

CHAPTER-III
DEPARTMENT OF JUSTICE
(NYAYA VIBHAG)

1. ORGANISATION AND FUNCTIONS

The Department of Justice forms part of the Ministry of Law and Justice. It is headed by Secretary (Justice). The Organisational setup includes three Joint Secretaries, five Directors/Deputy Secretaries and Seven Under Secretaries. The Sanctioned Strength of the Department of Justice is 71 out of which 20 posts are lying vacant. Out of 51 present incumbents only 05 women officer/officials (including 02 women consultants) are working in this Department. The shortfall in work strength is being compensated by engaging retired government officers/officials as consultant. At present 11 Consultants are working in the Department of Justice. The functions of the Department of Justice include the appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court of India and Chief Justices and Judges of the High Courts and their service matters. In addition, the Department implements important schemes for infrastructure development of subordinate courts, as also the computerization of courts. The Organisational Chart of the Department of Justice is at **Annexure-VIII.**

2. As per the Government of India (Allocation of Business Rules-1961 as amended from time to time), the subjects handled by the Department of Justice, inter-alia, include the following :-

i. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowance), pensions and travelling allowances.

ii. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States, their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances;

iii. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories;

iv. Constitution and organization (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein.

v. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts.

vi. Administration of justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.

vii. Courts fees and Stamp duties in the Union Territories.

viii. Creation of All India Judicial Service.

ix. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.

x. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court.

xi. Legal Aid to the poor.

xii. Administration of Justice

xiii. Access to Justice Delivery and Legal Reforms.

2. APPOINTMENT OF JUDGES

A. THE SUPREME COURT OF INDIA

The Judge strength of the Supreme Court (including the Chief Justice of India) is 31. During the period from 01.04.2014 to 31.12.2014, 7 appointments of Judges were made in the Supreme Court of India. As on 01.01.2015, 28 Judges are in position, leaving 3 vacancies of Judges to be filled.

Shri Justice R.M. Lodha was appointed as Chief Justice of India on 27.04.2014 and he retired on 27.09.2014 on attaining the age of superannuation. Shri Justice H.L. Dattuhas assumed the office of the Chief Justice of India with effect from 28.09.2014.

B. HIGH COURTS

Against the sanctioned strength of the High Court Judges of 984, as on 01.01.2015, 639 Judges are in position, leaving 345 vacancies of Judges to be filled.

During the period from 1.4.2014 to 31.12.2014, 59 vacancies occurred in High Courts due to superannuation, elevation to Supreme Court, etc. The Judge strength of the High Courts has also increased from 906 to 984.

48 fresh appointments of Judges/Additional Judges were made in various High Courts from 1.4.2014 to 31.12.2014. In addition, 59 Additional Judges were appointed as Permanent Judges and the term of 3 Additional Judges was further extended.

C. INCREASING THE JUDGE STRENGTH OF THE HIGH COURTS

Following the Joint Conference of Chief Justices and Chief Minister, held on 7.4.2013 a decision was taken to increase the number of judges of the High Courts by 25%. Accordingly, in principle approval of the Chief Justice of India was obtained and efforts are underway to increase the Judge strength of High Courts from the present 906 to 1112.

After receipt of concurrence of State Governments/concerned High Courts and with the approval of the Chief Justice of India, the Judge Strength of the High Courts of Delhi, Himachal Pradesh, Jharkhand, J&K, M.P, Punjab& Haryana have been increasedw.e.f. 01.07.2014 and the Judge Strength of the High Courts of Karnataka, Orissa, Rajasthan, and Uttarakhandhave been increased w.e.f. 14.10.2014.

The judge strength of High Courts thus stands increased from 906 to 984. The sanctioned strength of judges of High Courts will increase further after concurrence of remaining High Courts/State Governments. However in respect of the High Court of Allahabad, the Chief Justice of Allahabad High Court had pointed out the

infrastructural and other constraints coming in the way of accommodating the increased number of Judges in that High Court. In view of the existing vacancies and infrastructural constraints, it has been decided with the approval of the Chief Justice of India that the proposal to increase the Judge strength of Allahabad High Court may presently be kept in abeyance till the infrastructure required to accommodate the additional posts of Judges proposed to be created becomes available in all respects.

D. LEGISLATION:

For changing the existing system for appointment of Judges in the higher judiciary, two Bills titled 'The Constitution (One Hundred and Twenty First Amendment) Bill, 2014'and 'The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014' were passed by the Lok Sabha on 13.08.2014 and Rajya Sabha on 14.08.2014 respectively.

These Bills provide for amending the Constitution to establish a National Judicial Appointments Commission (NJAC) for appointment of Judges of Supreme Court and High Courts. The Bills have since received the assent of the President after ratification of the Constitution Amendment Bill by the requisite number of State Legislatures. The Constitution (One Hundred and Twenty First Amendment) Bill, 2014, enacted as the Constitution (Ninety Ninth Amendment) Act and the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 have been published in Gazzatte on 31st December 2014. The Government is now in the process of establishing the National Judicial Appointments Commission.

3. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

The National Judicial Academy (NJA), Bhopal, an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860, is under the administrative control of the Department of Justice. This is an Apex body to impart judicial training to Judges/Judicial officers of the country and provide facilities for training of ministerial officers working in the Supreme Court, study of court management and administration of justice in the States/Union Territories, organisation of conferences, seminars, lectures and research in matters relating to court management and administration. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council which is chaired by the Chief Justice of India. The Academy is fully funded by the Government of India.

A grant of Rs.325 lakhs (as 1st instalment) and Rs.350 lakhs (as 2nd instalment) has been released to the Academy during this year from the budgetary provision of Rs.1074 lakhs for the year 2014-2015. Utilization Certificates (UCs) for Rs.325 lakhs have been received so far from the Academy.

Annual Report and Audited Accounts of the Academy for 2012-2013 were examined and laid on the Table of both the Houses of Parliament during the winter Session. The Process to lay the Annual Report and Audited Accounts of the Academy for 2013-14 on the Table of both Houses of Parliament is underway.

4. FAMILY COURTS

The Family Courts Act, 1984 was enacted to provide the establishment of Family Courts with a view to promoting conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage, family affairs and connected matters.

The Central Government provides financial assistance of Rs. 10 lakh per court to the State Governments as a one-time grant for the construction of the building of Family Court under Plan scheme and Rs. 5 lakh

annually as the recurring cost under Non-Plan. The Central Government has written to the State Governments from time to time to set up at least one Family Court in each district.

A provision of Rs. 5.00 crore under Non-Plan was made for the scheme for the year 2014-15. Out of this, a grant of Rs. 3.75 crore has been released to Government of Uttar Pradesh and a grant of Rs. 1.00 crore has been released to Government of Chhattisgarh. As per the reports received from the State Governments, 410 Family Courts are functional in the country at present. A statement indicating the number of Family Courts functional is enclosed as **Annexure-IX.**

5. THIRTEENTH FINANCE COMMISSION (TFC) AWARD

With the objective of improving justice delivery, the Thirteenth Finance Commission had recommended a grant of Rs.5000 crore over its award period of 2010-15. This grant is aimed at providing support to improving judicial outcomes, and is allocated for the following initiatives:

Schemes	(in Rs. crore)
Operation of morning/evening courts/shift courts	2500
ADR centres	600
Training of mediators/conciliators	150
LokAdalats	100
Legal Aid	200
Training of judicial officers	250
State Judicial Academies	300
Training Public Prosecutors	150
Court Managers	300
Maintenance of Heritage Court Buildings	450
Total	5000

A Grant of Rs. 1947.05 crore has been released to the States upto 30/11/2014 for the above mentioned components against the sector of 'Improving Justice Delivery" under the 13th Finance Commission Grant. Grants released to States and utilisation of grants by States may be seen at **Annexure-X**. Based on the information received from various States, the status of the physical progress is at **Annexure-XI**.

Beside this, Government has approved making available upto Rs. 80 crore per annum on a matching basis upto 31/3/2015 from out of the amount allocated (Rs. 500 crore per annum) for morning/evening/shift courts in the 13th Finance Commission Award for the judiciary, for meeting the expenditure on salaries of 10% additional positions of judges to be created in the State Judicial Services in pursuance of the judgement of the Supreme Court in Brij Mohan Lal case. The States have been requested to utilize these additional positions of Judges being created in the Subordinate Judiciary for setting-up Fast Track Courts also.

6. E-COURTS INTEGRATED MISSION MODE PROJECT – COMPUTERISATION

A. e-Courts Phase-1:

The eCourts Integrated Mission Mode Project is one of the national eGovernance projects being implemented in High Courts and district/subordinate Courts of the Country. The project has been conceptualized on the basis of the "National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary-2005" by the eCommittee of the Supreme Court of India. The eCommittee was formed in 2004 to draw up an action plan for the ICT enablement of the Judiciary with the Patron in Chief-cum-Adhoc Chairman as the Chief Justice of India.

The Government approved the computerization of 14,249 district & subordinate Courts under the project by March 2014 with a total budget of Rs. 935 crore. The objective of the eCourts project is to provide designated services to litigants, lawyers and the judiciary by universal computerization of district and subordinate courts in the country and enhancement of ICT enablement of the justice system.

An Empowered Committee has been constituted under the Chairpersonship of Secretary, Department of Justice, to give strategic direction & guidance to the project. The project is being implemented by the National Informatics Centre (NIC). A project monitoring committee comprising of Department of Justice, representatives of eCommittee and NIC meets on a monthly basis to monitor the progress of the project. A Steering Committee at each High Court oversees the implementation of the project in their respective High Court.

Out of,14249 courts to be computerised, as on 31st December, 2014 more than 93% of the activities have been completed. Status of implementation as on 30th November, 2014, for the main components of the project is given as under:

S. No.	Module	Status as on 30th November, 2014	% Completion
1	Sites funded	14249	100.00
2	Sites readiness	14249	100.00
3	Hardware installation	13436	94.29
4	LAN installation	13606	95.49
5	Software deployment	13323	93.50

In addition to above, ICT infrastructure of the Supreme Court and High Court has also been upgraded. Progress on other activities of the project till 30th November 2014 is as given below:

I. ***Laptops to Judicial Officers***: Laptops have been provided to 14,309 judicial officers.

II. ***Software***: A unified national core application software - Case Information System (CIS) software - has been developed and made available for deployment at all computerised courts. Entry of data regarding past cases has been initiated, and data in respect of over 3 crore cases is available online.

III. Judicial Service Centre: Judicial Service Centre (JSC) have been established at all computerised courts which serves as a single window for filing petitions and applications by litigants/ lawyers as also obtaining information on ongoing cases and copies of orders and judgments etc.

IV. Connectivity: VPNoBB connectivity has been provided to 2581 Court Complexes, additional lease-line connectivity to 598 district Court Complexes.

V. Change Management and Training: As part of the Change Management exercise, over 14,000 Judicial Officers have been trained in the use of UBUNTU-Linux OS and over 4000 court staff have been trained in CIS software.

VI. Process Re-engineering: eCommittee has initiated the Process Re-engineering (PR) exercise; PR Committees have been set up in all High Courts to study and suggest simplification in existing rules, processes, procedures and forms. Process Re-engineering reports have been received from 22 High Courts and the same are being analysed by the Law Commission of India.

***VII. Video Conferencing*(VC)** facilities in courts and jails: Pilot on Video Conferencing (VC) facility has been successfully completed in five districts with corresponding jails in the Country. Based on the experience of the pilot, VC is being rolled out in additional 495 locations across the country.

VIII. National Judicial Data Grid: All the district and subordinate courts computerised under eCourts project have been linked to the National Judicial Data Grid (NJDG), which is a common repository of case records across the country. On NJDG, data entry of decided cases is being undertaken and data pertaining to pending cases is being updated on a daily basis. As on 31st October, 2014, data in respect of more than 3.92 crore cases and more than 60 lakh orders / judgments pertaining to district and subordinate Courts under the jurisdiction of 21 out of 24 High Courts have been uploaded on NJDG.

IX. Service Delivery: The national e-Courts portal (http://www.ecourts.gov.in) has become operational. The portal provides online services to litigants such as details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments. Currently, litigants can access case status information in respect of over 3 crore pending and decided cases in more than 11,000 courts.

Against the approved cost of Rs. 935 crore, Rs. 603.89 crore has been spent by NIC upto 31.12.2014 for the above components of the eCourts Phase I project. For completing the remaining activities, CCEA on 8th May 2014 had approved the extension of timelines of the Project by one year until 31st March 2015, to be undertaken within the original approved cost of Rs 935 crore.

B. e-Courts Phase-II:

In January 2014, e-Committee of the Supreme Court approved Policy and Action Plan Document (hereafter 'Policy Document') for Phase II of the e-Courts Project. The Policy Document prepared by the e-Committee of Supreme Court in consultation with all the High Courts in the country and approved by Hon'ble Chief Justice of India envisages further enhancement of ICT enablement of Courts with the broad objective of (i) computerisation of new courts, District Legal Service Authorities (DLSAs) and Taluka Legal Service Committees (TLSCs) offices, additional hardware in existing courts; computer training labs in SJAs; (ii) connectivity improvements, cloud computing, Interoperable Criminal Justice System (ICJS) readiness; (iii)

centralised Filing Centres and Kiosks with touch-screen and printer in Courts Complexes; (iv) Digitization, Document Management System, Learning Management Tools, Enhanced Change Management and Judicial Knowledge Management System; and (v) e-filing, e-payment gateways and mobile applications, litigant's charter etc.

The 12th Five Year Plan also provides for a Phase II of the Project. Accordingly, Department of Justice is in the process of formulating e-Courts Phase -II project based on the Policy Document approved by the e-Committee in January, 2014.

A consolidation of all the initiatives and measures proposed to be taken up and installation of the components planned in Phase-II of the project will result in multi-platform services for the litigants under the Charter of Services. These services include, inter alia, case registration, case lists, daily case status, and final order/ judgment uploading which have been provided in Phase I. Further, e-filing of cases, e-payment of court fees, process service through email and through process servers having hand held devices, receipt of digitally signed copies of judgments are some of the services to be added in Phase II. The Charter of Services will serve as a guiding baseline to make Phase-II of the Project as litigant service centric as possible. Lawyers will get daily cause list through SMS, email and on the website. One of the primary advantages of computerization of courts will be the 'automation of workflow management'. This would enable the courts to exercise greater control over the management of cases in the docket. The services envisaged under the project will thus cater to all stakeholders including the judiciary, litigants and lawyers. ICT enablement will make the functioning of courts efficient and transparent, which will have an overall positive impact on the justice delivery system. It is envisaged that as the project progresses and technology develops, necessary additions will be made to the Charter of Services.

The following targets are proposed to be achieved under Phase II of e-Courts project within a project timeline of three years with a total budget of Rs. 2764.90 crore:

i. Computerisation of around 5751 new courts

ii. Enhanced ICT enablement of existing 14,249 computerised courts with additional hardware.

iii. Connecting all courts in the country to the NJDG through WAN and additional redundant connectivity, equipped for eventual integration with the proposed interoperable criminal justice system (ICJS).

iv. Citizen centric facilities such as Centralised Filing Centre(s) and touch screen based Kiosks in each Court Complex.

v. Provision of laptops, printers, UPS and connectivity to Judicial Officers not covered under Phase I and replacement of obsolete hardware provided to Judicial Officers under Phase I.

vi. Installation of Video Conferencing facility at 2500 remaining Court Complexes and 800 remaining jails.

vii. Computerisation of SJAs, DLSAs and TLSCs.

viii. Creating a robust Court Management System through digitization, document management,

Judicial Knowledge Management and learning tools management.

ix. Installation of Cloud network and solar energy resource at Court Complexes.

x. Facilitating improved performance of courts through change management and process re-engineering as well as improvement in process servicing through hand-held devices.

xi. Enhanced ICT enablement through e-filing, e-Payment and use of mobile applications.

xii. Citizen centric service delivery.

7. NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS:

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a co-ordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia,* involves better infrastructure for courts including computerisation, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development. The National Mission has a time frame of five years.

(i) **Action Plan of the National Mission**: The initiatives being pursued under the Action Plan of the Nation Mission *inter-alia* include the following activities:

(a) Policy and legislative changes – Formulation and Implementation of State Litigation Policies to reduce Government Litigation, Judicial Impact Assessment, Amendments to the Negotiable Instruments Act, Motor Vehicle Act and Arbitration & Conciliation Act, Legal Education Reforms.

(b) Re-engineering of court procedures, promotion of Alternative Methods of Dispute Resolution, identification of bottlenecks and automation of court processes through use of ICT tools.

(c) Improving manpower and infrastructural facilities for judiciary.

(d) Focus on Human Resource Development – Strengthening State Judicial Academies and National Judicial Academy, Training of Court functionaries and appointment of Court Managers.

(e) Action Research and Studies on Judicial Reforms.

The Mission has taken several steps in each of the strategic areas towards fulfilment of its objectives. All States have formulated their Litigation Policies with a view to reduce the Governmental litigation. State Governments have been requested to make an assessment of the impact of the State Litigation Policies on controlling proliferation of litigation by State agencies.

An Inter-Ministerial Group (IMG) was constituted to suggest necessary amendments to the Negotiable Instruments (NI) Act along with other policy and administrative measures to check increasing litigation relating to cheque bounce cases. The IMG has suggested a number of measures including procedural and legislative changes to reduce number of cheque bounce cases.

For limiting the litigation arising out of challan cases and motor accident claims cases under Motor Vehicles Act, the Ministry of Road Transport and Highways have been requested to make necessary changes in law. A new legislation on Road Transport and Safety is on the anvil to streamline the system of payment of fines for violation of traffic rules and settlement of claims arising out of motor vehicle accidents.

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms has been approved for implementation by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice at a total cost of Rs. 25.00 crores. The objective of the Scheme is to *inter-alia* promote research on issues relating to dispensation of Justice being pursued by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.

An important aspect of the judicial reforms relates to re-engineering court procedures and court processes for early disposal of cases. A comprehensive scheme of the National Court Management Systems (NCMS) has been formulated and notified by the Hon'ble Supreme Court of India. Under the NCMS, a National Framework of Court Excellence (NFCE) is being prepared, which shall set measurable standards of performance for courts addressing the issues of quality, responsiveness and timeliness.

Procedural Reforms for timely delivery of justice in criminal cases is one of the important initiatives of the National Mission for justice Delivery and Legal Reforms. The Law Commission has been requested to prepare a comprehensive report on the reform of the criminal justice system after which Ministry of Home Affairs can take up the legislative measures to amend the procedural laws for speedier disposal of criminal cases.

For promotion of alternative methods of dispute resolution, mediation centres are being set up in court complexes at District and Taluka levels. Government agencies are being encouraged to include arbitration / mediation clauses in government contracts. The Law Commission was entrusted with the task of reviewing the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 in view of several inadequacies observed in the arbitration law. The Commission has submitted its report containing proposals for amendments to the existing law to make it more effective.

Shortage of judicial officers / judges in district and subordinate courts is one of the main causes for backlog and pendency of cases in courts. The National Mission has regularly pursued this matter with the State Governments and the High Courts. As a result of the concerted efforts of all the stakeholders, the sanctioned strength of judicial officers / judges in district and subordinate courts has increased from 17,715 at the end of 2012 to 19,518 in 2013. The mission is now pursuing the matter with the High Courts for filling up the existing vacancies.

II. JUDIDICAL INFRASTRUCTURE

The primary responsibility of infrastructure development for the subordinate judiciary rests with the State Governments. The Central Government augments the resources of the State Governments by releasing financial assistance under a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of judicial infrastructure. The scheme has been in place since 1993-94, and was revised in the year 2011. It covers the construction of court buildings and residential accommodations of judicial officers. Until 2011, the Central and State Governments used to contribute an equal share under the scheme but from 2011-12 onwards the fund-sharing pattern has been revised with the Central Government contributing 75% of the funds. In case of States in the North-Eastern States, the Central Government provides 90% of the funding. Central funding is, however, subject to budgetary allocation for the Scheme.

As of December, 2014, the Central Government has released an amount of Rs.3024 crore to the State Governments and UT administrations under the revised funding pattern from 2011-2014. This represents a significant increase over the sum of Rs.1,245 crore that was provided by the Central Government in the initial phase of the scheme from 1993-2011. During the current financial year (2014-15), an amount of Rs.825 crore has been released to the States till 31.12.2014. A Statement indicating details of State / UT wise release of funds under the Scheme is placed at **Annexure-XII.**

As the present scheme is expected to continue till the end of current plan period (March, 2017), it is hoped that substantial addition to judicial infrastructure will take place at the subordinate court level during this period. As per the information collected from the High Courts, as of June, 2014, there were 15,400 court halls / court rooms available for district and subordinate courts. In addition to these, 1000 court rooms were available in rented premises. Further, 2,250 additional court rooms under construction in States and UTs to take care of immediate increase in the working strength of judges in district and subordinate courts on account of filling up of vacancies.

For construction of High Courts, one time Additional Central Assistance (ACA) is provided directly by the Planning Commission. The Government has approved Additional Central Assistance (ACA) of Rs.41.50 crore for the construction of the High Court Judicature building at Jodhpur during 2010-11, and Rs.231.31 crore for the construction of building of the Lucknow Bench of Allahabad High Court during 2012-13. The Government also approved a proposal in July, 2013 for provision of Rs.884.30 crore for construction of the additional office complex of the Supreme Court within a period of three years.

III. GRAM NAYAYALAYAS

A Central Sector scheme for providing financial assistance to the State Governments / UT Administrations for establishment and operationalisation of Gram Nyayalayas was launched in December, 2009. So far 10 States have notified 194 Gram Nyayalayas, out of which 159 are operational. An amount of Rs.3,449.00 lakhs has been released to the State Governments under the Scheme from 2009-10 to 2013-14.

The issues affecting the implementation of the Gram Nyayalayas scheme were discussed in the Conference of Chief Justices of High Courts and Chief Ministers of the States on 7th April, 2013. It has, *inter-alia*, been decided in the Conference that the State Governments and High Courts should decide the question of establishment of Gram Nyayalayas wherever feasible, taking into account their local problems. The focus is on covering those Talukas under the Gram Nyayalayas scheme where regular courts have not been set up.

8. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY (NALSA)

Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee have been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct LokAdalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

Functioning of NALSA

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country.

Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

I. To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons;

II. To organize LokAdalats for amicable settlement of disputes and

III. To organize legal awareness camps in the rural areas.

I. FREE LEGAL SERVICES

The Free Legal Services include:-

a) Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;

b) Providing service of lawyers in legal proceedings;

c) Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings.

d) Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

Persons eligible for getting free legal services include:-

i) Women and children;

ii) Members of SC/ST

iii) Industrial workmen

iv) Victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster.

v) Disabled persons.

vi) Persons in custody

vii) Persons whose annual income does not exceed Rs. 1 lakh (in the Supreme Court Legal Services Committee the limit is Rs. 1,25,000/-).

viii) Victims of Trafficking in Human beings or begar

During the period from 01.04.2014 to 30.11.2014 more than 19.72 lacs persons have been benefited through legal aid services in the country. Out of them, more than 17,160 persons belonged to the Scheduled Castes, about 13,910 Scheduled Tribes, about 33,510 were women and about 6,140 were children.

II. LOK ADALATS

LokAdalat is one of the Alternative Disputes Resolution Mechanisms. It is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at prelitigation stage are settled/compromised amicably. The LokAdalat has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under this Act, an award made by a LokAdalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against thereto before any court.

During the period 01.04.2014 to 30.11.2014 94,137 LokAdalats were organized and they settled more than 40.88 lacs cases. In about 53,750 Motor Vehicle Accident Claim cases, compensation to the tune of Rs.1044.87 crores.

III. LEGAL AWARENESS PROGRAMMES

As a part of the preventive and strategic legal aid, NALSA through the State Legal Services Authorities, conduct legal literacy programmes. In some States, Legal Literacy Programmes are conducted every year in schools and colleges and also for empowerment of women in a routine manner, besides the rural legal literacy camps.

NALSA undertook special legal awareness programmes on **MGNREGA, Rights of Senior Citizens** and **Women's Welfare Programmes**. A special scheme for settlement of grievances relating to MGNREGA through LokAdalat also was implemented by NALSA.

2ND NATIONAL LOK ADALAT

- The five State Legal Services Authorities organized Mega LokAdalats at different dates viz. Gujarat on 14/4/2014, Haryana from 1/4/2014 to 12/4/2014, Jharkhand from 25/3/2014 to 29/3/2014, Karnataka from 6/1/2014 to 12/4/2014 and Rajasthan from 7/4/2014 to 12/4/2014. At the Mega LokAdalatsheld in all 23 States, **more than 27.80 lakh cases have been disposed of or settled amicably out of which 3.81 lakh cases were settled at prelitigation stage.** The 2nd National LokAdalat for settlement of cases in all the courts right from the Supreme Court of India to the Taluk Courts was held on 06.12.2014 throughout the country, under the aegis of NALSA. The LokAdalat benches from the Supreme Court to the Taluk Courts had successful sittings and a large number of pending cases were disposed of bringing pendency down by about 9 % on an average throughout the country.

Tableaux for Republic Day Parade – 2015

- On the advice of the Government of India (Ministry of Law & Justice), NALSA sent a proposal for inclusion of a Tableaux on the activities being performed by NALSA for participation in the Republic Day Parade-2015. NALSA's Tableaux has been selected by the Expert Committee for inclusion in the Republic Day Parade-2015.

9. ACCESS TO JUSTICE FOR THE MARGINALISED

In partnership with the United Nations Development Programme (UNDP), the Department of Justice (DOJ), Ministry of Law and Justice, is implementing a decade long programme on Access to Justice for Marginalised People (2008-2017). The project extends to the eight UNDAF states of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra and Odisha. This project focuses on strengthening access to justice for marginalised people by developing strategies that address barriers to accessing justice in legal, social and economic domains.

The project is presently in the second phase of implementation. The first phase expanding from 2008 to 2012 made significant contributions. Some of the achievements of phase I include:

- Legal literacy initiatives reaching over 2 million people from marginalized communities on awareness of their legal rights.
- Inclusion of legal literacy in the adult literacy programme under the National Literacy Mission Scheme (Sakshar Bharat).
- Training of over 7,000 paralegals from various backgrounds.
- A first-ever study conducted in India on legal aid clinics run by law schools and needs assessments of several State Legal Services Authorities to enable a better understanding of the barriers faced by marginalized communities in accessing justice.

The second phase of the project extends over five years from 2013 to 2017. In this phase, the project aims to build upon the achievements of previous phase and continues to work on creation of demand for justice and ensuring its supply. Under the project, a technical support team has also been placed with the Department of Justice with the specific purpose of supporting the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.

Ongoing Project Initiatives

1. Training and Capacity Building

With the objective of building capacities of the SLSAs, the project is training both panel lawyers and paralegal volunteers. Further, legal literacy training programmes for faculty members and resource persons of National Literacy Mission Authority (NLMA) and State Institute of Rural Development (SIRD) Uttar Pradesh are being carried out as pilot projects to be later replicated in other states.

2. Legal Awareness and Legal Empowerment

The Project has establishes voice-based legal information kiosks in the States of Chhattisgarh and Jharkhand in the premises of District Legal Services Authorities (DLSAs). DLSA paralegal volunteers are being trained as kiosk facilitators.

The Project is also supporting various innovative initiatives of civil society organizations as well as providing support to legal aid clinics, such as:

Alternative for India Development (AID), Jharkhand: AID aims to strengthen decentralized and inclusive justice and welfare entitlements delivery system to ensure benefit of laws to the poor thus contributing towards universal access to justice for the marginalized.

Antodaya, Odisha: Awareness of rights of communities to access and management of natural resources by documenting traditional knowledge, natural wealth available etc. in a 'People's Biodiversity Register' as mandated by the Biodiversity Act.

Jan Jagriti Kendra, Chhattisgarh: Development and delivery of a comprehensive ICT application based service (user friendly cost effective mobile phone based) that directly reaches the end client and helps her assess her legal aid needs and access the same through promoted channels in Chhattisgarh.

National Law University, Odisha: Legal Aid Clinics are instituted to function simultaneously in each of the three districts of Cuttack, Puri and Khurda. Besides this, capacity building of the key stakeholders is carried out.

Tata Institute of Social Sciences: University based legal services clinic with community outreach is established in the campus through which the students and faculty will provide legal services to vulnerable groups with the help of a panel of lawyers of Legal Services Authority. Another legal aid clinic will also be established at the community level.

3. Research and Study

A Delhi based agency - Partners for Law in Development (PLD) is conducting a study in special courts in Delhi to assess how women friendly their procedures are. The pilot study is being examining the gender sensitivity of court room procedures in rape cases, with the objective of identifying practices that are sensitive as well as those that are hostile to victims of sexual violence.

The Project is also supporting Tata Institute of Social Science (TISS) for the creation of help desks for juveniles in Observation Homes.

4. Recommendations and Way Forward

Scale up and vitalize the existing good practices and rapidly create a large number of catalytic agencies able to work with communities to create a demand for better justice delivery and governance through public education about core legal values and enhanced skills.

Create mass awareness of the value of legal entitlements rights and duties as they are mandated by the Constitution as a means of creating agency within the population to act on their own behalf

10. Access to Justice, North East and Jammu and Kashmir

(Government of India Project)

Annual Report on Initiatives under the A2J(NE&JK) project (till December 2014)

(1) **Setting up of 46 Legal Aid Clinics in two most backward district of Nagaland-Tuensang and Mon**: Nagaland State Legal Services Authority has been undertaking the activity of setting up 46 Legal Aid Clinics (LACs) in the most interior and remote districts of Nagaland- Tuensang and Mon.

(2) **Needs Assessment Study to Identify Gaps in the Legal Empowerment of People:** This study was conducted by Impluse NGO Network based in Shillong, Meghalaya. It's a field based study to

Identify the gaps in the legal empowerment of people particularly those that are poor, marginaised and vulnerable, and therefore do not have the means to ensure that their rights are guaranteed. The Study Report has been prepared.

(3) **Training of Para Legal Volunteers (PLVs) of State Legal Services Authorities in Eight North East**: This activity is being undertaken by Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), a civil society organisation based in Odisha. CLAP has been training 400 PLVs from Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim and Nagaland (50 from each state).

(4) **Needs Assessment Study in Jammu and Kashmir**: This Study is being conducted by the Department of Law, University of Kashmir to identify gaps in the legal empowerment of margenalised people of the State. The Project team has visited University of Kashmir in December, 2014 to review progress on the activities.

(5) **Supporting Legal Aid Clinics in Jammu and Kashmir:**The project is also supporting legal aid clinic established by the Department of Law, University of Kashmir.

(6) **An assessment study of orphanages and drafting a policy framework for governing orphanages in J&K**: An organsation based in Jammu and Kashmir namely, KFORD has been selected through competitive bidding process to take up the work. The Memorandum of Agreement (MoA) and work-plan is being prepared.

(7) **Traning of 400 Panel Lawyers in North East**: Legal Cell for Human Rights (LCHR) has been selected through competitive bidding process to take up the work. MoA and work plan have been signed.

(8) **Training of Para-Legal Volunteers in Jammu and Kashmir:** An organisation based in Gujarat namely, Raman Development Private Limited has been selected through competitive bidding process to take up the work. MoA and work plan have been signed.

(9) **Rendering human resource to SLSAs through appointment of a Project Team in the nine States:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project Assistant) is being appointed in all the nine project states to coordinate the activities of A2J(NE&JK) project at the states level and support the State Legal Services Authority. The recruitments have been completed for Assam, Nagaland and Sikkim, Arunachal Pradesh and Manipur for the remaining states recruitments process is underway.

11. SWACHH BHARAT

On the clarion call of Hon'ble Prime Minster of India, Department of Justice initiated Swachh Bharat Campaign. In this regard from 25th September, 2014 to 1st October, 2014 various activities such as cleaning, sprucing of campus, surroundings, corridors and weeding out of old records have been done. On 2nd October, 2014 "Swachhata Shapath" was administered to all the employees by Secretary (Justice). All officials and employees led by Secretary (Justice) carried out voluntary Shram Daan on 2dnd October, 2014. Detailed Action Plan from 3rd October 2014 to 31st October 2014, 1st November 2014 to 31st October 2015 and 1st November 2015 to 31st October 2019 has been chalked out and attached at **Annexure -XIII**.

12. REDRESSAL OF GRIEVANCES/COMPLAINTS RELATING TO SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORK PLACE.

On the direction of Hon'ble Supreme Court of India, a committee has been constituted in the department of Justice on the guidelines issued in the case of Vishaka and others Versus State of Rajasthan & Ors.

The complaint committee for redressal of complaints made by aggrieved women employees of the department of Justice has been constituted consisting of Chairman and three members, one member of the committee is from an NGO.

13. RESULTS FRAMEWORK DOCUMENT (RFD)

The Central Government has taken a decision to put in place the Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in respect of every Ministry/Department. Results Framework Document (RFD) is the central instrument which has been designed for implementing the PMES. The Performance Management Division in the Cabinet Secretariat monitors the preparation and working of RFD. The RFDs for Department of Justice have been prepared, finalised and uploaded on the website of this Department. The tasks as per the RFD 2014-2015 are being undertaken to achieve the goal of best performance by the Department.

CHAPTER – IV
GENERAL

1. DEPUTATION/DELEGATION ABROAD

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Deputation/Delegation Abroad 2014-2015

Sl.No.	Name of the Officer	Designation	Country	Duration	Purpose
1	Shri P.K. Malhotra	Secretary	New York, USA	2nd to 6th February, 2015	To attend the 62nd Session of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
			Tashkent, Uzbekistan	8th to 10th October, 2014	To participate in the meeting of the Prosecutors Genral of the Shanghai cooperation Organisation (SCO)
2	Shri Mukul Rohatgi	Ld. Attorney General	Canberra, Australia	1st to 4th March, 2015	To participate in the 4th Indo-Australian Legal Forum Meet
3	Shri D. Bhardwaj	Joint Secretary & Legal Adviser	Canberra, Australia	14th to 17th April, 2014	For holding negotiations of agreement on transfer of Sentenced Persons between India and Australia
4	Dr. R.J.r. Kasibhatla	Deputy Legal Adviser	Vienna, Austria	6th-7th January, 2015	To attend the Second Meeting of the India-US Contact Group
			London, UK	21st January, 2015	To attend the Third Meeting of the India0-US Contact Group

2. VIGILANCE ACTIVITIES

The Vigilance Unit in the Ministry of Law and Justice caters to Department of Legal Affairs (including Income Tax Appellate Tribunal) and Legislative Department. The Vigilance Unit is headed by Chief Vigilance

Officer of the rank of Joint Secretary who is appointed with the concurrence of Central Vigilance Commission. The overall responsibility of vigilance activities of both of these Departments rests with the Chief Vigilance Officer. The Chief Vigilance Officer is the nodal point in the vigilance unit set up for these Departments and is entrusted with the following:

- Identification of sensitive areas prone to malpractices/ temptation and taking preventive measures to ensure integrity/ efficiency in government functioning;
- Taking suitable action to achieve the targets fixed by the Department of Personnel & Training on anticorruption measures;
- Scrutiny of complaints and initiation of appropriate investigation measures;
- Inspection and follow-up action on the same;
- Furnishing comments of the Department to the Central Vigilance Commission on the investigation reports of the Central Bureau of Investigation;
- Taking appropriate action in respect of departmental proceedings on the advice of Central Vigilance Commission or otherwise;
- Obtaining first and second stage advice of the Central Vigilance Commission, wherever necessary; and
- Obtaining the advice of Union Public Service Commission in regard to the nature and quantum of penalty to be imposed, wherever necessary.

Preventive vigilance continues to receive priority attention with emphasis on identification of areas sensitive or prone to malpractices and temptation. The guidelines / instructions issued from time to time by the Department of Personnel & Training and Central Vigilance Commission in this regard are followed. Vigilance Awareness Week was observed in the week starting from 27.10.2014 to 01.11.2014.

3. GENDER ISSUES

The Complaints Committee set up by the Department to look into the complaints on sexual harassment from employees of both the Departments i.e. Department of Legal Affairs and Legislative Department which had been reconstituted vide order No.129 dated 30th November, 2012 continued during 2013-14. The committee is presently headed by Smt. Sushma Suri, Joint Secretary in the Central Agency Section of the Department of Legal Affairs. The said Committee is to ensure time bound treatment of complaints, if any, received by it. The Committee has to submit an Annual Report of the complaints received, and the action taken by it, to the Secretary, Department of Legal Affairs and Secretary, Legislative Department in respect of the staff working under their respective control. The said Committee is also empowered to co-opt a third party, either NGO or other body, familiar with or having experience in the subject matter, as a Member.

4. ISSUES RELATING TO THE BENEFIT OF THE PHYSICALLY CHALLENGED PERSONS

As per the DoPT's order No.26035/16/91-Estt.(SCT) dated 18.2.97 read with their O.M. No.36025/3/97-Estt.(Res.) dated 4.7.97, the posts of Deputy Legal Adviser (DLA), Assistant Legal Adviser (ALA), Central Government Advocate (CGA), Assistant Government Advocate (AGA), Superintendent(Legal),

Assistant(Legal) and Junior Central Government Advocate (Jr. CGA) have been identified for manning by the handicapped persons with following disabilities:-

(i) Partially deaf;

(ii) One leg affected;

(iii) Both legs affected but not arms;

(iv) One arm affected (R or L);

(a) Impaired reach;

(b) Weakness of grip;

(c) Ataxic

A 100 point Roster is maintained for reservation to physically handicapped persons.

Statements showing the total number of government servants, number of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and physically handicapped amongst them in the Department of Legal Affairs and Legislative Department as on 01.01.2014 are enclosed at **Annexures-XIV and XV**.

5. The representation of female employees in the Ministry of Law and Justice is given at **Annexure-XVI.**

Progressive use of Hindi in Official work in the Department of Legal Affairs

(1) The Department of Legal Affairs has taken following steps to implement various instructions issued by the Department of Official Language on the progressive use of Hindi for official purposes of the Union as contained in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :-

(a) Notification under the Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :

This Department was notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 on 21-3-1980. Orders were issued on 25-07-1989 directing all officers and employees proficient in Hindi to submit drafts etc. of all communications addressed to State Governments/Union Territories and to private individuals and also to Central Government offices located in Regions "A" and "B" and of communications in reply to letters etc., received in Hindi or signed in Hindi, including appeals, representations etc., from the employees only in Hindi. Instructions in this regard are reiterated every year for strict compliance.

(b) Organisation of Hindi Day/Hindi Month

With a view to accelerate the use of the Official Language and to increase the awareness of the employees as regards the Official Language policy and the various incentive schemes for using Hindi in official work, Hindi Day was celebrated in the Department on 14-9-2014. Hon'ble Minister for Law & Justice, Law Secretary and Rajbhasha Adhikari in their messages appealed to the officers and employees of the Department to adopt Hindi in their day-to-day official work. Message received from Hon'ble Home Minister on the eve of 'Hindi Day' was also circulated in the Department and its offices. In order to make the various programmes

organised in this connection effective, 'Hindi Month' was organised in the Department from 1.9.2014 to 30.9.2014. This was done with the twin objectives of (a) giving wider publicity to the various schemes and (b) generating maximum output in terms of work done in Hindi. This year, during the 'Hindi Month', 7 competitions viz, 'Hindi Essay Competition', 'Hindi Typing Competition', 'Hindi Shorthand Competition', 'Translation Competition' and 'Hindi Noting and Drafting Competition','Hindi dictation' for group 'D' employees and court clerks, and official work in Hindi during Hindi Month Competition were organised in the Department . 111 officers/employees participated in these competitions. 103 successful participants have been awarded cash prizes amounting to Rs. 79600/-. 'Hindi Day' was also celebrated in the Branch secretariats of the Department and benches of the Income Tax Appellate Tribunal. Various competitions were organised on this occasion and successful participants were awarded cash prizes.

(C) Creation of check points for implementation of orders relating to the Official Language.

(1) A review of the check points for implementation of orders relating to the Official Language was made and orders for creation of adequate number of check points (eight) in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976 were issued on 16-11-1994. The effectiveness of check points is being regularly monitored through the quarterly progress reports received from sections/offices.

(2) In Sections / Units where the staff are proficient in Hindi, the use of Hindi in their day to day work is being encouraged. Work relating to grant of various types of leave is being done in Hindi. Almost all cases relating to House Building Advances, GPF Advances and Withdrawals etc. are also being processed in Hindi and orders are also being issued in Hindi.

(3) All general orders, notifications, resolutions and administrative reports etc. are invariably issued in bilingual form. All letters received in Hindi are invariably replied to in Hindi only. Strict vigilance is maintained to ensure that there is no violation of the relevant rules in this regard. English to Hindi dictionaries have been provided to all sections of the Department for encouraging the use of Hindi in day to day official work.

(4) HindiHHhhL FH specimen of standard draft of letters sent frequently by various sections have been provided. All forms used in the Department have also been translated into Hindi. Entries in service books are also being made in Hindi. All rubber stamps, name plates , sign boards etc. , are invariably prepared in bilingual form.

(5) All the 300 computers in the Department are bilingual. Facility to work in Hindi is available on the computers provided to the officers and sections of the Department.

(6) A time bound programme has been prepared for imparting Hindi/ Hindi Stenography/ Hindi Typing Training to the employees of the Department and its offices under the Hindi Teaching Scheme. Employees are awarded personal pay/ Advance increments/ Cash Awards etc. as per the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

(7) After the constitution of 16th Lok Sabha, action is being taken by the Legislative Department of this ministry to reconstitute the Hindi Advisory Committee under the Chairmanship of the Hon'ble Minister of Law and Justice.

(8) The first Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected the progressive use of Hindi in the Cuttack, situated at Odissa bench of Income Tax Appellate Tribunal on the 16th January, 2014. Shri T. N. Tiwari, Rajabhasha Adhikari, Shri Vijay Singh Meena ,DD(OL) and Shri A.K. Chawla, AD(OL) represented the Department of Legal Affairs in the inspection meeting. Follow up action is being taken on the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language.

(9) In pursuance of the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and assurances given to the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, in order to review compliance of the statutory provisions relating to Official Language and discuss problems faced in this regard, an Inspection Team has been constituted in the Department of Legal Affairs under the chairmanship of Rajbhasha Adhikari for inspection of Sections, Branch Secretariats and Benches of ITAT and other offices under the administrative control of the Department. During the year 2014, Cuttack , Indore and Agra Benches of ITAT have been inspected by the Team. The offices were directed to rectify the deficiencies found in the progressive use of Hindi in their Official work.

(10) Presidential orders issued by the Department of Official Language on the recommendations contained in part I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX of the Report of the Committee of Parliament on Official Language are being implemented in the Department and its offices.

(11) Shri T.N.Tiwari, Additional Secretary and Rajbhasha Adhikari is the Chairman of the Official Language Implementation Committee of the Department. Deputy Secretary (Admn.), all USs and all Section Incharges and Branch Officers are members of this committee whereas Deputy Director (O.L.)/Assistant Director (O.L.) is the member secretary. Four meetings of the OLIC were organized during the year under reference. In these meetings, problems being faced by the members in the implementation of the Official Language Policy were discussed. All members of the committee have been requested to implement the Official Language Policy of the Union. Last meeting of the committee was held on 17th December, 2014.

Details regarding the progressive use of Hindi including training aspect covering the period from 1st January, 2014 to 31st December, 2014 are given in **Annexure- XVII.**

DEPARTMENT ACCOUNTING ORGANIZATION

Under the Departmentalized Accounting System, each Ministry/Department is having an Accounting organization headed by a Chief Controller of Accounts (CCA) or a Controller of Accounts (CA). The Accounting Organization of Ministry of Law & Justice headed by Chief Controller of Accounts is entrusted with the responsibility of making timely payment including that of personal claims like salary, Travel Expenses, Office contingency and Rent, Rates and Taxes, Uploading of NPS subscriber contribution to NSDL, Monitoring of the various Centrally Sponsored Schemes (PFMS) etc. preparation and rendering Annual Appropriation Accounts, Finance Accounts and Statement of Central Transactions to Director General of Audit, Central Revenues as well as to the office of the Controller General of Account (CGA), Ministry of Finance as per schedule. The reports for the year 2013-14 were prepared timely and submitted to the

Controller General of Accounts and the D.G. (Audit), duly approved by the respective Chief Accounting Authorities, i.e., Law Secretary, Legislative Department and Registrar General of Supreme Court of India.

During the period under report, personal claims including loans and advances to Government Servants, authorization of pension and other entitlements were settled promptly. Payments of Grants-in-aid to various Bodies/Institutions of Central and States were also made without delay. The Central Government's share of Election expenditure was also dealt with expeditiously to pass on the credit to the concerned States was paid through Reserve Bank of India, CAS, Nagpur. While processing the claims and other payments, it was ensured that payments are made in accordance with rules, orders and provisions in force on the subject and no fraudulent/overpayments are made. It was also ensured that expenditure on these accounts do not exceed the budget allotment. Prompt action has been taken to intimate the figures of receipt and expenditure incurred by various units to concerned Departmental Officers so as to provide an opportunity to them to reconcile the figures of that office with the figures of concerned Pay & Accounts Office during the period of report.

APPROPRIATION ACCOUNTS 2014-15

M/O LAW AND JUSTICE

(Rs. in crores)

MAJOR HEAD	Budget Estimates	Final Estimates	Expenditure	Excess(+) Saving (-)
Grant No.64 2052-Secretariat General Service	94.71	88.98	76.02	-12.96
2014-Administration of Justice	337.78	207.84	165.90	-41.94
2015-Election	400.50	681.72	646.02	-35.70
2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure	50.40	54.80	53.49	-1.31
2070-0ther Administrative Services	11.06	17.35	16.98	-0.37
2552-North Eastern Areas	110.00	-	-	-
3601-Grants-in-Aid to State Government.	761.00	900.01	900	-0.01
3602-Grants-in-Aid for UT Governments	40.00	0.01	-	-0.01
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	10.02	2.02	1.06	-0.96
Grant No.65 – Supreme Court of India 2014-Administration of Justice (Charged)	129.41	133.89	133.89	-

ANNEXURE-I

See Chapter-I Page - 2

ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

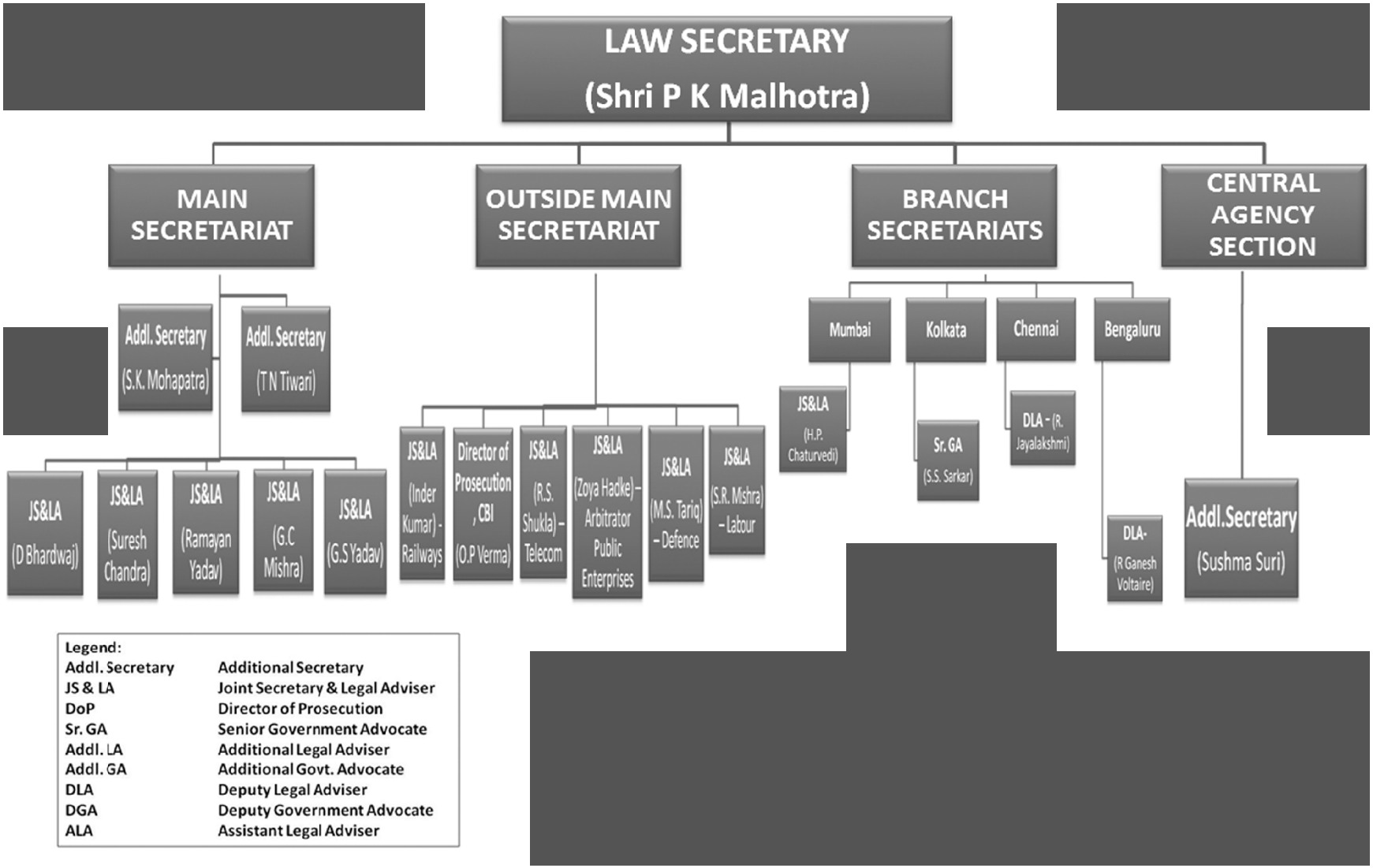

ANNEXURE-II

See Chapter - I Page 13

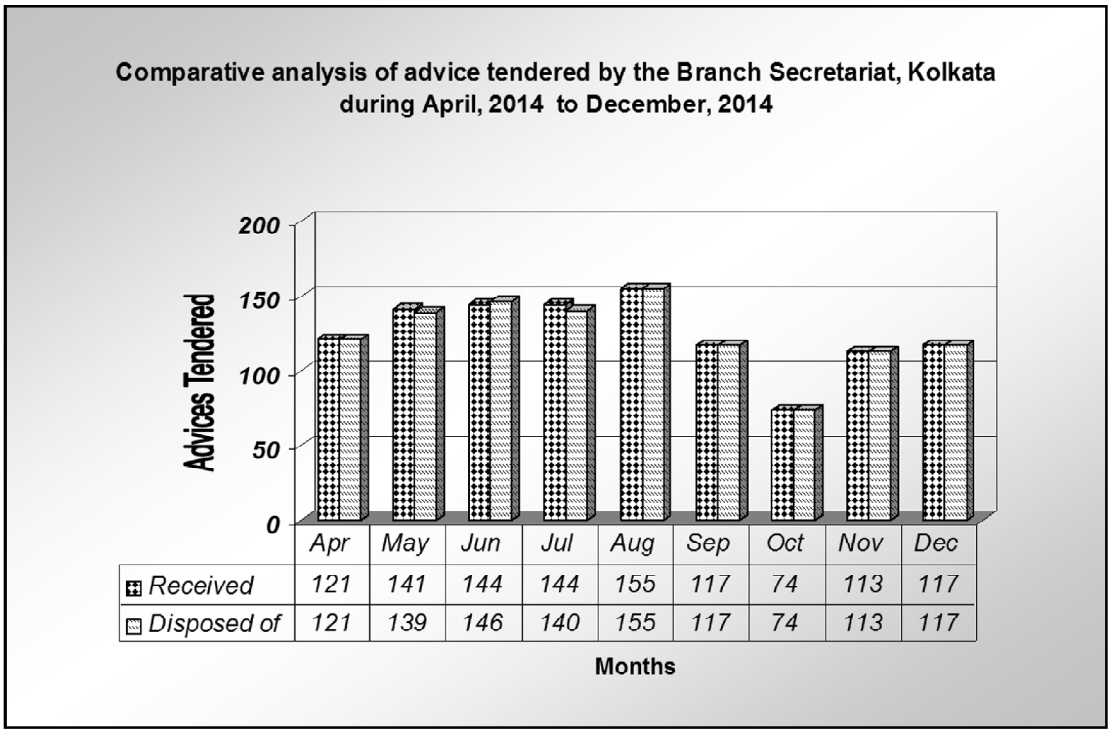

	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Received	121	141	144	144	155	117	74	113	117
Disposed of	121	139	146	140	155	117	74	113	117

ANNEXURE-III

See Chapter - I Page 14

STATEMENT SHOWING PROFESSIONAL FEES DISBURSED TO PANEL COUNSEL DURING APRIL, 2014 TO DECEMBER, 2014

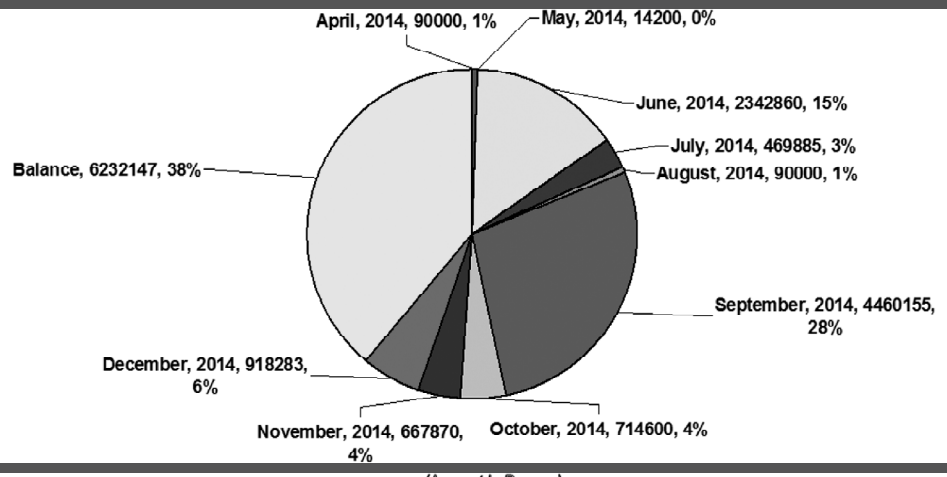

(Amount in Rupees)

Budgetary amount during the year 2014-15: Rs.1,60,00,000/- (R.E.) Total Amount Paid upto December, 2014: Rs.97,67,853/-

Annexure-IV

See Chapter-II, Page38

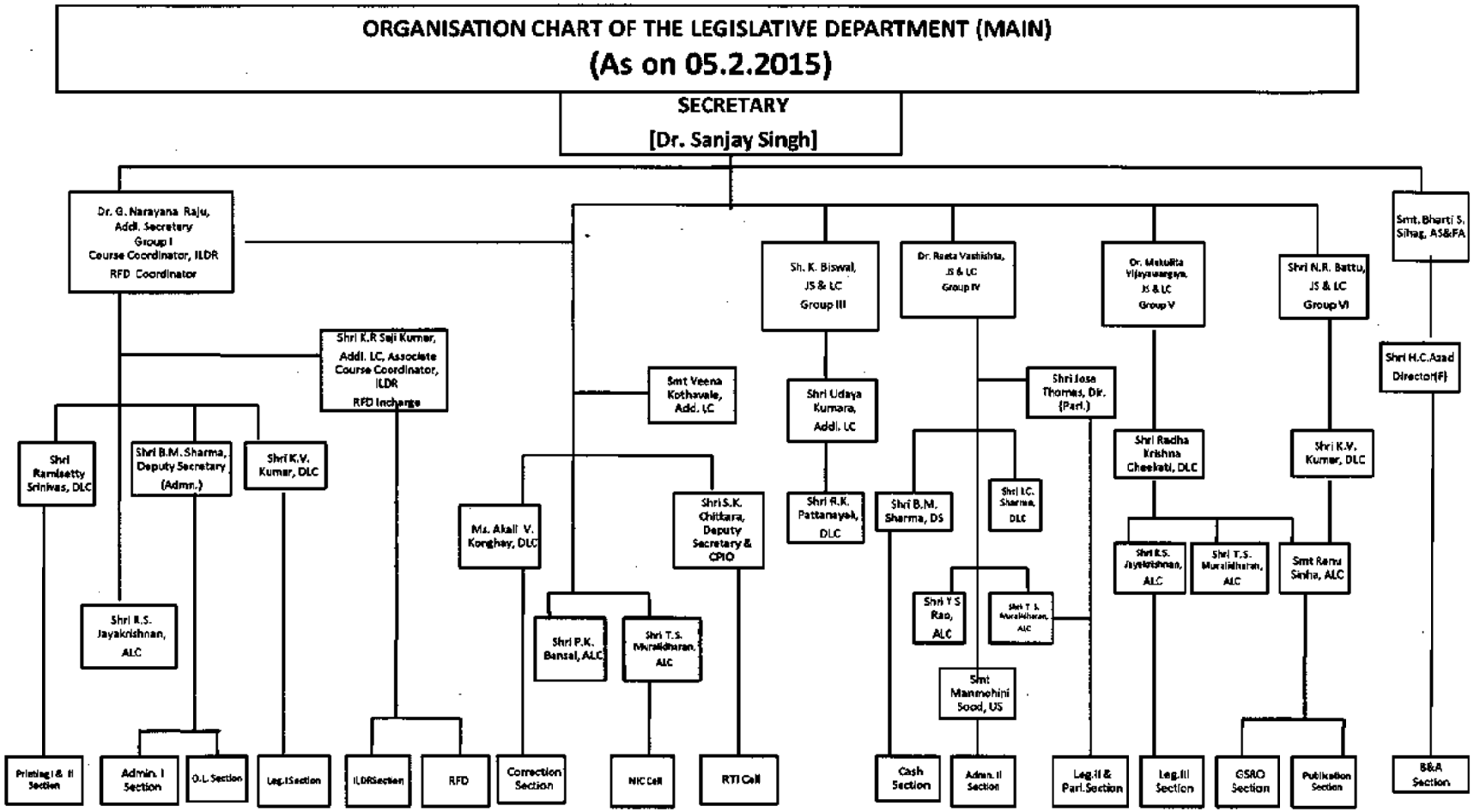

ANNEXURE – V

See Chapter – II Page - 46

STATEMENT SHOWING THE STATUS OF PHOTO ROLL & EPIC, 2014
(at the time of final publication)

SI. No	Name of State/UT	Total Number of General Electors, 2014	Total No. of images in the photo roll	% of photo inelectoral roll	Total No. of EPIC issued	% of EPIC coverage
1	2	3	4	5	6	7
1	Andhra Pradesh	62385953	62385954	100.00	62385953	100.00
2	Arunachal Pradesh	753170	748255	99.35	735196	97.61
3	Assam	18722435	17779796	94.97	17779796	94.97
4	Bihar	62108447	62076681	99.95	56269336	90.60
5	Chhattisgarh	17521456	17415135	99.39	17128624	97.76
6	Goa	1043277	1043277	100.00	1029257	98.66
7	Gujarat	39871564	39851979	99.95	39856873	99.96
8	Haryana	15594415	15594415	100.00	15594415	100.00
9	Himachal Pradesh	4674185	4674187	100.00	4674185	100.00
10	J & Kashmir	6933118	6371327	91.90	6207914	89.54
11	Jharkhand	19948683	19862722	99.57	19850756	99.51
12	Karnataka	44643877	44182127	98.97	44309641	99.25
13	Kerala	23780822	23792270	100.05	23780822	100.00
14	Madhya Pradesh	47427185	47427191	100.00	47427191	100.00
15	Maharashtra	78966642	71326222	90.32	72330169	91.60
16	Manipur	1739005	1739005	100.00	1732323	99.62
17	Meghalaya	1553028	1553028	100.00	1553028	100.00
18	Mizoram	696556	696556	100.00	696556	100.00
I9	Nagaland	1174663	1161404	98.87	1163269	99.03
20	Orissa	28880850	27892935	96.58	28109504	97.33
21	Punjab	19207092	19207092	100.00	19207092	100.00
22	Rajasthan	42553557	42401573	99.64	42411273	99.67
23	Sikkim	362326	362326	100.00	362326	100.00
24	Tamil Nadu	53752570	53752570	100.00	53752570	100.00
25	Tripura	2379541	2379541	100.00	2379541	100.00
26	Uttarakhand	6786394	6786394	100.00	6786394	100.00
27	Uttar Pradesh	134351302	134350725	100.00	134264549	99.94
28	West Bengal	62468988	62468988	100.00	62468988	100.00
29	A & N Islands	257856	254093	98.54	233382	90.51
30	Chandigarh	580694	580486	99.96	580412	99.95
31	Daman & Diu	102251	102251	100.00	100198	97.99
32	D & N Haveli	188763	188763	100.00	188763	100.00
33	NCT of Delhi.	12060497	12060497	100.00	12060497	100.00
34	Lakshadwep	47972	47972	100.00	47972	100.00
35	Puducherry	885402	885402	100.00	885402	100.00
	TOTAL	**814404536**	**803403139**	**98.65**	**798344167**	**98.03**

ANNEXURE- VI

See Chapter – II Page - 59

DETAILS OF THE PROGRESSIVE USE OF HINDI INCLUDING HINDI TEACHING SCHEME DURING THE PERIOD FROM 1ST JANUARY, 2014 TO 31ST DECEMBER, 2014.

	1	2	3	4	5	6	7
	Letters received in Hindi	Letters replied to in English	Letters received in English	Letters replied to in Hindi	Total No. of originating letters	Letters sent to in Hindi	Letters sent to in English
Legislative Department	**4980**	**—**	**9185**	**5685**	**10243**	**9209**	**1034**

	8	9		10		11		12	
	Total No. of computers	Total No. of Staff		Total No. of staff proficient in Hindi		Rubber stamps		Name Plates	
		Gazetted	Non gazetted	Gazetted	Non gazetted	Bilingual	In English	Bilingual	In English
Legislative Department	**@ 205**	**85**	**208**	**64**	**208**	**147**	**—**	**81**	**—**

Hindi Teaching Scheme

	1	2.	3	4	5.	6	7	8	9
	Total No. of Officers and Operating Staff	No. of staff knowing Hindi/Hindi trained	No. of persons yet to be trained in Hindi	Total No. of LDCs/ Typist	No. of persons trained in Hindi Typewriting	No. of persons yet to be trained in Hindi Typewriting	Total No. of Stenographers	No. of persons trained in Hindi Stenography	No. of persons yet to be trained in Hindi Stenography
Legislative Department	**293**	**292**	**01**	**29**	**26**	**03**	**47**	**35**	**12**

ANNEXIRE-VII

See Chapter – II Page - 67

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON 10th JANUARY, 2015.

Group	No. of Employees	SC	%	ST	%	OBC	%	Ex-Service-men	%	Physically Handicapped	%
A	62	9	14.5	3	4.8	10	16.1	-	-	1	1.6
B	100	18	18.0	2	2.0	7	7.0	-	-	2	2.0
C	131	41	31.2	10	7.6	17	12.9	-	-	-	-
Total	**293**	**68**	**23.2**	**15**	**5.1**	**34**	**11.6**	**-**	**-**	**3**	**1.0**

See Chapter-III Page - 68

Annexure - VIII

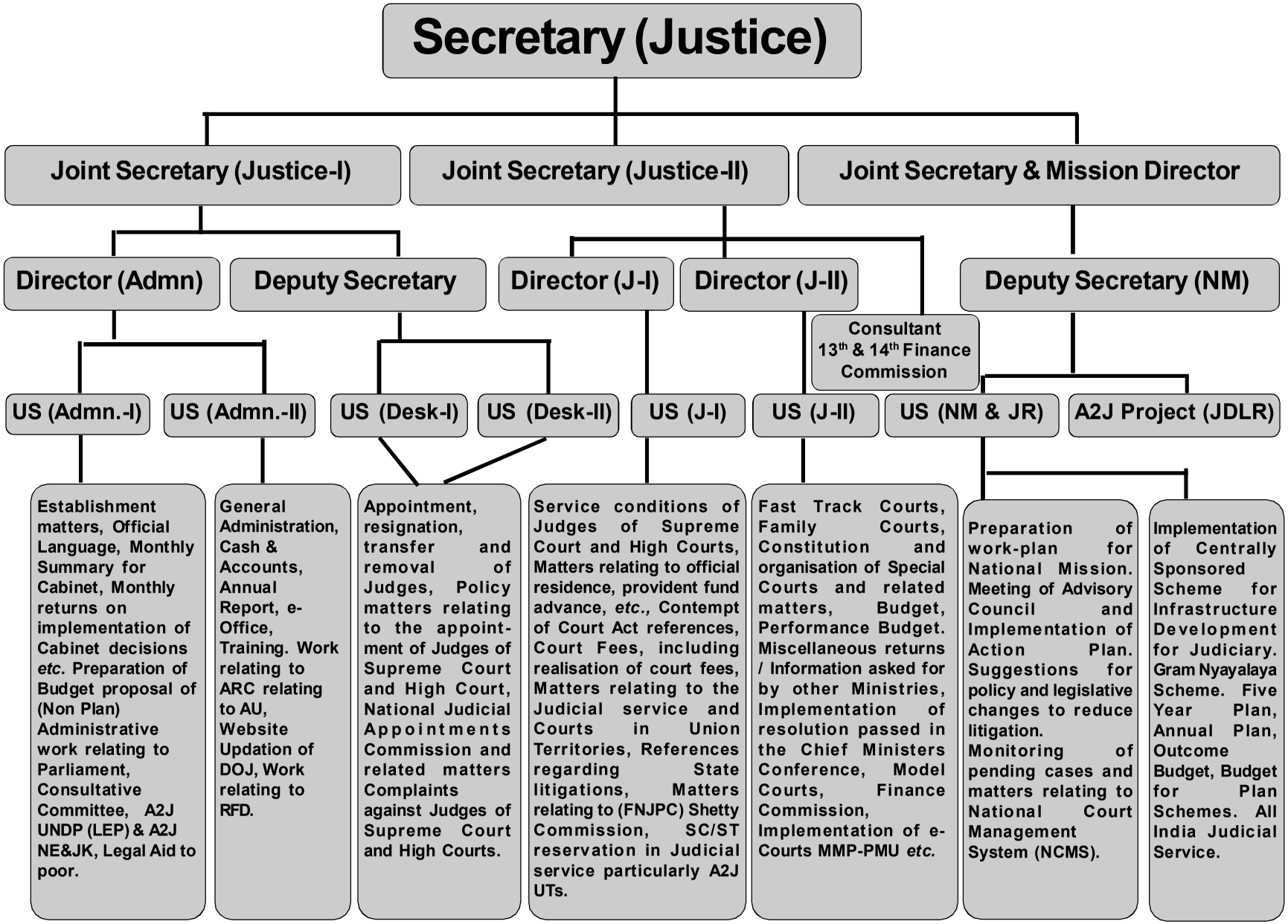

Annexure-IX

See Chaper – III Page - 71

As on 30/11/2014

NUMBER OF FAMILY COURTS FUNCTIONAL

S.No.	Name of the State	Number of Family Courts functional in the State
1	Andhra Pradesh + Telangana	27
2	Arunachal Pradesh	-
3	Assam	03
4	Bihar	33
5	Chhattisgarh	20
6	Delhi	15
7	Goa	-
8	Gujarat	17
9	Haryana	06
10	Himachal Pradesh	-
11	Jammu & Kashmir	-
12	Jharkhand	21
13	Karnataka	24
14	Kerala	28
15	Madhya Pradesh	31
16	Maharashtra	25
17	Manipur	04
18	Meghalaya	-
19	Mizoram	04
20	Nagaland	02

21	Odisha	17
22	Punjab	-
23	Puducherry	01
24	Rajasthan	28
25	Sikkim	02
26	Tamil Nadu	14
27	Tripura	03
28	Uttar Pradesh	75
29	Uttarakhand	08
30	West Bengal	02
	Total	410

Annexure-X

See Chaper – III Page - 71

State wise, activity wise Relese and utilization under 13th finance Commission award till date 31st December 2014

RS. Crore

Sl. No	STATE	Morning / Evening / Shift Courts		Lok Adalat and Legal Aid		Training of Judicial Officers		Training of Public Prose-cutors		Heritage Court Buildings		State Judicial Academy Media-tors		ADR Centres /Train-ing to		Court Mana-gers tion		Total Release tion	Total Utiliza-Utiliza-	% of
		TR	TU	TR	TU	TR	TU	TR	TU	TR	TU	TR	TU	TR	TU	TR	TU			
1	Andhra Pradesh	43.55	46.24	6.97	5.11	4.36	2.00	2.61	4.13	10.46	8.88	4.50	0.08	9.38	7.26	3.75	3.19	85.58	76.89	89.85
2	Arunachal Pradesh	10.63	0.00	1.28	0.00	1.06	0.00	0.64	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00
3	Assam	9.06	1.10	1.09	0.00	2.73	4.79	0.54	0.11	1.63	0.00	3.00	0.74	5.71	0.00	2.28	1.40	26.04	8.14	31.25
4	Bihar	64.30	0.00	7.72	0.00	6.43	0.00	3.86	0.00	11.57	0.00	4.50	0.00	12.23	0.00	4.89	0.00	115.49	0.00	0.00
5	Chhatisgarh	10.91	0.00	1.31	0.07	2.18	0.94	1.31	0.63	1.96	0.00	3.00	0.00	4.35	0.00	1.74	0.00	26.77	1.64	6.11
6	Goa	1.54	0.00	0.18	0.18	0.15	0.03	0.09	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	0.54	0.52	0.22	0.00	3.00	0.77	25.50
7	Gujarat	161.17	123.80	5.80	3.08	9.67	5.15	3.87	2.10	8.70	0.00	4.50	0.00	14.13	6.97	4.24	0.42	212.08	141.52	66.73
8	Haryana	18.48	3.16	4.44	4.25	4.92	8.16	3.70	3.90	3.33	0.00	0.00	0.00	19.56	14.39	3.91	2.35	58.34	36.21	62.07
9	Himachal	7.90	1.19	2.36	1.92	1.60	1.40	1.20	0.96	1.42	0.40	15.00	12.42	11.97	9.90	2.40	1.65	43.85	29.84	68.04
10	Jammu & Kashmir	9.78	0.85	2.34	1.56	1.96	1.30	1.56	1.20	1.76	0.00	9.00	6.00	17.94	11.96	3.59	0.00	47.93	22.87	47.71
11	Jharkhand	16.52	0.07	1.98	0.91	3.31	2.36	0.99	0.17	8.92	5.95	9.00	7.47	11.96	3.61	4.78	2.01	57.47	22.55	39.24
12	Karnataka	41.01	2.19	16.41	14.55	8.20	4.55	8.20	7.34	19.69	16.75	6.00	3.00	31.52	24.32	4.73	0.52	135.76	73.22	53.93
13	Kerala	20.23	0.41	2.43	0.78	2.70	1.93	1.62	1.03	3.64	1.32	4.50	1.61	5.71	1.35	2.28	0.01	43.10	8.44	19.58
14	Madhya Pradesh	61.47	0.00	7.38	0.96	12.29	8.72	6.15	3.49	11.06	0.00	6.00	2.80	26.63	19.01	7.99	0.26	138.98	35.25	25.36
15	Maharashtra	89.27	18.95	10.71	5.87	23.83	15.49	5.36	0.91	21.42	14.12	6.00	4.89	39.96	24.34	7.99	0.90	204.54	85.47	41.79
16	Manipur	1.07	0.06	0.64	0.60	1.12	0.70	0.66	0.41	0.58	0.38	0.00	0.00	1.68	1.11	0.22	0.00	5.96	3.26	54.71
17	Meghalaya	0.31	0.01	0.04	0.11	0.03	0.16	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.11	0.00	0.84	0.29	34.17
18	Mizoram	1.88	0.00	0.30	0.22	0.50	0.38	0.30	0.20	0.34	0.00	0.00	0.00	1.63	1.29	0.33	0.04	5.28	2.13	40.44
19	Nagaland	1.27	0.00	0.15	0.09	0.12	0.08	0.08	0.05	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	1.84	1.24	67.39
20	Orissa	33.31	17.23	3.00	1.63	6.65	5.63	2.00	1.53	5.99	3.00	15.00	21.00	16.30	11.40	6.52	3.94	88.77	65.36	73.63
21	Punjab	16.28	3.43	3.90	2.49	5.41	5.89	1.95	1.35	9.75	8.32	4.50	1.51	11.41	9.79	3.04	1.46	56.24	34.24	60.89
22	Rajasthan	38.80	0.00	6.20	3.86	5.18	2.73	2.33	0.31	18.63	12.78	12.00	9.00	27.72	19.38	11.09	6.10	121.95	54.16	44.41
23	Sikkim	0.41	0.00	0.10	0.06	0.04	0.00	0.07	0.05	0.07	0.00	6.00	2.70	1.62	2.60	0.22	0.00	8.53	5.41	63.42
24	Tamil Nadu	24.71	10.69	8.90	8.03	4.94	6.34	2.96	6.03	4.45	0.00	12.00	16.72	24.45	25.76	3.26	2.12	85.67	75.69	88.35
25	Tripura	3.76	0.22	0.60	0.45	0.51	0.42	0.46	0.31	1.35	0.68	0.00	0.00	2.46	2.23	0.49	0.00	9.63	4.31	44.76
26	Uttar Pradesh	102.25	2.56	12.27	2.41	20.45	14.33	12.27	8.21	30.68	18.92	9.00	9.00	38.04	21.36	11.41	4.30	236.37	81.10	34.31
27	Uttarakhand	12.84	0.35	1.54	1.05	4.28	3.71	0.77	0.05	4.62	3.08	15.00	12.00	7.06	3.75	2.12	0.00	48.24	23.99	49.73
28	West Bengal	32.83	0.00	3.94	1.64	3.28	1.44	1.97	0.80	5.91	2.91	4.50	0.93	7.75	6.84	3.10	0.00	63.28	14.56	23.02
	Total	835.55	232.51	113.97	61.89	137.91	98.62	67.54	45.31	190.41	97.49	153.00	111.87	351.98	230.18	96.69	30.68	1947.05	908.55	46.66
	% of UC		27.83		54.30		71.51		67.08		51.20		73.12		65.40		31.73		46.66	

TR = TOTAL RELEASED TU = TOTAL UTILIZATION

ANNEXURE-XI
AS ON 31.12.2014
See Chapter-III, Page - 71

STATE-WISE PHYSICAL ACTIVITY COMPLETED UNDER 13TH FINANCE COMMISSION AWARD

Sl No		Activities/ States	Andhra Pradesh	Arunachal Pradesh	Assam	Bihar	Chhatis-garh	Goa	Gujarat	Haryana	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Jhar-khand	Karna-taka
1	(i)	No. of Morning/Evening /Shift/ Holiday Courts	592	0	270	38	0	0	252	154	2	31	0	0
	(ii)	No. of cases disposed of	31436	0	181016	845	0	0	375330	487536	0	0	0	0
2	(i)	No. of Lok Adalats held	5394	0	0	5537	0	50	355	47162	1046	846	67	84620
	(ii)	No. of cases disposed of in Lok Adalats	411972	0	0	217461	0	1448	515570	460295	56308	66726	51063	622326
3		Legal Aid provided (No. of persons benefited)	16145	0	0	33112	0	1046	17652	48641	3867	1454	16	9691
4	(i)	Legal Awareness Camps held (No. of Camps)	12826	0	0	37	0	256	10415	8283	682	388	0	25376
	(ii)	No.of beneficiaries	665616	0	0	0	0	14582	546459	1605594	59897	786	0	4898413
5		Training to Judicial Officers (Nos. of Officers Trained)	7424	0	297	0	512	0	0	2397	1069	243	454	4049
6		Training of) Public Prosecutors Nos.	1305	0	441	0	555	0	916	848	94	200	183	1200
7	(i)	ADR Centers (Nos.)	24	0	0	0	0	8	8	13	0	24	7	28
	(ii)	Cases disposed of in ADR Centers	3632	0	0	0	178	525	1998	508251	0	0	0	177745
	(iii)	Training to Mediators (Nos.)	120	0	0	0	0	54	585	283	0	217	226	1837
8		No. of Court Managers appointed	27	0	23	32	12	0	14	88	0	0	24	21
9		Heritage Court Building	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10		State Judicial Academy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

STATE-WISE PHYSICAL ACTIVITY COMPLETED UNDER 13TH FINANCE COMMISSION AWARD

Kerala	Madhya Pradesh	Maha-rashtra	Mani-pur	Megha-laya	Mizo-ram	Naga-land	Orissa	Punjab	Rajas-than	Sikkim	Tamil Nadu	Tripura	Uttar Pradesh	Uttara-khand	West Bengal	Total
5	0	394	0	0	0	0	249	148	0	0	59	177	340	25	0	2736
40033	0	1255607	0	0	0	0	894	816695		0	23319	143116	30868	3748	0	3390443
5093	1	7761	6	0	116	129	558	1631	7910	139	17155	395	4177	200	1679	192027
36306	1416469	1597642	610	0	580	594	211009	283696	104344	735	1365203	51035	791035	153538	31746	8447711
13404	9692	30354	9	0	2933	2126	2963	24498	8252	485	1813719	2962	1158	1638	6567	2052384
1372	4399	5868	14	0	316	68	1241	2878	4630	55	14169	1750	1626	295	410	97354
183741	757750	788102	1220	0	32549	6346	0	553624	333108	4289	75983	238060	0	161999	0	10928118
1037	1662	4421	33	0	104	33	3451	1862	1554	0	4458	98	1807	1123	129	38217
465	0	1673	45	0	101	16	991	0	654	20	507	380	480	183	205	11462
0	13	0	0	0	1	6	0	0	35	4	30	0	71	1	0	273
5302	0	64303	5	0	166	310	0	1341	458530	762	2136	20493	7915	0	0	1253592
608	546	1521	0	0	0	52	0	160	1431	13	3589	0	185	107	0	11534
0	12	23	0	0	0	0	32	46	38	0	70	0	69	0	0	531
0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	2	49	4	0	90
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Yes	3	0	4

Annexure-XII

See Chapter – III Page - 77

Statement of Grants Released under CSS Scheme for Infrastructural Facilities for Judiciary (As on 31.12.2014)

(Rs. In lakhs)

Sl. No.	State	Release from 1993-94 to 2010-11	Release in 2011-12	Release in 2012-13	Release in 2013-14	Release in 2014-15	Total Release (1993-94 to 2014-15) upto 31.12.2014
1	Andhra Pradesh	7683.45	1888.00	6393.00	0.00		15964.45
2	Bihar	4036.37	0.00	1524.00	0.00	4909.35	10469.72
3	Chhattisgarh	2907.47	2097.00	0.00	0.00	2176.60	7181.07
4	Goa	627.93	172.00	0.00	0.00		799.93
5	Gujarat	5371.42	0.00	9893.00	10000.00	10000.00	35264.42
6	Haryana	3516.42	2138.00	0.00	3632.00		9286.42
7	Himachal Pradesh	1507	0.00	0.00	806.00		2313.00
8	Jammu & Kashmir	1687.6	1035.00	2572.00	3428.00		8722.60
9	Jharkhand*	1906.52	0.00	1500.00	1693.00	3044.00	8143.52
10	Karnataka	6536.85	2961.00	7610.00	10384.00	16370.00	43861.85
11	Kerala	3419.3	1169.00	1499.00	0.00		6087.30
12	Madhya Pradesh	6382.04	4403.00	2046.00	6141.00	6141.00	25113.04
13	Maharashtra	11131.62	12915.00	5920.24	10000.00	9975.00	49941.86
14	Orissa	5074.27	2416.00	1534.00	0.00		9024.27
15	Punjab	2677.92	0.00	7902.00	12000.00	9805.00	32384.92
16	Rajasthan	4188.51	1172.00	1042.00	0.00		6402.51
17	Tamil nadu	5835.46	0.00	1953.00	7343.00		15131.46
18	Uttarakhand	1635.35	0.00	829.76	2043.00		4508.11
19	UttarPradesh	17542.57	15659.00	9398.00	12530.00	12531.00	67660.57
20	West Bengal	6435.46	2518.00	0.00	0.00	2000.00	10953.46
	Total (A)	**100103.53**	**50543.00**	**61616.00**	**80000.00**	**76951.95**	369214.48

	NE States						
1	Arunachal Pradesh	441.44	972.00	750.00	0.00	1000.00	3163.44
2	Assam	5926.4	2890.00	2954.90	0.00		11771.30
3	Manipur	641.71	0.00	0.00	1500.00	2000.00	4141.71
4	Meghalaya	297	0.00	0.00	1474.00		1771.00
5	Mijoram	1099.95	0.00	704.78	812.56	1085.00	3702.29
6	Nagaland	3860.64	169.00	750.00	0.00		4779.64
7	Sikkim	1278.05	0.00	549.50	2802.84		4630.39
8	Tripura	1097.25	0.00	1495.60	2910.60	1550.00	7053.45
	Total (B)	**14642.44**	**4031.00**	**7204.78**	**9500.00**	**5635.00**	41013.22
	UTs						
1	A&N Islands	395.55	500.00	0.00	0.00		895.55
2	Chandigarh	3400.95	500.00	0.00	0.00		3900.95
3	Dadra & Nagar Haveili	206.25	500.00	0.00	0.00		706.25
4	Daman & Diu	190	0.00	0.00	0.00		190.00
5	Delhi	3647.08	2250.00	2000.00	0.00		7897.08
6	Lakshadweep	51.25	0.00	0.00	0.00		51.25
7	Pondicherry	1898.88	1250.00	0.00	0.00		3148.88
	Total (C)	**9789.96**	**5000.00**	**2000.00**	**0.00**		16789.96
	Grand Total (A+B+C)	**124535.93**	**59574.00**	**70820.78**	**89500.00**	**82586.95**	**427017.66**

ANNEXURE – XIII

See Chaper – III Page - 82

ACTION PLAN FOR THE PERIOD 3rd OCTOBER 2014 TO 31st OCTOBER 2014

i) All the section officers have been asked to ensure that the sections/rooms are cleaned meticulously i.e. sweeping, swabbing, dusting removing of cobwebs on daily basis.

ii) Cleaning staff have been instructed to clean the toilets/washrooms three times every day.

iii) Officers-in-charge of the section/rooms have been asked to ensure that the current files are dusted and placed in orderly manner. They have been further instructed to continue to weed out old files and records.

iv) Cutting/pruning of grass and bushed around Jaisalmer House has been undertaken and shall continue.

v) Additional flower pots have been placed in the corridors/common space.

vi) Corridors/staircases where repair is going on shall be distempered by 31st October.

vii) Cleaning of window panes to continue and stained/broken glasses will be replaced.

viii) CPWD (Electricals) and MHA are being requested to remove and disposed off junk/obsolete items.

ix) Canteen premises will be cleaned regularly.

PLAN FOR ONE YEAR FROM 1ST NOVEMBER,2014 TO 31ST OCTOBER, 2015.

Jaisalmer House is an old building which was built in 1937-38. The building requires maintenance work for restoration of its old glory. Major Changes cannot be carried out by the department. Secretary (Urban Development) and Chief Engineer (CPWD) have been requested to extend architectural and maintenance support to bring the building to its original elegance. The action proposed are :

a. Repair and renovation of all toilets.

b. Repair and replacement of all GI and CI Pipes to stop the problem of seepage.

c. Repair of all doors and windows.

d. Repair and channeling of Electrical Wiring.

e. To improve the lighting, putting up LED lights in place of the conventional one.

f. To get removed unplanned/additional constructions resulting in spoiling the grandeur of the building.

g. To develop a proper parking place.

h. The employees will dedicate 100 hours every year towards self sanitation i.e., two hours voluntary labour every week in the office premises/outside.

PLAN FOR THE PERIOD FROM 1ST NOVEMBER 2015 TO 31ST OCTOBER 2019

i) The campaign for Swachh Bharat shall be sustained by continuing various activities initiated on 25th September 2014 upto 2019.

ii) All the employees have been administered the oath to voluntarily dedicate two hours of labour on cleanliness every week i.e. 100 hours every year.

iii) All the section officers will continue to ensure the meticulous cleaning i.e. sweeping, swabbing, dusting removing of cobwebs on daily basis upto 2019.

iv) The Cleaning staff shall continue to clean the toilets/washrooms three times every day to make it regular practice.

v) All officer-in-charge of the section/rooms will ensure weeding out of records on annual basis and only keep the current files after properly dusting and cataloguing as per Office Procedure Manual.

vi) Cutting/pruning of grass and bushed around Jaisalmer House shall continue and efforts will be made to develop additional flower beds, lawns and planting of additional plants with the help of horticulture.

vii) Efforts will be made to restore the old glory of Jaisalmer House by taking up necessary civil electrical and horticultural works with architectural support of Ministry of Urban Development.

ANNEXURE XIV

See Chapter - IV, Page - 86

By Direct Recruitment

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS

OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DURING THE YEAR 2014

Department of Legal Affairs (ADMN.IV-LA SECTION)

Scheduled Castes

Group of post	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of SC candidates appointed	Short-fall	No. of ST candidates appointed against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward	No. of SC vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 10+11)
	Notified	Filled	Out of col.2	Out of col.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	17@	-	8[SC-3] [OBC-5]	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'B'	06	01	01*	-	-	-	—	—	—	—	—
Group'C'	21	-	03*	—		—	—	—	—	—	—
Group'D' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'D' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

@Published in Employment News dated 13-19 September, 2014
*Reported to SSC

Scheduled Tribes

Group of post	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of ST candidates appointed	Short-fall	No. of SC candidates appointed against vacancies reserved for STs in the third year of carry forward	No. of ST vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 19+20)
	Out of col.2	Out of col.3							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	01	-	01	—	—	—	—	—	—
Group 'C'	02	—	-	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vaccancies of CSS, CS SS, CSOLS cadre are assessed by DoPT and D/O Official Language

CSCS - NIL vaccancies reported

Annexure – XV

See Chapter – IV Page - 86

Part II. – Posts filled by Promotion (on seniority-cum-fitness)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	—	05	—	—	01	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	14	—	—	02	—	—	—	—	—	—
Group 'C'	22	22	03	03	—	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C'	02	—	—	—	—	—	—	—	—
'D'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'D' (Sweeper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Part III – Posts filled by Promotion (by selection)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	-	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—
Group 'C'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (excluding] Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'D' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'D'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'D' (Sweeper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vacancies of CSS, CSSS, CSOLS cadres are assessed by DoPT and D/o Official Language

CSCS-Nil vacancies reported

ANNEXURE – XVI

See Chapter- IV Page - 86

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT AS ON 10-01-2015

GROUP	Total No. of Employees	No. of Female Employees	Percentage(%)
Group 'A'	62	14	22.5
Group 'B'	100	43	43.0
Group 'C'	131	22	16.7
Total:-	**293**	**79**	**26.9**

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Groups	Department of Legal Affairs		Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	
	Total No. of employees	No. of female employees	Total No. of employees	No. of female employees
Group A	96	16	97	06
Group B	248	99	171	25
Group C	133	15	207	79
Group D	209	13	209	11
Total	686	143	684	121

DEPARTMENT OF JUSTICE

GROUPS	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES
TOTAL	**47**	**3**

ANNEXURE- XVII

See Chapter – IV Page - 88

DETAILS OF THE PROGRASSIVE USE OF HINDI INCLUDING HINDI TEACHING SCHEME DURING THE PERIOD FROM 1ST JANUARY, 2014 TO 31ST DECEMBER, 2014

	1	2	3	4	5	6
	Letters received in Hindi	Letters replied to in English	Letters replied to in Hindi	Total No of originating letters	Letters sent to in Hindi	Letters sent to in English
Legal Affairs	8589	No letter was replied to in English	6256	32886	22519	10367
	7	8	9	10	11	12
	Total No. of telegrams	Issued in Hindi	Issued in English	No. of documents issued both in Hindi & English	No. of documents issued in Hindi	No. of documents issued in English
	—-	—-	—-	8068	—-	—-

	13	14	15	16		17	
	Total No. of Computers	No. of Devnagari/ bilingual Computers	No. of English Computers	Total No. of Staff		No. of staff proficient in Hindi	
Legal Affairs	300	300*	—-	Gazetted 148	Non gazetted 365	Gazetted 140	Non gazatted 361

*All computers have facility to work both in Hindi and English.

18		19	
Rubber Stamps		Name Plates	
Bilingual	In English	Bilingual	In English
All	—-	All	——

Details of officers/officials Trained Under Hindi Teaching Scheme as on 31-12-2014

	1	2	3
	Total No. of Officers and Operating Staff	**No. of Staff knowing Hindi/ Hindi Trained**	**No. of persons yet to be trained in Hindi**
Legal Affairs	**513**	**501**	**12**
	4	**5**	**6**
Legal Affairs	**Total No. of LDCs/Typist**	**No. of persons trained in Hindi Typewriting**	**No. of persons yet to be trained in Hindi Typewriting**
	81	**53**	**28**
	7	**8**	**9**
Legal Affairs	**Total No. of Stenographers**	**No. of persons trained in Hindi**	**No. of Persons yet to be trained in Hindi Stenography**
	104	**68**	**36**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

Printed at : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531